


**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

**संघ सरकार (सिविल)
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
2014 की संख्या 25**



विषय-सूची

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		ix
विहंगावलोकन		xi
अध्याय I : प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के विषय में	1.1	1
लेखापरीक्षा का प्राधिकार	1.2	3
केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा लेखे की प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	1.3	4
संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	1.4	5
उपयोग प्रमाण पत्र	1.5	5
प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के परिणाम	1.6	7
अध्याय II : रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय		
भेषजीय विभाग		
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर अप्रयुक्त राशि तथा उस पर ब्याज की वसूली ₹ 5.78 करोड़	2.1	8
राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान- मोहाली		
निर्माण की तिथि से ही खाली पड़े आवासीय मकानों पर ₹ 2.49 करोड़ का व्यर्थ निवेश	2.2	9

अध्याय III : उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं लोक संवितरण मंत्रालय		
उपभोक्ता कार्य विभाग		
अप्राधिकृत व्यय	3.1	12
अध्याय IV : संस्कृति मंत्रालय		
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण		
निधियों का अवरोधन	4.1	15
स्वायत्त निकायों से स्टाफ का अनियमित संयोजन	4.2	18
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र		
निधियों का अवरोध	4.3	20
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय		
अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु से ऊपर सेवा का अनियमित विस्तार	4.4	22
अध्याय V : विदेश मंत्रालय		
सरकारी लेखे से बाहर बैंक खाते का अनुरक्षण	5.1	26
सामानों के प्रापण में नियमों का उल्लंघन	5.2	28
मासिक लेखे में फर्जी भुगतान वाउचर/प्राप्ति चालान	5.3	33
परियोजना प्रबंधन दलों को विदेश भत्ते का अतिरिक्त भुगतान	5.4	38
पारपत्र विविध सेवाएं हेतु शुल्कों का कम संग्रहण	5.5	41
सेवा प्रदाता को अनुचित वित्तीय लाभ	5.6	43
अध्याय VI : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		
'मेगा फूड पार्क योजना' का धीमा कार्यान्वयन	6.1	46
अनुदान का अधिक निर्गम	6.2	49

‘संयोजन शुल्क’ का परिहार्य भुगतान	6.3	52
अध्याय VII : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
सरकारी अस्पतालों में जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट का प्रबंधन	7.1	55
राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान		
अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास के निर्माण में असाधारण विलम्ब	7.2	73
सफदरजंग अस्पताल		
जल प्रभारों पर छूट की प्राप्ति न करना	7.3	75
स्नाकोल्टर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़		
आवासीय स्थान के लाइसेंस शुल्क की कम वसूली - 1.57 करोड़	7.4	77
अध्याय VIII : गृह मंत्रालय		
सशस्त्र सीमा बल		
दावा न किए गए परिनियोजन प्रभार	8.1	79
सीमा सुरक्षा बल		
प्रापण उद्देश्यों की अप्राप्ति	8.2	81
अध्याय IX : मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
उच्च शिक्षा विभाग		
आई.आई.टी. हेतु स्थायी अवसंरचना स्थापित करने में परिहार्य विलम्ब	9.1	84
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय		
अधिक पुस्तकों के प्रकाशन पर अनुत्पादक व्यय	9.2	87

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्		
ब्याज की हानि	9.3	89
पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़		
सा.भ.नि./अ.भ.नि. अंशदाताओं को ब्याज का अधिक भुगतान	9.4	91
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल		
मंत्रालय के आदेशों के उल्लंघन में गैर-शिक्षण स्टाफ के वेतन पुनर्परिमेयकरण पर बकायों का अनियमित भुगतान	9.5	93
झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
ब्याज की हानि	9.6	95
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद		
₹ 1.00 करोड़ की ब्याज हानि	9.7	97
भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता		
छुट्टी यात्रा रियायत की कपटपूर्ण प्रतिपूर्ति	9.8	98
अध्याय X : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
मॉग प्रभारों का परिहार्य भुगतान	10.1	101
अध्याय XI : सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय		
खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, मुंबई में योजनागत निधियों के उपयोग की मॉनीटरिंग की विफलता तथा अव्ययित शेषों हेतु वसूली प्रणाली का अभाव	11.1	103
निधियों का अवरोधन	11.2	106

अध्याय XII : कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय		
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग		
सचिवालय एवं प्रबंधन संस्थान		
सरकारी प्राप्तियों का अप्राधिकृत प्रतिधारण	12.1	108
अध्याय XIII : योजना आयोग		
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण		
स्टांप शुल्क के रूप में ₹ 1.95 करोड़ का परिहार्य भुगतान	13.1	111
निधियों का समयपूर्व जारी किया जाना	13.2	112
अध्याय XIV : विद्युत मंत्रालय		
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड		
पनबिजली भत्ते का अनियमित भुगतान	14.1	116
अध्याय XV : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय		
निष्फल व्यय	15.1	119
अध्याय XVI : पोत परिवहन मंत्रालय		
म.प्र.प्रा. द्वारा निर्धारित पायलिटैज प्रभारों हेतु दरों के गलत तरीके से लगाने के कारण राजस्व की हानि	16.1	122
कोलकाता पत्तन न्यास		
पट्टा किराया की कम वसूली के कारण ₹ 7.58 करोड़ की हानि	16.2	124
मुंबई पत्तन न्यास		
बेकार पड़े ड्रेजर पर निष्फल व्यय	16.3	127

अध्याय XVII : वस्त्र मंत्रालय		
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान		
गृह लाभ प्रोत्साहन के प्रति अनियमित भुगतान	17.1	132
विकास आयुक्त (हथकरघा)		
जनपथ, नई दिल्ली में हथकरघा विपणन परिसर के निर्माण में असामान्य विलंब	17.2	134
अध्याय XVIII : पर्यटन मंत्रालय		
सामान तथा सेवाओं के प्रापण में अनियमितताएं	18.1	137
गैर-मौजूदा संस्थाओं को कार्य की सुपुर्दगी	18.2	140
अध्याय XIX : संघ शासित क्षेत्र		
अण्डमान एवं निकोबार सचिवालय		
₹ 24.00 करोड़ का अनियमित भुगतान	19.1	144
विद्युत विभाग		
परिहार्य व्यय	19.2	146
पोत परिवहन सेवाएं निदेशालय		
₹ 7.50 करोड़ का निष्फल व्यय	19.3	149
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं		
निष्फल व्यय	19.4	152
चण्डीगढ़ प्रशासन, चण्डीगढ़ आवास बोर्ड		
चण्डीगढ़ आवास बोर्ड द्वारा परिवर्तन शुल्क का अनियमित प्रतिधारण	19.5	154

अध्याय XX : युवा मामला एवं खेल मंत्रालय		
भारतीय खेल प्राधिकरण		
चिकित्सकीय बिलों का फर्जी आहरण	20.1	157
अध्याय XXI : सामान्य		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	21.1	159
ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर	21.2	161
अनुबंध	163-210	
परिशिष्ट	211-298	

प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष हेतु इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान की धारा 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा आर्थिक/सामान्य एवं समाज सेवाओं के अंतर्गत उनके स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेनदेनों की अनुपालना लेखापरीक्षा शामिल है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण वह हैं जोकि 2012-13 की अवधि हेतु जाँच लेखापरीक्षा के समय नोट किये गए थे इसके साथ-साथ वह भी जोकि पूर्व वर्षों में नोट किए गए थे, लेकिन पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए गए थे, आवश्यकता अनुसार 2012-13 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरणों को भी शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानदण्डों के अनुरूप संचालित किया गया था।



विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं जोकि सिविल मंत्रालयों/विभागों तथा स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर हुए थे। इसमें XXI अध्याय शामिल हैं। अध्याय I संक्षिप्त परिचय देता है जबकि अध्याय II से XX वर्तमान के विस्तृत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ प्रस्तुत करते हैं। अध्याय XXI पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्रवाई टिप्पणियों की सारांशीकृत स्थिति तथा इस प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफों को मंत्रालयों से प्राप्त उत्तरों की स्थिति दर्शाता है।

इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

भेषजीय विभाग

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर अप्रयुक्त राशि तथा उस पर ब्याज की वसूली -
₹ 5.78 करोड़

राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (रा.भे.शि.अ.सं.) ने सभागार के निर्माण हेतु भेषजीय विभाग (भे.वि.) द्वारा जारी (2009-10) ₹ 4.22 करोड़ की निधियों को विभाग के विनिर्दिष्ट निर्देशों के उल्लंघन में बैंक में रखा। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर राशि को रा.भे.शि.अ.सं. द्वारा ब्याज सहित वापस किया गया था।

(पैराग्राफ 2.1)

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं लोक संवितरण मंत्रालय

उपभोक्ता कार्य विभाग

अप्राधिकृत व्यय

उपभोक्ता कार्य विभाग ने निधियों की अपनी अतिरिक्त आवश्यकता को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन दो सांविधिक निकायों के माध्यम से ₹1.08 करोड़ का प्रबंध करके पूरा किया। विभाग के कार्य का बजटीय प्रावधानों से अधिक होने तथा संसदीय प्राधिकरण का परिगमन करने का प्रभाव था जो अप्राधिकृत व्यय का कारण बना।

(पैराग्राफ 3.1)

संस्कृति मंत्रालय

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

निधियों का अवरोधन

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा.पु.स.) मार्च 2000 में इसके द्वारा प्राप्त की गई भूमि पर, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा दो विस्तारों के बावजूद भी, पुरातत्व संस्थान का निर्माण करने में विफल रहा। यह, प्राधिकरण द्वारा नवम्बर 2012 में प्लाट के आवंटन के रद्द किये जाने तथा दण्ड लगाए जाने का कारण बना। भा.पु.स. का निरुत्साही दृष्टिकोण भी परियोजना उद्देश्यों की अप्राप्ति के अतिरिक्त ₹ 2.61 करोड़ के परिहार्य भुगतान तथा ₹ 3 करोड़ की निधियों के अवरोधन का कारण बना।

(पैराग्राफ 4.1)

स्वायत्त निकायों से स्टाफ का अनियमित संयोजन

संस्कृति मंत्रालय ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत स्वायत्त निकायों से स्टाफ का संयोजन करने की अनियमित प्रक्रिया को अपनाया। अक्टूबर 2003 से फरवरी 2014 की अवधि के दौरान 22 स्वायत्त निकायों ने मंत्रालय में संयोजित 85 कर्मचारियों/संविदात्मक स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर ₹3.66 करोड़ का व्यय किया था।

(पैराग्राफ 4.2)

विदेश मंत्रालय

सरकारी लेखे से बाहर बैंक खाते का अनुरक्षण

भारतीय दूतावास ब्यूनाँस आयर्स, अर्जेटीना ने बैंक खाता का परिचालन किया और सरकारी लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि किये बगैर अर्जेटीना पेसो 41,17,118 (₹ 5.10 करोड़) का लेनेदेन किया।

(पैराग्राफ 5.1)

सामानों के प्रापण में नियमों का उल्लंघन

भारतीय महावाणिज्य दूतावास, अटलांटा ने ₹1.61 करोड़ मूल्य के कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयरों, कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले उपकरण एवं फर्नीचर/फिटिंगों का तीन अलग खरीदों में, नियमों का उल्लंघन करते हुए एवं उचित, पारदर्शी तथा तर्कसंगत प्रक्रिया के अनुपालन के बगैर प्रापण किया था।

(पैराग्राफ 5.2)

मासिक लेखे में फर्जी भुगतान वाउचर/प्राप्ति चालान

भारतीय महावाणिज्य दूतावास, ह्यूस्टन, यू.एस.ए. ने यू.एस. \$3,72,632 के भुगतान वाउचर तथा यू.एस. \$3,62,172 के प्राप्ति चालान अवास्तविक बनाए तथा इनका हिसाब मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए अपने मासिक लेखे में दिया। रोकड़ बही में प्रविष्टि किए बिना यू.एस \$69,356 का आहरण और यू.एस \$39,266 जमा हुए थे। वाणिज्य दूतावास के लेखे में गंभीर गलतियाँ थीं जिनके कारण प्राप्तियों के कम लेखांकन तथा बेहिसाब आहरणों से इंकार नहीं किया जा सकता था।

(पैराग्राफ 5.3)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

'मेगा फूड पार्क योजना' का धीमा कार्यान्वयन

मेगा फूड पार्क योजना सितम्बर 2008 में, प्रथम चरण में कार्यान्वयन हेतु 10 परियोजनाओं के साथ शुरू की गयी थी। परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति अत्यंत धीमी थी एवं तय समय-सीमा से काफी पीछे चल रही थी। परिणामस्वरूप, ₹ 250 करोड़ के निवेश के बावजूद, योजना उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई।

(पैराग्राफ 6.1)

'संयोजन शुल्क' का परिहार्य भुगतान

खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लि. (ह.रा.औ.अ.वि.नि.) से प्राप्त भूमि के प्लॉट पर हरियाणा में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता तथा प्रबंधन संस्थान की स्थापना हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. (रा.भ.नि.नि.) को नियुक्त किया। तथापि,

रा.भ.नि.नि. को, ह.रा.औ.अ.वि.नि. को निर्माण योजना के प्रस्तुतीकरण से पहले भूमि के प्लॉट पर निर्माण प्रारम्भ करने को अनुमत किया गया तथा प्रक्रिया में शहरी एवं देश विकास विभाग, हरियाणा सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया गया था। उसका परिणाम ₹1.36 करोड़ के संयोजन शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 6.3)

गृह मंत्रालय

सशस्त्र सीमा बल

दावा न किए गए परिनियोजन प्रभार

सशस्त्र सीमा बल द्वारा राज्यों/सं.शा.क्षे. से, परियोजन लागत के शीघ्र उद्ग्रहण तथा संग्रहण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी। जनवरी 2008 एवं मार्च 2013 के बीच विभिन्न अवसरों पर बिलों को प्रस्तुत करने में इसकी विफलता परिनियोजन प्रभारों के प्रति ₹25.32 करोड़ की कम वसूली का कारण बनी।

(पैराग्राफ 8.1)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्च शिक्षा विभाग

आई.आई.टी. हेतु स्थायी अवसंरचना स्थापित करने में परिहार्य विलम्ब

भारत सरकार ने xiv^{वीं} पंचवर्षीय योजना में आठ नई आई.आई.टी. की स्थापना करने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य हेतु मंत्रीमण्डल की स्वीकृति जुलाई 2008 में प्रदान की गई थी। तथापि परियोजना की पूर्णता में हुआ पर्याप्त विलम्ब, परियोजना के उद्देश्यों को पूरा न किए जाने का कारण बना।

(पैराग्राफ 9.1)

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

अधिक पुस्तकों के प्रकाशन पर अनुत्पादक व्यय

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने, ना बिके प्रकाशनों की प्रवृत्ति का संज्ञान न लेते हुए, शब्दकोशों तथा पुस्तिकाओं, जिनके लेने वाले काफी कम थे, की 1000 प्रतियों का मुद्रण जारी रखा। यह ₹2.22 करोड़ की कीमत के इन प्रकाशनों के संचयन का कारण बना।

(पैराग्राफ 9.2)

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

ब्याज की हानि

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने स्टेट बैंक पटियाला में ₹217 करोड़ का निवेश सावधि जमा में, अन्य बैंक द्वारा दिये जाने वाले मैजूदा दरों के बारे में पता किये बगैर किया था जो ₹3.25 करोड़ की ब्याज की हानि का कारण बना।

(पैराग्राफ 9.3)

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान

सरकारी प्राप्तियों का अप्राधिकृत प्रतिधारण

सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (स.प्र.प्र.स.) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार का एक संलग्न कार्यालय, ने एक अलग चालू खाते का अनुरक्षण करके अपनी प्राप्तियों के भाग को अप्राधिकृत रूप से सरकारी खाते से बाहर रखा। इस खाते में जमा प्राप्तियों तथा किए गए व्यय ने प्र.ले.का. प्रणाली को अनदेखा किया। परिणामस्वरूप अपेक्षित जांचों से समझौता किया गया था। तथ्य, कि ये निधियां बजटीय प्रक्रिया के बाहर रखी गई थी, व्यय करने हेतु संसदीय प्राधिकरण को भी दुर्बल बनाता है।

(पैराग्राफ 12.1)

योजना आयोग

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

निधियों का समयपूर्व जारी किया जाना

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने निधियों की शीघ्र आवश्यकता का आकलन किए बिना तथा कोडल प्रावधानों के उल्लंघन में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को समयपूर्व निधियां जारी की जो ₹1.20 करोड़ के ब्याज की हानि का कारण बना।

(पैराग्राफ 13.2)

पर्यटन मंत्रालय

गैर मौजूदा संस्थाओं को कार्य की सुपुर्दगी

भारत सरकार पर्यटन कार्यालय लंदन द्वारा पारदर्शी, प्रतियोगितात्मक एवं स्पष्ट प्रापण प्रक्रिया के अनुपालन की विफलता गैर-मौजूदा संस्थाओं को अनुबंध प्रदान करने और ₹97.44 लाख के परिणामी भुगतान में परिणत हुई।

(पैराग्राफ 18.2)

युवा मामला एवं खेल मंत्रालय

चिकित्सकीय बिलों का फर्जी आहरण

कनिष्ठ लेखा अधिकारी जिसे भुगतान के लिए बिलों की जाँच करने तथा सत्यापित करने का कर्तव्य सौंपा गया था, उसने अपने पद का लाभ उठाया तथा अपने लिए ₹11.10 लाख की राशि के जाली चिकित्सकीय बिल पारित किए थे।

(पैराग्राफ 20.1)

अध्याय I: प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

अनुपालना लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों के व्यय, प्राप्तियाँ, परिसम्पत्तियों और देयताओं से संबंधित लेन-देनों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए कि, क्या भारतीय संविधान के प्रावधानों, लागू नियमों, नियमावली, विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा अनुदेशों का पालन किया जा रहा है, का उल्लेख करती है। अनुपालना लेखापरीक्षा में नियमों, विनियमों, आदेशों तथा अनुदेशों की वैधता, पर्याप्त, पारदर्शिता, औचित्यता तथा विवेक की जांच करना भी शामिल होता है।

लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) की ओर से उसके द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षा मानकों¹ के अनुसार की जाती है। इन मानकों में वे मानदण्ड निर्धारित हैं जिनकी लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा संचालन करने में पालन करने की अपेक्षा की जाती है और उन्हें अपालन तथा अपशब्द के व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों में विद्यमान कमियों की सूचना देना अपेक्षित होता है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से, कार्यकारी अधिकारी को शोधक कार्रवाई करने में सक्षम बनाने तथा नीतियों और निर्देश, जो संगठनों के उन्नत वित्तीय प्रबंधन का मार्गदर्शन करेंगे, भी बनाने की अपेक्षा की जाती है, इस प्रकार, ये बेहतर शासन के लिए योगदान दे रहे हैं।

मार्च 2013 को, सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे तथा रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर, संघ सरकार के लगभग 52 मंत्रालय/विभाग थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन 52 मंत्रालयों/विभागों का सकल व्यय नीचे दिया गया है:

¹ www.cag.gov.in/html/auditing_standards.htm

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय
2010-11	40,23,332
2011-12	47,62,240
2012-13	47,93,466

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य संघ सिविल मंत्रालयों द्वारा वास्तविक संवितरण नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय	2010-11	2011-12	2012-13
कृषि	24112.00	23396.00	24800.00
नागरिक उड्डयन	2527.00	2040.00	7069.00
वाणिज्य एवं उद्योग	6458.00	5715.00	6076.00
विदेश मामले	7159.00	7871.00	10121.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	24450.00	28683.00	29667.00
गृह मामले	39424.00	45707.00	48030.00
मानव संसाधन विकास	51905.00	78798.00	65571.00
खनन	648.00	804.00	799.00
पोतपरिवहन	1561.00	1664.00	1203.00
वस्त्र	12997.00	5057.00	4385.00
पर्यटन	1055.00	1115.00	934.00
महिला एवं बाल विकास	10688.00	15677.00	17037.00
युवा मामले एवं खेल	2841.00	986.00	999.00

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकेगा कि व्यय का बड़ा भाग चार मंत्रालयों अर्थात् कृषि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह तथा मानव संसाधन विकास द्वारा किया गया था जिसने 2012-13 के दौरान उपरोक्त मंत्रालयों द्वारा किए गए कुल संवितरणों का 78 प्रतिशत संघित किया।

31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों को प्रदत्त सकल बजटीय सहायता में से सभी केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (के.स्वा.नि.) को सहायता-अनुदान के रूप में जारी की गई

कुल केन्द्रीय सहायता का हिस्सा 0.96 प्रतिशत से लेकर 1.04 प्रतिशत तक था, जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	वर्ष के दौरान के.स्वा.नि. को दी गयी कुल केन्द्रीय अनुदान की राशि (₹ करोड़ में)	सकल बजटीय सहायता ² (₹ करोड़ में)	सकल बजटीय सहायता के संदर्भ में केन्द्रीय अनुदान के.स्वा.नि. की प्रतिशतता
2010-11	44857.68	4683838.77	0.96
2011-12	45805.03	4935556.56	0.93
2012-13	55573.63	5345367.89	1.04

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, कि कुल सकल बजटीय सहायता के प्रतिशत के रूप में के.स्वा.नि. को अनुदान के रूप में दी गयी केन्द्रीय सहायता की राशि ने 2011-12 के स्तर से 2012-13 के दौरान 0.11 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि दर्ज की।

1.2 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

नि.म.ले. द्वारा लेखापरीक्षा करना तथा संसद को सूचित करने का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 149 तथा 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम 1971 से प्राप्त हुआ है। नि.म.ले.प., नि.म.ले.प. के (क.श.से.श.) अधिनियम³ की धारा 13⁴ तथा 17⁵ के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करता है। संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाई गई विधि के अधीन तथा नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा के विशिष्ट प्रावधानों का अन्तर्विष्ट करते हुए निकायों की लेखापरीक्षा सांविधिक रूप से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के

² स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए विनियोग लेखे-संघ सरकार

³ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971।

⁴ (i) भारत की समेकित निधि से सभी व्यय (ii) आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे, से संबंधित लेनदेनों, (iii) सभी व्यापक, विनिर्माण, लाभ एवं हानि


⁵ संघ या राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गये भण्डार तथा स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा रिपोर्ट

(कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 (अधिनियम) की धारा 19(2) के अंतर्गत की जाती है। अन्य संगठनों (निगमों अथवा संस्थाओं) की लेखापरीक्षा जनहित में उसी अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत नि.म.ले.प. को सौंपी गई है। इसके अलावा, के.स्वा.नि. जो मूलतः भारत की समेकित निधि से अनुदानों/ऋणों द्वारा वित्तपोषित हैं, की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा अधिनियम की धारा 14(1) के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है।

1.3 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा लेखे की प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

सदन के पटल पर रखे जाने वाले पत्रों की समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) 1975-76 में सिफारिश की थी, कि लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, प्रत्येक स्वायत्त निकाय को अपने लेखे, तीन माह की अवधि के अंदर पूर्ण कर लेने चाहिए और उन्हें लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराना चाहिए। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर संसद के समक्ष रखे जाने चाहिए।

वर्ष 2011-12 के लिए, 361 के.स्वा.नि. के लेखे की लेखापरीक्षा, नि.म.ले.प. द्वारा की जानी थी। इनमें से 169 स्वा.नि. के लेखे, देय तिथि के बाद दिये गये थे, जैसा कि निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:



स्वायत्त निकायों जिनके लेखे दिसम्बर 2013 को तीन माह से अधिक विलम्बित थे के विवरण **परिशिष्ट-I** में दिये गये हैं।

1.4 संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

सदन के पटल पर प्रस्तुत प्रलेखों पर समिति ने, अपने पहले प्रतिवेदन (1975-76) में, सिफारिश की थी कि स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष लेखांकन-वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर अर्थात् आगामी वित्त वर्ष के 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत किये जाएं।

31 दिसम्बर 2013 को संसद के समक्ष लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रस्तुति की स्थिति इस प्रकार है:

लेखे का वर्ष	निकायों की कुल संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षित लेखे दिये गये थे, लेकिन संसद के समक्ष समय पर प्रस्तुत नहीं किये गये	देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत लेखापरीक्षित लेखाओं की कुल संख्या
2011-12	05	99*

* 2010-11 के 3 लेखापरीक्षित लेखे तथा 2009-10 के 2 लेखापरीक्षित लेखे शामिल हैं।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एक बड़ी संख्या में लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

स्वा.नि. के विवरण जिनके लेखापरीक्षित लेखे संसद में प्रस्तुत नहीं किये अथवा देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत किये गये, **परिशिष्ट-II** तथा **परिशिष्ट-III** में दिए गए हैं।

1.5 उपयोग प्रमाण पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, वैधानिक निकायों/संगठनों को दिये गये अनुदानों के संबंध में, वित्त वर्ष की समाप्ति से 12 माह के अंदर संबंधित निकायों/संगठनों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र देना आवश्यक है। मार्च 2012 तक दिये गये अनुदानों के संबंध में ₹ 29959.32 करोड़ की राशि के

42557 बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों की कुल संख्या को दर्शाते हुए मार्च 2013 तक देय (वित्त वर्ष जिसमें अनुदान दिये गये, के 12 माह के बाद) मंत्रालय/विभाग-वार **परिशिष्ट-IV** में दिये गये हैं। 11 मंत्रालयों⁶ ने बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की सूचना उपलब्ध नहीं करायी थी।

मार्च 2013 को 10 प्रमुख मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बकाया उपयोग प्रमाणपत्र की स्थिति नीचे दी गई है:

31 मार्च 2013 को बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	मार्च 2011 को समाप्त अवधि हेतु	
		संख्या	राशि
1.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3757	11188.58
2.	कृषि	1496	5483.20
3.	विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता	1485	2565.43
4.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	10420	1164.93
5.	राष्ट्रमण्डल खेल	141	1031.39
6.	पंचायती राज	242	888.26
7.	भारी उद्योग	28	766.64
8.	वाणिज्य	368	702.94
9.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	2650	460.63
10.	शहरी विकास	225	334.89
	कुल	20812	24586.89

⁶ संसदीय मामलों का मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, नई एवं नवीनीकरण हेतु शक्ति मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वातावरण एवं वन मंत्रालय एवं पर्यटन मंत्रालय।

1.6 प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के परिणाम

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षित प्रत्येक स्वायत्त निकाय हेतु पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखे के साथ संलग्न करके प्रमाणित संबंधित मंत्रालयों द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं। व्यक्तिगत केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखे पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ **परिशिष्ट-V** में दी गई हैं।

संबंधित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों/मंत्रालयों को दी गयी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे दी गयी हैं:

सामान्य टिप्पणियां

- (क) वर्ष 2012-13 के लिए 137 स्वायत्त निकायों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी (**परिशिष्ट-VI**)।
- (ख) वर्ष 2012-13 के दौरान 115 स्वायत्त निकायों की स्थायी परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था (**परिशिष्ट-VII**)।
- (ग) वर्ष 2012-13 के दौरान 102 स्वायत्त निकायों की वस्तु-सूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था (**परिशिष्ट-VIII**)।
- (घ) 60 स्वायत्त निकायों ने वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश पैटर्न के अनुसार भविष्य निधि शेषों का निवेश नहीं किया था (**परिशिष्ट-IX**)।
- (ङ) 35 स्वायत्त निकाया प्राप्ति/रोकड़ आधार पर अनुदानों की गणना कर रहे थे, जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा के सामान्य प्रारूप के साथ संगतपूर्ण नहीं थी (**परिशिष्ट-X**)।
- (च) 86 स्वायत्त निकायों ने ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों की गणना बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर नहीं की थी (**परिशिष्ट-XI**)।
- (छ) 35 स्वायत्त निकायों द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्य-ह्रास नहीं दिया गया था (**परिशिष्ट-XII**)।
- (ज) 29 स्वायत्त निकायों ने लेखापरीक्षा के परिणाम के आधार पर अपने लेखाओं को संशोधित किया (**परिशिष्ट-XIII**)।

अध्याय II : रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

भेषजीय विभाग

2.1 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर अप्रयुक्त राशि तथा उस पर ब्याज की वसूली - ₹5.78 करोड़

राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (रा.भे.शि.अ.सं.) ने सभागार के निर्माण हेतु भेषजीय विभाग (भे.वि.) द्वारा जारी (2009-10) ₹ 4.22 करोड़ की निधियों को विभाग के विनिर्दिष्ट निर्देशों के उल्लंघन में बैंक में रखा। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर राशि को रा.भे.शि.अ.सं. द्वारा ब्याज सहित वापस किया गया था।(मार्च 2014)

भेषजीय विभाग (भे.वि.), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने ग्यारहवीं योजना (2007-2012) के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (रा.भे.शि.अ.सं.) मोहाली की अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु, ₹69 करोड़ के कुल योजनागत परिव्यय को स्वीकृत किया था (दिसम्बर 2007)।

रा.भे.शि.अ.सं., मोहाली में 1500 सीटों वाले सभागार के निर्माण हेतु 2009-10 के दौरान ₹5.50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था जिसके प्रति ₹4.22 करोड़ की राशि जारी की गई थी। भे.वि. ने अपने पत्र (सितम्बर 2010) में स्पष्ट रूप से बताया था कि जारी निधियाँ बैंकों में रखे जाने के लिए नहीं थीं। तथापि, रा.भे.शि.अ.सं. की वित्त समिति तथा शासी बोर्ड ने सभागार के निर्माण को स्थगित किया तथा राशि को बैंक में सावधि जमा में रखा गया था, जिसकी किसी अन्य योजना में इसके उपयोग हेतु भे.वि. से स्वीकृति लम्बित है। इससे प्राप्त ब्याज को रा.भे.शि.अ.सं. द्वारा अपनी स्थायी निधि/कार्यरत निधि को अंतरित किया गया था।

जून 2013 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर भे.वि. ने रा.भे.शि.अ.सं. से अप्रयुक्त निधियों को वसूला तथा सुनिश्चित किया (मार्च 2014) कि

रा.भे.शि.अ.सं. मोहली ने ₹5.78 करोड़ (₹1.56 करोड़ के ब्याज सहित ₹4.22 करोड़) की अप्रयुक्त राशि का अभ्यर्पण किया था।

राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान-मोहली

2.2 निर्माण की तिथि से ही खाली पड़े आवासीय मकानों पर ₹2.49 करोड़ का व्यर्थ निवेश

रा.भे.शि.अ.सं. द्वारा वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किए बिना 2009 में टाईप-IV तथा टाईप-V आवासीय मकानों का निर्माण ₹2.49 करोड़ के व्यर्थ निवेश का कारण बना।

राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (रा.भे.शि.अ.सं.) भेषजीय विज्ञान में उन्नत अध्ययन तथा अनुसंधान हेतु एक उत्कर्ष केन्द्र बनने के उद्घोषित उद्देश्य के साथ, भेषजीय विज्ञान में एक राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान है। रा.भे.शि.अ.सं. में अच्छा शैक्षिक स्टाफ आकर्षित करने के लिए, भारत सरकार ने संकाय हेतु, 100 प्रतिशत संतोष स्तर पर, (टाईप-V अथवा ऊपर) तथा अन्य स्टाफ हेतु 60 प्रतिशत संतोष स्तर पर (टाईप-IV अथवा नीचे) के मकानों के निर्माण हेतु स्वीकृति (अक्टूबर 1997) प्रदान की।

रा.भे.शि.अ.सं. ने 2006 में 15 टाईप-V आवासीय मकानों का निर्माण किया जो निर्माण समय से ही खाली रहे। आबंटन हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं था तथा आबंटन हेतु उपलब्ध फालतू मकानों के बावजूद, रा.भे.शि.अ.सं. ने ₹99 लाख की लागत पर पांच अतिरिक्त टाईप-V मकानों तथा ₹1.50 करोड़ की लागत पर 12 टाईप-IV मकानों के निर्माण हेतु संविदा प्रदान की (जनवरी 2009)। इन आवासीय इकाइयों का निर्माण मार्च 2010 में समाप्त हुआ मई 2010 में अधिकार लिया गया था।

अतिरिक्त टाईप-IV/टाईप-V आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु कार्य सौंपने के समय 37 मकानों की उपलब्धता के प्रति टाईप-V हेतु पात्र अधिकारियों की वास्तविक संख्या 23 थी। इसी प्रकार, 18 मकानों की उपलब्धता के प्रति टाईप-IV हेतु पात्र अधिकारियों की वर्तमान संख्या 14 थी। वास्तविक अधिभोग टाईप-V हेतु 21 तथा टाईप-IV हेतु 12 था। इसके अतिरिक्त, 2009 में नई श्रमशक्ति की नियुक्ति का

कोई प्रस्ताव नहीं था जिसके लिए 2009 में टाईप-IV अथवा टाईप-V मकानों की आवश्यकता होगी। वास्तविक कार्यरत संख्या तथा खाली मकानों पर विचार करते हुए अतिरिक्त आवासीय मकानों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए था।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2014) कि मकानों के निर्माण हेतु आवश्यकता का निर्धारण भारत सरकार के आदेश दिनांक 10 जनवरी 1995 के आधार पर किया गया था, जिसके आधार पर संकाय हेतु 100 प्रतिशत संतोष स्तर तथा अन्य स्टाफ हेतु 60 प्रतिशत संतोष स्तर पर मकानों का निर्माण करने को स्वीकृति प्रदान की गई थी। 51 टाईप-V मकानों की कुल आवश्यकता के प्रति अब तक 42 मकानों का निर्माण किया गया है जिसके प्रति 17 मकानों को अधिकृत किया गया है। टाईप-IV के संबंध में, 48 कर्मचारियों की कुल संस्वीकृति संख्या के प्रति 30 मकानों का निर्माण किया गया है। इन 30 मकानों में से, 14 मकानों को स्टाफ द्वारा तथा पांच को महिला छात्रावास की कमी को देखते हुए, अस्थायी प्रबंधन के रूप में छात्राओं द्वारा अधिकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, संकाय तथा अन्य पदों को भरना प्रक्रिया में है तथा खाली मकानों के अधिकृत किए जाने की संभावना है।

मंत्रालय के उत्तर पर निम्नलिखित तथ्यों के प्रति पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है:

- सरकारी स्वीकृति संकाय हेतु 100 प्रतिशत संतोष स्तर तथा अन्य स्टाफ हेतु 60 प्रतिशत संतोष स्तर पर, मकान प्रदान करने के लिए है। मंत्रालय के उत्तर में, टाईप-IV तथा टाईप-V मकानों हेतु पात्र स्टाफ की संस्वीकृत संख्या के आधार पर 51 टाईप-V तथा 48 टाईप-IV मकानों की आवश्यकता का परिकलन किया गया है, जबकि 2002-03 से 2012-13 की अवधि के दौरान इन मकानों हेतु पात्र वास्तविक कार्यरत संख्या टाईप-V मकानों के मामलों में 19 से 27 (संस्वीकृत संख्या के 37 से 53 प्रतिशत) तथा टाईप-IV मकानों के मामले में 13 से 22 (संस्वीकृत संख्या के 27 से 46 प्रतिशत) तक परिवर्तित थी।
- अतिरिक्त टाईप-IV तथा टाईप-V आवासीय मकानों के निर्माण हेतु संविदा (जनवरी 2009) को सौंपने के समय छः टाईप-IV मकान तथा 16 टाईप-V मकान पहले से खाली पड़े थे। 2009 में उपरोक्त मकानों के निर्माण के

पश्चात खाली पड़े मकानों की संख्या टाईप-IV हेतु 16¹ तथा टाईप-V हेतु 25 तक बढ़ी है।

- टाईप-IV तथा टाईप-V मकानों हेतु पात्र कार्यरत संख्या की पिछली प्रवृत्ति तथा खाली मकानों की उपलब्धता पर विचार करते हुए अतिरिक्त मकानों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए था।
- जहाँ तक नई नियुक्ति का संबंध था वहाँ निर्माण, यदि कोई हो, को विशेष रूप से चरण प्रकार में किया जा सकता है क्योंकि जैसे-तैसे 22 मकान खाली पड़े थे।

इस प्रकार वास्तविक आवश्यकता का उपयुक्त निर्धारण किए बिना ₹99 लाख की लागत पर पांच अधिक टाईप-V प्रकार मकानों तथा ₹1.50 करोड़ की लागत पर 12 टाईप-IV मकानों का निर्माण, करने के प्रबंधन के अविवेकी निर्णय का परिणाम, अतिरिक्त आवासीय मकानों जो बिना अधिकृत किए पड़े रहने में ₹2.49 करोड़ के, व्यर्थ निवेश में हुआ।

¹ छात्राओं द्वारा अस्थायी प्रबंधन के रूप में अधिकृत पांच मकानों को छोड़कर

अध्याय III : उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं लोक संवितरण मंत्रालय

उपभोक्ता कार्य विभाग

3.1 अप्राधिकृत व्यय

उपभोक्ता कार्य विभाग ने निधियों की अपनी अतिरिक्त आवश्यकता को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन दो सांविधिक निकायों के माध्यम से ₹1.08 करोड़ का प्रबंध करके पूरा किया। विभाग के कार्य का बजटीय प्रावधानों से अधिक होने तथा संसदीय प्राधिकरण का परिगमन करने का प्रभाव था जो अप्राधिकृत व्यय का कारण बना।

सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) का नियम 52(3) निर्धारित करता है कि कोई भी व्यय, जिसका प्रभाव, एक वित्तीय वर्ष हेतु विधिवत संसद द्वारा प्राधिकृत कुल अनुदान अथवा विनियोग से अधिक होने पर हो सकता है, आकस्मिक निधि से अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग या अग्रिम प्राप्त करने के उपरान्त के अतिरिक्त, नहीं किया जाएगा।

उपभोक्ता कार्य विभाग (विभाग) को 2011-12 के दौरान विषय शीर्ष 'कार्यालय व्यय' के अंतर्गत कुल ₹1.83 करोड़ का आवंटन किया गया था जो सम्पूर्ण वर्ष के लिए अपर्याप्त साबित हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने अनुपूरक अनुदानों की प्रक्रिया के माध्यम से निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता का संवर्धन करने की स्थापित प्रक्रिया का सहारा लिए बिना, इसके स्थान पर विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय, फारवर्डस मार्केट्स कमीशन (फा.मा.क.) मुंबई, को लेखन सामग्री, पेट्रोल, स्टाफ कार मरम्मतों, टेलीफोन प्रभारों आदि का भुगतान करने के लिए ₹80 लाख देने का अनुरोध किया (अक्टूबर 2011)। फा.मा.क. ने विभाग की ओर से दिसम्बर 2011 और फरवरी 2012 के बीच विभिन्न विक्रेताओं को ₹78.20 लाख के भुगतान किए। विभाग ने इसी प्रकार,

इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत, एक अन्य सांविधिक न्याय भारतीय मानक ब्यूरो (भा.मा.ब्यू.) को ऋण आधार पर ₹30 लाख, जिन्हें बाद में वापस¹ किया जाना था, प्रदान करने हेतु भी अनुरोध किया (फरवरी 2012)। भा.मा.ब्यू. ने, विभाग की ओर से, विभिन्न विक्रेताओं को ₹29.45 लाख अदा किए।

विभाग के कार्य का बजटीय प्रावधानों से अधिक व्यय करने तथा व्यय करने हेतु संसदीय प्राधिकरण को रोकने का भी प्रभाव था। विभाग द्वारा किए ₹1.08 करोड़ के अप्राधिकृत व्यय ने, शीर्ष 'कार्यालय व्यय' के अंतर्गत बजटीय आवंटन का 59 प्रतिशत से अधिक संघटित किया। इसके अतिरिक्त, सा.वि.नि. के नियम 46(5) के अंतर्गत किसी भी संशोधित अनुमान को संबंधित मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार (वि.स.) द्वारा संवीक्षा की जाएगी। तथापि, इस मामले में विभाग ने अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था करने से पहले अपने वि.स. से परामर्श नहीं किया था। परिणामस्वरूप, विभाग के लेखे बजटीय प्रावधानों² की तुलना में वास्तविक व्यय की सही स्थिति प्रदर्शित नहीं करते थे जो विभाग के भीतर वित्तीय अनुशासनहीनता तथा कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाता है।

मंत्रालय ने बताया (मई 2014) कि इसके स्वायत्त संगठनों ने मंत्रालय से अनुरोधों की प्राप्ति पर, कुछ अपरिहार्य कार्यालय व्ययों हेतु, अपनी निधियां बचायी थी तथा भुगतान, संबंधित स्वायत्त संगठनों में, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ किए गए थे।

¹ राशि को मार्च 2014 तक वापस नहीं किया गया था।

² मंत्रालय के अनुदानों हेतु विस्तृत मांगों के अनुसार ₹2.29 करोड़ के आवंटित बजट के विरुद्ध (₹1.83 करोड़ सचिवालय हेतु तथा ₹0.46 करोड़ प्र.ले.का. हेतु), ₹2.28 करोड़ का व्यय दर्शाया गया था।

उत्तर मुख्य मामले का निपटान नहीं करता है परंतु कुछ-कुछ वर्तमान प्रावधानों को अनदेखा कर रही गलत प्रक्रिया का समर्थन करता है। यह अनुशंसा की जाती है कि मंत्रालय तुरंत ऐसी प्रक्रिया को समाप्त करे।

अध्याय IV : संस्कृति मंत्रालय

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

4.1 निधियों का अवरोधन

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा.पु.स.) मार्च 2000 में इसके द्वारा प्राप्त की गई भूमि पर, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा दो विस्तारों के बावजूद भी, पुरातत्व संस्थान का निर्माण करने में विफल रहा। यह, प्राधिकरण द्वारा नवम्बर 2012 में प्लॉट के आवंटन के रद्द किये जाने तथा दण्ड लगाए जाने का कारण बना। भा.पु.स. का निरूत्साही दृष्टिकोण भी परियोजना उद्देश्यों की अप्राप्ति के अतिरिक्त ₹2.61 करोड़ के परिहार्य भुगतान तथा ₹3 करोड़ की निधियों के अवरोधन का कारण बना।

लाल किला, दिल्ली में स्थित पुरातत्व संस्थान (संस्थान) को, पुरातत्व के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने तथा अनुसंधान हेतु, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा.पु.स.) की सीमा के अंतर्गत, 1985 में स्थापित किया गया था।

चूंकि संस्थान के पास उपलब्ध स्थान इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं था तथा अधिग्रहित भवन को भी बड़ी मरम्मतों की आवश्यकता थी इसलिए भा.पु.स. ने एक नए संस्थान परिसर की स्थापना करने हेतु ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (प्राधिकरण) से ₹4.77 करोड़¹ की लागत पर 25 एकड़ भूमि प्राप्त करने का प्रस्ताव किया (मार्च 1998)। उद्देश्य हेतु भूमि मार्च 2000 में आवंटित की गई थी तथा भा.पु.स. ने दिसम्बर 2004 में प्लॉट हेतु पट्टा करार किया। पट्टा करार के अनुसार, प्रस्तावित इमारत का निर्माण, आवंटन से दो वर्ष के भीतर समाप्त किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नवम्बर 2005 तक, भा.पु.स. ने आवंटित भूमि के चारों ओर, विभागीय रूप से, केवल सीमा दीवार तथा ग्रिल फेन्सिंग के निर्माण

¹ मूल लागत के प्रति ₹3.74 करोड़ जमा 11 वर्ष के पट्टे के रूप में 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष अर्थात् ₹1.03 करोड़। भुगतान फरवरी 1999 (₹3 करोड़) तथा मार्च 1999 (₹1.77 करोड़) में किए गए थे।

कार्य को करने का प्रयास किया। नवम्बर 2005, प्राधिकरण ने भा.पु.सं. को निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने हेतु एक नोटिस दिया। बाद में, (अगस्त 2006) भा.पु.स. ने इमारत हेतु संकल्पना योजना तैयार करने का कार्य एक फर्म² को सौंपा। इसके बाद जुलाई 2007 में सीमा दीवार के निर्माण कार्य को के.लो.नि.वि. को आवंटित किया गया था। भा.पु.स. के अनुरोध पर, प्राधिकरण ने निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु दिसम्बर 2008 तक समय का विस्तार प्रदान किया (सितम्बर 2007)। तथापि, अक्टूबर 2008 तक भा.पु.स. केवल सीमा दीवार का निर्माण ही पूरा कर सका था। भा.पु.स. ने फिर से समय के विस्तार की मांग की (नवम्बर 2008) जिसे प्राधिकरण द्वारा जून 2009 में स्वीकार किया गया था। बढ़ाई गई समय सीमा के अनुसार, निर्माण कार्य दिसम्बर 2010 तक समाप्त किया जाना था।

फर्म ने, मई 2009 में, परियोजना हेतु ₹109 करोड़ के प्रारम्भिक अनुमान सहित संकल्पना योजना प्रस्तुत की जिसके आधार पर भा.पु.स. ने निर्माण की डिजाइनिंग तथा विस्तृत आरेखण तैयार करने हेतु, हित की अभिव्यक्तियां (हि.अ.) आमंत्रित की (सितम्बर 2009)। भा.पु.स. द्वारा हि.अ. दस्तावेजों के मूल्यांकन हेतु गठित मूल्यांकन समिति ने सिफारिश की (मई 2010) कि परियोजना को निष्पादन हेतु के.लो.नि.वि. को सौंपा जाए। तदनुसार, जून 2010 में परियोजना के.लो.नि.वि. को स्थानांतरित की गई। इस प्रकार छः वर्षों से अधिक के बीत जाने के पश्चात् भा.पु.स. केवल कार्यकारी अभिकरण का अंतिम रूप देने की व्यवस्था कर सका। मार्च 2012 तक के.लो.नि.वि. ने डिजिटल सर्वेक्षण, स्थल योजना तैयार की थी तथा मिट्टी जांच की। भा.पु.स. ने मार्च 2012 तक प्लॉट की संकल्पना योजना, आरेखण, सीमा दीवार तैयार कराने तथा निगरानी एवं अभिरक्षण प्रबंधन पर ₹83 लाख का व्यय भी किया था।

² मेसर्स एच्युकेशनल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लि.

यद्यपि, प्राधिकरण द्वारा अनुमत समय-विस्तार जनवरी 2011 में समाप्त हो गया था, फिर भी यह केवल जून 2012 में जाकर ही था कि भा.पु.स. ने प्राधिकरण को आगे और समय के विस्तार हेतु आवेदन किया। प्राधिकरण 15 दिनों के भीतर ₹18.77 लाख के विलम्ब शुल्क के भुगतान पर, दिसम्बर 2014 तक समय को बढ़ाने को सहमत हुआ (अगस्त 2012)। तथापि, भा.पु.स. विलम्ब शुल्क का भुगतान करने में विफल रहा तथा आखिरकार प्राधिकरण ने भूमि के आवंटन को रद्द कर दिया (नवम्बर 2012)। प्राधिकरण ने दण्ड के कारण ₹1.78 करोड़ की कटौती करने के पश्चात दिसम्बर 2012 में डिमान्ड ड्राफ्ट (डि.ड्रा.) द्वारा भा.पु.स. को ₹2.99 करोड़ की राशि वापिस की, परंतु बाद में इसे बैंक में जमा किया गया था तथा इस प्रकार डि.ड्रा. को समाप्त होने दिया गया, जिसका परिणाम निधियों के अवरोधन में हुआ। इस कारण 8 प्रतिशत की औसतन भा.स. उधार दर पर भारत की समेकित निधि पर ब्याज प्रभाव कुल ₹36 लाख था।

भा.पु.स. ने बताया (फरवरी 2014) कि भूमि के पुनः आवंटन हेतु मामले का अनुसरण किया जा रहा था तथा इसने विलम्ब को माफ करने तथा समय का विस्तार प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को अनुरोध किया था।

संबंधित दस्तावेजों की अनुवर्ती जांच ने उजागर किया कि भा.पु.स. के अनुरोध को प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था तथा प्राधिकरण से ₹19.96 करोड़ की अनुमानित लागत पर भूमि का एक दूसरा प्लॉट प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भा.पु.स. के विचाराधीन था (जून 2014)। इस उद्देश्य हेतु स्थायी वित्त समिति (स्था.वि.स.) के प्रस्ताव को भा.पु.स. द्वारा मई 2014 में प्रस्तुत किया गया था।

इस प्रकार, भा.पु.स. का निरूत्साही दृष्टिकोण, जिसके परिणाम भूमि के आवंटन से 12 वर्षों के पश्चात भी परियोजना के गैर-समापन में हुआ था, भूमि के आवंटन के रद्दीकरण का कारण बना। वास्तविक भूमि तथा अब प्राप्त की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की प्रति वर्ग मीटर दर के बीच अंतर के आधार

पर, भा.पु.स. पर परिणामी अतिरिक्त भार दस गुना³ से भी अधिक है। इसके अतिरिक्त, भा.पु.स. ने कुल ₹2.61 करोड़ (दण्ड के प्रति ₹1.78 करोड़ तथा विविध व्यय के प्रति ₹0.83 करोड़) का परिहार्य भुगतान भी किया था।

अबोधय विलम्ब पहले ही पर्याप्त समय तथा परियोजना लागत वृद्धि का कारण बन चुका है जबकि संस्थान के स्थान प्रतिबंध को कम करने का उद्देश्य भी अपूर्ण रहा।

मामला फरवरी 2014 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

4.2 स्वायत्त निकायों से स्टाफ का अनियमित संयोजन

संस्कृति मंत्रालय ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत स्वायत्त निकायों से स्टाफ का संयोजन करने की अनियमित प्रक्रिया को अपनाया। अक्टूबर 2003 से फरवरी 2014 की अवधि के दौरान 22 स्वायत्त निकायों ने मंत्रालय में संयोजित 85 कर्मचारियों/संविदात्मक स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर ₹3.66 करोड़ का व्यय किया था।

संस्कृति मंत्रालय में सभी संवर्गों में 306 कर्मचारियों का कुल संस्वीकृत कार्यबल था जिसके प्रति 205 कार्मिक मार्च 2013 तक तैनात थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि मानव शक्ति की कमी को मुख्य रूप से मंत्रालय द्वारा इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत स्वायत्त निकायों (स्वा.नि.) से कर्मचारियों⁴ का संयोजन करके व्यवस्थित किया गया था।

मंत्रालय में इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 35 स्वायत्त निकाय थे जिसमें से मंत्रालय द्वारा निम्न ब्यौरे के अनुसार 22 स्वा.नि. से 85 कर्मचारी संयोजित किये गये थे:-

³ एक एकड़ बराबर होता है 4046.86 वर्गमीटर। किये गये ₹4.77 करोड़ के भुगतानों पर आधारित वास्तविक भूमि की लागत ₹471.47 प्रति वर्ग मी. बनती है जबकि इसके विकल्प में अब प्रस्तावित भूमि जिसका अधिग्रहण करना है की लागत ₹4905 प्रति वर्ग मी. होगी।

⁴ स्थाई तथा संविदात्मक दोनों

क्षेत्र	अवधि	स्वा.नि. की कुल संख्या जिसमें से कार्मिक का संयोजन किया	संयोजित कर्मिकों की संख्या	संशक्ति स्वा.नि. द्वारा उत्पन्न वेतन एवं भत्ते (रु लाख में)
दिल्ली	जून 2004 से फरवरी 2014	10	62	287.00
दिल्ली से बाहर	अक्टूबर 2003 से फरवरी 2014	12	23	79.32
कुल				366.32

पांच स्वा.नि. (दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय, संगीत नाटक अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, सांस्कृतिक साधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र तथा राष्ट्रीय स्मारक संग्राहलय एवं पुस्तकालय) में स्टाफ की कमी थी तथा संगठन के प्रभावी कार्य करने हेतु, संविदात्मक स्टाफ की नियुक्ति की गयी थी, जबकि इन स्वा.नि. के स्टाफ का संयोजन मंत्रालय में किया गया था।

नियुक्त स्टाफ का उपयोग मंत्रालय द्वारा मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों को सौंपे गए नियमित कार्यों को पूरा करने हेतु किया जा रहा था तथा ऐसी नियुक्ति की कोई निर्धारित समय सीमा नहीं थी। संयोजित स्टाफ में सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक, डाटा इंटरी ऑपरेटर, उच्च श्रेणी लिपिक, आनुषंगिक आदि शामिल थे। कुछ मामलों में संविदात्मक स्टाफ मंत्रालय में पिछले 10-11 वर्षों से कार्य कर रहा था। किसी भी निर्धारित दिशानिर्देशों के अभाव में ऐसे अनियमित परिनियोजनाओं पर कोई केन्द्रीकृत सूचना मंत्रालय स्वा.नि. में उपलब्ध नहीं थी। कार्मिक के संयोजन का ₹3.66 करोड़ का वित्तीय प्रभाव था। विवरण **अनुबंध I तथा II** में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2013) कि विभिन्न संवर्गों में भारी रिक्तता थी तथा स्टाफ संख्या में, बिना किसी वृद्धि के, कार्यभार काफी बढ़ गया था। इसलिए बढ़े हुए कार्यभार, विशेष रूप से स्वा.नि. के संबंध में, को पूरा करने हेतु मंत्रालय इन संगठनों से स्टाफ संयोजित करने हेतु बाध्य था।

उत्तर एक गलत प्रक्रिया का एक खराब युक्तिकरण है। स्वायत्त निकायों से स्टाफ के संयोजन को स्टाफ संख्या में कमी को पूरा करने हेतु, एक वैध तथा व्यवहार्य माध्यम के रूप में नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे उपयुक्त प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। प्रत्येक स्वायत्त निकाय के पास अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा करने हेतु अपना स्वयं का बजट तथा मानवशक्ति प्रावधान है। स्वा.नि. से स्टाफ का संयोजन करने की वर्तमान प्रक्रिया का ऐसे स्वा.नि. द्वारा सेवाओं की प्रभावी सुपुर्दगी पर प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकता है। मंत्रालय लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रकाश में वर्तमान प्रबंध की समीक्षा करें तथा मामले में उपयुक्त कार्रवाई करें।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र

4.3 निधियों का अवरोध

‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र’ (इं.गां.रा.क.के.) का अतिथि गृह यद्यपि 2001 में बन गया था पर मार्च 2014 तक उपयोग में नहीं लाया जा सका था, जो ₹ 7.93 करोड़ की पूंजी के अवरोध में प्रतिफलित हुआ।

श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, (इं.गां.रा.क.के.) संस्कृति मंत्रालय की कला के सभी रूपों के अध्ययन एवं अनुभव हेतु एक स्वायत्त संस्थान है। नई दिल्ली में इसके सांस्थानिक भवनों के निर्माण हेतु 24.706 एकड़ भूमि इसे आवंटित की गयी (अगस्त 1996) थी। इं.गां.रा.क.के. के भवन परिसर में इं.गां.क.के. के पांच प्रभागों हेतु आठ एकीकृत भवनों एवं तीन प्रेक्षागृहों वाले एक राष्ट्रीय थियेटर परिसर के निर्माण की परिकल्पना थी। परिकल्पित आठ भवनों में से, ‘कलानिधि-कलाकोश-साझे संसाधन- क’ नामक केवल एक ही भवन के निर्माण-कार्य को ही शुरू किया

जा सका। भवन में 2370 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक अतिथि-गृह कक्ष भी था तथा इसका निर्माण ₹7.70 करोड़⁵ की अनुमानित लागत पर किया गया था। यह खंड 24 कमरे, रसोई-घर, एक सम्मेलन कक्ष एवं अन्य सुविधाओं से लैस था।

अतिथि-गृह के साथ 'कलानिधि' भवन को नवंबर 2001 में खोला गया था। हालांकि, अतिथि गृह कथित रूप से फर्नीचर एवं रसोई-घर के उपकरणों के लिए धन के अभाव के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सका था। नवम्बर 2006 में इं.गां.रा.क.के. की कार्यकारिणी समिति ने अतिथि गृह को चलाने के लिए बोलियाँ आमंत्रित करने का निर्णय लिया और जुलाई 2010 में अतिथि गृह के प्रबंधन, परिचालन, संचालन एवं अनुरक्षण हेतु एक संस्था⁶ को नियुक्त किया। इं.गां.रा.क.के. ने अतिथि गृह को संस्था द्वारा परिचालन हेतु तैयार करने के लिए ₹23 लाख का व्यय भी किया।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, संस्था को अतिथि गृह के उपयोग हेतु इं.गां.रा.क.के. को त्रैमासिक आधार पर ₹30.33 लाख के उपभोक्ता शुल्क का भुगतान करना था। संस्था ने अतिथि गृह को सुसज्जित किया (अगस्त 2011) एवं उसे चलाने के लिए अग्नि सुरक्षा-प्रमाण-पत्र प्राप्त किया। हालांकि अतिथि गृह को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (न.दि.न.प.) से अनुमति मिलने में विलंब के कारण खोला नहीं जा सका था। न.दि.न.प.⁷ ने इं.गां.रा.क.के. को परिसर की यथास्थिति बनाये रखने और इसे अतिथि गृह या होटल के रूप में उपयोग नहीं करने का निर्देश किया (फरवरी 2012) क्योंकि पट्टा-विलेख में परिसर के किसी प्रकार के मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक गतिविधि हेतु उपयोग की अनुमति नहीं थी। संस्था द्वारा अतिथि गृह के

⁵ भवन की कुल कीमत को कुल क्षेत्रफल से भाग कर प्राप्त किए गये ₹32515.24 प्रति वर्ग मी. के दर के आधार पर परिकल्पित

⁶ मैसर्स आरेस्को एस्टेट प्रा.लि.

⁷ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित मानीटरिंग समिति के दिल्ली में जब्ती अभियान के देखने के निर्देशों के अनुसार।

परिचालन का मामला, अभिकरण द्वारा सं.जा. के उल्लंघन के बाद मध्यस्थता के अधीन है, जो न.दि.न.प. द्वारा यथास्थिति बनाये रखने के निर्णय का कारण बना।

इस प्रकार, लगातार विलंबों एवं व्यवसायिक आधार पर तीसरे पक्ष द्वारा अतिथि गृह को चलाने का अविवेकी निर्णय, ₹7.93 करोड़ की लागत से बने अतिथि-गृह के विगत 13 सालों से बेकार पड़े रहने का कारण बना।

इंगित (जनवरी 2014) करने पर इं.गां.रा.क.के. ने बताया (मार्च 2014) कि अतिथि गृह विद्युतीय भार के प्रावधानों एवं अन्य समापन कार्यों के पूरा नहीं होने के कारण अधूरा रहा था। इं.गां.रा.क.के. ने आगे बताया कि परिचालन में विलम्ब मुख्यतः संस्था द्वारा स.जा. के पूरी तरह उल्लंघन के कारण हुआ, जो विवाद का कारण बना और न.दि.न.प. ने परिसर को मानीटरिंग समिति के कार्यक्षेत्र के अधीन कर दिया।

तथापि, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति हेतु मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय

4.4 अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु से ऊपर सेवा का अनियमित विस्तार

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने, अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु से ऊपर सेवा का विस्तार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (का.प्र.वि.) के आदेशों एवं इसके सेवा उपनियमों का उल्लंघन करते हुए अपने छः कर्मचारियों को प्रदान किया, तथा उन्हें ₹1.20 करोड़ की कुल पारिश्रमिक प्रदान किए थे।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (का.प्र.वि.) ने स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के निर्देश जारी करते हुए (मई 1998) कहा था कि आयु सेवानिवृत्ति⁸ की आयु से ऊपर सेवा

⁸ चिकित्सा एवं वैज्ञानिक विशेषज्ञों के अलावा, जिन्हें अलग-अलग मामले के आधार पर 62 वर्ष की आयु तक विस्तार दिया जा सकता है।

में विस्तार पर पूरी तरह पाबंदी होनी चाहिए। 60 वर्ष के सेवानिवृत्ति के अधिकतम आयु की शर्त, तथा सेवा को सेवानिवृत्ति से ऊपर बढ़ाने पर संपूर्ण पाबंदी स्वायत्त निकायों के लिए भी लागू थीं, जहाँ उनके नियम एवं विनियम, केन्द्र सरकार के नियमों एवं विनियमों से भिन्न थे। ऐसे मामलों में प्रशासनिक मंत्रालय को का.प्र.वि. से मामला-दर-मामला आधार पर सेवानिवृत्ति की आयु के प्रकार के विस्तार के संबंध में संपर्क करना भी अपेक्षित था।

वि.नि. 209(6) (iv) (क) के अनुसार सभी अनुदानभोगी संस्थानों, जो सहायता-अनुदान के रूप में अनुवर्ती व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करते हैं, को कर्मचारियों के सेवा के नियमों एवं शर्तों को सामान्यतः तैयार करना चाहिए, जो कुल मिलाकर, केन्द्र सरकार के समान श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों से अधिक नहीं होगी। असाधारण मामलों में वित्त मंत्रालय के परामर्श से छूट दी जा सकती है। रा.ना.वि. पूर्णरूपेण भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

रा.ना.वि. के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु को निर्धारित करने वाले राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (रा.ना.वि.) की सेवा उपविधि⁹ व्यवस्था करती है कि सभी शैक्षणिक कर्मचारी सदस्य 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर निवृत्त/सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तथापि, असाधारण मामलों में, शैक्षणिक स्टाफ का कोई भी सदस्य सेवा में वार्षिक विस्तार के आधार पर पुनः नियुक्त किया जा सकता है जब तक कि वो 62 वर्ष की आयु पूरी न कर ले। इसी प्रकार, गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के मामले में, सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष¹⁰ थी। इसके अतिरिक्त, असाधारण परिस्थितियों में, कर्मचारी को आगे दो वर्ष की अवधि हेतु पुनः नियुक्त किया जा सकता है।

⁹ संस्कृति मंत्रालय द्वारा जून 1993 में अनुमोदित।

¹⁰ वह कर्मचारी जो 26 अगस्त 1988 को या उसके पूर्व सेवा में थे, 60 वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्त होंगे तथा जिन्होंने 26 अगस्त 1988 के बाद कार्य-ग्रहण किया वे 58 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्त होंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2000-2012 के दौरान, रा.ना.वि. ने इस अवधि के दौरान, शैक्षणिक श्रेणी के सेवानिवृत्त होने वाले सभी पाँच कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति-काल से आगे बढ़ाया था। गैर-शैक्षणिक श्रेणी से भी एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति-काल के बाद रखा गया था। रा.ना.वि. ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय यानी संस्कृति मंत्रालय से इसके शैक्षणिक श्रेणी के कर्मचारियों के सेवा-विस्तार हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था। गैर-शैक्षणिक श्रेणी हेतु हालाँकि संस्कृति मंत्रालय द्वारा मामले की मंजूरी मिली थी, परंतु का.प्र.वि. की संस्वीकृति रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थी। चूंकि मामले सेवा-काल में विस्तार के थे पुनर्नियुक्ति के नहीं, रा.ना.वि. के उपनियमों के प्रावधानों का भी उल्लंघन हुआ था। इस प्रकार रा.ना.वि. का सेवानिवृत्ति की आयु से ऊपर अपने कर्मचारियों की सेवा में विस्तार की कार्रवाई एवं उसके परिणामस्वरूप छः कर्मचारियों को ₹1.20 करोड़ राशि के पारिश्रमिक (ब्यौरे अनुबंध-III में है) का भुगतान अनियमित था।

रा.ना.वि. ने बताया (अप्रैल 2013) कि वर्ष 2000 से आरंभ कर सेवा-काल विस्तार के सभी मामलों में रा.ना.वि. सोसाइटी ने केवल असाधारण मामलों में शिक्षकों को रखने के अपने विवेक का उपयोग किया था। गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के मामले में, मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इसने आगे बताया कि चूंकि ये कर्मचारी पहले ही सेवा-निवृत्त हो चुके थे, रा.ना.वि. उनसे वसूली करने में सक्षम नहीं होगा।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (नवम्बर 2013) और बताया कि कर्मचारियों को प्रदान किया गया विस्तार एक निष्पन्न कार्य था और इस चरण पर कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इसने आगे बताया कि रा.ना.वि. द्वारा इसके कर्मचारी सदस्यों को भविष्य में ऐसा कोई विस्तार न दिया जाए, यह सुनिश्चित किया जाएगा।

यद्यपि, रा.ना.वि. एवं मंत्रालय दोनों ने ही लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया एवं मामले को निष्पन्न कार्य के रूप में लिया, रा.ना.वि. को विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करने वाली सेवा-उपविधियाँ अभी शेष हैं।

भा.नि.म.ले.प. के स्वायत्त निकायों हेतु प्रतिवेदन (पैरा 3.1, 2013 की प्रतिवेदन सं; 23) में एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता द्वारा सभी सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवा के रूटीन विस्तार का ऐसा ही मामला सूचित किया गया था। संस्कृति मंत्रालय अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले सभी स्वायत्त निकायों के, उनके कर्मचारियों की उन सेवा शर्तों, जो भारत सरकार के नियमों की संगति में नहीं थे, से संबंधित सभी विवेकाधीन शक्तियों की समीक्षा करे, एवं उनके उपविधियों में आवश्यक संशोधन का परामर्श दे।

अध्याय V : विदेश मंत्रालय

5.1 सरकारी लेखे से बाहर बैंक खाते का अनुरक्षण

भारतीय दूतावास ब्यूनस आयर्स, अर्जेटीना ने बैंक खाता का परिचालन किया और सरकारी लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि किये बगैर अर्जेटीना पेसो 41,17,118 (₹5.10 करोड़) का लेनेदेन किया।

सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.), 2005 के नियम 7 के अनुसार सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से प्राप्त सारे धन को सरकारी लेखे के अंतर्गत बगैर किसी अतिरिक्त विलंब के लाना होता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार लेखा (प्राप्ति एवं भुगतान) के नियमावली 1983 के नियम 13 के अनुसार, धन संबंधी सभी लेन-देनों को लेन देन एवं कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जाँच के चिन्ह के रूप में उसके सत्यापन के साथ ही रोकड़ बही में प्रविष्टि किया जाना चाहिए। सरकारी खाते से किसी प्रकार के धन का आहरण, प्रासंगिक दावे के समर्थन में बिल की प्रस्तुति द्वारा आहरण के अलावा नहीं किया जा सकता है (नियम 28)।

भारतीय दूतावास, ब्यूनस आयर्स, अर्जेटीना के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2013) में पाया गया कि अपने तीन नियमित खातों (भा.स्टे.बै., न्यूयॉर्क एवं हॉ.शं.बै.नि. ब्यूनस आयर्स के साथ अमरीकी डॉलर के खाता, एवं हॉ.शं.बै.नि. ब्यूनस आयर्स के साथ अर्जेटीना पेसो खाता) के अलावा मिशन अक्टूबर 2008 से मई 2012 तक हॉ.शं.बै.नि. ब्यूनस आयर्स में एक अन्य पेसो खाता बैंक खाता भी परिचालित कर रहा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यह बैंक खाता 31 अक्टूबर 2008 को पेसो 66,880.62 (₹9.99 लाख) के शुरुआती जमा के साथ खोला गया था तथा 23 मई 2012 को तीन वर्ष सात माह के बाद पेसो 70.21 की राशि निकालकर इसे बंद कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे इसके बैंक विवरणी से देखा कि इस खाते में पेसो 41,17,118 (₹5.10 करोड़)¹ की कुल राशि जमा की गयी थी और इसे 799 आहरणों द्वारा निकाला गया था। पेसो 11,11,750 (₹1.42 करोड़) की कुल राशि के 63 नकद आहरण हुए थे जिसमें 17 आहरण पेसो 20,000 (₹2.48 लाख) से अधिक की राशि के थे। आगे, इस बैंक ऋणात्मक अंत शेष के 171 मामले थे जो पेसो (-) 46.94 से पेसो (-) 24,026.45 तक के थे। इन आहरणों के प्रयोजन एवं उपयोग के ब्यौरे अभिलेख में दर्ज नहीं थे।

इस बैंक खाते को खोलने के प्रयोजन को दर्शानेवाला कोई अभिलेखित प्रमाण नहीं था। इस बैंक खाते में की गयी जमाओं एवं आहरणों को मिशन के रोकड़ बही के माध्यम से नहीं किया गया था। मिशन बैंक खाते के माध्यम से किये गये लेन-देनों से मेल खाने वाले किसी बिल/वाउचर को लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया था। बैंक खाते में दर्शाये गये लेन-देनों का, मिशन द्वारा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत अक्टूबर 2008 एवं मई 2012 के मध्य की अवधि से संबंधित मासिक व्यय विवरणी में कोई अस्तित्व नहीं था। अतः उपर्युक्त तथ्य से यह स्पष्ट है कि हॉ.शं.बै.नि., ब्यूनस आयर्स वाले पेसो खाता संख्या में जमा की गयी और उससे निकाली गयी राशि, सरकारी लेखे के बाहर परिचालित की गयी थी।

भारतीय दूतावास, अर्जेटीना ने जवाब में कहा (जुलाई 2013) कि मिशन में बैंक खाते के ब्यौरे से संबंधित कोई अभिलेख मौजूद नहीं था और इसमें संबंधित अधिकारियों का या तो स्थानांतरण हो गया था या वे सेवा-मुक्त हो गये थे। मिशन ने पुष्टि की कि जिस प्रयोजन से बैंक खाता खोला गया था, उसका उल्लेख किसी दस्तावेज में नहीं था और बैंक खाते से संबंधित लेन-देन को, मंत्रालय को भेजे गये मासिक लेखों में शामिल नहीं किया गया था।

¹ 53 चैकों (पेसो 39,60,208.23) के द्वारा, पाँच अवसरों पर रोकड़ द्वारा (पेसो 74,450.00), एक अवसर पर अंतर-बैंकिंग हस्तांतरण द्वारा (पेसो 80,580.00) एवं चार अवसरों पर वापसी/समायोजन (पेसो 1,880.17) द्वारा।

अतः बैंक खाते का अनुरक्षण और भारतीय दूतावास, अर्जेंटीना द्वारा सरकारी लेखे के बाहर लेन-देन करना मौजूदा नियमों का उल्लंघन है। चूंकि बैंक खाते में दर्ज लेन-देन रोकड़ बही के माध्यम से नहीं किये गये थे, लोक निधियों के दुर्विनियोजन एवं लोक लेखे की हानि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। मामले की विदेश मंत्रालय (वि.मं.) के संज्ञान में जाँच हेतु लाया गया था।

मंत्रालय ने जवाब दिया (मई 2014) कि वि.मं. से अधिकारियों के एक उच्च-स्तरीय दल ने जनवरी 2014 में ब्यूनस आयर्स का दौरा किया और उनकी रिपोर्ट अभी पूरी नहीं हुई थी।

5.2 सामानों के प्रापण में नियमों का उल्लंघन

भारतीय महावाणिज्य दूतावास, अटलांटा ने ₹1.61 करोड़ मूल्य के कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयरों, कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले उपकरण एवं फर्नीचर/फिटिंगों का तीन अलग खरीदों में, नियमों का उल्लंघन करते हुए एवं उचित, पारदर्शी तथा तर्कसंगत प्रक्रिया के अनुपालन के बगैर प्रापण किया था।

सामान्य वित्तीय नियमावली (रा.वि.नि;) 2005, के नियम 137 के अनुसार, सार्वजनिक खरीद हेतु प्रस्तावों को एक उचित, पारदर्शी एवं तर्कसंगत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए आमंत्रित किया जाना चाहिए। अनुपालित प्रक्रिया आपूर्तिकर्ताओं के मध्य प्रतिस्पर्धा, एवं उचित तथा समान व्यवहार को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, मंत्रालयों/विभागों द्वारा लोक सेवा (नियम 149) के अंतर्गत सार्वजनिक उपयोग के सामानों की खरीद के लिए बोलियां को प्राप्त करने के एक निर्धारित मानक विधि उपयोग में लायी जाएगी। सा.वि.नि. के नियम 150 के अंतर्गत, ₹25 लाख अथवा अधिक की अनुमानित मूल्य के समान के प्रापण हेतु विज्ञापित निविदा इंक्वायरी (वि.नि.इं.) के माध्यम से बोलियों की प्राप्ति करनी होती है। वही ₹25 लाख तक के अनुमानित मूल्य के सामानों के प्रापण हेतु, नियम

151 (i) निर्धारित करता है कि सीमित निविदा इंकवायरी (सी.नि.इं.) का उपयोग सामानों के प्रापण हेतु विनिर्दिष्ट स्थितियों में किया जा सकता है जैसे कि: (i) वेब आधारित प्रचार सीमित निविदाओं के लिए ही किया जाना चाहिए; (ii) आपूर्तिकर्ताओं की संख्या तीन से अधिक होनी चाहिए, एवं (iii) प्रतिस्पर्धी आधार पर अधिक अच्छी बोलियों हेतु अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं की अधिक संख्या को चिन्हित करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, मुख्य सर्तकता आयुक्त (मु.स.आ.) के दिशानिर्देश (15 जनवरी 2002) निर्धारित करते हैं कि बोलियों का मूल्यांकन न्यायसंगत एवं निष्पक्ष रूप से हो, यह सुनिश्चित करने के लिए, बोली के दस्तावेजों में निविदाओं की प्राप्ति एवं आमंत्रण के समय/तिथि का उल्लेख किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, नियम 151(ii) के अंतर्गत, सी.नि.इं. विधि का उपयोग वहाँ भी हो सकता है जहाँ प्रापण का अनुमानित मूल्य ₹25 लाख से अधिक है। ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी को यह प्रमाणित करना होता है कि मांग तात्कालिक है एवं विज्ञापित निविदा इंकवारी के द्वारा प्रापण के अलावा किए गये किसी भी अतिरिक्त व्यय को आवश्यक दृष्टिकोण से उचित ठहराना होता है। सक्षम प्राधिकारी को तत्काल आवश्यकता की प्रकृति एवं कारण जिनसे अधिप्राप्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सका, इसका उल्लेख भी करना चाहिए।

भारतीय महावाणिज्य दूतावास (भा.म.दू.), अटलांटा के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2013) से उद्घटित हुआ कि अगस्त 2012 एवं सितंबर 2012 के दौरान अक्टूबर 2012 में शुरू किए जाने वाले इसके नए कार्यालय भवन में उपयोग हेतु तीन अलग खरीद आदेशों में पोस्ट ने ₹1.61 करोड़ की कुल राशि का प्रापण किया। सामानों का प्रापण, मंत्रालय द्वारा 6 जुलाई 2012 को दिये गये निधियों के संस्वीकृति आदेश के आधार पर किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि भा.म.दू. अटलांटा ने सीमित निविदा इंकवायरी आधार पर चार संस्थाओं² से सू.प्रौ. अवसंरचना (कम्प्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, इंटरनेट, एक्सेस नियंत्रण प्रणाली, सी.सी.टी.वी.) के प्रापण हेतु, विज्ञापित निविदा इंकवारी निकाले बगैर-उद्धरण प्राप्त किये जबकि प्रापण का अनुमानित मूल्य ₹25 लाख से अधिक था। पोस्ट ने सू.प्रौ. अवसंरचना के आपूर्ति आदेश मैसर्स कम्प्यूनेट सर्विसिस इंक को ₹48.55 लाख (यू.एस. \$87,940) की कीमत पर दे दिया (अगस्त 2012)।

दूसरे, फर्नीचर एवं साज-सज्जा, जिनपर ₹25 लाख से अधिक लागत आने का अनुमान था, की आपूर्ति हेतु पोस्ट ने सी.नि.इं. विधि का सहारा लिया और केवल तीन संस्थाओं³ से उद्धरण प्राप्त किये जबकि ऐसी खरीदों के लिए आपूर्तिकर्ता संस्थाओं की संख्या नियमानुसार तीन संस्थाओं से अधिक होनी चाहिए थी। मैसर्स अटलांटा ऑफिस फर्नीचर (अगस्त 2012) को ₹79.15 लाख (यू.एस. \$1,43,357) की कीमत पर कार्य सौंप दिया गया था।

तीसरे, कार्यालय उपकरण (कॉपीयर, श्रेडरों, धातु डिटेक्टर, जल शीतलकों, ओवेन, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, यू.पी.एस.) के प्रापण हेतु भा.म.दू., अटलांटा ने (सितम्बर 2012) में उर्पयुक्त चार संस्थाओं से सीमित निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया जिन्होंने इस सू.प्रौ. अवसंरचना के लिए प्रारम्भिक कार्य हेतु बोली लगायी थी। भा.म.दू., अटलांटा का अनुमान था कि कार्य को ₹25 लाख के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। परंतु मैसर्स कम्प्यूनेट सेवाएं इंक को किया गया कुल भुगतान ₹33.59 लाख (यू.एस. \$60,075) था, क्योंकि कार्य सौंपने के बाद उसमें बढ़ोतरी की गयी थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि नियम में निर्धारित किसी मानक प्रक्रिया का पोस्ट द्वारा बोलियां प्राप्त करने और उसके मूल्यांकन हेतु अनुपालन नहीं

² मैसर्स आउटसोर्स मैनेजमेंट इंक, मैसर्स सी.टी.सी.एस.एस. सिस्टम्स, एल.एल.सी., मैसर्स कम्प्यूनेट सर्विसिस इंक, मैसर्स इग्नाइट

³ मैसर्स ऑफिस इंटीरियर्स, मैसर्स शेफिल्ड ऑफिस प्रोडक्ट्स, मैसर्स ऑफिस फर्नीचर।

किया गया था। इस बात का प्रलिखित प्रमाण नहीं था कि निविदाओं को अंतिम तिथि के साथ सीधे आपूर्तिकर्ताओं को भेजा गया था। उद्धरण विभिन्न तिथियों⁴ को, प्रत्येक संस्था द्वारा उद्धरित मूल्यों की शुद्धता को कम करते हुए प्राप्त किये गये और खोले गये। वास्तव में, मैसर्स कंप्यूनेट इंक एवं मैसर्स अटलांटा ऑफिस फर्नीचर का निम्नतम प्रस्ताव होने के कारण चयन किया गया था, परंतु जब उनकी बोलियां प्राप्त हुईं तो अन्य संस्थाओं के उद्धरणों को पोस्ट द्वारा पहले ही खोल लिया गया था। आगे, लेखापरीक्षा ने देखा कि सुपुर्दगी अथवा खरीद आदेशों की पूर्णता की तिथि, उद्धरण में उल्लिखित तिथि से पूर्व की थी। फर्नीचर एवं फिटिंगों के लिए खरीद आदेशों को 24 अगस्त 2012 को पूर्ण किया गया था, परंतु इस प्रयोजन से प्राप्त उद्धरणों पर 30 अगस्त 2012 एवं 12 सितम्बर 2012 के मध्य की तिथि अंकित थी। कार्यालय उपकरण की आपूर्ति हेतु कार्य 26 सितम्बर 2012 को पूरा किया गया था, जबकि तीन संस्थाओं से प्राप्त उद्धरणों पर 28 सितम्बर 2012 एवं 1 अक्टूबर 2012 के मध्य तिथि दर्शायी गयी थी। यह संकेत करता है कि बोलियों को उसके बाद प्राप्त किया गया था जब पोस्ट द्वारा कार्य की सुपुर्दगी हेतु निर्णय लिया जा चुका था।

उपरोक्त से यह सिद्ध होता है कि मंत्रालय से जुलाई 2012 में निधियों की संस्वीकृति की प्राप्ति के बाद यद्यपि दो माह का पर्याप्त समय सामानों का प्रापण विज्ञापित निविदा इंकवायरी के माध्यम से पूरा करने के लिए था, पोस्ट ने उपर्युक्त प्रत्येक खरीद के लिए सीमित निविदा इंकवारी का रास्ता अपनाया। सीमित निविदा, इंकवायरी के अंतर्गत बोलियां प्राप्त करते समय भा.म.दू. अटलांटा ने अधिक अच्छी बोलियां प्राप्त करने के लिए योग्य आपूर्तिकर्ताओं की बड़ी संख्या की पहचान करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और न ही

⁴ सू.प्रौ. अवसंरचना मैसर्स आउटसोर्स मैनेजमेंट इंक (14 अगस्त 2012); मैसर्स सी.टी.एस.एस. सिस्टम एल.एल.सी. (14 अगस्त 2012); मैसर्स कंप्यूनेट सर्विसिस इंक (15 अगस्त 2012); मैसर्स इग्नाइट (16 अगस्त 2012) कार्यालय फर्नीचर एवं फिटिंग्स (30 अगस्त 2012); मैसर्स शेफिल्ड ऑफिस प्रोडक्ट्स (4 सितम्बर 2012); मैसर्स अटलांटा ऑफिस।

सीमित निविदाओं के लिए बाजार में मौजूद उपलब्ध योग्य संस्थाओं के साथ निष्पक्ष एवं न्योचित व्यवहार हेतु मौजूदा नियमों के अनुसार वेब आधारित प्रचार ही किया था।

पोस्ट ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2013) कि खुली निविदा प्रक्रिया का पालन सू.प्रौ. अवसंरचना, एवं फर्नीचर/फिटिंग के प्रापण हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा महत्व एवं समय की कमी की वजह से नहीं किया गया था। संस्थाओं के सुरक्षा साख का निर्धारण भारत-अमरीकी की समुदाय एवं स्थानीय सरकार के महत्वपूर्ण सदस्यों के अनुभव से किया गया था।

पोस्ट का उत्तर संतोषजनक नहीं था। क्योंकि उनके पास जुलाई 2012 में मंत्रालय द्वारा वित्तीय संस्वीकृति प्रदान करने के बाद से विज्ञापित निविदा इंकवायरी प्रसारित करने के लिए काफी समय था। संस्थाओं द्वारा बोलियों की प्रस्तुती हेतु नियम में दिए गये तीन माह का समय अक्टूबर 2012 में कार्यालय भवन के उद्घाटन की दृष्टि से प्रापण को पूरा करने के लिए काफी था। पोस्ट एवं स्थानीय सरकार अथवा भारतीय समुदाय के महत्वपूर्ण सदस्यों के मध्य भा.म.दू., अटलांटा द्वारा कथित 'राष्ट्रीय सुरक्षा महत्व,' से संबंधित किसी प्रकार के पत्राचार का कोई प्रलेखित प्रमाण नहीं था। इसके अतिरिक्त, सी.नि.इं. अपनाते को सही करार देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा महत्व का कारण प्रथम बार केवल 22 अगस्त 2012 को सू.प्रौ. अवसंरचना तथा 24 अगस्त 2012 को कार्यालय फर्नीचर एवं फिटिंगों से संबंधित कार्य/खरीद को अंतिम रूप देने के समय, ही दर्ज हुआ था। भा.म.दू., अटलांटा ने बोली प्राप्त करने के पूर्व अथवा निधियों की संस्वीकृति की प्राप्ति के समय मंत्रालय के समक्ष सुरक्षा सरोकारों के विषय को उठाया, इसका कोई प्रमाण नहीं था। अतः पोस्ट द्वारा बताए गये कारण बाद में गढ़े गये लगते हैं और सी.नि.इं. को अपनाते के लिए पर्याप्त कारण नहीं थे।

लेखापरीक्षा के उपर्युक्त के उत्तर में, भा.म.दू., अटलांटा ने स्वीकार किया (मार्च 2014) कि बोलियों के आमंत्रण में प्रक्रियागत चूकें थीं जो बोलियों को

प्रस्तुत करने में संस्थाओं द्वारा की गयी गलतियों को असावधानी वश नजर अंदाज करने के कारण हुई थीं।

मामले को मंत्रालय के पास नवम्बर 2013 में भेज दिया गया था, उनका उत्तर मई 2014 तक प्रतीक्षित था। मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि मिशन एवं पोस्टों में वित्तीय जिम्मेदारियों वाले अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण एवं नियमों प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाए।

5.3 मासिक लेखे में फर्जी भुगतान वाउचर/प्राप्ति चालान

भारतीय महावाणिज्य दूतावास, ह्यूस्टन, यू.एस.ए. ने यू.एस. \$3,72,632 के भुगतान वाउचरों तथा यू.एस. \$3,62,172 के प्राप्ति चालान फर्जी बनाए तथा इनका हिसाब मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए अपने मासिक लेखे में दिया। रोकड़ बही में प्रविष्टि किए बिना यू.एस \$69,356 का आहरण और यू.एस \$39,266 जमा हुए थे। वाणिज्य दूतावास के लेखे में गंभीर गलतियाँ थीं जिनके कारण प्राप्तियों के कम लेखांकन तथा बेहिसाब आहरणों से इंकार नहीं किया जा सकता था।

केन्द्र सरकार लेखा (प्राप्ति एवं भुगतान) नियमावली 1983 के नियम 13 के अनुसार, किसी मौद्रिक लेनदेन के होते ही, उसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में की जानी चाहिए। सरकारी खाते में क्रेडिट के लिए अधिकृत बैंक को प्राप्तियों के प्रेषण से संबंधित रोकड़ बही में की गई प्रविष्टियों का कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जमा या चालानों पर दर्ज बैंक प्राप्ति के संदर्भ में सत्यापित करने के पश्चात् अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नियम 28, केन्द्र सरकार लेखा (प्राप्ति एवं भुगतान) नियमावली 1983 के अनुसार, दावे के समर्थन में बिल के प्रस्तुतीकरण के अलावा किसी भी प्रकार से धन का आहरण सरकारी खाते से नहीं किया जाना चाहिए।

मार्च 2013 में मार्च 2012 से फरवरी 2013 की अवधि हेतु भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास (भा.म.वा.दू.), ह्यूस्टन, यू.एस.ए. के अभिलेखों की नमूना जांच को संचालित किया गया था। लेखापरीक्षा ने एकीकृत मिशन

लेखांकन प्रणाली (ए.मि.ले.प्र.) में अनुरक्षित लेखांकन डाटा का विश्लेषण किया और इसका विदेश मंत्रालय (वि.मं.) के वाणिज्यिक दूतावास द्वारा प्रस्तुत मासिक रोकड़ लेखे से मिलान किया। लेखापरीक्षा के अवधि के रिकॉर्ड की संवीक्षा करने पर, यह नोट किया गया कि भा.म.वा.दू., ह्यूस्टन ने नवम्बर 2011 से जून 2012 की अवधि में यू.एस. \$3,72,632 के (नौ) भुगतान वाउचरों और अवधि के दौरान यू.एस. \$3,62,172 के (चार) प्राप्त चालान अवास्तविक बनाए तथा मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए मासिक लेखे में इनका लेखांकन किया। फर्जी बनाए गए भुगतान वाउचरों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	भुगतान वाउचर एवं माह	राशि (यू.एस.\$)	वाउचरों में बताए गए विवरण
1.	940पी नवम्बर 2011	29,583.02	सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर 2011 हेतु बैंक प्रभार
2.	1479पी मार्च 2012	7,182	वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु बैंक प्रभार
3.	1486पी मार्च 2012	(-0.64)	बैंक प्रभार
4.	1487पी मार्च 2012	76,503.65	वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक प्रभार तथा अन्य
5.	1488पी मार्च 2012	6,118.15	भुगतान किए गए वेतनों की राशि का मिलान
6.	1489पी मार्च 2012	84,798.03	भुगतान की गई मिलान राशि
7.	317पी जून 2012	6,012	अप्रैल 2012 को फ्रोस्ट बैंक द्वारा डेबिट किए गए बैंक प्रभार
8.	248पी मई 2012	790.10	अप्रैल 2012 के माह हेतु बैंक प्रभार
9.	417पी जून 2012	1,61,646.10	विविध आकस्मिताएं
	कुल	3,72,632.41	

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि रोकड़ बही के समक्ष अपने बैंक खाते में दर्शाए गए रोकड़ शेष की कमी को ढकने के लिए वाणिज्यिक दूतावास द्वारा मासिक लेखे में यू.एस. \$89,698 तक की राशि के क्र.सं. 2,4 एवं 7 के वाउचर बनावटी रूप से सृजित किए थे। बैंक खाते में रोकड़ की कमी दर्शाता है कि बैंक खाते में से किए गए सभी आहरण रोकड़ बही में प्रविष्टि किए बिना हुए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि जुलाई से सितम्बर 2011 के बीच यू.एस. \$24,841 तथा यू.एस. \$44,515 के ऐसे ही दो आहरण हुए थे जिनकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई थी।

उत्तर में, भा.म.वा.दू., ह्युस्टन ने माना कि बैंक विवरणी के साथ रोकड़ बही के रोकड़ शेषों से मेल खाने के लिए बनावटी वाउचरों का सृजन नियमानुसार नहीं था।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त क्र.सं. 1,5,6,8 तथा 9 में उल्लेखित पाँच लेनदेनों के संबंध में, यू.एस. \$2,82,935 की राशि के भुगतान वाउचर मासिक लेखे में सृजित एवं शामिल किए गए थे। हालांकि, इन भुगतान वाउचरों का समर्थन किसी भी आहरित बिलों के दस्तावेजी सबूतों द्वारा नहीं किया गया था जो दर्शाए कि संबंधित दावों के समर्थन में इनका भुगतान किया गया था। भुगतान वाउचरों का सृजन करना तथा सहायक बिलों के बिलों के बिना मासिक लेखे में इनका लेखांकन व्यय के रूप किया जाना वर्तमान नियमों का उल्लंघन था। उपलब्ध बैंक विवरणियों से, लेखापरीक्षा में यह सत्यापित करना संभव नहीं था कि ये राशियां वास्तविक रूप से बाद में वाणिज्यिक दूतावास के बैंक खाते से आहरित हुई थी। इसके अतिरिक्त, बैंक खातों में तथा मासिक लेखे में भारी विसंगतियों के कारण वाणिज्यिक दूतावास द्वारा कोई अर्थपूर्ण बैंक मिलान नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों के अंतर्गत, बिलों के प्रस्तुतीकरण के बिना जाली वाउचरों के माध्यम से बैंक खातों से धन के आहरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार, मई तथा जून 2012 की अवधि के दौरान वाणिज्यिक दूतावास द्वारा यू.एस. \$3,62,172 की राशि के चार जाली प्राप्त चालान दिए गए थे। विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	प्राप्ति चालान एवं माह	राशि (यू.एस.\$)	विवरण
1.	334आर.मई 2012	76,503.65	शीर्ष 'कार्यालय व्यय' के अंतर्गत नकारात्मक आंकड़ों के रूप में दर्शाया गया था।
2.	335आर मई 2012	84,798.03	'विदेश यात्रा व्यय' के अंतर्गत नकारात्मक आंकड़ों के रूप में दर्शाया गया था।
3.	540 आर जून 2012	665.00	शीर्ष 'अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत
4.	541 आर जून 2012	2,00,205.17	शीर्ष 'अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत
कुल		3,62,171.85	

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 'कार्यालय व्यय' के अंतर्गत व्यय को कम करने के लिए यू.एस. \$76,504 (क्र.सं.1) की राशि हेतु प्राप्ति चालानों को मासिक लेखे में नकली रूप से सृजित एवं दर्शाया गया था। यू.एस. \$84,798 (क्र.सं.2) का एक और प्राप्ति चालान भी दिया गया था तथा 'विदेश यात्रा व्यय' के अंतर्गत व्यय कम करने के लिए मासिक लेखे में दर्शाया गया था। उपरोक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत व्यय में कमी बिना मान्य प्राधिकरण के की गई थी तथा इन समायोजनों का औचित्य साबित करने के लिए कोई अभिलेख नहीं थे। मासिक लेखे में 'अन्य प्राप्तियाँ' में यू.एस. \$665 (क्र.सं.3) तथा यू.एस. \$2,00,205 (क्र.सं.4) के लिए अन्य दो प्राप्ति चालान सृजित एवं दर्शाए गए। मई 2012 में मंत्रालय को प्रस्तुत अप्रैल 2012 की रोकड़ बही के रोकड़ शेष के प्रति यू.एस. \$2,00,205 से अधिक थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि रोकड़ बही तथा मासिक लेखे में प्राप्ति चालानों की प्रविष्टियों को बैंक विवरणियों में नहीं दर्शाया गया था। इस प्रकार, बैंक खाते में संगत क्रेडिट के बिना प्राप्ति चालानों के सृजन द्वारा रोकड़ बही तथा मासिक लेखे में प्रेषण की प्रविष्टि करना नियमों के अनुरूप नहीं है। नमूना परीक्षित प्राप्ति चालानों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल से सितम्बर 2011 के दौरान वाणिज्यिक दूतावास के बैंक खाते में जमा की गई यू.एस. \$39,266 की राशि की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई थी। प्राप्ति चालानों के ऐसे

अनियमित सृजन को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्यिक दूतावास के बैंक खाते में किसी वास्तविक प्रेषण को जमा न कराए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उत्तर में, भा.म.वा.दू., ह्यूस्टन ने बताया कि प्राप्त चालानों का सृजन अन्य जाली वाउचरों/चालानों को अमान्य ठहराने के लिए किया गया था। ऐसी प्रविष्टियां करने वाले लेखांकन स्टाफ द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण ए.मि.ले.प्र.के परिचालन की उचित जानकारी तथा प्रशिक्षण की कमी को दर्शाता है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भा.म.वा.दू., ह्यूस्टन द्वारा वि.मं. को प्रस्तुत मासिक लेखे में गम्भीर त्रुटियाँ हैं। मासिक लेखे में व्यय तथा प्राप्तियों में क्रमशः नकली रूप से सृजित यू.एस. \$3,72,632 (₹1.85 करोड़)⁵ के भुगतान वाउचर तथा यू.एस. \$3,62,172 (₹1.79 करोड़)⁵ के प्राप्त चालान शामिल थे। बैंक खाते में यू.एस. \$69,266 की निकासी एवं यू.एस. \$39,266 के जमा की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं कि गई थी। परिणामतः, नकद प्राप्तियों के कम लेखांकन तथा बैंक से धन के बेहिसाबी आहरणों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। वाणिज्यिक दूतावास के सही मासिक लेखे को पुनः बनाने के लिए उचित प्राधिकारियों द्वारा मामले की तत्काल जाँच की जानी चाहिए। मंत्रालय को ए.मि.ले.प्र. के परिचालन के लिए सारे लेखा स्टाफ को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता तथा फर्जी प्रविष्टियों को ढूँढ़ निकालने के लिए समस्या समाधान तंत्र स्थापित करना भी आवश्यक है। प्रणाली में चेतावनी देने के लिए आवश्यक नियंत्रण होना चाहिए।

मामला मंत्रालय को दिसंबर 2013 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

⁵ मार्च 2012 के (1 यू.एस. \$ = ₹49.60) विनिमय दर पर परिकलित।

5.4 परियोजना प्रबंधन दलों को विदेश भत्ते का अतिरिक्त भुगतान

मॉस्को एवं पेरिस में मिशनों ने मॉस्को एवं पेरिस में परियोजना प्रबंधन दलों में तैनात भारतीय वायु सेना के छः अधिकारियों को विदेश प्रतिपूर्ति भत्ता देने की बजाय विवेकाधीन विदेश भत्ते का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप नवम्बर 2009 से अगस्त 2013 के दौरान अधिकारियों को ₹74.69 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

भा.वि.से. (वे.अ.प्र.भ.) नियमावली⁶ के प्रावधानों के अनुसार, भारत से बाहर कार्यरत भारतीय विदेश सेवाओं के सदस्य को विदेश भत्ता (वि.भ.) प्रदान किया जा सकता है जिसमें भारत में स्थित और/अथवा स्थानीय घरेलू नौकरों के लिए वेतन शामिल है। यदि वे भारत में स्थित घरेलू सहायकों को नियुक्त करते हैं तो उन्हें विवेकाधीन वि.भ. का भुगतान किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय (वि.मं.) ने निर्देश दिया (फरवरी 2009 और दिसम्बर 2010) कि जिन अधिकारियों के पास गैर-प्रतिनिधित्ववादी प्रवृत्ति के कार्य हैं उन्हें विदेश (प्रतिपूर्ति) भत्ते (वि.प्र.भ.) का भुगतान किया जाएगा और वि.प्र.भ. का आहरण करने के लिए, केन्द्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों को विदेशी मिशनों में तैनात सेवाओं के अधिकारियों के समान पद निर्धारित किया गया था। यह भी विनिर्दिष्ट किया था कि भारत सरकार के किसी भी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति या कार्य करने वाले सेना अधिकारियों की पद तुल्यता का निर्णय वर्तमान प्रणाली के अनुसार उनके सेना पद के आधार पर होगा। पुनः परिशिष्ट (सितम्बर 2013) के माध्यम से मंत्रालय ने दोहराया कि वि.प्र.भ. का आहरण करने के पात्र केन्द्र/राज्य सरकार, अधिकारियों को कोई राजनयिक पद प्रदान नहीं किया गया था। दिसम्बर 2010 के वि.मं. के आदेश में उल्लिखित पद तुल्यता केवल काल्पनिक थी और जिसे वि.प्र.भ. के हिस्से का निर्धारण करने के लिए वि.मं. द्वारा आंतरिक रूप से केवल संदर्भ उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था।

⁶ नियम 7 और 8, अध्याय III भारतीय विदेश सेवा (वेतन, अवकाश, प्रतिपूर्ति भत्ता तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली

वायु सेना के वायु सेना मुख्यालय (वायु सेना मुख्यालय) ने जून 2008 में माँस्को में मिग-29 में दो अधिकारियों की तैनाती के लिए 'उन्नत परियोजना प्रबंधन दल' (प.प्र.द.) के लिए अनुमोदनों को संस्वीकृति दी (अक्टूबर 2009 और अप्रैल 2011)। रक्षा मंत्रालय, वायु सेना मुख्यालय (र.मं.) ने चार अधिकारियों को निहित करते हुए पेरिस में मिराज-2000 पी.एम.टी. के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान किए (अगस्त 2011)। संस्वीकृतियों के साथ-साथ कहा गया कि मिशनों में उसी पद एवं ग्रेड पर तैनात रक्षा सेवाओं के कर्मियों पर लागू होने वाला वि.भ. के जितने वि.भ. के लिए अधिकारी भी हकदार है। हालांकि अनुमोदनों में विदेश सेवा बोर्ड⁷ (वि.से.बो.) अधिकारियों को राजनायिक दर्जा दिए जाने के संबंध के बारे में किसी आदेश के बारे में कुछ नहीं कहा गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (अगस्त-सितम्बर 2013) से पता चला कि:

- पेरिस में मिशन ने वि.मं. आदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट पात्र वि.प्र.भ. का भुगतान करने की बजाय, काउंसलर पद पर स्वीकार्य दरों पर लीडर को तथा प्रथम सचिव स्तर अधिकार पर स्वीकार्य दरों पर अन्य तीन अधिकारियों को विवेकाधीन वि.भ. का भुगतान किया था;
- माँस्को में मिशन ने, मंत्रालय के दिशानिर्देशों के उल्लंघन से प्रथम सचिव पद अधिकारी को स्वीकार्य दरों पर विवेकाधीन वि.भ. का भुगतान किया।

परिणामतः, प.प्र.द. माँस्को के दो अधिकारियों ने नवम्बर 2009 से अगस्त 2013 के दौरान ₹29.69 लाख⁸ का अधिक वि.भ. प्राप्त किया और सितम्बर

⁷ भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) नियमावली, 1961 के अंतर्गत गठित है, जोकि विदेश में भारतीय मिशन एवं पदों पर तैनात अधिकारियों को राजनायिक स्तर प्रदान करने के लिए अधीकृत है, चाहे वह विदेश सेवा के सदस्य हो या नहीं।

⁸ विनिमय दर पर लागू वेतन दर पर अमेरिकी डॉलर 60654.09

2011 से अगस्त 2013 के दौरान प.प्र.द. पेरिस के चार अधिकारियों ने ₹45 लाख⁹ का अधिक वि.प्र.भ. प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर (जनवरी 2014) में, मॉस्को में मिशन ने मिशन के वायु सेना स्कंध का उत्तर प्रेषित किया जिसमें बताया गया था कि भारत सरकार द्वारा जारी आदेश (जून 2008, अक्टूबर 2009 और अप्रैल 2011) स्पष्ट रूप से मिशन में तैनात उसी पद एवं ग्रेड के रक्षा सेवा कर्मियों पर लागू वि.भ. प्रदान करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प.प्र.द. मॉस्को के दो अधिकारियों को वि.से.बो. द्वारा राजनायिक दर्जा प्रदान नहीं किया गया था तथा सितम्बर 2013 के वि.मं. के परिशिष्ट के अनुसार, पद तुल्यता स्वतः राजनायिक स्तर प्रदान नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2009 और दिसम्बर 2010 के वि.मं. के आदेशों के अनुसार, ऐसे अधिकारी केवल वि.प्र.भ. के लिए पात्र होते थे। पेरिस के मिशन ने सूचित किया कि प.प्र.द. पेरिस की तैनाती हेतु वि.से.बो. से मिनिट/आदेश की प्रति अग्रेषित करने के लिए र.मं. से निवेदन किया गया था (जनवरी 2014) और उत्तर मार्च 2014 तक प्रतीक्षित था।

इस प्रकार मॉस्को और पेरिस के मिशनों ने मॉस्को और पेरिस में भारतीय वायु सेना के प.प्र.द. में तैनाती छः अधिकारियों को वि.प्र.भ. के भुगतान हेतु फरवरी 2009 एवं दिसम्बर 2010 के वि.मं. के आदेशों का पालन नहीं किया था। इन अधिकारियों को वि.प्र.भ. की बजाय विवेकाधीन वि.भ. के अनियमित भुगतान के परिणामस्वरूप अगस्त 2013 तक ₹74.69 लाख के भत्तों का अतिरिक्त भुगतान हुआ और अधिक भुगतान अभी भी जारी था (मार्च 2014)

मामला जनवरी 2014 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

⁹ विनिमय पर लागू वेतन दर पर अमेरिकी डॉलर 90450.74

5.5 पारपत्र विविध सेवाएं हेतु शुल्कों का कम संग्रहण

पारपत्र विविध सेवाएं का संशोधन नहीं होने के कारण ₹1.52 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

विदेश मंत्रालय (वि.मं.) ने अपने 28 सितम्बर 2012 के राजपत्र अधिसूचना में पारपत्र एवं अन्य संबंधित सेवाओं जैसे पारपत्रों के निर्गम, पुनर्निगम या प्रतिस्थापन, आपातकालीन या पहचान प्रमाणपत्रों अथवा पुलिस अनुमति प्रमाण-पत्रों आदि के निर्गम हेतु शुल्कों का संशोधन किया था।

पारपत्र नियम- पुस्तिका 2010 के अध्याय 3(5)(1)(ख) के अनुसार नियम पुस्तिका 2010, "पारपत्र का पुनर्निगम पद में, सभी स्थितियों में जैसे वीजा पृष्ठों की समाप्ति, पारपत्र की क्षति/गुम होना, एसवीपी की समाप्ति, विवरणों में परिवर्तन, पति पत्नी का नाम जोड़ने आदि को शामिल किया गया था।" इसके अतिरिक्त, पारपत्र नियम-पुस्तिका 2010 और आई.सी.ए.ओ. विनियमों के अनुसार, ई.सी. के अलावा, हस्तलिखित यात्रा दस्तावेज जारी करने की अनुमति 01.04.2010¹⁰ से नहीं है, और पारपत्र- धारकों के व्यक्तिगत विवरणों में किसी परिवर्तन के मामले में नयी पुस्तिका जारी करनी होगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि भारतीय उच्चायुक्त, सिंगापुर (भा.उ.सिंगापुर) ने, अपनी आउटसोर्स की गयी एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा पारपत्रों में हाथ से परिवर्तन करना जारी रखा, तथा अक्टूबर 2012 से जुलाई 2013 तक 3,752 मामलों में नयी पुस्तिकाएं जारी करने के लिए एस.जी. \$100¹¹ स्थान पर, केवल एस.जी. \$20 ही संग्रहित किया। यह एस.जी. \$3.0016 लाख (₹1.40 करोड़)¹² के राजस्व की हानि में परिणत हुआ।

¹⁰ 01.04.2010 के पूर्व जारी हस्तलिखित पारपत्र 31.03.2014 तक वैध रहेंगे।

¹¹ एक व्यस्क व्यक्ति के लिए 36 पृष्ठों का नया पारपत्र जारी करने के लिए USD75 की न्यूनतम दर मानकर, स्थानीय मुद्रा में पूर्णांक करके

¹² $(100-20)*3,752*46.512 = ₹ 1,39,61,042$

इसी प्रकार, भारतीय दूतावास, टोक्यो (भा.दू. टोक्यो), भी मौजूदा पारपत्रों में व्यक्तिगत विवरणों में हाथ से परिवर्तन करता रहा तथा नयी पुस्तिकाएं जारी करने के लिए ₹10,500 का प्रभार लगाने के स्थान पर केवल ₹1,400 ही प्रभार लगाया। लेखापरीक्षा ने 227 मामलों में ₹20.657 लाख (₹12.61 लाख)¹³ की राशि तक का कम संग्रहण देखा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पारपत्र नियम पुस्तिका 2010 के प्रावधानों के उल्लंघन में, भा.उ. सिंगापुर, तथा भा.उ. टोक्यो ने मौजूदा पारपत्रों में व्यक्तिगत विवरणों में बदलाव हेतु नयी पुस्तिका जारी करने के स्थान पर हाथ से परिवर्तन करना जारी रखा। मौजूदा निर्देशों के उल्लंघन के अतिरिक्त, इसका परिणाम ₹1.52 करोड़¹⁴ के कम संग्रहण और राजस्व हानि के रूप में हुआ।

भा.उ. सिंगापुर ने बताया (6 अगस्त 2013) कि 2002 के राजपत्र अधिसूचना में विविध सेवाएं के अंतर्गत श्रेणी में 'अतिरिक्त तसदीक अथवा अन्य विविध सेवा' की एक विशिष्ट प्रविष्टि शामिल थी, और यह भी कि 2012 के राजपत्र अधिसूचना में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं थी, इसलिए भा.उ. सिंगापुर ने पारपत्र संबंधी सेवाओं के लिए शुल्कों को संशोधित नहीं किया था।

भा.उ. टोक्यो ने बताया कि उन्होंने वि.मं. के राजपत्र अधिसूचना 2012 के अनुसार पारपत्र शुल्कों के संशोधन को कार्यान्वित किया था। यह पता परिवर्तन तथा पति/पत्नी के नाम शामिल करने, तथा भारत में वापस आने पर अनापत्ति (भा.वा.अ.) से संबंधित सेवाओं हेतु शुल्कों के संशोधन का विशिष्टतः उल्लेख नहीं करता था। भा.उ. टोक्यो ने इसके अतिरिक्त बताया कि पारपत्र नियम पुस्तिका के विभिन्न अध्यायों में विरोधाभास थे, तथा उन्होंने वि.मं. से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है।

¹³ $(10500-1,400) \times 227 \times 0.6105 = ₹ 12,61,110$

¹⁴ ₹ 139.61 लाख + 12.61 लाख = ₹ 152.22 लाख

भा.उ. सिंगापुर तथा भा.उ. टोक्यो के उत्तर स्वीकार्य नहीं है, चूंकि पारपत्र नियम-पुस्तिका 2010 का अध्याय 3(5)(1)(ख), उन मामलों को स्पष्टतः चिन्हित करता है जहां नये पारपत्र जारी किये जाने चाहिए। 2012 की राजपत्र अधिसूचना ने केवल विभिन्न सेवाओं हेतु शुल्कों का ही संशोधन किया, और उन परिस्थियों, जहाँ नये पारपत्र जारी करने होंगे, से इसका संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त, वि.मं. (सी.पी.वी. प्रभाग) ने अपने 04 सितम्बर 2013 के पत्र द्वारा, इस मुद्दे पर भा.उ. सिंगापुर को यह सूचित करते हुए उत्तर दिया कि सभी ऐसे मामलों में जहाँ व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन करना हो, केवल नयी पारपत्र पुस्तिकाएं, ही जारी की जानी चाहिए थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा से सहमति जताते हुए बताया (फरवरी 2014) कि इसने सिंगापुर एवं टोक्यो के मिशनों को, उन्हें विविध सेवाओं के अंतर्गत पारपत्रों में हाथ से तसदीक करने को तुरंत बंद करने का निर्देश देते हुए पत्र जारी किया है।

5.6 सेवा प्रदाता को अनुचित वित्तीय लाभ

पासपोर्ट अभ्यर्पण सेवाओं हेतु सेवा प्रभारों की अनियमित वृद्धि ऐसी सेवाओं पर अस्वीकार्य प्रशासनिक शुल्क प्रभारित करने का परिणाम सितम्बर 2010 से मार्च 2013 के दौरान सेवा प्रदाता को ₹67.36 लाख के अनुचित वित्तीय लाभ के रूप में हुआ।

मिशन ने पासपोर्ट अभ्यर्पण सेवाओं की आउटसोर्सिंग हेतु 31 अगस्त 2010 को मेसर्स वी.एफ. सर्विसेज लिमिटेड (सेवा प्रदाता) के साथ एक करार किया। करार की सारणी 1, शर्त 4.1 के अनुसार सेवा प्रदाता £6.90 प्रति पासपोर्ट अभ्यर्पण आवेदन के सेवा प्रभार के उदग्रहण का हकदार था।

विदेश मंत्रालय (मंत्रालय) ने उसी सेवा प्रदाता द्वारा मिशन को बीजा सेवाएं प्रदान करने हेतु उदग्रहित बीजा आउटसोर्सिंग सेवा प्रभारों को £6.90 से £7.70 तक बढ़ाया (अगस्त 2011)। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि कथित आदेश के आधार पर सेवा प्रदाता ने भी पासपोर्ट अभ्यर्पण हेतु

सेवा प्रभारों को 12 सितम्बर 2011 से £6.90 की विद्यमान दर से £7.70 प्रति आवेदन तक बढ़ाया।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2012) कि अगस्त 2011 में जारी सेवा प्रभारों की वृद्धि का आदेश केवल सेवा प्रदाता द्वारा मिशन को प्रदत्त वीजा सेवाओं हेतु लागू था तथा पासपोर्ट अभ्यर्पण सेवाओं हेतु बढ़ी हुई दरों का उद्ग्रहण करना अनियमित था तथा इसका परिणाम सेवा प्रदाता को अनुचित वित्तीय लाभ के रूप में हुआ। यद्यपि सेवा प्रदाता तुरंत प्रभाव से £6.90 तक सेवा प्रभारों को कम करने को सहमत था (मार्च 2012) फिर भी बढ़ी हुई दर का उद्ग्रहण 30 सितम्बर 2012 तक जारी रहा। चूंकि सेवा प्रदाता 12 सितम्बर 2011 से 30 सितम्बर 2012 के दौरान 31264 आवेदन संसाधित किए थे इसलिए सेवा प्रदाता को प्राप्त अनुचित लाभ कुल ₹18.73 लाख¹⁵ था।

आगे, यह भी पाया गया (अप्रैल 2013) कि करार के प्रावधानों के परे सेवा प्रदाता पासपोर्ट अभ्यर्पण सेवाओं के आउटसोर्सिंग से £0.80 प्रति आवेदन के प्रशासनिक शुल्क का उद्ग्रहण कर रहा था। यद्यपि उसी सेवा प्रदाता द्वारा मिशन को प्रदत्त वीजा सेवाओं के संबंध में, मंत्रालय ने मिशन को सेवा प्रदाता द्वारा अनियमित प्रशासनिक शुल्क के अग्रहण को समाप्त करने हेतु कार्रवाई प्रारम्भ करने का निर्देश दिया (अक्टूबर 2009) फिर भी मिशन ने सेवा प्रदाता को करार के प्रारम्भ से पासपोर्ट अभ्यर्पण सेवाओं पर अनियमित प्रशासनिक शुल्क के उद्ग्रहण को अनुमत किया। सेवा प्रदाता ने 6 दिसम्बर 2010 से 31 मार्च 2010 से 31 मार्च 2013 के दौरान 85157 आवेदन संसाधित किये थे तथा ₹48.64 लाख¹⁶ की राशि का अनुचित लाभ प्राप्त किया था। इसी प्रकार अनुचित लाभ जारी है तथा आगे और बढ़ेगा।

¹⁵ $31264 \times £0.80 = £25,011$ सितम्बर 2011 से सितम्बर 2012 के दौरान प्रचालित $1£=74.88$ (सितम्बर 2011) की न्यूनतम विनियम दर पर

¹⁶ $85157 \times £0.80 = £68,126$ सितम्बर 2011 से मार्च 2013 के दौरान प्रचालित $1£=₹71.39$ (नवम्बर 2010) की न्यूनतम विनियम दर पर

पासपोर्ट अभ्यर्पण सेवा के संबंध में 31 मार्च 2013 तक सेवा प्रदाता को प्राप्त कुल अनुचित लाभ ₹67.36 लाख था।

जब मिशन के साथ मामला उठाया गया था तो मिशन ने सेवा प्रदाता को पासपोर्ट अभ्यर्पण सेवाओं पर बढ़े सेवा प्रभारों के कारण प्राप्त अनभिप्रेत लाभ को वापस करने तथा प्रशासनिक शुल्क के उद्ग्रहण को समाप्त करने, जैसा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया था, का निर्देश (अक्टूबर 2012) दिया। चूंकि बढ़े हुए सेवा प्रभार के कारण एकत्रित राशि सेवा प्रदाता द्वारा वापस नहीं की गई थी तथा £0.80 के प्रशासनिक शुल्क का मनमाना संग्रहण जारी रहा। इसलिए मामला दोबारा मिशन को सूचित किया गया था (जुलाई 2013)। मिशन ने अपने पहले निर्णय को बदला तथा उत्तर दिया (अगस्त 2013) कि मंत्रालय ने पासपोर्ट अभ्यर्पण सेवा की आउटसोर्सिंग हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए विनिर्दिष्ट किया था कि वीजा आवेदनों हेतु स्वीकृत सेवा प्रभार पासपोर्ट अभ्यर्पण सेवा पर भी लागू होंगे। तथापि, कथित पत्र मिशन के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था तथा मिशन ने मंत्रालय को इसे प्रदान करने का अनुरोध किया था। मिशन ने आगे बताया कि वीजा आवेदकों से इन प्रभारों के उद्ग्रहण की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति अभी भी विचाराधीन है तथा पासपोर्ट अभ्यर्पण सेवाओं हेतु अलग अभ्युक्ति की कदाचित आवश्यकता नहीं थी। मिशन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पासपोर्ट अभ्यर्पण सेवा को एक अलग करार के माध्यम से आउटसोर्स किया गया था।

चूंकि सेवा प्रदाता का चयन एक प्रतियोगितात्मक प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था इसलिए संविदा अवधि के दौरान सेवा प्रभार में कोई भी यादृच्छिक वृद्धि निविदा पश्चात् छूट के कारण थी तथा यह सी.वी.सी. दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। इस प्रकार, करार के नियम शर्तों को लागू करने में मिशन की ओर से विफलता का परिणाम सेवा प्रदाता को ₹67.36 लाख के अनुचित वित्तीय लाभ में हुआ जो अभी भी जारी है।

मामला अक्टूबर 2013 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

अध्याय VI: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

6.1 मेगा फूड पार्क योजना का धीमा कार्यान्वयन

मेगा फूड पार्क योजना सितम्बर 2008 में, प्रथम चरण में कार्यान्वयन हेतु 10 परियोजनाओं के साथ शुरू की गयी थी। परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति अत्यंत धीमी थी एवं तय समय-सीमा से काफी पीछे चल रही थी। परिणामस्वरूप, ₹250 करोड़ के निवेश के बावजूद, योजना उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई।

नि.म.ले.प. के 2008 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. सि.ले.प.-1 में उल्लेखित किया गया था कि मंत्रालय द्वारा मार्च 2004 तक संस्वीकृत 45 फूड पार्कों में से कोई भी मार्च 2007 तक पूरी तरह चालू नहीं हुआ था। परिणामस्वरूप, मंत्रालय द्वारा देश भर में खाद्य पार्कों की स्थापना हेतु जारी ₹110.55 करोड़ का अनुदान अधिकांशतः निष्फल रहा। तदुपरांत, मंत्रालय ने आर्थिक कार्य मंत्रिमंडल समिति (आ.का.मं.स.) को पार्कों के अपर्याप्त परिचालन हेतु प्रमुख कारणों को जैसे निम्न कार्य-स्थल का चुनाव, विद्युत, जल, सड़क आदि जैसी मूलभूत अवसंरचना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में विलंब, कमजोर प्रबंधन एवं कार्यान्वयन क्षमताओं के रूप में बताया था। कार्रवाई टिप्पण में मंत्रालय ने परियोजनाओं के धीमे कार्यान्वयन हेतु एक प्रमुख कारण के रूप में प्रमोटरों की वित्तीय सीमाओं को जिम्मेदार ठहराते हुए बताया कि मौजूदा फूड पार्कों को पुनर्जीवित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे थे।

इसके पश्चात, लेखापरीक्षा में जांच से प्रकट हुआ कि मंत्रालय ने 2004-07 के दौरान देश-भर में 11 फूड पार्कों की आगे संस्वीकृति दी थी। ₹26.85 करोड़ की कुल निधियाँ इस उद्देश्य हेतु जारी की गयी थीं। लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्वीकृत कुल 56 (45+11) फूड पार्कों में से केवल 27 (24+3) को पूरी तरह चालू किया गया था जबकि नौ (6+3) जुलाई 2013 तक बंद हो चुके थे। अतः फूड पार्कों के परिचालन में प्रगति अधिकांशतः असंतोषजनक रही।

इसी के साथ, मंत्रालय ने (अगस्त 2008) 11वीं योजना के दौरान देश में 30 मेगा फूड पार्को (मे.फू.पा.) की स्थापना की एक योजना के कार्यान्वयन का प्रस्ताव रखा था। योजना का प्राथमिक उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण हेतु पर्याप्त/उत्तम अवसंरचना सुविधाओं को उपलब्ध कराना था। इसमें फर्म, परिवहन, रसद एवं केन्द्रीयकृत प्रोसेसिंग केन्द्रों के पास अवसंरचना का सृजन शामिल था। आर्थिक कार्य मंत्रिमंडल समिति ने 10 मे.फू.पा. की स्थापना को, प्रथम चरण में, अनुमोदित (सितम्बर 2008) किया था।

मे.फू.पा. के निष्पादन, स्वामित्व एवं प्रबंधन का दायित्व विशेष प्रयोजन वाहन¹ (वि.प्र.वा.), जिसमें वित्तीय प्रतिष्ठान/बैंक, संगठित विक्रेता, प्रोसेसर, सेवा प्रदाता, प्रायोजक, किसान संगठन एवं अन्य संबंधित हितधारक सत्वधारी होंगे, में निहित था। वि.प्र.वा. मुख्यतः वित्तीय समापन एवं परियोजना की सम्पूर्णता हेतु उत्तरदायी था।

योजना में सामान्य क्षेत्रों में योग्य परियोजना लागत के 50 प्रतिशत का पूंजीगत अनुदान एवं दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्रों में योग्य परियोजना लागत के 75 प्रतिशत के दर से, प्रति परियोजना ₹50 करोड़ की अधिकतम सीमा तक, प्रदान किया गया था। परियोजना को पूरा करने और सफलतापूर्वक चालू करने की समय-सीमा, प्रथम किस्त जारी होने की तिथि से 24 माह तक थी। समय-सीमाओं को बाद में अंतिम अनुमोदन देने की तिथि से 30 माह (जुलाई 2012) तक बढ़ा दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने, मे.फू.पा. योजना के चरण I के अंतर्गत, मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत 10 परियोजनाओं की नमूना जाँच की और पाया कि ₹450 करोड़ की संस्वीकृत राशि के प्रति, दिसम्बर 2013 तक, नौ परियोजनाओं के लिए ₹250 करोड़ की राशि जारी की गयी थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि मंत्रालय

¹ एक वैधानिक संस्था जिसे एक वित्तीय व्यवस्था को उपलब्ध कराने हेतु सर्जक के रूप में एक विशेष भूमिका के निर्वहन के लिए ही सृजित किया गया है।

द्वारा किसी भी पार्क को संचालित² नहीं किया गया था। दस परियोजनाओं में से, आठ परिचालन हेतु निर्धारित 30 माह की समय-सीमा पार कर चुकी थीं। अतः परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर अटकती रही, जैसाकि **अनुबंध-IV** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि योजना दिशा-निर्देशों में परियोजना के सैद्धांतिक अनुमोदन से योजना के अंतिम अनुमोदन तक, कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। समय-सीमा की अनुपस्थिति में, मंत्रालय द्वारा उसे 3 से 24 माह के विलंब के बाद अंतिम अनुमोदन दिये गये थे। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की परियोजना का, सितम्बर 2010 में सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के बावजूद अभी तक अंतिम रूप से अनुमोदन नहीं किया गया था। परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के अन्य कारण, भूमि अधिग्रहण सदस्यों द्वारा निधियों में अंशदान आदि से संबंधित मुद्दों को बताया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि योजना दिशानिर्देश में भूमि अधिग्रहण में मंत्रालय की भूमिका को निरूपित नहीं किया गया था, जोकि वि.प्र.वा. पर न्यागत हो गया था। मामलों को तेजी से निपटने के लिए, मंत्रालय को नये सिरे से, एक सरकारी प्रतिनिधि को वि.प्र.वा. के निदेशक मंडल में, नामित करना चाहिए था।

अतः अब सामने आने वाले अवरोध, पुरानी फूड पार्क योजना में आने वाली कठिनाइयों जैसे ही थे। यह तथ्य, कि ये योजनाएं इसी प्रकार के विलंबों से प्रभावित होती रही, मंत्रालय की संबंधित विभिन्न मुद्दों को सुलझाने में विफलता को दर्शाती हैं। परिणामस्वरूप, योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति न हो सकी।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2014), कि में फू.पा. के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में वह बहुत अधिक चिंतित था और मे.फू.पा. के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा था। अधिकांश परियोजनाओं में,

² हरिद्वार एवं चित्तूर में केवल दो पार्कों को आंशिक रूप से खोला गया था।

कार्यान्वयन में विलंब, वि.प्र.वा. के नाम पर भूमि का कब्जा, एवं राज्य सरकारों से संवैधानिक अनुमति प्राप्त करने जैसे, कारणों से हुआ था। मंत्रालय ने इन मुद्दों/अवरोधों को सुलझाने के लिए संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष मामलों को रख कर एक सक्रिय भूमिका निभायी और प्रत्येक परियोजना को सूक्ष्म एवं वैयक्तिक रूप से मानीटर कर रहा था। परिणामस्वरूप, दो परियोजनाएं³ शुरू कर दी गयी थीं।

तथ्य यह रहा कि इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति अत्यधिक धीमी बनी रही जो काफी समय बीत जाने पर भी परियोजना उद्देश्यों की गैर उपलब्धि में परिणत हुई। इन परियोजनाओं को समय-बद्ध तरीके से पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय को उपाय करना चाहिए।

6.2 अनुदान का अधिक निर्गम

मंत्रालय, भारतीय फसल संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान को अनुदान जारी करते समय इसके, द्वारा सृजित आंतरिक राजस्व की राशि का समायोजन करने में विफल रहा। प्रक्रिया में, इसने व्यय वित्त समिति के विशिष्ट निर्देशों का उल्लंघन किया। यह 2012-13 तक, कुल ₹6.46 करोड़ की अनुदानों के अधिक निर्गम का कारण बना।

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 209 के अनुसार, अनुदान संस्वीकृत करने वाले प्राधिकरणों को, अनुदान प्रदान करने को नियंत्रित करते समय, विशेष रूप से वार्षिक अनुदान हेतु, आंतरिक रूप से सृजित संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए।

खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय (खा.सं.उ.मं.) की व्यय वित्त समिति (व्य.वि.स.) ने खा.सं.उ.मं. के अंतर्गत, एक स्वायत्त निकाय, भारतीय फसल संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान (भा.फ.सं.प्रौ.सं.) के उन्नयन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया (जुलाई 2007)। खा.सं.उ.मं. द्वारा प्रस्तावित निधियन में दो

³ हरिद्वार एवं चित्तूर

संघटक अर्थात् पूंजीगत व्यय⁴ (गैर-आवर्ती व्यय) तथा राजस्व व्यय⁵ (आवर्ती व्यय) शामिल हैं। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, मंत्रालय को, भा.फ.सं.प्रौ.सं. द्वारा सृजित⁶ आंतरिक राजस्व का समायोजन करने के पश्चात, पूंजीगत व्यय तथा आवर्ती व्यय में कमी को वित्तपोषित करना था। व्य.वि.स. द्वारा ₹88.48 करोड़ की लागत पर उन्नयन कार्य हेतु वित्तीय अनुदानों को स्वीकृत (फरवरी 2009) किया गया था, जिसमें ₹13.67 करोड़ के राजस्व व्यय का अनुमान तथा शेष पूंजीगत व्यय के प्रति, शामिल था। व्य.वि.स. ने, भा.फ.सं.प्रौ.सं. द्वारा ₹3.46 करोड़ के प्रक्षपित आंतरिक राजस्व सृजन, पर विचार करने के पश्चात, इस राशि को राजस्व व्यय के अनुमान से हटा कर राशि को ₹10.21 करोड़ तक संशोधित किया। तथापि, खा.सं.उ.मं. ने राजस्व व्यय के प्रति ₹10.35 करोड़ की राशि आवंटित की।

वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान, मंत्रालय द्वारा कुल ₹84.20 करोड़ की अनुदानें, भा.फ.सं.प्रौ.सं. को जारी की गई थीं। जारी निधियों तथा भा.फ.सं.प्रौ.सं. द्वारा सृजित राजस्व के ब्यौरे निम्न तालिका में दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	मंत्रालय द्वारा जारी सृजित आंतरिक राजस्व राशि	द्वारा जारी सृजित आंतरिक राजस्व की राशि
2007-08	3.55	0.15
2008-09	7.00	0.29
2009-10	37.15	0.70
2010-11	28.50	1.81
2011-12	4.50	2.36
2012-13	3.50	4.61
कुल	84.20	9.92

⁴ भूमि एवं इमारत पर व्यय

⁵ श्रमशक्ति नियुक्ति, वेतन आदि पर व्यय

⁶ भा.फ.सं.प्रौ.सं. की आंतरिक प्राप्तियां मुख्य रूप से परामर्श शुल्क, विश्लेषण प्रभारों, प्रशिक्षण शुल्क, ब्याज अर्जन, सेमीनार पंजीकरण शुल्क आदि सृजित की गई है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भा.फ.सं.प्रौ.सं. ने ₹3.46 करोड़ के प्रक्षेपित राजस्व के प्रति आंतरिक रूप से ₹9.92 करोड़ के राजस्व का सृजन किया था। इसके अतिरिक्त, भा.फ.सं.प्रौ.सं. द्वारा सृजित राजस्व को, संगठन द्वारा अपनी आरक्षित पूंजीगत निधि तथा 'स्टाफ कल्याण निधि'⁷ को अंतरित किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि खा.सं.उ.मं., 2011-12 तथा 2012-13 में अनुवर्ती अनुदानें जारी करते समय, इन तथ्यों को संज्ञान में लेने में विफल रहा। इसलिए, भा.फ.सं.प्रौ.सं. द्वारा सृजित राजस्व का समायोजन करने में विफल रहकर मंत्रालय ने सा.वि.नि. के प्रावधानों का उल्लंघन किया। यह 2012-13 तक ₹6.46 करोड़⁸ के अधिक निर्गम का कारण बना। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि अप्रैल 2013 में मंत्रालय द्वारा स्वीकृत संशोधित लागत अनुमानों में भा.फ.सं.प्रौ.सं. द्वारा सृजित आंतरिक राजस्व को ध्यान में नहीं रखा गया था।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2013) कि भा.फ.सं.प्रौ.सं. द्वारा सृजित अधिक राजस्व को भा.फ.सं.प्रौ.सं. की बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुसार समायोजित नहीं किया गया था।

उत्तर, सा.वि.नि. के प्रावधानों के सामंजस्य में नहीं है। मंत्रालय भा.फ.सं.प्रौ.सं. को किए गए अधिक निर्गमों को समाजित करने हेतु उपाय प्रारम्भ करे।

⁷ ₹4.11 करोड़ का आरक्षित पूंजीगत निधि तथा ₹0.11 करोड़ का स्टाफ कल्याण निधि में 2011-12 तक अंतरण किया गया था।

⁸ सृजित राजस्व ₹9.92 करोड़ (-) राजस्व प्रक्षेपण ₹3.46 करोड़

6.3 'संयोजन शुल्क' का परिहार्य भुगतान

खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लि. (ह.रा.औ.अ.वि.नि.) से प्राप्त भूमि के प्लॉट पर हरियाणा में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता तथा प्रबंधन संस्थान की स्थापना हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. (रा.भ.नि.नि.) को नियुक्त किया। तथापि, रा.भ.नि.नि. को, ह.रा.औ.अ.वि.नि. को निर्माण योजना के प्रस्तुतीकरण से पहले भूमि के प्लॉट पर निर्माण प्रारम्भ करने को अनुमत किया गया तथा प्रक्रिया में शहरी एवं देश योजना विभाग, हरियाणा सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया गया था। इसका परिणाम ₹1.36 करोड़ के संयोजन शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ।

हरियाणा सरकार के, शहर एवं देश योजना विभाग ने राज्य में विकास/निर्माण प्राक्रियाओं के संबंध में आदेश (अप्रैल 2006) जारी किए। इन आदेशों के अनुसार, भू-तल की छत डालने से पहले निर्माण योजनाओं को प्रस्तुत तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कराया जाना था, जिससे कि बाद में अपेक्षित कोई भी सुधार, संरचनात्मक स्थिरता को खतरे में डाले बिना, पूरा किया जा सके। इन आदेशों के उल्लंघन के मामले में विभाग द्वारा निर्धारित दण्ड उद्ग्रहण योग्य था। यह आदेश, हरियाणा राज्य में औद्योगिक अवसंरचना के विकास हेतु हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लि. (ह.रा.औ.वि.नि.लि.), उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा की सम्मति के अंतर्गत स्थापित एक कम्पनी, पर भी लागू हैं।

आर्थिक कार्यों पर कैबिनेट समिति ने, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता तथा प्रबंधन संस्थान (रा.खा.प्रौ.उ.प्र.सं.), खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, की स्थापना को स्वीकृत किया (अगस्त 2006)। ह.रा.औ.अ.वि.नि. ने, रा.खा.प्रौ.उ.प्र.सं. को ₹31.36 करोड़ की लागत पर कुंडली, हरियाणा में 100 एकड़ माप का एक प्लॉट आबंटित किया। रा.खा.प्रौ.उ.प्र.सं. ने, अगस्त 2007 में, भूमि के प्लॉट का अधिग्रहण प्राप्त किया।

खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय ने, टर्नकी आधार पर, रा.खा.प्रौ.उ.प्र.सं. के परिसर का निर्माण करने हेतु, एक एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. (रा.भ.नि.नि.) का चयन किया (अगस्त 2007)। परिसर में सांस्थानिक तथा आवासीय भवन बनने थे। मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, रा.खा.प्रौ.उ.प्र.सं. ने निर्माण कार्य हेतु रा.भ.नि.नि. के साथ एक समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा.) पर हस्ताक्षर किए। स.ज्ञा. के अनुसार, रा.भ.नि.नि. संबंधित प्राधिकरणों से, पूर्व एवं पश्च निर्माण की सभी सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी था तथा रा.खा.प्रौ.उ.प्र.सं. को इस प्रक्रिया में रा.भ.नि.नि. की मदद करनी थी।

लेखापरीक्षा जांच ने प्रकट किया कि मंत्रालय/रा.खा.प्रौ.उ.प्र.सं. ने, ह.रा.औ.अ.वि.नि. को निर्माण योजनाओं के प्रस्तुतीकरण से पहले ही, रा.भ.नि.नि. को निर्माण कार्य प्रारम्भ⁹ करने की अनुमति दी। रा.खा.प्रौ.उ.प्र.सं. द्वारा ह.रा.औ.अ.वि.नि. को अगस्त 2009 में निर्माण योजनाएं प्रस्तुत की गई थीं। ह.रा.औ.अ.वि.नि. ने निर्माण योजनाओं की स्वीकृति से पहले निर्माण प्रारम्भ करने हेतु संयोजन शुल्क¹⁰ के प्रति कुल ₹1.18 करोड़ जमा कराने की शर्त के तहत निर्माण योजनाओं की स्वीकृति सूचित की थी (दिसम्बर 2010)। रा.खा.प्रौ.उ.प्र.सं. द्वारा दिसम्बर 2011 में शुल्क जमा करवाया गया था तथा रा.खा.प्रौ.उ.प्र.सं. ने अगस्त 2012 में अपने शैक्षिक कार्य प्रारम्भ किए।

ह.रा.औ.स.वि.नि. ने उसी आधार पर भूमि के प्लॉट पर निर्मित आवासीय भवनों हेतु, जून 2012 में ₹18.10 लाख का अतिरिक्त संयोजन शुल्क भी लगाया। रा.खा.प्रौ.उ.प्र.सं. ने जुलाई 2012 में इस अतिरिक्त शुल्क का

⁹ रा.भ.नि.नि. ने जुलाई 2008 से निर्माण आरम्भ किया। संस्थानिक भवनों की निर्माण योजनाएं, वास्तुकार एवं मालिक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित दिनांक 18.9.2008 को रा.भ.नि.नि. को भेजी गई थी जिन्हें आगे ह.रा.औ.अ.वि.नि. को प्रस्तुत करना था। इन नक्शों को ह.रा.औ.अ.वि.नि. द्वारा दिनांक 28.8.2009 को मंजूर किया गया था।

¹⁰ शहर एवं देश योजना विभाग, हरियाणा सरकार ने निर्माण कार्यों में विभिन्न उल्लंघनों हेतु संयोजन मापदण्डों/दरों का निर्धारित किया है।

भुगतान किया ह.रा.औ.अ.वि.नि. द्वारा अक्टूबर 2012 में आवासीय परिसर की निर्माण योजनाएं स्वीकृत की गई थीं।

इस प्रकार, निर्माण प्रक्रिया को नियंत्रित कर रहे हरियाणा के शहर एवं देश योजना विभाग के वर्तमान आदेशों की अनुपालना में मंत्रालय/रा.खा.प्रौ.उ.प्र.सं. की विफलता, संयोजन शुल्क के परिहार्य भुगतान का कारण बनी।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 2014) कि एक बड़ी परियोजना होने से इसे निर्माण कार्य हेतु काफी लम्बा समय चाहिए इसलिए निर्माण योजना की स्वीकृति हेतु दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण तथा निर्माण का प्रारम्भ लगभग एक साथ ही किया गया था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि जबकि ह.रा.औ.अ.वि.नि. ने अगस्त 2007 में भूमि के प्लॉट का अधिकार सुपूर्द कर दिया था फिर भी ह.रा.औ.अ.वि.नि. द्वारा केवल मार्च 2010 में जाकर ही औपचारिक आबंटन पत्र जारी किया गया था। यह भी निर्माण योजना की स्वीकृति में विलम्ब का कारण बना क्योंकि ह.रा.औ.उ.वि.नि. का शहर एवं देश विकास विभाग निर्माण योजना दस्तावेजों के साथ आबंटन पत्र के प्रस्तुतीकरण पर जोर डाल रहा था। इस प्रकार, ह.रा.औ.वि.नि. ने निर्माण योजना को स्वीकृत करने में एक वर्ष से अधिक लिया। इसने आगे बताया कि रा.भ.नि.नि. ने शहर एवं देश योजना हरियाणा के प्रचलित नियमों एवं विनियमों की अनुपालना को सुनिश्चित नहीं किया था तथा, इसलिए आवासीय भाग के प्रति अदा किए गए ₹18.10 लाख के संयोजन शुल्क के भुगतान को उनसे वसूला जा रहा था।

उत्तर केवल यह सुनिश्चित करता है कि सांविधिक स्वीकृतियों हेतु आवश्यक दस्तावेज भी मंत्रालय/रा.खा.औ.उ.प्र.सं. के अधिकार में नहीं थे। इसलिए वह निर्धारित प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने में विफल रहा तथा उसने स्वयं ही जुलाई 2008 में, अर्थात्, उस तिथि से लगभग एक वर्ष से अधिक पहले जिस पर ह.रा.औ.अ.वि.नि. द्वारा निर्माण योजनाएं स्वीकृत की गई थीं, रा.भ.नि.नि. को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दी। इस प्रकार, मंत्रालय/रा.खा.प्रौ.उ.प्र.सं. मामले में उचित सचेतना का प्रयोग करने में विफल रहा जो संयोजन शुल्क, एक प्रभार जो परिहार्य था, के भार का कारण बना।

अध्याय VII: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

7.1 सरकारी अस्पतालों में जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट का प्रबंधन

प्रस्तावना

चिकित्सीय देखभाल हमारे जीवन, स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिए अनिवार्य है। दूसरी ओर, चिकित्सीय गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट रोग संचारण की अपनी उच्च क्षमता के कारण खतरनाक, विषैले तथा घातक भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य देखभाल स्थापनाओं के अपशिष्ट के खतरनाक तथा विषैले भाग जिसमें संक्रामक, जैव-चिकित्सीय तथा रेडियो-एक्टिव सामग्री के साथ-साथ नुकलीली चीजें (अधस्त्वचीय सूई, छूरी, स्कालपेल्स आदि) शामिल हैं, गंभीर जोखिम स्थापित करेंगे अगर इनका उचित प्रकार से उपचार/निपटान नहीं किया जाए अथवा अन्य नगरपालिका अपशिष्ट के साथ मिलने हेतु छोड़ दिया जाए। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की विभिन्न रोगजनक तथा रोगवाहकों को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति तथा अन्य गैर-खतरनाक तथा गैर-विषैले नगरपालिका कचरे को दूषित करने की इसकी क्षमता समग्र नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन हेतु किए गए प्रयासों को संकट में डालती है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6, 8, तथा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने 20 जुलाई 1998 को जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं नियंत्रण) नियमावली 1998, (नियमावली) को अधिसूचित किया।

नियमावली जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट को ऐसे अपशिष्ट, जो मनुष्य अथवा पशुओं के रोग निदान, उपचार अथवा टीकाकरण के दौरान अथवा इससे संबंधित अनुसंधान कार्यों अथवा जैविक जांच आदि में उत्पन्न होता है, के रूप में परिभाषित करती है।

जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के संघटकों में शामिल है

- (i) मानव का शारीरिक अपशिष्ट (टिशू, अंग, शरीर के भाग आदि)
- (ii) पशु का अपशिष्ट (पशु-चिकित्सा अस्पतालों से अनुसंधान/प्रयोग के दौरान उत्पन्न टिशू, अंग, शरीर के भाग आदि)
- (iii) सूक्ष्मजैविकी तथा जैव-प्रौद्योगिकी अपशिष्ट जैसे कि प्रयोगशाला कल्चर, सूक्ष्म-जीव, मनुष्य एवं पशु के सैल कल्चर, टॉक्सिन्स आदि।
- (iv) अपशिष्ट नुकीली चीजें जैसे, अधस्त्वचीय सूई, सिरीज, स्कालपेल्स, टूटा हुआ शीशा आदि।
- (v) दूषित अपशिष्ट जैसे कि मरहम पट्टी, पट्टी, प्लास्टर कास्टस, खून से दूषित सामग्री आदि।
- (vi) किसी भी संक्रमित भाग से उत्पन्न तरल अपशिष्ट

7.1.1 प्रदूषण नियंत्रण समितियों/बोर्डों की भूमिका

नियमावली के नियम 7(I) के तहत राज्यों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा संघ शासित क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण समितियां नियमावली के कार्यान्वयन हेतु तथा अस्पतालों एवं स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों से जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण, उपचार, नियंत्रण तथा निपटान हेतु उत्तरदायी निर्धारित प्राधिकरण है।

नियमावली का नियम 3(8) पदाधिकारी को अस्पताल अथवा स्वास्थ्य देखभाल इकाई के नियंत्रण में व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। नियम 4 प्रावधान करता है कि यह प्रत्येक पदाधिकारी का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करें कि जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट को इस प्रकार नियंत्रित किया गया है कि इसका मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े।

7.1.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आठ सरकारी अस्पतालों (चार¹ दिल्ली में तथा चार² दिल्ली से बाहर) के अभिलेखों की जांच जिसमें 2010-11 से 2012-13 की अवधि शामिल है, इन अस्पतालों द्वारा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण, उपचार, नियंत्रण तथा निपटान के संबंध में नियमावली की अनुपालना का निर्धारण करने हेतु की गई थी।

7.1.3 सामान्य अभ्युक्तियाँ

7.1.3.1 अपशिष्ट का वर्गीकरण

नियमावली के नियम 6(2) के तहत सारणी 11 अस्पतालों में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण तथा निपटान हेतु चार प्रकार के रंगीन कचरा थैलियों को निर्धारित करता है। ब्यौरे नीचे दिये गए हैं:

कचरा थैली का रंग	थैली में डाले जाने वाले जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट का प्रकार	निपटान का प्रकार
पीली थैली	मानव टिशू, पशु टिशू, अंग एवं शरीर के भाग, प्रयोगशाला कल्चरों से व्यर्थ तथा संक्रामक कारक तथा कोटन ड्रेसिंग, बेडिंग आदि सहित खून	भस्मीकरण/गहराई में दफनाना

¹ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (अ.भा.अ.वि.सं.), दिल्ली, 2 सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली, 3 डॉ. राम मनोहर लोहिया (आर.एम.एल.) अस्पताल, दिल्ली, 4 लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय (ले.हा.चि.म.) तथा इसके संबंधित अस्पताल (डॉ. सुचेता कृपलानी अस्पताल तथा कलावती सरन बाल अस्पताल) दिल्ली।

² 1. श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल, (वि.भा.सि.अ.), सिलवासा, 2. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, (स्ना.चि.शि.अ.सं.), चण्डीगढ़, 3. उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विज्ञान संस्थान (उ.पू.इं.गां.क्षे.स्वा.चि.वि.सं.), शिलांग 4. जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (ज.स्ना.चि.शि.अ.सं.), पुदुचेरी।

	एवं बॉडी फ्लूड से दूषित मर्दे।	
लाल थैली	सिरिंज, ट्यूबिंग, कैथेटर्स, इंटरावेनेस सेट तथा डिस्पोजेबल मर्दों से उत्पन्न अपशिष्ट आदि। सुई, सिरिंज, स्कालपेल्स, ब्लैड, शीशा आदि, जो चुभ सकते हैं एवं काट सकते हैं, हेतु पंचचर प्रूफ कंटेनर निर्धारित है।	असंक्रमण/आटोकलेविंग/माइक्रोवेविंग/श्रेडिंग
नीली/सफेद ट्रांसल्यूसेंट	सुई, सिरिंज, स्कालपेल्स, ब्लैड, शीशा आदि, जो चुभ सकते हैं एवं काट सकते हैं, ट्यूबिंग, कैथेटर्स, इंटरावेनेस सेट आदि जैसे डिस्पोजेबल मर्दों से उत्पन्न अपशिष्ट	आटोकलेविंग/माइक्रोवेविंग/ रसायन न उपचार तथा डिस्ट्रक्शन/श्रेडिंग
काली थैली	सामान्य अपशिष्ट तथा किसी भी जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के भष्मीकरण से राख, रसायनिक अपशिष्ट आदि।	सुरक्षित भूमि की गहराई में निपटान

लेखापरीक्षा ने इस संबंध में पाया कि ज.स्ना.चि.शि.अ., पुदुचेरी में जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट का रंगीन थैलियों के माध्यम से वर्गीकरण/वियोजन तथा निपटान निर्धारण के अनुसार नहीं किया गया था। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

- सिरिंजों एवं सुईयों को नीली थैलियों में डाला जाना अपेक्षित था जो कूड़ेदान के पास सड़क पर पड़ी थीं।
- पीली तथा नीली रंग की थैलियों को बिना भष्मीकरण/श्रेडिंग के डंपिंग यार्ड में फेंका गया था।

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के सामने कूड़ेदान की फोटो



डंपिंग यार्ड



7.1.3.2 जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के निपटान हेतु थैलियों की कमी

ले.हा.चि.म., दिल्ली तथा इससे संबंधित अस्पतालों में नवम्बर 2011, दिसम्बर 2011, जनवरी 2012 तथा फरवरी 2012 में रंगीन थैलियों की आवर्तक कमी पाई गई थी।

ज.स्ना.चि.शि.अ., पुद्दुचेरी में पांच वार्डों में पीली तथा नीली थैलियों की कमी पाई गई थी। इन वार्डों में दो से उन्नचास दिनों तक थैलियों का स्टॉक शून्य पाया गया था।

उपयुक्त कचरा थैलियों के अभाव में इन अस्पतालों में जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के अनुचित वियोजन तथा निपटान की संभावना को दरकिनार नहीं किया जा सकता।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (दि.प्र.नि.स.) ने बताया (जून 2014) कि जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के प्रबंधन की जाँच के दौरान अस्पताल द्वारा

दि.प्र.नि.स. कार्मिकों को अपशिष्ट के निपटान हेतु बैगों की कमी के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई थी।

इस प्रकार संबंधित नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया था।

7.1.3.3 भंडारण तथा परिवहन

जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं नियंत्रण) नियमावली, का नियम 6(5) अनुबंध करता है कि असंसाधित जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट को 48 घंटों की अवधि से अधिक नहीं रखा जाए बशर्ते यदि किसी कारण से अपशिष्ट को ऐसी अवधि से अधिक के लिए रखा जाना आवश्यक हो जाता है तो पदाधिकारी निर्धारित प्राधिकारी की अनुमति अवश्य लेगा तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि अपशिष्ट मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा, उपाय करेगा।

श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल, सिलवासा में 2010 से 2013 के दौरान कई अवसरों पर जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट को 48 घंटों से अधिक के लिए रखा गया था जैसा नीचे दिया गया है:

अवधि जिसके पश्चात जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट हटाया गया था (घण्टों में)	अवसरों की संख्या जिसके दौरान जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट को निर्धारित 48 घण्टों से अधिक रखा गया था		
	2010-11	2011-12	2012-13
72	33	49	39
96	3	3	3
110	14	1	0

निर्धारित समय सीमा के भीतर जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट को न हटाए जाने से लोक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को दूषित होने का काफी खतरा है।

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट भस्मक के डिजाईन एवं निर्माण हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार भस्मक कक्ष के साथ अपशिष्ट भंडारण क्षेत्र होगा। यह उपयुक्त रूप से वायु संचारित होगा तथा इस प्रकार डिजाईन किया गया होगा जिससे अपशिष्ट को रैकों में रखा जा सके तथा बड़ी आसानी से धुलाई की जा सके। नमी से बचने तथा आसान सफाई हेतु भस्मक एवं भंडारण कक्ष का फर्श तथा भीतरी दीवार पर अभेदनीय एवं चमकदार बाहरी आवरण होना चाहिए। तथापि निम्नलिखित अस्पतालों में भंडारण कक्षों का निर्धारण के अनुसार निर्माण नहीं किया गया था।

7.1.4 श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल, सिलवासा

श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल में यह देखा गया था कि अपशिष्ट भण्डारण कक्ष में रैक नहीं थे, उचित रूप से वायुसंचारित नहीं था तथा फर्श एवं भीतरी दीवार को चमकदार सामग्री से ढका हुआ नहीं था।

अपशिष्ट भण्डारण कक्ष	
फर्श	दीवारें
	

इसके अतिरिक्त लाल रंग की थैलियां, जिनका उपयोग ठोस अपशिष्ट जैसे ट्यूबिंग, कैथेटर्स, इंटरवेनस सेटों आदि हेतु किया जाता है, अपशिष्ट भण्डारण कक्ष के सामने खुली पड़ी थीं।



7.1.5 स्ना.चि.शि.अ., चण्डीगढ़

स्ना.चि.शि.अ., चण्डीगढ़ में यह देखा गया था कि अपशिष्ट भण्डारण कक्ष में रैक नहीं थे तथा अपशिष्ट की थैलियां फर्श पर पड़ी थीं। फर्श को चमकदार सामग्री से ढका भी नहीं हुआ था जैसा निम्नलिखित पैराग्राफों में दर्शाया गया है:



7.1.5.1 उपचार तथा निपटान

नियम 5(1) प्रावधान करता है कि जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट का नियमावली की सारणी I एवं V में निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए उपचार तथा

निपटान किया जाएगा। ये मानक आगे अनुबंध करते हैं कि अस्पतालों से उत्पन्न तरल अपशिष्ट विनिर्दिष्ट मापदण्डों तथा अनुमत सीमाओं के अनुकूल होगा तथा नालियों में बहाये जाने से पहले रसायन उपचार द्वारा उसको असंक्रामित किया जाएगा।

मई 2008 में, दि.प्र.नि.स. ने निर्णय लिया कि 50 अथवा अधिक बेड वाले अस्पताल, अस्पताल से उत्पन्न बहिःस्त्राव का उपचार करने हेतु बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र (ई.टी.पी.)/मलजल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) स्थापित करेंगे। लेखापरीक्षा में शामिल किए गए दिल्ली में स्थित सभी चार अस्पतालों में 50 से अधिक बेड की क्षमता थी तथा इसलिए उन्हें ई.टी.पी./एस.टी.पी. स्थापित करना चाहिए था। तथापि तीन अस्पतालों (क्र.सं. 2,3 एवं 4 पर) ने ई.टी.पी. स्थापित नहीं किया था तथा एक अस्पताल (क्र.सं.1) में स्थापित एस.टी.पी. गैर-क्रियात्मक था। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	अस्पताल का नाम	ई.टी.पी./एस.टी.पी. स्थापित किया गया हां/नहीं	क्या क्रियात्मक है हां/नहीं	तरल अपशिष्ट का उपचार
1.	अ.भा.अ.सं., दिल्ली	हां	सितम्बर 2013 में दि.प्र.नि.स. द्वारा निरीक्षण के दौरान एस.टी.पी. क्रियात्मक नहीं था	उत्तर प्रतीक्षित
2.	सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली	नहीं	--	नाली में बहाने से पहले रसायनिक उपचार किया गया था
3.	ले.हा.चि.म. एवं संबंधित अस्पताल, दिल्ली	नहीं*	--	बिना उपचार छोड़ा गया
4.	डॉ. रा.म.लो. अस्पताल, दिल्ली	नहीं	--	

*ई.टी.पी. केवल लॉडी विभाग में स्थापित था।

क्र.सं. 2 तथा 3 पर अस्पतालों ने उत्तर दिया (फरवरी 2014) कि तरल अपशिष्ट का नाली में बहाने से पहले रसायनिक उपचार किया गया था।

डॉ.रा.म.लो. अस्पताल ने उत्तर दिया (फरवरी 2014) कि ई.टी.पी. के अभाव में तरल अपशिष्ट को न.दि.न.पा. की नालियों में बहाया जा रहा था जो ओखला अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र से जुड़ी थी।

इस प्रकार कम से कम दो अस्पतालों में परिस्थिति काफी असंतोषजनक थी तथा पर्यावरण को बड़े जोखिम में डालती है। एक ई.टी.पी. के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि तरल व्यर्थ हेतु उन मापदण्डों तथा अनुमत सीमाओं की अनुपालना की गई थी जो नियमावली की सारणियों में निर्धारित किए गए हैं।

दि.प्र.नि.स. ने बताया (जून 2014) कि क्र.सं. 2, 3 एवं 4 पर अस्पतालों ने अपने परिसरों में एस.टी.पी. के संस्थापन हेतु कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की थी।

7.1.6 जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं नियंत्रण) नियमावली, 1998 के तहत प्राधिकरण

नियम 8 के अनुसार, संस्थान का प्रत्येक पदाधिकारी जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट का किसी भी प्रकार से उत्पादन, संग्रहण, उपचार, निपटान तथा/अथवा नियंत्रण हेतु प्राधिकरण की अनुमति के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक आवेदन करेगा। निर्धारित प्राधिकारी स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात कि आवेदक के पास इस नियमावली के अनुसार जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के नियंत्रण हेतु आवश्यक क्षमता है, प्राधिकरण प्रदान करेगा अथवा नवीकरण करेगा। प्राधिकरण हेतु प्रत्येक आवेदन का निर्धारित प्राधिकारी द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर निपटान किया जाएगा। आठ अस्पतालों के प्राधिकरण के नवीकरण की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है:

अस्पताल का नाम	निम्न को प्राधिकरण समाप्त	निम्न को नवीकरण का आदेवदन किया गया	क्या 31 दिसम्बर 2013 तक प्राधिकरण का नवीकरण प्रदान किया गया (हाँ/नहीं)
अस्पताल जिनका प्राधिकरण समाप्त हो गया है तथा नवीकरण के लिए आवेदन किया है			
1. डॉ. रा.म.लो. अस्पताल, दिल्ली	18 फरवरी 2010	02 फरवरी 2010	नहीं
2. सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली	31 जनवरी 2013	18 अप्रैल 2013	नहीं
3. ले.हा.चि.म. एवं संबंधित अस्पताल, दिल्ली	13 जून 2013	21 मई 2013	नहीं
4. स्ना.चि.शि.अ.सं., चण्डीगढ़	31 अगस्त 2013	29 अगस्त 2013	नहीं
5. ज.स्ना.चि.शि.अ.सं., पुद्दुचेरी	12 अगस्त 2010	11 अगस्त 2010	नहीं
अस्पताल जिनका प्राधिकरण समाप्त हो गया है तथा नवीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है			
6. वि.भा.सि.अ., सिलवासा	20 दिसम्बर 2008	अस्पताल कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका कि क्या इसने पहले के प्राधिकरण की समाप्ति से पहले अथवा पहले के प्राधिकरण के नवीकरण हेतु निर्धारित प्राधिकारी को	लेखापरीक्षा को प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका कि क्या इसने पहले के प्राधिकरण की समाप्ति से पहले अथवा पहले के प्राधिकरण के नवीकरण हेतु निर्धारित प्राधिकारी को

		आवेदन किया था।
अस्पताल जिनके पास दिसम्बर 2013 को वैध प्राधिकरण थे		
7.	उ.पू.इं.गां.क्षे.स्वा.चि.वि.सं., 31 मार्च 2015 शिलांग	31 दिसम्बर 2013 को प्राधिकरण अभी भी वैध है
8.	अ.भा.अ.वि.सं., दिल्ली 9 मई 2014	

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकेगा कि पांच अस्पताल (क्र.सं. 1 से 5 तक) संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समितियों से अनिवार्य प्राधिकरण के बिना जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट का उत्पादन, संग्रहण, उपचार, नियंत्रण तथा निपटान कर रहे थे। यद्यपि इन अस्पतालों ने निर्धारित प्राधिकारी से अपने प्राधिकरण के नवीकरण हेतु आवेदन किया था परंतु उन्हें वह 31 दिसम्बर 2013 को अभी भी प्रदान किया जाना था जबकि निर्धारित प्राधिकारी को नब्बे दिनों के भीतर उनके आवेदन को संसाधित करना अपेक्षित था। पांच अस्पतालों की संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों के साथ मामले का प्रभावी रूप से अनुसरण/अनुपालना में विफलता का परिणाम उस परिस्थिति में हुआ जिसमें इन अस्पतालों ने चार से छियालीस महीनों के बीच की अवधि तक जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण, उपचार, नियंत्रण तथा निपटान के संबंध में नियमावली के उल्लंघन में कार्य किया।

वि.भा.सि.अ., सिलवासा (क्र.सं. 6) के मामले में निर्धारित प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण दिसम्बर 2008 में समाप्त हो गया था। अस्पताल लेखापरीक्षा को कोई दस्तावेजीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका कि क्या इसने पहले के प्राधिकरण की समाप्ति से पहले अथवा प्राधिकरण के समाप्त होने के बाद नवीकरण हेतु निर्धारित प्राधिकारी को आवेदन किया था।

केवल क्र.सं. 7 तथा 8 पर अस्पतालों के पास दिसम्बर 2013 को वैध प्राधिकरण था।

दि.प्र.नि.स. ने बताया (जून 2014) कि क्र.सं. 1, 2 एवं 3 में सूचीबद्ध अस्पतालों के मामले में आवश्यक प्राधिकरण मार्च 2014 जारी कर दिए गए थे।

7.1.6.1 अस्पतालों में जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन की अपर्याप्त आंतरिक मॉनीटरिंग

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2002 में अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए। यह दिशानिर्देश जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं नियंत्रण) नियमावली, 1998 पर आधारित थे तथा इस नियमावली को कार्यान्वित करने हेतु प्रत्येक अस्पताल को समर्थ बनाने के लिए तैयार की गई थीं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक अस्पताल में अस्पताल के प्रमुख की अध्यक्षता के अंतर्गत एक अपशिष्ट प्रबंधन समिति होगी। यह समिति अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु विनिर्दिष्ट कार्य योजना तैयार करने तथा इसके पर्यवेक्षण, मॉनीटरिंग, कार्यान्वयन हेतु तथा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट नियंत्रकों की सुरक्षा का ध्यान रखने हेतु उत्तरदायी होगी। आठ अस्पतालों में अपशिष्ट प्रबंधन समितियों के गठन की स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	अस्पताल का नाम	क्या अपशिष्ट प्रबंधन समिति गठित की गई	अभ्युक्तियां
1.	अ.भा.अ.वि.सं., दिल्ली	नहीं	अस्पताल की अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति (अ.सं.नि.स.) अस्पताल के अपशिष्ट का भी पर्यवेक्षण करती है। 2010-11 से 2012-13 के दौरान

			अ.सं.नि.स. द्वारा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के सितम्बर 2012 तथा जनवरी 2013 में केवल दो निरीक्षण किए गए थे।
2.	सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली	हां	जनवरी 2010 में समिति गठित की गई थी। 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान कुल आठ बैठक की गई थीं। अप्रैल 2010 में, समिति ने अस्पताल में 12 नोडल अधिकारियों को नामांकित किया जिनको अपने क्षेत्रों में आवधिक दौरा करना अपेक्षित था। नोडल अधिकारियों को प्रत्येक माह उनकी अभ्युक्तियों तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत करनी अपेक्षित था। तथापि, कुछ नोडल अधिकारियों की कुछ तिमाही मॉनीटरिंग रिपोर्ट अस्पताल के पास उपलब्ध थी।
3.	डॉ. रा.म.लो. अस्पताल, दिल्ली	हां	समिति का गठन केवल फरवरी 2013 में जाकर ही किया गया था। सितम्बर 2013 तक समिति ने जुलाई 2013 में केवल एक बैठक की है तथा अगस्त 2013 में अस्पताल के तीन वार्डों में एक निरीक्षण किया

			था।
4.	ले.हा.चि.म. एवं संबंधित अस्पताल, दिल्ली	हां	2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान समिति द्वारा कुल छः बैठक की गई थी।
5.	उ.पू.इं.गां.क्षे.स्वा.चि.वि.सं., शिलांग	नहीं	चिकित्सा अधीक्षक ने नर्सिंग अधीक्षकों तथा स्वच्छता अधीक्षकों के साथ मासिक बैठकों की अध्यक्षता की जिसमें जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई थी।
6.	वि.भा.सि.अ., सिलवासा	हां	समिति जून 2010 में गठित की गई थी। 2012-13 तथा 2013-14 की अवधि के दौरान प्रत्येक एक बैठक की गई थी।
7.	ज.स्ना.चि.शि.अ., पुदुचेरी	हां	1998 में एक अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन स्कंध प्रारम्भ किया गया था। 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान समिति द्वारा कुल पांच बैठक की गई थीं।
8.	स्ना.चि.शि.अ., चण्डीगढ़	हां	अक्टूबर 2007 में अपशिष्ट प्रबंधन समिति गठित की गई। 2010-11 तथा 2011-12 की अवधि के दौरान कुल तीन बैठक की गई थीं।

जैसा ऊपर दर्शाया गया है, आठ अस्पतालों में से दो अस्पतालों में अपशिष्ट प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, सफदरजंग

अस्पताल, दिल्ली में नोडल अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से मॉनीटरिंग नहीं की गई थी। डॉ. रा.म.लो. अस्पताल, दिल्ली में समिति का गठन केवल फरवरी 2013 में जाकर ही किया गया था।

7.1.7 अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन में प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेखों का अनुचित अनुरक्षण

नियमावली के कार्यान्वयन को समर्थ बनाने हेतु 2002 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक अस्पताल में प्रशासकों सहित सभी वर्गों के कार्मिकों को, उनको सुरक्षित अस्पताल अपशिष्ट प्रक्रियाओं से अवगत कराने हेतु, सुव्यवस्थित जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम होने चाहिए थे। प्रशिक्षण कार्मिकों के विभिन्न प्रकार के वर्गों हेतु आयोजित किए जाने थे तथा तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाने थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा में शामिल किए सभी अस्पतालों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा था परंतु डाक्टरों, नर्सों, आपरेशन थियेटर तकनीशियनों तथा सफाई कर्मचारियों की संख्या के संबंध में विवरणों के अभाव में यह पता लगाना कठिन था कि कितनों को प्रशिक्षित किया गया था तथा कितनों को अभी भी प्रशिक्षित किया जाना था तथा इसलिए दिशानिर्देशों की अनुपालना की जांच नहीं की जा सकी।

7.1.8 अन्य मामलें

7.1.8.1 दिल्ली में आम जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट उपचार सुविधा (आ.जै.चि.अ.उ.सु.) द्वारा सेवा करों का अधिक प्रभारित किया जाना

आम जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट उपचार सुविधा (आ.जै.चि.अ.उ.सु.) एक ढांचा है जहाँ कई स्वास्थ्य देखभाल इकाईयों से उत्पन्न जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने हेतु आवश्यक उपचार प्रदान किया जाता है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (के.प्र.नि.बो.) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के संग्रहण एवं निपटान हेतु आ.जै.चि.अ.उ.सु. संचालक द्वारा स्वास्थ्य इकाईयों से प्रभारित की जाने वाली लागत को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति तथा स्थानीय चिकित्सा संघ की सलाह से परिकल्पित किया जाएगा।

दिल्ली में अस्पतालों तथा स्वास्थ्य देखभाल इकाईयों से आ.जै.चि.अ.उ.सु. द्वारा वसूले जाने वाले प्रभारों को महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं (म.नि.स्वा.से.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, द्वारा मई 2005 में अस्पताल की बेड क्षमता के आधार पर स्वीकृत किया गया था। इनका दि.प्र.नि.स. द्वारा भी समर्थन किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ले.हा.चि.म. एवं इससे संबंधित अस्पताल, दिल्ली मेसर्स सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट (प्रा.) लि. (आ.जै.चि.अ.उ.सु. संचालक) अतिरिक्त प्रभार लगाता था, यदि उत्पन्न जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट 200 ग्राम प्रति बेड से अधिक होता था। ऐसे अधिक प्रभार म.नि.स्वा.से. द्वारा स्वीकृत नहीं थे। आ.जै.चि.अ.उ.सु. ने ले.हा.चि.म. एवं इसके संबंधित अस्पतालों से 2010-11 से 2012-13 के दौरान स्वीकृत दरों से अधिक में ₹23.11 लाख प्रभारित किए।

7.1.8.2 उ.पू.इं.गां.क्षे.स्वा.चि.वि.सं., शिलांग में आटोकलेव तथा श्रेडर की अनुपलब्धता

नियमावली की सारणी 1 प्रावधान करती है कि अपशिष्ट नुकीली चीजें, ठोस अपशिष्ट तथा डिस्पोजेबल मर्दों को माइक्रोवेविंग/आटोकलाविंग तथा श्रेडर द्वारा म्यूटिलेशन कर असंक्रामित किया जाना अपेक्षित है। यह पाया गया था कि उ.पू.इं.गां.क्षे.स्वा.चि.वि.सं., शिलांग ने हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.एस.सी.सी.एल.) को मार्च 2006 में दो आटोकलेवों हेतु ₹7.20 लाख तथा एक श्रेडर हेतु ₹2.50 लाख का भुगतान किया। तथापि, छः

वर्षों के बीत जाने के पश्चात भी आटोकलेव तथा श्रेडर को दिसम्बर 2013 तक स्थापित नहीं किया गया था।

7.1.8.3 भस्मक की स्थापना में विलम्ब

उ.पू.इं.गां.क्षे.स्वा.चि.वि.सं., शिलांग में एच.एस.सी.सी. ने अस्पताल की ओर से, मार्च 2006 में मेसर्स नेशनल एसोसिएटस को छः महीनों के भीतर दो भस्मकों तथा इसके उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, जांच करने तथा चालू करने हेतु ₹68.99 लाख का ठेका दिया। यह पाया गया था कि दोनों भस्मकों को छः वर्षों से अधिक के पश्चात केवल 19 जून 2013 में जाकर ही स्थल पर सुपुर्दगी दी गई थी। तथापि, दिसम्बर 2013 तक उपकरण को अभी भी स्थापित किया जाना था।

निष्कर्ष

चिकित्सीय कार्यों से उत्पन्न अपशिष्ट खतरनाक, विषैले तथा घातक भी हो सकते हैं। जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के प्रबंधन का निर्धारण करने हेतु लेखापरीक्षा ने आठ सरकारी अस्पतालों के अभिलेखों की जांच प्रारम्भ की। जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा में शामिल किए गए आठ में से छः सरकारी अस्पताल अनिवार्य प्राधिकरण के बिना जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट का उत्पादन, संग्रहण तथा निपटान कर रहे थे। दो अस्पतालों में अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया गया था। उचित अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकी कि अस्पताल के स्टाफ की सभी श्रेणियों को अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा था। दिल्ली में चार सरकारी अस्पतालों में से तीन में ई.टी.पी.³/एस.टी.पी.⁴ स्थापित नहीं किया गया था। इस प्रकार, अस्पतालों में

³ ई.टी.पी.: बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र

⁴ एस.टी.पी.: मलजल उपचार संयंत्र

जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं नियंत्रण) नियमावली, 1998 का समग्र कार्यान्वयन अपर्याप्त था।

मामला मार्च 2014 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

7.2 अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास के निर्माण में असाधारण विलम्ब

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान ने हॉस्पिटल सर्विस कंसल्टेंसी कार्पोरेशन(इंडिया) लि. को अप्रैल 2008 में एक छात्रावास के निर्माण का कार्य सौंपा था। अप्रैल 2013 तक ₹2.80 करोड़ के भुगतान के बाद भी निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ था जिससे अग्रिम भुगतान बगैर किसी रिटर्न के बेकार पड़ा रहा और समय एवं कीमत में काफी वृद्धि का कारण भी बना।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (रा.स्वा.प.क.सं.), जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, ने अपने दिल्ली स्थित परिसर में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास के निर्माण का निश्चय किया (2006 एवं 2007) इसने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) को इसकी कार्यान्वयन एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया (मार्च 2007) तथा इसे अग्रिम भुगतान के रूप में ₹80 लाख जारी किया। चूंकि चार माह तक के.लो.नि.वि. ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, यह महसूस किया गया कि के.लो.नि.वि. के पास अधिक काम है, अतः, निर्माण कार्य को के.लो.नि.वि. से वापस ले लिया गया (जून 2007) और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक उद्यम हॉस्पिटल सर्विस कंसल्टेंसी कार्पोरेशन (इंडिया) लि. (हॉ.स.कं.का.) को कुल लागत के 10 प्रतिशत परामर्श शुल्क पर निर्माण कार्य सौंप दिया गया। हॉ.स.कं.का. के साथ 25 अप्रैल 2008 को समझौता ज्ञापन हुआ था।

हॉ.स.कं.का. ने ₹ 2.5 करोड़ का प्रारंभिक प्राक्कलन तैयार किया था और ₹80 लाख का अग्रिम भुगतान प्राप्त किया। स.जा. के अनुसार पूंजीगत निर्माण का निष्पादन जमा कार्य आधार पर होना था और उपलब्ध करायी गयी निधि ब्याज रहित थी। स.जा. में निर्माण कार्य के विभिन्न चरणों की समाप्ति, अग्रिम भुगतान करने के लिए चरणों, जुर्माने आदि के समय से संबंधित कोई शर्त नहीं थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि रा.स्वा.प.क.सं. ने अपनी सटीक आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया था और दिसम्बर 2008 में इसने अपने 15 कमरे की आवश्यकता को 50 कमरे में परिवर्तित कर दिया था। तदनुसार, इसने हॉ.स.कं.का. को निर्माण हेतु एक संशोधित लागत प्राक्कलन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। हॉ.स.कं.का. ने ₹8.88 करोड़ राशि का संशोधित लागत प्राक्कलन प्रस्तुत (दिसम्बर 2008) किया।

रा.स्वा.प.क.सं. ने हॉ.स.कं.का. को प्रारंभिक प्राक्कलन के अनुमोदन के बारे में दो वर्ष से अधिक के विलंब के बाद दिसम्बर 2010 में सूचित किया। हॉ.स.कं.का. ने दिल्ली नगर निगम (दि.न.नि.) के साथ छात्रावास भवन योजना के अनुमोदन के मामले को अगस्त 2011 में उठाया और परिसर हेतु मास्टर प्लान दि.न.नि. को मई 2013 में सौंपा गया था। दिसम्बर 2013 तक दिल्ली शहरी कला आयोग एवं दिल्ली अग्निशमन सेवाएं से अनुमोदन प्राप्त करने के अलावा, निर्माण कार्य में प्रगति का कोई साक्ष्य नहीं था। इसी समय, हॉ.स.कं.का. ने फिर से ₹18.63 करोड़ का संशोधित लागत प्राक्कलन (प्रारंभिक प्राक्कलन से 53 प्रतिशत ज्यादा की वृद्धि) प्रस्तुत किया (जनवरी 2013) जिसे रा.स्वा.प.क.सं. द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।

परियोजना में नाम मात्र की प्रगति थी और जून 2013 तक परियोजना पर केवल ₹6.10 लाख का ही व्यय किया गया था। इन तथ्यों के बावजूद, रा.स्वा.प.क.सं. ने हॉ.स.कं.का. को मार्च 2013 में एजेंसी द्वारा किये गये खर्च को सुनिश्चित किए बगैर और पहले दिये गये ₹80 लाख के अग्रिम को

समायोजित किये बगैर रा.स्वा.प.क.सं. द्वारा ₹2 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि हॉ.स.कं.का. को जारी की गई थी।

मंत्रालय ने विलंब के लिए स्थानीय निकायों से अनुमोदन प्राप्त करने और 15 कमरे से 50 कमरों की आवश्यकता में परिवर्तन को दोषी ठहराया (मई 2014)। मामले को दि.न.नि. के साथ अनुवर्तित किया गया और दि.न.नि. से मास्टर प्लान की प्राप्ति पर, निर्माण योजना को अनुमोदन हेतु स्थानीय निकायों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह भी सूचित किया गया था कि रा.स्वा.प.क.सं. निर्माण कार्य की स्थिति को हॉ.स.कं.का. के साथ अनुवर्तित कर रहा है और उन्हें दिये गये अग्रिम पर ब्याज जमा करने का भी उनसे अनुरोध किया है।

अतः, के.लो.नि.वि. से कार्य वापस लेकर समय पर निर्माण करने के लिए हॉ.स.कं.का. को देने की कार्रवाई निष्फल रही। विलंब, जिसके कुछ हिस्से के लिए रा.स्वा.प.क.सं. को दोषी ठहराया जा सकता है, ₹2.5 करोड़ के प्रारम्भिक प्राक्कलन से ₹8.88 करोड़ (कमरों की संख्या में वृद्धि के साथ) और बाद में ₹13.63 करोड़ में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त, हॉ.स.कं.का. के साथ हुआ स.जा. कमजोर था क्योंकि यह संस्थान के हित की रक्षा करने में विफल हुआ। यह एजेंसी को दिये गये ₹2.80 करोड़ के अनुचित अग्रिम का भी कारण बना।

सफदरजंग अस्पताल

7.3 जल प्रभारों पर छूट की प्राप्ति न करना

सफदरजंग अस्पताल दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) से पानी के बिलों पर 21 चालू वर्षा जल संचयन प्रणालियों के होने के बावजूद 10 प्रतिशत का योग्य छूट प्राप्त करने में विफल रहा। यह दि.ज.बो. द्वारा अप्रैल 2010 से दिसंबर 2013 की अवधि में लगाये गये पानी के बिलों पर ₹59.04 लाख के परिहार्य भुगतान में प्रतिफलित हुआ।

जनवरी 2010 से दिल्ली में लागू जल दरों हेतु दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) ने अपनी अधिसूचना (दिसम्बर 2009) में, विनिर्दिष्ट किया था कि सरकारी संस्थान पानी के बिलों की कुल राशि पर 10 प्रतिशत के छूट के हकदार होंगे। यह इस शर्त पर था कि संस्थान जल संचयन के उपायों को अपनाने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये। इस अधिसूचना के अनुसार, सफदरजंग अस्पताल (अस्पताल) सरकारी संस्थान की श्रेणी में आता है। अस्पताल में 2006 से ही इसके परिसर में विभिन्न स्थानों पर तीन जल कनेक्शन एवं 21 कार्यशील वर्षा जल संचयन प्रणाली है। अतः, अस्पताल इसके मासिक जल बिलों पर 10 प्रतिशत का छूट प्राप्त करने के योग्य था।

लेखापरीक्षा ने, हालांकि, पाया कि अस्पताल ने इस छूट को नहीं लिया। इस कारण अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2013 की अवधि के दौरान हुआ अतिरिक्त भुगतान ₹59.04 लाख तक परिकलित किया गया। ब्यौरे अनुबंध v में दिये गये हैं।

लेखापरीक्षा ने इसके अतिरिक्त देखा कि सभी नमूना परीक्षित मामलों में, 2010-13 की अवधि में पानी के बिलों में जल मीटर की स्थिति 'बंद' दर्शायी गयी थी। इसके परिणामस्वरूप, अस्पताल पर 'वास्तविक आधार' के बजाय 'औसत आधार' पर बिल लगाया गया था। यद्यपि लेखापरीक्षा अस्पताल द्वारा दि.ज.बो. को जल प्रभारों के प्रति किये गये भुगतान की सत्यता के बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकता। ये तथ्य दर्शाते हैं कि अस्पताल इस मामले में यथोचित अध्यवसाय करने में विफल रहा।

अस्पताल भावी बिलों पर अभीष्ट छूट प्राप्त करने की दिशा में कार्य करे तथा अभी तक दिये गये अतिरिक्त राशि की वसूली करे। यह मीटरों की मरम्मत/प्रतिस्थापित भी करे ताकि खपत की उचित राशि का भुगतान हो सके।

यह इंगित किये जाने (जनवरी 2014) पर अस्पताल ने बताया (मार्च 2014) कि इसने दि.ज.बो. के समक्ष अभीष्ट छूट प्राप्त करने के मुद्दे को उठाया है। मंत्रालय ने मई 2014 में स्थिति को दोहराया।

स्नाकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़

7.4 आवासीय स्थान के लाइसेंस शुल्क की कम वसूली

स्नाकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, (स्ना.चि.शि.अ.सं.), चण्डीगढ़ केन्द्रीय सरकार की दरों की बजाए संघ शासित क्षेत्र के प्रतिमानों पर लाइसेंस शुल्क की वसूली कर रहा था जिसके परिणाम स्वरूप ₹1.57 करोड़ की कम वसूली हुई।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (स्वास्थ्य विभाग) ने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के लिए अधिनियमों का अधिसूचित किया जो 21 अप्रैल 1967 से लागू हुए। अधिनियमों का नियम 40 बताता है कि इन अधिनियमों में नहीं दिए गए मामलों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी को लागू नियम लागू होंगे जैसे कि सेवा, वेतन एवं तनखाह, कार्यग्रहण समय की आम शर्तों के संबंध में तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश एवं निर्णय आवश्यक परिवर्तनों सहित संस्थान के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

भारत सरकार, संपदा निदेशालय ने पूरे देश में सामान्य पूल में तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के विभागीय पूल में भी उपलब्ध निवास स्थानों हेतु वसूलनीय लाइसेंस शुल्क की फ्लैट दरों का संशोधन किया तथा सभी मंत्रालयों/विभागों से इन आदेशों के अनुसार संशोधित लाइसेंस शुल्क को वसूलने हेतु कार्रवाई करने का निर्णय (अप्रैल 2011) किया। लाइसेंस शुल्क की संशोधित दरें 1 जुलाई 2010 से प्रभावी थीं।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवम्बर 2012) कि स्ना.चि.शि.आ.सं., चण्डीगढ़, सं.शा.क्षे. प्रशासन चण्डीगढ़ द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार लाइसेंस शुल्क की

वसूली कर रहा था जो संपदा निदेशक, भारत सरकार द्वारा निर्धारत दरों से कम थे।

इंगित किए जाने पर स्ना.चि.शि.आ.सं. ने उत्तर दिया (जनवरी 2013) कि लाइसेंस शुल्क की वसूली के मामले पर 18 फरवरी 2008 तथा 9 मई 2008 को हुई बैठक में इसकी स्थायी वित्त समिति (स्था.वि.स.) द्वारा विचार किया गया था तथा इस संबंध में उनके निर्णय को शासी निकाय द्वारा 3 दिसम्बर 2008 को हुई अपनी बैठक, जिसमें सं.शा.क्षे. प्रतिमानों पर लाइसेंस शुल्क की वसूली जारी रखने का निर्णय लिया गया था, में भी अनुसमर्थित किया गया था; फिर भी, छठे वेतन आयोग को सिफारिश पर भारत सरकार के निर्णय के पश्चात कार्यान्वयन हेतु इसकी समीक्षा की जानी थी। मामला शासक निकाय को 6 जुलाई 2013 को हुई इसकी बैठक में प्रस्तुत किया गया था जिसमें समय-समय पर केन्द्र सरकार के आदेशों के अनुसार लाइसेंस शुल्क वसूलने का निर्णय लिया गया था जिसे प्रत्याशित रूप से कार्यान्वित किया जाना था। शासी निकाय के निर्णय को बाद में मंत्रालय द्वारा स्वीकृत (अप्रैल 2014) किया गया था। मंत्रालय ने 05 जुलाई 2013 से भारत सरकार के आदेशों के अनुसार लाइसेंस शुल्क की वसूली को कार्यान्वित करने को लेखापरीक्षा (अप्रैल 2014) को सुनिश्चित किया।

इस प्रकार, स्ना.चि.शि.आ.सं., चण्डीगढ़ कम दरों पर लाइसेंस शुल्क की वसूली कर रहा था तथा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर उसने अपनी प्रक्रिया को सुधारा। 01 जुलाई 2010 की बजाए 5 जुलाई 2013 से आदेशों के कार्यान्वयन में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹1.57 करोड़ की कम वसूली हुई।

अध्याय VIII : गृह मंत्रालय

सशस्त्र सीमा बल

8.1 दावा न किए गए परिनियोजन प्रभार

सशस्त्र सीमा बल द्वारा राज्यों/ सं.शा.क्षे. से, परियोजन लागत के शीघ्र उदग्रहण तथा संग्रहण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी। जनवरी 2008 एवं मार्च 2013 के बीच विभिन्न अवसरों पर बिलों को प्रस्तुत करने में इसकी विफलता परिनियोजन प्रभारों के प्रति ₹25.32 करोड़ की कम वसूली का कारण बनी।

विभिन्न राज्यों/सं.शा.क्षे. को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (के.स.पु.ब.) वाहनियों का परिनियोजन समय-समय पर गृह मंत्रालय (गृ.मं.) द्वारा जारी आदेशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गृ.मं. ने, वाहनियों के परिवहन तथा संचालन की वास्तविक लागत के अतिरिक्त, राज्यों एवं सं.शा.क्षे. में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (के.स.पु.ब.) वाहनियों के परिनियोजन हेतु वसूली प्रभारों के संबंध में अनुदेश जारी किए (दिसम्बर 2005)। मंत्रालय द्वारा समय-समय¹ पर परिनियोजन प्रभारों की दरों का संशोधन किया गया है। तदनुसार, संबंधित के.स.पु.ब. को प्रत्येक तिमाही के अंत पर संबंधित राज्य/ सं.शा.क्षे. सरकारों को परिनियोजन प्रभारों के प्रति बिल प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

स.सी.ब. गृ.मं. के आदेशों पर विभिन्न राज्यों/ सं.शा.क्षे. में अपनी वाहनियों का परिनियोजन करती है। स.सी.ब. द्वारा परिनियोजन लागत के प्रति दावे, बल मुख्यालय के परिचालन निदेशालय से प्राप्त संबंधित सूचना के आधार पर, प्रस्तुत किए गए थे।

संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच ने 2008-13 के दौरान, निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार, आठ राज्यों से कुल ₹25.32 करोड़ की परिनियोजन लागत की कम वसूली/गैर वसूली को उजागर किया:

¹ वर्ष 2013-14 के दौरान परियोजन प्रभारों की दरें ₹34.03 करोड़ प्रति वर्ष प्रति वाहिनी थीं।

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	परिनियोजन लागत की कम वसूली/गैर वसूली (₹ में)
1.	पश्चिम बंगाल	47068492
2.	बिहार	2666312
3.	अरुणाचल प्रदेश	1413616
4.	आन्ध्र प्रदेश	18219204
5.	असम	13357119
6.	उत्तराखण्ड	7679661
7.	दिल्ली	123449091
8.	उत्तर प्रदेश	39323286
योग		253176781

इसके अतिरिक्त इन मामलों के लेखापरीक्षा विश्लेषण ने स.सी.ब. द्वारा 13 अवसरों पर ₹12.23 करोड़ के वित्तीय आपादन को शामिल करके परिनियोजन प्रभारों के गैर उद्ग्रहण को उजागर किया। 17 अवसरों में परिनियोजन प्रभारों का कम उद्ग्रहण था। ब्यौरे अनुबंध-VI में दिए गए हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि यह चूक इसलिए हुई क्योंकि स.सी.ब. के वित्त स्कंध के पास वाहनियों के वास्तविक परिनियोजन का पूर्ण डाटा नहीं था। यह स.सी.ब. द्वारा इसके वाहनियों के वास्तविक परिनियोजन की कमजोर संवीक्षा को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, स.सी.ब. ने बताया (मई 2013) कि परिनियोजन बकायों को इसके वित्त स्कंध द्वारा केवल सेना मुख्यालय से परिनियोजन आदेशों की प्रति के प्राप्त होने के पश्चात ही आगे बढ़ाया जा सकता था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते समय आगे बताया (अक्टूबर 2013) कि संचार की कमी, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा सलाह दी गई थी, का समाधान कर दिया गया था तथा शीघ्रता से परिनियोजन आदेशों की प्रति की वित्त स्कंध में प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु अब आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए थे।

उत्तर स.सी.ब. के भीतर आंतरिक समन्वय की कमी को इंगित करता है। यह स.सी.ब. में समकालिक एवं सामयिक प्रकार से परिनियोजन प्रभारों का सही उद्ग्रहण तथा वसूली हेतु एक उपयुक्त एवं समयबद्ध प्रक्रिया स्थापित करने की आवश्यकता को भी दर्शाता है।

सीमा सुरक्षा बल

8.2 प्रापण उद्देश्यों की अप्राप्ति

सीमा सुरक्षा बल ने ₹1.09 करोड़ की लागत पर प्रापण की स्पीड नावों का, उनके प्रापण से पहले, गुजरात के संकरी खादी क्षेत्र में संचालन की उपयुक्तता का मूल्यांकन नहीं किया था। यह प्रापण उद्देश्यों की अप्राप्ति तथा इसी उद्देश्य हेतु नए प्रापण प्रस्ताव का कारण बना।

सीमा सुरक्षा बल (सी.सु.ब.) के जल स्कंध ने प्रचालनात्मक कार्यों हेतु नौ 'ट्विन इंजन स्पीड बोटों' (तीव्र नियंत्रण नावों) के प्रापण हेतु एक मॉग आदेश किया (जून 2009)। नौ गुजरात सीमा के संकरी खाड़ी क्षेत्र में (छः नौ) तथा दक्षिण बंगाल सीमा के सुंदरबन (तीन नौ) में तटीय सीमाओं की अच्छी निगरानी हेतु आवश्यक थीं।

सी.सु.ब. ने इन स्पीड नावों के प्रापण हेतु एक खुली निविदा प्रारम्भ की (जुलाई 2009)। प्रस्तावों की संवीक्षा के आधार पर, सी.सु.ब. ने ₹2.20 करोड़ की कुल लागत पर नौ स्पीड नावों की आपूर्ति हेतु एक फर्म² को निविदा स्वीकृति प्रदान की (अप्रैल 2010)। इन नावों की निर्धारित सुपुर्दगी तिथि 22 जनवरी 2011 थी। निविदा के नियमों एवं शर्तों के अनुसार फर्म को सी.सु.ब. के प्राधिकारियों द्वारा जांच हेतु स्पीड नाव का आदिप्रारूप प्रदान करना था। नावों के परेषिती जल स्कंध सी.सु.ब., भुज, गुजरात तथा जल स्कंध, सी.सु.ब., कोलकाता थे।

² मेसर्स पोली ग्लास इंडस्ट्रीज प्राई.लि.

लेखापरीक्षा ने पाया कि नावों की गुणवत्ता आवश्यकताओं (गु.आ.) के गृह मंत्रालय द्वारा अगस्त 2010, अर्थात् फर्म को आपूर्ति आदेश दे दिए (अप्रैल 2010) जाने के पश्चात, मैं स्वीकृति प्रदान की गई थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सी.सु.ब. के प्रापण स्कंध ने प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले (दिसम्बर 2009) अपने अंत उपयोगकर्ताओं अर्थात् सी.सु.ब. के जल स्कंध से नावों की विशिष्टताओं के संबंध में किसी आवश्यकता की मांग नहीं की थी। इसने केवल उन्हें नि.स्वी. की एक प्रति जारी की (अप्रैल 2010)। इसके अतिरिक्त नावों के संचालन हेतु संकरी खाड़ी क्षेत्र में प्रचलित लहर उँचाई से मेल खाने वाली डिजाइन आवश्यकता भी निविदा दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट नहीं थी।

नावों की सुपुर्दगी मार्च 2012 तक पूर्ण कर दी गई थी तथा फर्म को ₹1.64 करोड़³ का भुगतान किया गया था।

जल स्कंध, गुजरात द्वारा छः नावों की प्राप्ति पर सी.सु.ब. के अधिकारी बोर्ड (अ.बो.) द्वारा इन नावों का सर्वेक्षण किया गया था (मार्च 2012)। नावों को उनकी दक्षता का पता लगाने हेतु 60-70 घण्टों के लिए जांच हेतु चलाया गया था। (अप्रैल 2012)। अ.बो. ने उन्हें संकरी खाड़ी क्षेत्र हेतु अनुपयुक्त तथा अनुचित पाया। नावों को केवल 0.6 मीटर की अधिकतम लहर उँचाई हेतु उपयुक्त पाया गया था। जबकि गुजरात के संकरी खाड़ी क्षेत्र में लहर उँचाई एक मीटर तक गई थी। बाद में सी.सु.ब. द्वारा उसी स्थिति को दोहराते हुए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी (मई 2012)।

सी.सु.ब. ने सभी छः नावों के दक्षिण बंगाल सीमा (चार नाव) तथा गुवाहटी सीमा (दो नाव) के स्थानांतरण हेतु आदेश जारी किए (सितम्बर 2012) इसी बीच, सी.सु.ब. ने गुजरात के संकरी खाड़ी क्षेत्र हेतु आठ तीव्र पेट्रोल नावों के प्राधिकरण हेतु मंत्रालय को नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया (फरवरी 2013) इस

³ विलम्बित सुपुर्दगी हेतु ₹17.33 लाख के वि.स. प्रभारों को काटने के पश्चात

प्रकार, सी.सु.ब. द्वारा सही गु.आ. को तैयार किए बिना प्रारम्भ की गई प्रापण प्रक्रिया ने अन्य क्षेत्रों के इस विपधन को अनिवार्य बनाया।

सी.सु.ब. ने बताया (मई 2013 तथा सितम्बर 2013) कि आदिप्ररूप नावों का क्रियात्मक/जल परीक्षण संकरी खाड़ी क्षेत्र में नहीं किया गया था क्योंकि नि.स्वी. में ऐसे परीक्षण की कोई शर्त नहीं थी यह केवल नावों की सही विशिष्टताओं को तैयार करने तथा उन्हें नि.स्वी. में शामिल करने, में सी.सु.ब. की विफलता का सुनिश्चित करता है जिसने इन नावों को उद्देश्य, जिसके लिए ₹1.09 करोड़⁴ की लागत पर इनका प्रापण किया गया था, हेतु अनुपयुक्त प्रस्तुत किया।

सी.सु.ब. ने आगे बताया कि इन नावों के प्रापण की पूर्ण प्रक्रिया में अ.बो. के साथ गुजरात सीमा के प्रतिनिधि संघ द्वारा संपूर्ण पूर्व निरीक्षण करने के बावजूद, गुजरात सीमा के संकरी खाड़ी क्षेत्र हेतु इन नावों का अनुपयुक्त होने का मामला कभी प्रस्तुत नहीं किया गया था। सी.सु.ब. ने दावा किया कि इन नावों का अब भारत-बंगलादेश सीमा के तटीय क्षेत्र में लाभदायक रूप से उपयोग किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि गुजरात सीमा के संकरी खाड़ी क्षेत्र की विशिष्ट प्रचालनात्मक आवश्यकता के पूरा करने के लिए नई गुआ/परीक्षण निदेशकों को तैयार कर लिया गया था तथा स्वीकृति हेतु मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है।

तथ्य यह है कि प्रापण प्रक्रिया के दौरान उचित सावधानी बरतने में विफलता का परिणाम प्रापण उद्देश्यों की अप्राप्ति तथा उसी उद्देश्य हेतु नए प्रापण प्रस्ताव तैयार करने में हुआ।

मामला अक्टूबर 2013 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

⁴ छः नावों की अनुपाती लागत

अध्याय IX : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्च शिक्षा विभाग

9.1 आई.आई.टी. हेतु स्थायी अवसंरचना स्थापित करने में परिहार्य विलम्ब

भारत सरकार ने xiv^{वीं} पंचवर्षीय योजना में आठ नई आई.आई.टी. की स्थापना करने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य हेतु मंत्रीमण्डल की स्वीकृति जुलाई 2008 में प्रदान की गई थी। तथापि परियोजना की पूर्णता में हुआ पर्याप्त विलम्ब, परियोजना के उद्देश्यों को पूरा न किए जाने का कारण बना।

प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकारी परिषद के अध्यक्ष की सिफारिशों (जून 2006) की अनुपालना में, मा.सं.वि.मं. द्वारा, योजना आयोग को, उनकी सैद्धांतिक स्वीकृति की मांग करते हुए बिहार, आन्ध्र प्रदेश तथा राजस्थान में तीन नई आई.आई.टी. की स्थापना हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वि.प.रि.) प्रेषित की गई थी। स्वीकृति के आधार पर, संबंधित राज्य सरकारों को नई आई.आई.टी. की स्थापना हेतु लगभग 500-600 एकड़ भूमि प्रदान करने का अनुरोध (दिसम्बर 2006) किया गया था। बाद में, xiv^{वीं} पंचवर्षीय योजना (2007-12) ने योजना अवधि के दौरान आठ नई आई.आई.टी. की स्थापना करने का प्रावधान किया। सरकार ने दिसम्बर 2007 में, पहले से स्वीकृत तीन के अतिरिक्त, ओडिशा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में पांच और नई आई.आई.टी. की स्थापना का निर्णय लिया। संबंधित राज्य सरकारों को, उद्देश्य हेतु, मुफ्त में भूमि प्रदान करने हेतु अनुरोध (अप्रैल 2008) किया गया। वि.प.रि. के आधार पर, छः वर्षों से इन आठ नई आई.आई.टी. की स्थापना की समग्र लागत ₹6080 करोड़ (₹760 करोड़ प्रति आई.आई.टी.) पर अनुमानित की गई थी। मंत्रीमण्डल ने जुलाई 2008 में इन नए संस्थानों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रीमण्डल की स्वीकृति से पहले, व्यय वित्त समिति ने बिहार, आन्ध्र प्रदेश तथा राजस्थान में तीन नई आई.आई.टी. की स्थापना

के प्रस्ताव पर विचार करते समय, परियोजना के सामयिक समापन को सुनिश्चित करने हेतु, मंत्रालय में परियोजना मानीटरिंग इकाई की स्थापना की आवश्यकता पर जोर डाला था। 2008-09 से (छ: आई.आई.टी.) तथा 2009-10 (दो आई.आई.टी.) से नई आई.आई.टी. ने अस्थायी परिसर से कार्य प्रारम्भ किया। इन आई.आई.टी. की स्थापना में विभिन्न कार्यों की स्थिति **अनुबंध-VII** में दी गई है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया कि मार्च 2014 तक सभी परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे थीं। पांच मामलों¹ में, प्रस्तावित आई.आई.टी. हेतु भूमि 2011 तथा 2012 के बीच प्राप्त की जा सकी थी, जो निर्धारित समय सारणी की अनुपालना में पर्याप्त विलम्ब को दर्शाता है। आठ में से तीन परियोजनाओं में परिसर की ईमारत का निर्माण अभी भी प्रारम्भ करना था, जबकि पांच मामलों में किए गए कार्यों की प्रतिशतता केवल 9 से 55 प्रतिशत के बीच थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना की संस्वीकृति से पहले भूमि के सामयिक आवंटन हेतु राज्य सरकारों से कोई वचनबद्धता प्राप्त नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि मंत्रालय परियोजना मानीटरिंग इकाई की स्थापना करने में विफल रहा जैसा व्यय वित्त समिति द्वारा निर्देश दिया गया था।

आगे, विलम्ब के परिणामस्वरूप मंत्रालय ने मई 2014 में वास्तविक लागत अनुमानों को ₹6080 करोड़ से ₹15664 तक, जो कि प्रारम्भिक परियोजना लागत से 150 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है, संशोधित करने का प्रस्ताव किया। तथापि, संशोधित लागत अनुमान को अभी भी व्यय विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाना था। इस संशोधित लागत पर विचार करते हुए, मंत्रालय द्वारा अब तक निधियों का निर्गम (मार्च 2014 तक ₹2807.23 करोड़), संशोधित लागत का केवल 18 प्रतिशत होने से, नगण्य प्रकट होता है।

¹ पटना, राजस्थान, गांधी नगर, मण्डी तथा इंदौर

मंत्रालय ने परियोजना की स्थिति प्रस्तुत करते समय बताया (नवम्बर 2013 तथा मई 2014) कि सभी नई आई.आई.टी. कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, उपकरण आदि हेतु पर्याप्त प्रावधान सहित, अस्थायी परिसरों में कार्य कर रहीं थीं। परियोजनाओं को प्रारम्भ करने में विलम्ब राज्य सरकारों द्वारा भूमि की सुपूर्दगी में विलम्बों, मुख्य योजना तैयार करने में विलम्बों तथा वास्तुकारों की नियुक्ति में विलम्बों को आरोपित थे। उसने यह भी बताया कि पर्यावरणीय स्वीकृति, स्थानीय किसानों द्वारा आन्दोलन आदि जैसे घटकों ने भी विलम्ब में सहयोग दिया। उसने आगे बताया कि, जबकि मंत्रालय स्तर पर किसी मानीटरिंग समिति का गठन नहीं किया गया था फिर भी वह मासिक रिपोर्टों, नियमित बैठकों, वीडियो वार्तायोजनों तथा संस्थानों के दौरों के माध्यम से नई आई.आई.टी. की प्रगति की मानीटरिंग कर रहा था।

तथापि, तथ्य रहता है कि इन आई.आई.टी. की स्थापना में दोनों भौतिक तथा वित्तीय प्रगति अत्यधिक धीमी रही है। इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति को इस तथ्य के प्रकाश में भी देखा जाना चाहिए कि योजना आयोग ने परियोजनाओं के समापन हेतु प्रस्तावित समय सीमा को दो वर्षों तक कम करने की सलाह दी थी। यह सलाह इस समीक्षा पर आधारित थी, कि किराए के परिसरों से आई.आई.टी. का संचालन, इसके मानकों को हलका करने का कारण बनने की सम्भावना थी। योजना आयोग की चिंताओं का निपटान नहीं किया गया था, बल्कि परियोजनाओं ने, प्रक्षेपित समय सीमा में पर्याप्त विलम्ब का सामना किया। इसके अतिरिक्त, छठे वर्ष के दौरान अर्थात् 2013-14 के दौरान नई आई.आई.टी. में, विभिन्न विषयों में 6880 छात्रों के प्रक्षेपित अंतर्ग्रहण के प्रति, वास्तविक अंतर्ग्रहण केवल 2881 (42 प्रतिशत) था। इसी प्रकार 1888 शिक्षण संकायों के प्रस्तावित अंतर्ग्रहण के प्रति, मार्च 2014 तक वास्तविक संख्या केवल 659 थी अर्थात् 65 प्रतिशत की कमी। असाधारण विलम्ब का परिणाम पर्याप्त लागत वृद्धि में भी हुआ।

मंत्रालय को, यह सुनिश्चित करने हेतु कि परियोजनाओं को आगे और बिना किसी विलम्ब के पूरा किया जाय तथा प्रत्याशित उद्देश्यों को पूरा किया जाय, आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

9.2 अधिक पुस्तकों के प्रकाशन पर अनुत्पादक व्यय

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने, ना बिके प्रकाशनों की प्रवृत्ति का संज्ञान न लेते हुए, शब्दकोशों तथा पुस्तिकाओं, जिनके लेने वाले काफी कम थे, की 1000 प्रतियों का मुद्रण जारी रखा। यह ₹2.22 करोड़ की कीमत के इन प्रकाशनों के संचयन का कारण बना।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (निदेशालय) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अधिनस्थ कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। निदेशालय हिन्दी भाषा के प्रोत्साहन एवं प्रचार तथा इसे शिक्षा के एक सक्षम माध्यम के रूप में विकसित करने हेतु उत्तरदायी है। इस उद्देश्य के क्रम में निदेशालय कुछ प्रकाशन करता है जिसमें मुख्य रूप से शब्दकोष तथा वार्तालाप पुस्तिकाएं (संवाद पुस्तिकाएं) शामिल हैं। स्थापित प्रक्रिया के अनुसार प्रकाशन का मूल्य 25 प्रतिशत की छूट प्रदान करने के पश्चात निर्धारित किया जाता है। निदेशालय इन प्रकाशनों की न्यूनतम 1000 प्रतियों का मुद्रण करता है जिसमें से 100 प्रतियों का आमतौर पर मुफ्त संवितरण किया जाता है।

संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच ने 2001-02 से 2012-13 के दौरान निदेशालय द्वारा प्रकाशित शब्दकोशों तथा संवाद पुस्तिकाओं की बड़ी संख्या के संचयन को उजागर किया। इस अवधि के दौरान निदेशालय द्वारा प्रकाशित 54000 ऐसे प्रकाशनों में से 41000 (76 प्रतिशत) स्टॉक में बिना बिके/असंवितरित पड़े थे। बिना बिके स्टॉक का मूल्य कुल ₹2.22 करोड़ था। विवरण **अनुबंध-VIII** में दिए गए हैं। सार्थक रूप से पिछले दशक से निदेशालय द्वारा उत्पादित प्रत्येक ऐसे प्रकाशन की कुल खरीद लगभग 25 प्रतिशत पर बनी हुई थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि निदेशालय में मुद्रित किए जाने वाली पुस्तकों की प्रमात्रा के संबंध में कोई नीति नहीं थी। निदेशालय ने उनकी कम खरीद के बावजूद प्रत्येक प्रकाशन की 1000 प्रतियों का मुद्रण करना जारी रखा। इसके अतिरिक्त बिना बिके स्टॉक का उदाहरण वर्षों से स्पष्ट रूप से व्यक्त था फिर भी निदेशालय ने आवश्यकता का वास्तविक निर्धारण करने अथवा मुद्रण प्रमात्रा में कटौती करने हेतु अभी तक कोई उपाय नहीं किया था जो इस प्रकार प्रकाशनों के अधिक उत्पादन तथा परिणामी अधिक व्यय का कारण बना।

निदेशालय ने बताया (जनवरी 2014) कि हिन्दी भाषा के प्रोत्साहन तथा प्रचार को ध्यान में रखते हुए प्रकाशनों का मूल्य कम रखने हेतु प्रयास किए गए थे जिससे कि पाठक उन्हें आराम से खरीद तथा पढ़ सकें। इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक प्रकाशन की 1000 प्रतियां मुद्रित की गई थी ताकि उत्पादन मूल्य कम रखा जा सके। निदेशालय ने आगे बताया (फरवरी एवं मार्च 2014) कि इसे प्राथमिक रूप से हिन्दी के प्रोत्साहन तथा प्रचार हेतु कार्य करना था। इसलिए, लोगों तक प्रकाशनों की अधिकतम पहुँच हेतु इसने कई अवसरों पर अपने प्रकाशनों का मुफ्त तथा कुछ में छूट मूल्य पर संवितरण किया। उसने यह भी बताया कि 1000 प्रतियों की तुलना में 500 प्रतियों के मुद्रण की लागत में मुश्किल से कोई अंतर था। इसलिए लोगों के उस वर्ग, जिन्हें इन प्रकाशनों की आवश्यकता है, को अधिकतम लाभ हेतु इसने न्यूनतम लागत तथा अधिकतम लाभ के स्लैब के अंतर्गत इतनी प्रतियों के मुद्रण का आदेश देने को प्राथमिकता दी।

तथापि, लेखापरीक्षा निदेशालय के अभिलेखों में यह सलाह देने हेतु कोई प्रमाण नहीं खोज पाई कि इसने यह पता लगाने हेतु कोई उपाय किए थे कि पुस्तकों के मुद्रण के संबंध में मितव्ययी आदेश प्रमात्रा क्या होगी। विभिन्न मुद्रण योग्य प्रमात्राओं के बीच तुलनात्मक लागत विश्लेषण के अभाव में निदेशालय का प्रत्युत्तर बाद का विचार प्रकट होगा। इसके अतिरिक्त, जबकि यदि यह

माना भी जाय कि प्रति पुस्तक लागत, मुद्रित प्रमात्रा के आयात में वृद्धि के साथ कम हो जायेगी फिर भी यह अभी भी ऐसी उच्च उत्पादन दर का तीन गुना अधिक है, हेतु कोई पर्याप्त औचित्य नहीं बनता है। पुस्तकों के संचयन का परिणाम उनके भण्डारण हेतु उच्च रखरखाव लागत में होना संभावित है। पुस्तकों की बिक्री को बढ़ाने हेतु अधिक छुट प्रदान करना युक्तियुक्त उपाय नहीं हो सकता जब तक कि आवश्यक को वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित न किया गया हो तथा ऐसे प्रकाशनों की बिक्री को बढ़ाने हेतु उत्साही प्रचार उपायों द्वारा समर्थित न हो।

तथापि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों हेतु मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

9.3 ब्याज की हानि

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने स्टेट बैंक पटियाला में ₹217 करोड़ का निवेश सावधि जमा में, अन्य बैंक द्वारा दिये जाने वाले मैजूदा दरों के बारे में पता किये बगैर किया था जो ₹3.25 करोड़ की ब्याज की हानि का कारण बना।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा अधिनियम, 1987 की धारा 16 व्यवस्था करती है कि परिषद् की अपनी निधि होगी और इस निधि से संबंधित सारे धन को, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से, जैसा परिषद् द्वारा निर्धारित किया जाएगा, उस बैंक में अथवा उसी रूप में निवेश किया जाएगा। सरकारी अनुदान एवं शुल्क की प्राप्ति, परिषद् की आय के मुख्य स्रोत हैं। इसके पास निवेश-योग्य बहुत बड़ी राशि है, जैसे इसके पास मार्च 2010 एवं मार्च 2011 तक क्रमशः ₹169.94 करोड़ एवं ₹376.54 करोड़ का बैंक शेष था।

परिषद् के निवेश अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि निवेश समिति सितम्बर 2011 में जाकर बनी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि परिषद् ने, 4 मई 2011 को, स्टेट बैंक पटियाला (स्टे.बैं.प.) शास्त्री भवन, नई दिल्ली

में ₹217 करोड़² का निवेश, 6.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर से 331 दिनों की अवधि के लिए, अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त किये बिना, किया था। लेखापरीक्षा ने उपरोक्त ब्याज दर के समक्ष 14-16 मई 2011 को विभिन्न बैंकों द्वारा दूसरे स्वायत्त निकाय, नामतः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली को दिये गये ब्याज दर की तुलना की, और पाया कि एक ही अवधि और एक ही समय के लिए, प्रस्तावित दरें 8.25 प्रतिशत एवं 9.5 प्रतिशत के मध्य थीं। इस प्रकार परिषद् द्वारा लिये गये निम्नस्तरीय निवेशगत फैसले के कारण, 8.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर (स्टे.बै.प., नेहरू प्लेस, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित) के संदर्भ में परिकल्पित ₹3.25 करोड़³ की ब्याज की हानि का कारण बना।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2014) कि स्टे.बै.प. के मुख्यालय ने स्पष्टीकरण दिया था, कि इसने 4 मई 2011 अथवा 5 मई 2011 को अपनी किसी शाखा में 332 दिनों की अवधि हेतु 6.50 प्रतिशत ब्याज दर से अधिक का अनुमोदन नहीं किया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि स्टे.बै.प. ने कम अवधि की जमाओं पर ब्याज की दरों को संशोधित किया था, जो 19 अगस्त 2011 से लागू थी। यदि परिषद् ने बैंक द्वारा दरों के संशोधन के समय धन को समय से पहले निकालकर संशोधित ब्याज दरों पर फिर से निवेश कर दिया होता, तो अर्जित ब्याज ₹12.70 करोड़ होता जहाँ इसने पुराने ब्याज दर से जुड़े रहकर ₹12.98 करोड़ ब्याज के रूप में प्राप्त किया था।

मंत्रालय का उत्तर, स्टे.बै.प., नेहरू प्लेस, नई दिल्ली ने मई 2011 के माह में ही कुछ ही समय बाद⁴ 8.25 प्रतिशत ब्याज का उच्चतर दर प्रस्तावित किया था, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए विशेष तिथियों (4 एवं 5 मई 2011)

² ₹200 करोड़, ₹10 करोड़ एवं ₹7 करोड़ की तीन जमाओं में

³ परिषद् ने यदि 8.25 प्रतिशत सरल ब्याज के ब्याज दर पर ₹217 करोड़ का निवेश किया होता तो-उसे ₹16.23 करोड़ के ब्याज की आय होती। वास्तव में अर्जित ₹12.98 करोड़ के ब्याज घटक को घटाने के बाद ₹3.25 करोड़ की हानि हुई थी।

⁴ 16 मई 2011

से संबंधित है। इसलिए, समय से पूर्व आहरण का प्रश्न ही नहीं उठता। तथ्य रहते हैं कि परिषद ने विभिन्न बैंकों से प्रतिस्पर्धी दर आमंत्रित नहीं किया था और उच्चतर ब्याज दर पर निवेश करने के अवसर से चूक गया।

पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़

9.4 सा.भ.नि./अ.भ.नि. अंशदाताओं को ब्याज का अधिक भुगतान

पंजाब विश्वविद्यालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों के उल्लंघन में सा.भ.नि./अ.भ.नि. अंशदाताओं को ब्याज की उच्च दरें अदा की जिसका परिणाम ₹4.49 करोड़ के अधिक भुगतान में हुआ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय से परामर्श के पश्चात, अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, सभी स्वायत्त संगठनों को निर्देश दिया (फरवरी 2004) कि सामान्य भविष्य निधि (सा.भ.नि.)/अंशदान भविष्य निधि (अ.भ.नि.) पर सरकार द्वारा अधिसूचित दर से अधिक दर पर ब्याज अदा नहीं किया जाना चाहिए, परंतु अधिसूचित दर से कम दर पर ब्याज अदा किया जा सकता है, जो संगठन की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) ने भी इन निर्देशों को दोहराया (अप्रैल 2004)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पंजाब विश्वविद्यालय ने सा.भ.नि./अ.भ.नि. संचयनों पर क्रमशः आठ प्रतिशत (अप्रैल 2011-नवम्बर 2011) तथा 8.60 प्रतिशत (दिसम्बर 2011-मार्च 2012) की अधिसूचित ब्याज दर, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था, के प्रति, नौ प्रतिशत की दर पर ब्याज अदा किया था। इसका परिणाम सा.भ.नि. तथा अ.भ.नि. अंशदाताओं को ₹4.49 करोड़ के अधिक भुगतान में हुआ जैसा नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

	सा.भ.नि.	अं.भ.नि.	कुल
अंशदाताओं को क्रेडिट किया ब्याज	2536.43	1730.83	42.67
सरकारी दरों के अनुसार अंशदाताओं को क्रेडिट किए जाने वाला ब्याज	2269.93	1548.80	38.19
अंशदाओं को क्रेडिट किया अधिक ब्याज	266.50	182.03	4.49

विश्वविद्यालय ने अपने उत्तर (मार्च 2003) में बताया कि अ.भ.नि./सा.भ.नि. अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है तथा अं.भ.नि./सा.भ.नि. पर ब्याज दर को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत अपने अधिनियमों के अनुसार सा.भ.नि./अं.भ.नि. शेषों के जमाओं पर अर्जित ब्याज के आधार पर अभिषद⁵ द्वारा निर्धारित किया जाता है। निधि शेषों से उत्पन्न आय का केवल सा.भ.नि./अं.भ.नि. अंशदाताओं को ब्याज के भुगतान हेतु उपयोग किया जाता है।

विश्वविद्यालय का उत्तर, 2004 के मंत्रालय/वि.अ.आ. के निर्देशों, जो सभी स्वायत्त निकायों पर ब्याज की दरों के भुगतान पर प्रतिबंध लगाते हैं, के सामंजस्य में नहीं था। इसके अतिरिक्त, चूंकि विश्वविद्यालय सरकार की अनुदानों द्वारा, पर्याप्त रूप से, वित्त पोषित है, इसलिए इसके अधिनियम भारत सरकार के निर्देशों की अवेहलना नहीं कर सकते।

मामला जून 2013 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

⁵ अभिषद विश्वविद्यालय का कार्यकारी निकाय है जिसके पास अधिसभा के नियंत्रण के तहत, विश्वविद्यालय के राजस्व, सम्पत्ति तथा सभी प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल

9.5 मंत्रालय के आदेशों के उल्लंघन में गैर-शिक्षण स्टाफ के वेतन पुनर्परिमेयकरण पर बकायों का अनियमित भुगतान

मंत्रालय के आदेशों के उल्लंघन में आंध्र प्रदेश राज्य आठवें वेतन संशोधन आयोग के लाभों पर विचार करते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल के गैर-शिक्षण स्टाफ के वेतन के पुनर्परिमेयकरण का परिणाम ₹2.89 करोड़ के बकायों के अनियमित भुगतान में हुआ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मंत्रालय) ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के उद्देश्यों हेतु, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल (संस्थान), (पहले का क्षेत्रीय आभियंत्रिकी महाविद्यालय, वारंगल) को "विश्वविद्यालय माने जाने" के रूप में घोषित किया (सितम्बर 2002)। केन्द्र सरकार ने संस्थान का पूर्ण प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण संभाला (मई 2003) तथा वित्तीय वर्ष 2003-04 से संस्थान का योजनागत तथा गैर - योजनागत व्यय पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना था। इसके अनुसरण में, 28 जुलाई 2003 को मंत्रालय तथा संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह शामिल था कि संस्थान भारत सरकार (भा.स.) द्वारा समय-समय पर जारी मितव्यय अनुदेशों का पालन करने को सहमत है तथा संस्थान मंत्रालय से पूर्व सलाह के बिना ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो भा.स. पर अतिरिक्त वित्तीय भार का कारण बने।

बाद में, मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (रा.प्रौ.सं.) को 1 अप्रैल 2004 से भा.स. के समान वेतनमानों के साथ, संस्थानों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतनों के परिमेयकरण हेतु अनुदेश जारी किए (जून 2004) जैसा केन्द्रीय सिविल सेवाएं (के.सि.से.) (संशोधित वेतन) नियमावली 1997 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था।

इसी बीच, 2005 में, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने, जी.ओ.⁶ दिनांक 10 अक्टूबर 2005 के माध्यम से 1 जुलाई 2003 से, निर्धारण के राष्ट्रीय लाभ तथा 1 अप्रैल 2005 से वित्तीय लाभ के साथ राज्य विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण स्टाफ के वेतनमानों का संशोधन किया। संस्थान ने मंत्रालय को अपने गैर-शिक्षण स्टाफ तक संशोधित वेतनमानों को बढ़ाने हेतु, जैसा अ.प्र. सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था, अनुरोध किया (अक्टूबर 2005)। उत्तर में मंत्रालय ने स्पष्ट बताया (जनवरी 2006) कि संस्थान के अनुरोध को स्वीकार करना उचित नहीं था क्योंकि 1-4-2003 को अथवा इसके पश्चात आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों हेतु जारी कोई भी आदेश प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संस्थान के कर्मचारियों को लागू नहीं है। मंत्रालय ने आगे फिर दोहराया (अप्रैल 2006) कि आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित वेतनमानों को संस्थान के कर्मचारियों को प्रदान नहीं किया जा सकता क्योंकि यह 1.4.2003 से पूर्ण रूप से केन्द्र पोषित संस्थान था।

मंत्रालय की अस्वीकृति पर संस्थान ने परिमेयकरण के संबंध में जून 2004 में मंत्रालय के आदेशों के अनुसार जून/जुलाई 2006 के दौरान 1 अप्रैल 2004 से प्रभावित अपने गैर-शिक्षण स्टाफ के वेतन का परिमेयकरण किया।

मंत्रालय ने सभी रा.प्रौ.सं. के यह भी स्पष्ट किया (अप्रैल 2007) कि रा.प्रौ.सं. के कर्मचारियों की पदोन्नति तथा वेतनमानों के संशोधन से संबंधित मामले को, शासक बोर्ड (शा.बो.) की स्वीकृति के साथ-साथ, भा.स. की विशिष्ट स्वीकृति भी अपेक्षित होगी।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी/फरवरी 2013) कि संस्थान के शासक बोर्ड ने 11 फरवरी 2011 को हुई अपनी 19वीं बैठक में संस्थान के गैर-शिक्षण स्टाफ को 1 जुलाई 2003 से 31 मार्च 2004 तक (अप्रयोगमूलक निर्धारण) आ.प्र. सरकार के संशोधित वेतनमान प्रदान करने तथा इसके पश्चात केन्द्र सरकार

⁶ जी.ओ. (पी) सं. 225 दिनांक 10 अक्टूबर 2005 (जी.ओ. (पी) सं. 213 दिनांक 27 अगस्त 2005 के साथ पढ़ें)

के.सि.से. (संशोधित वेतन) नियमावली 1997 वेतनमानों के साथ संस्थान के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनर्परिमेयकरण करने का निश्चय किया। शा.बो. के निर्णय को संस्थान द्वारा कार्यान्वित किया गया था तथा वेतनमानों के पुनर्परिमेयकरण के कारण वेतन में वृद्धि के कारण 1 अप्रैल 2005 से 28 फरवरी 2011 तक की अवधि हेतु 320 गैर-शिक्षण⁷ कर्मचारियों को कुल ₹2.89 करोड़ के बकाया (मार्च 2011) अदा किए गये थे। यह जनवरी 2006, अप्रैल 2006 तथा अप्रैल 2007 में जारी मंत्रालय के दोहराये गए निर्देशों के उल्लंघन में था।

संस्थान ने उत्तर दिया (अप्रैल 2014) कि वेतनमानों का पुनर्परिमेयकरण किया गया था तथा कर्मचारी संघों के प्रदर्शन के पश्चात, बकायों को अदा किया गया था और इसे शा.बो. की स्वीकृति के साथ किया गया था; जिसमें मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था।

तथ्य यह रहता है कि संस्थान मंत्रालय के विशिष्ट निर्देशों की अनुपालना करने में विफल रहा जो अनियमित भुगतान का कारण बना।

मामला जून 2013 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

9.6 ब्याज की हानि

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने अनुदानों को उस वित्त वर्ष के दौरान प्रयुक्त नहीं किया जिसके लिए ये संस्वीकृत की गयी थीं, एवं अतिरिक्त धन को बचत खाते में रखना जारी रखा।

अतिरिक्त धन का, ब्याज उत्पन्न करने वाले सुरक्षित स्थानों में निवेश करना रोकड़ प्रबंधन का एक प्राथमिक आयाम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.ओ.) ने, सहायता अनुदान जारी करते समय निर्धारित करता है कि

⁷ इसके अतिरिक्त एक शिक्षण स्टाफ को भी बकाया अदा किया गया था।

अनुदानों के बचे हुए भाग पर वि.अ.ओ. को 10 प्रतिशत सरल ब्याज देय होगा।

लेखापरीक्षा जाँच ने उद्घटित किया (जनवरी 2013) कि झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने 2008-09 से 2011-12 के दौरान वि.अ.आ. से 'सामान्य विकास योजना' के प्रति ₹101.50 करोड़ प्राप्त किया था। विश्वविद्यालय इन वित्त वर्षों के दौरान अनुदानों को पूरी तरह प्रयोग में नहीं ला सका और 31 मार्च 2012 तक ₹24.97 करोड़ का अप्रयुक्त अनुदान इक्कठा कर लिया। हालाँकि अप्रयुक्त धनराशि बचत खाते में पड़ी रही, जिस पर प्रति वर्ष केवल चार प्रतिशत ब्याज प्राप्त हुआ और विश्वविद्यालय ने सावधि जमा प्राप्तियों में इस अतिरिक्त निधि का निवेश नहीं किया था, जिस पर लगभग 9 प्रतिशत प्रति वर्ष के दर पर अधिक ब्याज प्राप्त किया जा सकता था। विश्वविद्यालय के पास लेखापरीक्षा द्वारा अंतराल को इंगित किए जाने तक, कोई अपनी निवेश नीति भी नहीं थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2014) कि उन्होंने बचत बैंक खाते को अधिक ब्याज दर के साथ, रोजमर्रा के लेन-देन के लिए ₹1 करोड़ का न्यूनतम शेष रखते हुए अस्थायी जमा योजना में परिवर्तित करने का भारतीय स्टेट बैंक, रांची से अनुरोध (मई 2013) किया है।

तथापि, यह देखा गया था (मई 2014) कि धनराशि अभी भी बचत खातों में पड़ी हुई थी। इस राशि को दो वर्षों तक अस्थायी जमा में परिवर्तित नहीं करने के कारण ₹2.497 करोड़, (अप्रैल 2012 से मार्च 2014 तक 5 प्रतिशत की दर से दो वर्ष हेतु ब्याज (अस्थायी जमा पर 9 प्रतिशत से, बचत बैंक पर 4 प्रतिशत घटा कर) के ब्याज की हानि हुई।

मामले के बारे में जून 2014 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद

9.7 ₹1.00 करोड़ की ब्याज हानि

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की चालू खाते में अतिरिक्त धनराशि रखे रहने के कारण ₹1.00 करोड़ की ब्याज हानि हुई।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 (रा.प्रौ.स.अधिनियम) की धारा 21 (2) निर्धारित करती है कि संस्थान की निधिमें जमा की गयी सारी धनराशि को उन बैंकों में जमा करना होगा, अथवा उस प्रकार निवेश करना होगा जैसे संस्थान, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से, निर्धारित करेगा।

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (संस्थान) ने 07 सितम्बर 2011 को अपनी अतिरिक्त प्राप्तियों में से, चालू खाते में ₹4.08 करोड़ का शेष छोड़ते हुए 20 सावधि जमाओं (सा.ज.) में ₹10.00 करोड़ की राशि का निवेश किया था। इन सावधि जमाओं को 29 अक्टूबर 2012 को ₹11.07 करोड़ की परिपक्वता राशि पर भुनाया गया था और चालू खाते में जमा किया गया था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि भविष्य में त्वरित उपयोग हेतु चालू खाते में ₹4.08 करोड़ की राशि मौजूदा होने और किसी कथित लम्बित देयता के नहीं होने के बावजूद संस्थान ने ₹11.07 करोड़ रखा। परिणामस्वरूप, 29 अक्टूबर 2012 से 31 अक्टूबर 2013 की अवधि के दौरान चालू खाते में ₹11.07 करोड़ को फिर से रखना न्यायसंगत नहीं था, क्योंकि संस्थान लगभग ₹1.00 करोड़ के ब्याज जनित आय से वंचित रहा था।

उत्तर में संस्थान ने बताया (जनवरी 2014) कि उपलब्ध धन ब्याज अर्जित करने के लिए नहीं बल्कि उपयोग में लाने के लिए था और चालू वर्ष के दौरान धन उपयोग प्रक्रियाधीन था।

इस तथ्य के विचार से उत्तर स्वीकार्य नहीं था कि मर्यादा की मांग थी कि अतिरिक्त धन को लाभजनक रूप से निवेशित किया जाना चाहिए था।

संस्थान के पास अतिरिक्त धनराशि के निवेश के लिए कोई नीति/दिशानिर्देश नहीं थे।

मामले को मार्च 2014 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित (मई 2014) है।

भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता

9.8 छुट्टी यात्रा रियायतों की कपटपूर्ण प्रतिपूर्ति

भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता (भा.प्र.सं.को.) के कर्मचारियों ने अपनी छु.या.रि. दावे के प्रति बढ़े हुए हवाई किराये का दावा करने के लिए गलत हवाई टिकट प्रस्तुत किया था, जिसे भा.प्र.सं.को. द्वारा उनकी सत्यता की जांच किए बिना प्रतिपूर्ति कर दिया गया था, जो ₹7.54 लाख के अनियमित अतिरिक्त भुगतान में परिणत हुआ।

सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.), 2005 का नियम 21 निर्धारित करता है कि लोक निधि से व्यय करने वाले अथवा व्यय को प्राधिकृत करने वाला प्रत्येक अधिकारी, वित्तीय औचित्य के उच्च मानक द्वारा निर्देशित होगा और वित्तीय व्यवस्था एवं कठोर मितव्ययिता को लागू करेगा। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था करता है कि व्यय को पूरा करने के लिए प्रदत्त भत्तों की राशि इस प्रकार से नियंत्रित होनी चाहिए कि भत्ते प्राप्तकर्ता के लिए पूरी तरह आय का एक स्रोत न बने।

कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत एवं पेंशन, भारत सरकार (भा.स.) द्वारा दिनांक 18 जून 2010 को जारी कार्यालय ज्ञापन (का.जा.) के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारी, गृहनगर छुट्टी यात्रा रियायत (छु.या.रि.) को रूपांतरित कराकर जम्मू व कश्मीर (ज.व.क.) जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भा.स. ने

कर्मचारियों को प्राइवेट एयरलाइंस की सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की (दिनांक 05 अगस्त 2010, 25 अगस्त 2011 एवं 15 जून 2012 के का.जा.)। परंतु यह निर्धारित किया कि टिकटे या तो सीधे एयरलाइंस से खरीदी गई हैं या केवल प्राधिकृत एजेंटों अर्थात् मैसर्स बलमेर लॉरी एण्ड कं., मैसर्स अशोक ट्रेवल्स एण्ड टूर्स लिमिटेड एवं भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं पर्यटन निगम से।

35 कर्मचारियों के छु.या.रि. बिलों की नमूना जांच (सितम्बर 2013) से प्रकट हुआ कि अपने आश्रितों के साथ लाभार्थियों ने नई दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर के मध्य गृहनगर छुट्टी यात्रा रियायत के बदले अक्टूबर 2011 से नवम्बर 2012 के मध्य एयर इंडिया, एवं जेट एयरवेज के द्वारा हवाई यात्राएं की थीं। अभिलेखों की विस्तृत संवीक्षा से निम्नलिखित विसंगतियां प्रकट हुईं:-

क. एयर इंडिया: नौ कर्मचारियों और उनके आश्रितों सहित 28 व्यक्तियों ने अक्टूबर 2011 एवं नवम्बर 2012 के मध्य, एयर इंडिया से यात्रा की थी। जिसके लिए ₹3.90 लाख का दावा किया गया था और उसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता (भा.प्र.सं.को.) द्वारा उसका भुगतान किया गया था। एयर इंडिया के अभिलेखों के साथ पुनः परीक्षण करने पर प्रकट हुआ कि प्रस्तुत किये गये हवाई टिकट, एयर इंडिया द्वारा जारी किये गये टिकटों की संगति में नहीं थे और कर्मचारियों द्वारा दावित किराये, एयर इंडिया को वास्तव में अदा की गयी राशि से अधिक थे। कर्मचारियों द्वारा दावित पूरी राशि की प्रतिपूर्ति भा.प्र.सं.को. द्वारा कर दी गयी थी, जो ₹1.80 लाख के अनियमित अतिरिक्त भुगतान में परिणत हुआ (अनु.IX)।

ख. इंडिगो: 19 कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों सहित 62 व्यक्तियों ने अक्टूबर 2011 एवं जून 2012 के मध्य इंडिगो एयरलाइंस से यात्रा की जिसके लिए ₹8.82 लाख की राशि का दावा किया गया था और भा.प्र.सं.को. द्वारा उसका भुगतान किया गया था। अन्योन्य परीक्षण में प्रकट हुआ कि कर्मचारियों ने एक साथ बहुत सी टिकटें खरीदी थीं। हालाँकि, महंगे दावे

अलग-अलग टिकटों के द्वारा किये गये थे, जैसे, 'इंडिगो' एयरलाइंस द्वारा जारी किये गये हैं। यह फिर ₹5.00 लाख के अनियमित अतिरिक्त भुगतान में परिणत हुआ (अनुबंध-X)।

ग. **जेट एयरवेज:** अप्रैल-जून 2012 में जेट एयरवेज से यात्रा करने वाले सात कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों सहित 22 व्यक्तियों से संबंधित ₹2.87 लाख राशि के किराये की प्रतिपूर्ति भा.प्र.सं.को. द्वारा की गयी थी। हालाँकि जेट एयरवेज के प्राधिकारियों के साथ किए गए परीक्षण से प्रकट हुआ कि भा.प्र.सा.को. द्वारा ₹0.74 लाख के अनियमित अतिरिक्त भुगतान की प्रतिपूर्ति की गयी थी (अनुबंध-XI)।

इस प्रकार, भा.प्र.सं.को. के 35 कर्मचारियों ने मंहगे हवाई किराये का दावा करने के लिए, गलत हवाई टिकट प्रस्तुत किये थे और उन्हें भा.प्र.सं.को. द्वारा उनकी सत्यता की जाँच, जैसा कि उपरोक्त सा.वि.नि. में निर्धारित है, किए बिना प्रतिपूर्ति कर दी गयी थी जिसके परिणामस्वरूप ₹7.54 लाख का अनियमित अतिरिक्त भुगतान हुआ।

भा.प्र.सं.को. ने उत्तर दिया (जून 2014) कि मामले की जाँच करने के लिए एक तथ्य परीक्षण समिति का गठन किया गया था तथा इसकी रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक कर्मचारी एवं ट्रेवल एजेंट के खिलाफ जाँच करने के लिए एक जाँच समिति का गठन किया जाना है।

मामला, दिसम्बर 2013 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

अध्याय-X: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

10.1 माँग प्रभारों का परिहार्य भुगतान

अनुबंधित भार का निर्धारण करने तथा आवश्यकता के अनुसार इसे कम करने में विलम्ब का परिणाम माँग प्रभारों के रूप में ₹1.78 करोड़ के परिहार्य भुगतान में हुआ।

अखिल भारतीय रेडियो (अ.भा.रे.), अलीगढ़ के पास अपनी विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम (उ.प्र.वि.नि.) के साथ 3000 के.वी.ए. का भार अनुबंधित था। उ.प्र.वि.नि. के साथ करार के अनुसार, माँग प्रभारों का समय-समय पर लागू दरों पर उपयोग की गई वास्तविक ऊर्जा के प्रभारों सहित माह में दर्ज वास्तविक अधिकतम मांग पर अथवा अनुबंधित भार के 75 प्रतिशत, जो अधिक है, पर वसूला जाता है।

बिजली भार के लेखापरीक्षा विश्लेषण ने प्रकट किया (अप्रैल 2011) कि 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान वास्तविक खपत क्रमशः 558 के.वी.ए. 1116 के.वी.ए., 544 के.वी.ए. से 1008 के.वी.ए. तथा 572 के.वी.ए. से 760 के.वी.ए. के बीच थी तथा इसने इन वर्षों से घटती हुई प्रवृत्ति का दर्शाया। तथापि, अ.भा.रे. अलीगढ़ मांग का पुनर्निर्धारण करने तथा अपने अनुबंधित भार को कम करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए थे। परिणामस्वरूप, उसने 2250 के.वी.ए. प्रतिमाह (3000 के.वी.ए. के अनुबंधित भार के 75 प्रतिशत पर परिकल्पित) हेतु माँग प्रभारों का भुगतान करना जारी रखा।

अ.भा.रे. अलीगढ़ ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (अगस्त 2011) कि कम माँग विद्यमान ट्रांसमीटरों के कम क्षमता पर काम करने के कारण थी तथा नए ट्रांसमीटरों को स्थापित किया जाना प्रत्याशित था। भार में कटौती को नए ट्रांसमीटरों की स्थापना के पश्चात राज्य विद्युत बोर्ड के साथ उठाया जाएगा। उसने बाद में बताया (मई 2014) कि मामले को उ.प्र.वि.नि. के साथ उठाया गया है।

इस प्रकार, अनुबंधित भार का निर्धारण करने तथा भार को कम करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति की मांग में विलम्ब का परिणाम अ.भा.रे., अलीगढ़ द्वारा ₹1.78 करोड़ (अनुबंध-XII) के परिहार्य भुगतान में हुआ।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (मई 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

अध्याय XI : सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय

11.1 खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, मुंबई में योजनागत निधियों के उपयोग की मॉनीटरिंग की विफलता तथा अव्ययित शेषों हेतु वसूली प्रणाली का अभाव

खा.ग्रा.उ.आ. ने अपने राज्य/प्रभागीय कार्यालयों के साथ-साथ अपने संयुक्त कार्यकर्ताओं को दिए गए बकाया पेशगी अग्रिमों हेतु समायोजन बिलों को समय पर मानीटर नहीं किया था। समायोजन वाउचरों को प्राप्त करने अथवा अव्ययित शेषों को वसूल करने में विफलता के दृष्टांत से कुल ₹114.06 करोड़ की योजनागत निधियों के दुरुपयोग की सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।

खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (खा.ग्रा.उ.आ.) संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है। मुंबई में स्थित खा.ग्रा.उ.आ. का केन्द्रीय कार्यालय (अर्थात् मुख्य कार्यालय) अपने क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात् 29 राज्य कार्यालयों तथा 10 प्रभागीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है।

खा.ग्रा.उ.आ. भारत सरकार से तीन मुख्य शीर्षों नामतः (i) खादी (ii) ग्राम उद्योग तथा (iii) सामान्य एवं विविध के अंतर्गत 'योजनागत अनुदान' प्राप्त करता है। खा.ग्रा.उ.आ. संयुक्त कार्यकर्ताओं (राज्य बोर्डों, खा.ग्रा.उ.आ. के राज्य/प्रभागीय कार्यालयों, बैंकों, संस्थानों आदि) को विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित अग्रिमों के संवितरण की एक प्रणाली का अनुपालन करता है जिन्हें धन का स्वीकृत योजना ढांचे के अनुसार व्यय करना तथा खा.ग्रा.उ.आ. केन्द्रीय कार्यालय को समायोजन बिलों को प्रस्तुत करना अपेक्षित था। खा.ग्रा.उ.आ. केन्द्रीय कार्यालय से प्राप्त वाउचरों की सीमा तक अग्रिम का वर्गीकरण करना तथा अव्ययित शेषों की वसूली सुनिश्चित करना अपेक्षित था। इन अग्रिमों को उपरोक्तित तीन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत "पेशगी अग्रिम" के रूप में अंकित

किया गया था (वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालयों को संवितरित निधियों को लेखा पुस्तिका में अग्रिमों के स्थान पर व्यय के रूप में दर्शाया गया है)।

31 मार्च 2013 को खा.ग्रा.उ.आ. के वसूलनीय ऋणों तथा अग्रिमों में साथ-साथ इन तीन अनुदानों में से संवितरित ₹114.06 करोड़ की बकाया 'पेशगी अग्रिम' शामिल थी। यह बकाया पेशगी अग्रिम खादी ग्राम उद्योग कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा खादी एवं ग्राम उद्योग क्षेत्र में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित विविध कार्य से जुड़े विभिन्न कार्यकर्ताओं को वर्ष 1964 (इन अग्रिमों के संवितरण के यथार्त वर्ष प्रबंधन के पास उपलब्ध नहीं थे; तथापि किसी भी मामले में यह अग्रिम पांच वर्षों से अधिक के लिए बकाया हैं) से पहले प्रदत्त अग्रिमों को दर्शाती हैं।

इन बकाया अग्रिमों का संघटक-वार ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पेशगी अग्रिम तथा कार्यकर्ता जिसे दी गई थी का विवरण	बकाया खादी पेशगी	बकाया ग्राम उद्योग पेशगी	बकाया सामान्य तथा विविध पेशगी	कुल
1.	केन्द्रीय कार्यालय	-	-	0.90	0.90
2.	राज्य/मंडल कार्यालय	39.83	11.22	4.89	55.94
3.	प्रशिक्षण	-	-	0.69	0.69
4.	बैंकों को ब्याज सहायता	17.43	5.14	-	22.57
5.	राज्य बोर्ड	1.25	9.87	-	11.12
6.	संस्थान	2.11	1.89	-	4.00
7.	बुनाई सहायता	0.01	-	-	0.01
8.	छूट अग्रिम	9.01	4.26	-	13.27
9.	विभाग तथा अन्य	-	5.56	-	5.56
	योग	69.64	37.94	6.48	114.06

₹114.06 करोड़ की कुल पेशगी अग्रिम के प्रति प्रबंधन के पास कुल ₹36.18 करोड़ (खादी अनुदान में से ₹12.38 करोड़, ग्राम उद्योग अनुदान में से ₹17.32 करोड़ तथा सामान्य एवं विविध अनुदान में से ₹6.48 करोड़) की अग्रिमों के संबंध में कोई ब्यौरे नहीं हैं। ₹77.88 करोड़ शेष की राशि के संबंध में ₹22.57 करोड़ की अग्रिमों हेतु व्यक्तिगत सहयोगी वार (बैंक) ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे। शेष ₹55.31 करोड़ के लिए केवल राज्य/प्रभागीय कार्यालय, जिनके विरुद्ध अग्रिम बकाया थीं, परिचित थे परंतु कोई अन्य ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे।

‘ब्याज आर्थिक सहायता योजना’ के अंतर्गत खा.ग्रा.उ.आ. तथा खा.ग्रा.उ.आ. के पंजीकृत संस्थानों को बैंकों/वित्तीय संस्थानों से कार्यशील पूंजी ऋण लेने हेतु अनुमत थे। आदाता संस्थानों को बैंको द्वारा प्रभारित ब्याज का केवल चार प्रतिशत अदा करना अपेक्षित था तथा ब्याज के शेष की खा.ग्रा.उ.आ. द्वारा बैंकों को सीधे प्रतिपूर्ति की गई थी। इस उद्देश्य हेतु खा.ग्रा.उ.आ. ने 21 नोडल बैंकों के पास पेशगी शेष रखे। मार्च 2011 को, इस योजना के कार्यान्वयन में शामिल 21 नोडल बैंकों ने केवल ₹6 लाख का शेष सुनिश्चित किया है, जबकि इसके लेखे में नोडल बैंकों के पास शेष के रूप में ₹22.57 करोड़ रखे थे। इन विसंगतियों का समाधान करने हेतु बैंकों के साथ कोई सत्यापन/मिलान नहीं किया गया है।

समायोजन/वसूली हेतु लंबित अंतः खा.ग्रा.उ.आ. शेषों को प्रदर्शित करने वाले शेष के रूप में दर्शाए गई पेशगी अग्रिमों के ₹55.31 करोड़ के संबंध में खा.ग्रा.उ.आ. इन्हें लम्बे समय से वसूलनीय अग्रिमों के रूप में आगे ले जाता रहा है तथा पूर्ति बिलों के अभाव में वह इसका वर्गीकरण करने में असमर्थ था।

इस प्रकार, अपर्याप्त अभिलेख अनुरक्षण तथा समायोजन वाउचरों को प्राप्त करने अथवा अव्ययित शेषों की वसूली हेतु सामयिक कार्रवाई न करने, ने खा.ग्रा.उ.आ. को अपने उपयोग/दुरुपयोग से पूर्णतः मार्ग हीन बनाया। मूल

अभिलेखों के अभाव तथा मानीटरिंग की पूर्ण रूप से कमी में, इन निधियों के दुरुपयोग/गबन की संभाव्यता से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

मामला मार्च 2014 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

11.2 निधियों का अवरोधन

ग्रामशिल्प, नई दिल्ली के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के गैर-कार्यान्वयन के कारण निधियों का अवरोधन

कार्यालय खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (खा.ग्रा.उ.आ.), मुंबई ने नवीकरण तथा आधुनिकीकरण हेतु अपने विभागीय क्रय आउटलेट ग्रामशिल्प, नई दिल्ली का चयन किया था (नवम्बर 2004) जिससे कि इसे प्रबल ग्राहकों, निर्यातकों, पर्यटकों, थोक क्रेताओं तथा बैडेड उत्पाद क्रेताओं को आकर्षित करने हेतु खा.ग्रा.उ. क्षेत्र की एक निर्यात/एकमात्र उत्पादन प्रदर्शनी खिड़की के रूप में परिवर्तित किया जाए। इस उद्देश्य हेतु ग्रामशिल्प नई दिल्ली के ₹70.00 लाख संस्वीकृत किए गए थे (नवम्बर 2004)। संस्वीकृति पत्र के अनुसार नवीकरण कार्य मार्च 2005 तक प्रारम्भ तथा जून 2005 तक समाप्त किया जाना था। खा.ग्रा.उ.आ. के प्रबंधन को आयुक्त खा.ग्रा.उ.आ. के मूल्यांकन हेतु साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि ग्रामशिल्प ने राशि को सावधि जमा में जमा किया था तथा नवम्बर 2004 से दिसम्बर 2013 तक कुल ₹36.79 लाख का ब्याज अर्जित किया था। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं था कि, संस्वीकृति पत्र में निर्धारित समयबद्ध कार्य योजना के अनुसार, ग्रामशिल्प के नवीकरण/आधुनिकीकरण में कोई प्रगति प्राप्त की थी। एक वास्तुकार की नियुक्ति पर ₹50,000/- के सिवाय, इस उद्देश्य हेतु कोई व्यय नहीं किया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2013) ग्रामशिल्प ने जनवरी 2014 में खा.ग्रा.उ.आ., मुंबई को ₹1.07 करोड़ (₹0.70 करोड़ मूल जमा ब्याज ₹0.37 करोड़) की राशि वापस की।

परियोजना की गैर-मानीटरिंग का परिणाम, 10 वर्षों के लिए कुल ₹70 लाख की निधियों के अवरोधन में हुआ। वास्तुकार को अदा किए गए ₹50,000 भी खा.ग्रा.उ.आ. की निष्क्रियता के दृष्टांत से निष्फल साबित हुए।

मामला मार्च 2014 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

अध्याय XII : कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान

12.1 सरकारी प्राप्तियों का अप्राधिकृत प्रतिधारण

सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (स.प्र.प्र.स.) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक संलग्न कार्यालय, ने एक अलग चालू खाते का अनुरक्षण करके अपनी प्राप्तियों के भाग को अप्राधिकृत रूप से सरकारी खाते से बाहर रखा। इस खाते में जमा प्राप्तियों तथा किए गए व्यय ने प्र.ले.का. प्रणाली को अनदेखा किया। परिणामस्वरूप अपेक्षित जांचों से समझौता किया गया था। तथ्य, कि ये निधियां बजटीय प्रक्रिया के बाहर रखी गई थी, व्यय करने हेतु संसदीय प्राधिकरण को भी दुर्बल बनाता है।

सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (स.प्र.प्र.सं.) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार का एक संलग्न कार्यालय, एक बहुअनुशासनिक संगठन है, जिसकी विशेष रूप से केन्द्रीय सचिवालय हेतु, क्षमता निर्माण, परामर्श तथा अनुसंधान सहायता में विशिष्टता है। स.प्र.प्र.सं. केन्द्रीय सचिवालय सेवा (के.स.से.) के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा विशेष एवं सामान्य क्षेत्रों में राज्य सरकारों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, केन्द्रीय स्वायत्त निकायों तथा अन्य संगठनों को प्रशिक्षण सहायता भी प्रदान करता है। स.प्र.प्र.सं. की प्राप्तियों में मुख्यतः पाठ्यक्रम शुल्क तथा प्रशिक्षार्थियों को छात्रावास प्रदान करने हेतु प्रभारित लाईसेंस शुल्क शामिल है।

केन्द्रीय सरकारी लेखा (प्राप्तियों एवं भुगतान) नियमावली, 1983 (नियमावली) का नियम 6(1) निर्धारित करता है कि सरकार के राजस्वों अथवा प्राप्तियों अथवा बकायों के कारण प्राप्त अथवा सरकारी अधिकारी को निवेदित सभी धनराशियों को सरकारी खाते में शामिल करने हेतु, बिना किसी अनुचित विलम्ब के सकल रूप में अधिकृत बैंक में जमा किया जाना चाहिए।

उपरोक्तित के रूप में, प्राप्त धन को, उप-नियम (2) में प्राधिकृत¹ के अतिरिक्त, विभागीय व्यय को पूरा किए जाने हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा और न ही अन्य प्रकार से सरकारी खाते से अलग रखा जाएगा। स.प्र.प्र.सं. को इन नियमावलियों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि सा.क्षे.उ., स्वायत्त निकायों के अनुरोध पर संगठन विशिष्ट भुगतान कार्यक्रमों का आयोजन करने के माध्यम से, स.प्र.प्र.सं. द्वारा प्राप्त, प्राथ्यक्रम शुल्कों को, इसके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (भा.स्टै.बैं.) में अनुरक्षित अपने चालू खाते में जमा करवाया जा रहा था। इन प्राप्तियों को अप्रैल 2006 तथा मार्च 2013 के बीच, विभागीय व्यय को पूरा करने हेतु भी उपयोग किया गया था। स.प्र.प्र.सं. ने कुल ₹10.43 करोड़ की शुल्क प्राप्तियों एकत्रित की, जिसमें से ₹9.85 करोड़ का उपयोग अपने व्यय को पूरा करने के लिए किया गया था। स.प्र.प्र.सं. के इस कार्य ने नियमावली का उल्लंघन किया तथा, इसलिए, यह अनियमित था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि स.प्र.प्र.सं. ने भा.स्टै.बैं. में चालू खाते से किए लेन-देनों के संबंध में रोकड़ बही का अनुरक्षण नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, इस खाते से व्यय, बड़े पैमाने पर, प्रशिक्षण उपकरण तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर की खरीद, अवसंरचनात्मक विकास पर व्यय, अतिथि संकाय सदस्य को आमंत्रित करने, संकाय को मानदेय भुगतान, पाठ्यक्रम सामग्री के मुद्रण, सफाई प्रभार, फोटोकापी प्रभार आदि के संबंध में व्यय जैसे विवेकाधीन प्रवृत्ति का था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस खाते से व्यय प्र.ले.का. प्रणाली के माध्यम से नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, अपेक्षित जॉर्चों को अनदेखा किया गया था। इसके अतिरिक्त, सरकार के नियंत्रण की सीमा के बाहर, एक अलग वित्तीय प्रणाली का अनुरक्षण करने

¹ पोस्टमास्टर द्वारा नगद प्राप्तियों, सिविल न्यायलय में प्राप्त जमाओं, वन विभाग द्वारा प्राप्त नगद आदि के मामले आदि के मामले में।

की स.प्र.प्र.सं. की प्रक्रिया, व्यय करने हेतु संसदीय प्राधिकरण को दुर्बल बनाती है।

सं.प्र.प्र.सं. की वित्तीय आवश्यकताओं को उपयुक्त बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जाता है तथा 2012-13 के दौरान, स.प्र.प्र.सं. ने ₹30.19 करोड़ के कुल बजटीय प्रावधानों (दोनों, योजनागत तथा गैर-योजनागत) में से केवल ₹15.03 करोड़ का व्यय किया था, जो दर्शाता है कि स.प्र.प्र.सं. अपने कार्यों को करने हेतु, पर्याप्त बजटीय आवंटन प्राप्त कर रहा था।

स.प्र.प्र.सं. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रत्युत्तर में लेखा नियंत्रक, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को, स.प्र.प्र.सं. को पी.डी. खाता खोलने हेतु प्राधिकृत करने का अनुरोध करते हुए, उनसे सिफारिश की, जिससे चालू खाते के क्रेडिट में पड़ी राशि को पी.डी. खाते में अंतरित किया जाए।

पी.डी. खाता खोलने हेतु स्वीकृत की मांग हेतु स.प्र.प्र.सं. की प्रक्रिया चालू खाते के अप्राधिकृत संचालन के संबंध में लेखापरीक्षा के दावे को स्थापित करती है। तथ्य कि, यह व्यवस्था लम्बे समय से जारी है, जो यह भी दर्शाती है कि लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, अर्थात् इस मामले में प्रशासनिक मंत्रालय, स.प्र.प्र.सं. के लेन-देनों पर पर्याप्त निगरानी रखने में विफल रहा।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारते हुए, बताया (जून 2014) कि स.प्र.प्र.सं. को मामले में उचित कार्यवाही करने की सलाह दी जा रही है।

अध्याय XIII : योजना आयोग

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

13.1 स्टांप शुल्क के रूप में ₹1.95 करोड़ का परिहार्य भुगतान

संविधा के अंतर्गत प्रदत्त स्टांप शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने में भा.वि.प.प्रा. की विफलता, ₹1.95 करोड़ के परिहार्य भुगतान में परिणत हुई।

भारतीय स्टांप शुल्क अधिनियम, 1899 के धारा 3 के प्रावधान 1 के अनुसार किसी भी ऐसे दस्तावेजों के संबंध में जिसका निष्पादन सरकार के द्वारा, अथवा सरकार की ओर से, अथवा सरकार के लिए होता है उन मामलों में, कोई स्टांप शुल्क प्रभारित नहीं होगा, परन्तु इस छूट के लिए ऐसे दस्तावेजों के संबंध में प्रभारित शुल्क के भुगतान की उत्तरदायी सरकार होगी।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भा.वि.प.प्रा), की स्थापना भारत सरकार द्वारा भारत के निवासियों को विशिष्ट पहचान संख्याएं जारी करने के लिए की गयी थी। भा.वि.प.प्रा. की भा.स. को जनवरी 2009 की अधिसूचना के माध्यम से योजना आयोग के संरक्षण के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय के रूप में गठित एवं अधिसूचित किया गया था। भा.वि.प.प्रा. के दो केन्द्रीय पहचान डाटा कोषों (के.प.डा.के.)¹ एक बंगलुरु और दूसरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, का निर्माण करने के लिए अधिदेशित किया गया था। बंगलुरु विकास प्राधिकरण ने (मार्च 2011) भा.वि.प.प्रा. को कोडिगहल्ली, बंगलुरु में 12,372.40 वर्ग मीटर माप की भूमि 30 वर्ष की अवधि हेतु पट्टे पर आवंटित किया। तदनंतर (नवम्बर 2011), हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लि. (ह.रा.औ.वि.नि.) ने मानेसर, गुडगांव में 20,700 वर्ग मी. माप की एक अन्य जमीन भा.वि.प.प्रा. को आवंटित की।

¹ के.प.डा.के. यह सत्यापित करता है कि प्रस्तुत किया गया डाटा, उसके पास उपलब्ध डाटा से मेल खाता है या नहीं।

भा.वि.प.प्रा. ने (जून 2011, जून 2012 एवं जनवरी 2013) ₹1.95 करोड़ की कुल राशि उन भूखण्डों के हस्तांतरण विलेखों के निपटान हेतु स्टांप शुल्क के रूप में अदा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि भा.वि.प.प्रा., एक सरकारी संगठन होने के कारण, संविधि के अंतर्गत प्रदत्त स्टांप शुल्क की अदायगी से छूट प्राप्त करने का अधिकारी था।

यह इंगित करने पर, भा.वि.प.प्रा. ने बताया (जुलाई 2013) कि इसने संबंधित राज्यों के महा अधीक्षक पंजीकरण एवं स्टांप नियंत्रक (म.नि.पं.) से इस कार्यालय द्वारा अदा पंजीकरण प्रभारों की राशि को लौटाने का अनुरोध किया है।

इस प्रकार, भा.वि.प.प्रा. के मौजूदा प्रावधानों के साथ नहीं चलने के कारण स्टांप शुल्क के रूप में ₹1.95 करोड़ का परिहार्य भुगतान में हुआ।

13.2 निधियों का समयपूर्व जारी किया जाना

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में निधियों की शीघ्र आवश्यकता का आकलन किए बिना तथा कोडल प्रावधानों के उल्लंघन में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (इं.इं.लि.) को समयपूर्व निधियों जारी कर दी थी। इं.इं.लि. द्वारा समय पर जारी की गई निधियों का निवेश सावधि जमा में नहीं किया गया था जिसके कारण ₹1.20 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा सभी वित्तीय सलाहकारों/मुख्यलेखा नियंत्रक को जारी किए गए दिशानिर्देशों (दिसम्बर 2006) के अनुसार, केवल वास्तव में प्रापण की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए वर्ष के अंतिम माह के दौरान भुगतान किया जाना चाहिए। दिशानिर्देशों में आगे निर्धारित किया गया था कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के दौरान अग्रिम में कोई राशि जारी नहीं की जानी चाहिए।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भा.वि.प.प्रा.) ने ₹300 करोड़ की अनुमानित लागत पर भा.वि.प.प्रा. मुख्यालय तथा डाटा केन्द्रों² के निर्माण

² बेंगलुरु एवं मानेसर में

परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाओं हेतु इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड (इं.इं.लि.) के साथ अनुबंध किया (मार्च 2011) था। भा.वि.प.प्रा. ने 30 मार्च 2011 को अग्रिम के रूप में इं.इं.लि. को ₹38 करोड़ जारी किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भा.वि.प.प्रा. द्वारा बेंगलुरु एवं मानेसर पर डाटा केन्द्रों के निर्माण हेतु जमीन के टुकड़े क्रमशः जून 2011 तथा नवम्बर 2011 में प्राप्त किए गए थे, जबकि भा.वि.प.प्रा. मुख्यालय हेतु भूमि मई 2012 में प्राप्त की गई थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि इं.इं.लि. द्वारा बेंगलुरु एवं मानेसर में डाटा केन्द्रों के लिए निर्माण आदेश ठेकेदार को अगस्त 2012 के बाद ही दिए गए थे जबकि भा.वि.प.प्रा. मुख्यालय के लिए निर्माण आदेश दिया जाना शेष था (जून 2014)। इस प्रकार, निर्माण कार्य आदेश को जारी किए जाने से 17 माह पूर्व ही भा.वि.प.प्रा. द्वारा अग्रिम भुगतान किया जाना, अनुबंध की शर्तों तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों का भी उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त, परियोजना को शुरू करने के लिए कार्यान्वयन अभिकरण की तैयारी का अनुमान लगाए बिना ही निधियों को जारी कर दिया गया था। ये तथ्य दर्शाते हैं कि केवल बजटीय प्रावधानों की चूक से बचने के लिए निधियों को जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार, इं.इं.लि. द्वारा परियोजना पर अर्जित ब्याज को परियोजना खाते में क्रेडिट किया जाना था। अनुबंध ने इं.इं.लि. को आधिक्य निधियों को सावधि जमा में रखने के लिए अधिकृत किया था। भा.वि.प.प्रा. ने 30 मार्च 2011 को ₹38 करोड़ का अग्रिम जारी किया था तथा 7 अप्रैल 2011 को इं.इं.लि. द्वारा निधियां प्राप्त की गई थी। इं.इं.लि. ने इन निधियों में से ₹37.40 करोड़ का निवेश सावधि जमा प्राप्तियों (सा.ज.प्रा.) में केवल 02 सितम्बर 2011 को किया था। सा.ज.प्रा. में

निधियों के निवेश करने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹1.20 करोड़³ की राशि के ब्याज की हानि हुई थी।

भा.वि.प.प्रा. ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि इं.इं.लि. के साथ हुए अनुबंध को के.लो.नि.वि. द्वारा निष्पादित जमा कार्यों के अनुरूप यथार्थतः मॉडल किया गया था। परियोजना की अनुमानित लागत पर आधारित प्रारंभिक जमा को इं.इं.लि. को बिल्कुल उसी प्रकार प्रदान किया गया था जिस प्रकार जमा कार्यों के अंतर्गत के.लो.नि.वि. के पास अग्रिम को जमा किया जाना था। भा.वि.प.प्रा. ने आगे बताया कि भा.वि.प.प्रा. द्वारा जारी की गई निधियों के लिए एक समर्पित परियोजना खाते का अनुरक्षण किया था तथा प्रभावी निरीक्षण प्रदान करने के लिए निधि प्रवाह के संदर्भ में पर्याप्त दृश्यता बनाए रखनी चाहिए। इं.इं.लि. द्वारा समर्पित परियोजना खाता खोलने में बैंक के वर्तमान अ.ग्रा.जा⁴. मानदंडों को पूरा करना, भा.वि.प.प्रा. के टैन स. का प्रावधान, संबोधित स्पष्टीकरण आदि शामिल थे जिनमें समय लगा और इसलिए निवेश केवल सितम्बर 2011 में ही किया जा सका था।

भा.वि.प.प्रा. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अग्रिम भुगतान को जारी करने के 17 महीनों पश्चात अनुबंधों को जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, बजटीय प्रावधानों की चूक से बचने के लिए 30 मार्च 2011 को इं.इं.लि. खाते में अग्रिम की राशि का अंतरण किया गया था। भा.वि.प.प्रा. का तर्क कि विभिन्न औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु समय की आवश्यकता थी, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इं.इं.लि. के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के पश्चात भा.वि.प.प्रा. ने उसी दिन निधियां जारी कर दी थीं, परन्तु परवर्ती ने निवेश हेतु औपचारिकताओं को पूरा करने में 147 दिनों की अनुचित लंबी अवधि ली थी।

³ 147 दिनों के लिए ₹37.40 करोड़ पर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज को परिकलित किया गया है क्योंकि आगे की सा.ज.प्रा. पर इं.इं.लि. को इसी प्रतिशत की दर पर ब्याज की प्राप्ति हुई थी।

⁴ अपने ग्राहक को जानिए।

इस प्रकार, भा.वि.प.प्रा. द्वारा वित्त मंत्रालय के प्रचलित प्रावधानों का अनुपालन करने में विफलता के कारण इंड.इं.लि. को अनियमित रूप से अग्रिम जारी हुए थे। निधियों के निवेश में अपरिहार्य विलंब के परिणामस्वरूप ₹1.20 करोड़ के ब्याज की हानि हुई थी।

अध्याय XIV : विद्युत मंत्रालय

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड

14.1 पनबिजली भत्ते का अनियमित भुगतान

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के नियमों एवं शर्तों के विरुद्ध अपने कर्मचारियों को कठिनाई भत्ते के साथ-साथ पन बिजली भत्ते का भी भुगतान किया था, जो अक्टूबर 2006 से दिसम्बर 2012 की अवधि के दौरान ₹4.95 करोड़ के अनियमित भुगतान में परिणत हुआ।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के धारा 97 के अनुसार, केन्द्र सरकार ने ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग), नई दिल्ली द्वारा 11 दिसम्बर 1974 को अधिसूचित भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का गठन किया था।

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.) ने 19 जुलाई 1991 को हुई अपनी 143वीं बैठक में पं.स.रा.वि.बो. द्वारा समय-समय पर संशोधित पं.रा.वि.बो. के वेतनमान की भा.ब्या.प्र.बो. के वेतनमान के रूप में भा.ब्या.प्र.बो. में कार्यरत अपने सभी कर्मचारियों के लिए, उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर अपनाने का फैसला किया जिन पर पं.रा.वि.बो. द्वारा इनका संशोधन किया गया था। भा.ब्या.प्र.बो.ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में पं.रा.वि.बो. द्वारा समय-समय पर संस्वीकृत भत्तों/रियायतों को भा.ब्या.प्र.बो. में अपनाया जाएगा।

पं.रा.वि.बो. ने अपने कर्मचारियों को दो वेतन-वृद्धियों के बराबर "पनबिजली भत्ते" की संस्वीकृति, शाहपुर कंडी की पनबिजली परियोजना, आनंदपुर साहिब पन बिजली परियोजना, पनबिजली संगठन के अंतर्गत माधोपुर एवं एन.एच.पी. तलवारा में 18 अक्टूबर 2006 से प्रदान की थी। यह भत्ता जोगिंदरनगर पनबिजली परियोजना के लिए संस्वीकृत नहीं हुआ था क्योंकि पं.रा.वि.बो. के कर्मचारी पहले से ही कठिनाई भत्ता ले रहे थे। अतः पनबिजली भत्ता उन कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य नहीं था जो पं.रा.वि.बो. में कठिनाई भत्ता उठा

रहे थे। जैसा कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एस.पी.सी.एल.)¹ द्वारा स्पष्ट किया गया था।

भा.ब्या.प्र.बो.² के छः कार्यालय के लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि भा.ब्या.प्र.बो ने 16 अप्रैल 2007 को हुई अपनी 194वीं बैठक में पं.रा.वि.बो. के पैटर्न पर दो वेतन-वृद्धि के समान पनबिजली भत्ता प्रदान करने का निश्चय किया था। यह भी तय किया गया था कि पनबिजली भत्ते को कठिनाई/अन्य किसी भत्ते के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा, जो परियोजनाओं में प्रचलन में था। अतः भा.ब्या.प्र.बो. कर्मचारी, 18 अक्टूबर 2006 के पूर्व छः वेतन-वृद्धियों के बराबर कठिनाई भत्ता उठा रहे थे, उन्हें दो वेतन-वृद्धियों के बराबर पनबिजली भत्ता भी दिया गया था।

लेखापरीक्षा का मत है कि भा.ब्या.प्र.बो. का पनबिजली भत्ते के साथ कठिनाई भत्ता प्रदान करने का निर्णय न्याय संगत नहीं था, क्योंकि प.रा.वि.बो. (अब पी.एस.पी.सी.एल.) में भा.ब्या.प्र.बो. के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भी पन बिजली स्टेशन में नियुक्त कर्मचारियों को कठिनाई भत्ते के अतिरिक्त पन बिजली भत्ता की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं था। यह भा.ब्या.प्र.बो. के 19 जुलाई 1991 को हुई 143वीं बैठक में लिए गए निर्णय और पी.एस.पी.सी.एल. स्पष्टीकरण की पूरी अवमानना थी।

मामले की ओर 2008-12 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों³ के माध्यम से इंगित किया गया था, परंतु भा.ब्या.प्र.बो. द्वारा कोई निदानात्मक कार्रवाई नहीं की गयी थी।

¹ पं.रा.वि.बो. का पुनर्गठन अप्रैल 2010 में पं.स.पा.कॉ.लि. के रूप में हुआ।

² निवासी अभियंता, देहरा विद्युत गृह प्रभाग जी-1 एवं जी-11, स्लैपर, अधीक्षण अभियंता, डी.पी.एच., स्लैपर, उच्च माध्यमिक विद्यालय, भा.ब्या.प्र.बो., स्लैपर एस.एम.ओ., भा.ब्या.बो अस्पताल, स्लैपर, निवासी अभियंता, गंगूवाल एवं कोटला, पी.एच. प्रभाग, गंगूवाल, एवं पंडोह बांध इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल प्रभाग, पंडोह।

³ निवासी अभियंता, देहरा विद्युत गृह प्रभाग जी-1 एवं जी-11, स्लैपर, सुपरिन्टेडिंग इंजीनियर डी.पी.एच., स्लैपर आर.ई. गंगूवाल एवं कोटला पी.एच. प्रभाग, गंगूवाल एवं पंडोह बांध इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल प्रभाग, पंडोह।

इस प्रकार, भा.ब्या.प्र.बो. ने अपने कर्मचारियोंको 18 अक्टूबर 2006 से 31 दिसम्बर 2012 तक ₹4.95 करोड़ की राशि का पनबिजली भत्ते का अनियमित रूप से भुगतान किया था (अनुबंध XIII)।

मामले को भा.ब्या.प्र.बो., चण्डीगढ़ के अध्यक्ष एवं मंत्रालय के संज्ञान में जून 2013 में लाया गया था, तथापि, उनका उत्तर मई 2014 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XV : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

15.1 निष्फल व्यय

मंत्रालय ने पांच वे-इन मोशन सह स्वचालित यातायात काउंटर सह क्लासिफायरों का प्रापण किया था चिन्हित राज्य सरकारों के साथ समन्वय में उनके संस्थापन हेतु उचित नियोजन की कमी के कारण सात वर्षों से अधिक से ये मशीनें संस्थापित किए बिना पड़ी रहीं जिसके परिणामस्वरूप ₹1.54 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय (मंत्रालय) ने वाहनों के अधिक लदान को रोकने के लक्ष्य को पाने के लिए एकसल भार का इलेक्ट्रॉनिक डाटा एकत्रित करने के उद्देश्य से वर्ष 2006-07 के दौरान यूरो 267,869.05 (एफ.ओ.बी.) (₹1.42 करोड़) की लागत पर मैसर्ज इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मीशयोर, फ्रांस (फर्म) से पांच वे-इन मोशन सह स्वचालित यातायात काउंटर सह क्लासिफायरों (वे.इं.मो. सह-स्व.या.का.कजा.) का प्रापण किया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, अगस्त 2006 में फर्म की एफ.ओ.बी. मूल्य के प्राथमिक भुगतान का 60 प्रतिशत अर्थात् ₹96.51 लाख किया गया था।

तीन राज्यों अर्थात् ओडीशा (2 सं.), मध्य प्रदेश (1 सं.) एवं उत्तर प्रदेश (2 सं.) में प्रणालियों का संस्थापन किया जाना था। यद्यपि साइट की पहचान तथा उसकी तैयारी करना सरकार की जिम्मेदारी थी, प्रणालियों को प्रवर्तन में लाने एवं संस्थापित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी फर्म की थी। मंत्रालय ने मशीनों के प्रापण हेतु क्रय आदेश करने के पश्चात इन राज्यों को जून 2006 में आवश्यक आरेखण और विवरण अग्रेषित किए थे और राज्यों से साइट की तैयारी हेतु उपयुक्त कार्रवाही करने का निवेदन किया था। अगस्त 2006 में सभी पांचों प्रणालियाँ प्राप्त तथा नामित

परेषितियों को वितरित की गई थी। हालांकि, उस समय तक साइट के लिए संस्थापन न तो पहचाना गया था और न ही तैयार किया गया था।

प्रणालियों के वितरण के पश्चात, फर्म ने अक्टूबर 2006 में साइट की तैयारी और प्रणालियों के संस्थापन के लिए परेषितियों की उपस्थिति में मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया था। चूंकि फर्म द्वारा प्रदान आरेखणों को भारतीय मानकों के अनुसार अननुमेय/उचित समझा नहीं जा सकता था इन्हें जनवरी 2007 में संशोधित किया गया था और मंत्रालय ने संबंधित राज्यों से अनुमानों की तैयारी अतिशीघ्रता से करने तथा उसे मंत्रालय के पास अनुमोदन हेतु जमा करने का निवेदन किया। मध्य प्रदेश तथा ओडीशा की सरकार ने अक्टूबर 2007 और जनवरी 2010 में सिविल कार्य प्रदान किए थे और साइटों की तैयारी पर क्रमशः ₹0.75 लाख और ₹55.99 लाख का व्यय किया था। उत्तर प्रदेश की दो साइटों पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

फर्म के प्रतिनिधियों ने प्रणालियों के संस्थापन हेतु विभिन्न मुद्दों की चर्चा के लिए अप्रैल 2009 में मंत्रालय का दौरा किया था, लेकिन उन्होंने उस समय रीवा, मध्य प्रदेश में तैयारी हो रही एकमात्र साइट का दौरा करने से मना कर दिया। मंत्रालय ने ओडीशा के राज्य से फरवरी 2010 और जून 2010 में मध्य प्रदेश के राज्य से निलम्बन में प्रणालियों के संस्थापन हेतु अपेक्षित सिविल निर्माण कार्यों को रखने के लिए कहा था। इसी समय में, मंत्रालय ने (मई 2010) फर्म को कारण बताओं नोटिस जारी किया था जिसके पश्चात सितम्बर 2010 में अनुबंध समाप्ति नोटिस दिया था।

फर्म ने दिसम्बर 2010 में मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित तीन साइटों की बजाय एक ही बार में सभी पांचों साइटों का दौरा करने की अपनी स्वेच्छा दर्शायी। न तो मंत्रालय ने कम्पनी को उत्तर प्रदेश में शेष दो साइटों की स्थिति की पुष्टि की क्योंकि इन्हें उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पूरा नहीं किया गया था, और न ही किसी भी पांच राज्यों का दौरा फर्म के प्रतिनिधियों ने नहीं किया था। मंत्रालय ने फिर से प्रणालियों के संस्थापन में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए

मई 2011 में फर्म को अंतिम अनुबंध समाप्ति नोटिस दिया था। अतः 2006 में प्राप्त की गई कोई भी मशीन संस्थापित नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2013) कि उसने तकनीकी एवं ठेका संबंधी मुद्दों को सुलझाने के प्रयास किए थे। मंत्रालय ने आगे बताया (अक्टूबर 2013) की मंत्रालय के पास उपलब्ध कानूनी प्रक्रियाओं का पता लगाया जा रहा था और प्रणाली को संस्थापित करने के लिए अन्य फर्म को लगाने का प्रयास किया जा रहा था। लेखापरीक्षा के प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने आगे बताया कि फर्म को काली सूची में डालने के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे।

इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा चिन्हित राज्य सरकारों के साथ समन्वय में उनके संस्थापन एवं परिचालन के लिए बिना उचित नियोजन के ही पाँच वे.इ.मो.स.स्व.का.स.कला. के लिए क्रय आदेश देने के परिणामस्वरूप ₹1.54 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इस प्रकार, अधिक लदान से बचने के उद्देश्य से एक्सल भार के इलेक्ट्रॉनिक डाटा को एकत्रित करने का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका था।

अध्याय XVI : पोत परिवहन मंत्रालय

16.1 म.प्र.प्रा. द्वारा निर्धारित पायलिटैज प्रभारों हेतु दरों के गलत तरीके से लगाने के कारण राजस्व की हानि

पायलिटैज प्रभारों हेतु म.प्र.प्रा. अनुमोदित टैरिफ दरों के गलत रूप से लगाने के कारण जवाहर लाल पत्तन न्यास को ₹22.77 करोड़ एवं मुरुगांव पत्तन न्यास को ₹9.31 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (म.प्र.प्रा.) द्वारा प्रशुल्क निर्धारण हेतु जारी दिशानिर्देशों (31 मार्च 2005) के अनुसार पायलिटैज एवं अंतरण प्रभार निम्नानुसार तीन स्लैबों में निर्धारित किये जाने थे:

- (1) 30,000 जी.आर.टी.¹ तक
- (2) 30,000 से 60,000 जी.आर.टी. तक
- (3) 60,000 जी.आर.टी. से अधिक

पहले स्लैब की इकाई दर पर 20 प्रतिशत की कटौती दूसरे स्लैब पर लागू की जायेगी तथा पहले स्लैब की इकाई दर पर 30 प्रतिशत की कमी वृद्धिकारी² जी.आर.टी. पर तीसरे स्लैब हेतु लागू की जायेगी (म.प्र.प्रा. के प्रशुल्क निर्धारण हेतु दिशानिर्देशों का पैरा 6.10)।

म.प्र.प्रा. द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (31 अक्टूबर 2006) तथा मुरुगांव पत्तन न्यास (10 जून 2010) हेतु अधिसूचित पायलिटैज-सह-कर्षण शुल्क की अनुसूची म.प्र.प्रा. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार थीं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ज.ने.प.न. एवं मु.प.न. पायलिटैज प्रभारों को म.प्र.प्रा. द्वारा परिकल्पित अगले स्लैब में वृद्धिकारी जी.आर.टी. पर लगाने की बजाय सकल जी.आर.टी. पर कमी का लाभ देते हुए लगायी जा रही थी, जिससे

¹ सकल पंजीकृत टनभार (जी.आर.टी.)

² पहली स्लैब के पश्चात हुई वृद्धि

पायलिटैज प्रभार कम लगाए गए। उदाहरणस्वरूप, एक 52000 जी.आर.टी. जलयान हेतु ज.ने.प.न. को 52000 जी.आर.टी. के स्थान पर 22000 जी.आर.टी. की संवृद्धि पर पायलिटैज प्रभारों की कटौती करनी चाहिए थी। इससे ज.ने.प.न. द्वारा यू.एस. \$11340.60 के स्थान पर यू.एस. \$ 9921.60 का उदग्रहण हुआ जिसके कारण यू.एस. \$1419 की राजस्व हानि हुई। इसी प्रकार, एक 52000 जी.आर.टी. जलयान हेतु मु.प.न. को यू.एस. \$15580.03 उदग्रहित करने चाहिए थे वास्तव में मु.प.न. ने यू.एस. \$13615.99 उदग्रहित किये जिससे यू.एस. \$1964.04 की राजस्व हानि हुई।

ज.ने.प.न. द्वारा दो वर्षों (2011-12 तथा 2012-13) हेतु पायलिटैज प्रभारों के उदग्रहण के आंकड़ों के आधार पर, न्यून उदग्रहित पायलिटैज प्रभार ₹22.77 करोड़ था। इसी प्रकार, मु.प.न. द्वारा दो वर्षों (2011-12 तथा 2012-13) हेतु पायलिटैज प्रभारों के उदग्रहण संबंधी आंकड़ों के अनुसार, ₹9.31 करोड़ का न्यून उदग्रहण था।

पोत परिवहन मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2013) कि (क) मु.प्र.प्रा. द्वारा जारी दिशानिर्देशों का विभिन्न पत्तनों द्वारा अलग आशय निकाला गया तथा एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय इस विषय पर सभी महापत्तनों को एक स्पष्टीकरण जारी करेगा; तथा (ख) राजस्व की कोई हानि नहीं हुई थी क्योंकि म.प्र.प्रा. दिशानिर्देश नियोजित पूंजी पर निश्चित प्रतिफल पर आधारित थे तथा यदि ज.ने.प.न. एवं मु.प.न. ने पायलिटैज प्रभार ऊँची दरों पर लगाते हैं तो म.प्र.प्रा. पायलिटैज प्रभारों को इस आधार पर घटा देता कि कुल राजस्व म.प्र.प्रा. द्वारा निर्धारित पूंजी प्रतिफल से अधिक नहीं हो सकता।

लेखापरीक्षा के एक अलग पत्रव्यवहार पर म.प्र.प्रा. ने पुष्टि की (दिसम्बर 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा अपनायी गयी परिकलन की विधि म.प्र.प्रा. दिशानिर्देशों की सही व्याख्या के अनुरूप थी।

मंत्रालय का नियोजित पूंजी से संबंधित तर्क भी सही नहीं था क्योंकि मु.प.न. द्वारा प्रस्तावित पोत संबंध प्रभार 53 प्रतिशत आय में कमी सहित थे। अतः पूंजी पर अतिरिक्त प्रतिफल का प्रश्न ही नहीं उठता था। ज.ने.प.न. द्वारा प्राक्कलित पोत संबंध आय भी स्लैब जी.आर.टी. आधार पर न होकर औसत जी.आर.टी. पर आधारित थी।

म.प्र.प्रा. द्वारा प्रभार निर्धारण हेतु जारी दिशानिर्देशों के पैरा 2.16 के अनुसार निर्धारित दरें उच्चतम स्तर की हैं। पत्तन निम्नतर दरें लगा सकते हैं एवं छूट तथा रियायतों की अनुमति दे सकते हैं अथवा दरों के प्रयोग को नियंत्रित करने वाली शर्तों को युक्तिसंगत बना सकते हैं। तथापि, यह करने के लिए पत्तनों द्वारा ऐसी निम्नतर दरों तथा/अथवा शर्तों का यौक्तिकरण अधिसूचित करना अपेक्षित था। इस प्रक्रिया का ज.ने.प.न. तथा मु.प.नि. द्वारा अनुपालन नहीं किया गया और इसके स्थान पर, प्रभारों को म.प्र.प्रा. दिशानिर्देशों की प्रत्यक्ष दृष्ट्या के आधार पर घटाया गया।

अतः म.प्र.प्रा. द्वारा निर्धारित पायलिटेज प्रभारों के गलत रूप से लागू किए जाने के कारण 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान ज.ने.प.न. को ₹22.77 करोड़ एवं मु.प.न. को ₹9.31 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

कोलकाता पत्तन न्यास

16.2 पट्टा किराया की कम वसूली के कारण ₹7.58 करोड़ की हानि

भूमि के आबंटन के समय लागू पट्टा किराया के निर्धारण हेतु दर अनुसूची के प्रावधानों की गैर-अनुपालना तथा आबंटन की तिथि से बढ़े हुए किराए का दावा न करने के कारण पट्टा किराया तथा प्रीमियम की गैर-वसूली के कारण को.प.न. द्वारा ₹7.58 करोड़ हानि उठानी पड़ी।

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में महापत्तन प्रभार प्राधिकरण (म.प्र.प्रा.) ने हलदिया गोदी परिसर (ह.गो.प.) को पट्टे पर दी गई भूमि तथा भवनों के प्रति कोलकाता पत्तन न्यास (को.प.न.) द्वारा वसूलनीय किराया हेतु दरों की सारणी (द.सा.) को

संशोधित किया जिसे 2 दिसम्बर 1999 में भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचित किया गया तथा यह दिसम्बर 1999 से प्रभावी थी। द.सा. की टिप्पणी सं. 8 में यह प्रावधान था कि भविष्य में प्रदान किए जाने वाले सभी पट्टों के मामलों में किराए को प्रत्येक वर्ष पूर्वगामी वर्ष में देय किराए अथवा उस समय लागू निर्धारित किराए, जो भी अधिक हो, के पांच प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। वहीं टिप्पणी सं.3 में यह भी प्रावधान किया गया था कि पट्टा प्रदान करते समय पट्टा धारक से पट्टा किराया के अतिरिक्त दो वर्षों के किराए के बराबर एक गैर-प्रत्यर्पणीय तथा गैर-समायोज्य प्रीमियम वसूला जाएगा। इसलिए, प्रारम्भिक पट्टा किराए को आबंटन की तिथि तक द.सा. (आधार दर) को वार्षिक रूप से पांच प्रतिशत तक बढ़ा कर निर्धारित किया जाना चाहिए जिसे, दिसम्बर 1999 के पश्चात प्रदान किसी भी पट्टे के मामले में, गैर-प्रत्यर्पणीय तथा गैर-समायोज्य प्रीमियम का परिकलन करने हेतु भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

को.प.न. ने पूर्वगामी वर्ष में देय पट्टा किराया अथवा उस समय लागू निर्धारित दर, जो भी अधिक था, में प्रतिवर्ष पाँच प्रतिशत की वृद्धि के प्रावधान सहित मासिक/वार्षिक पट्टा किराया के भुगतान पर मार्च 2000 से अक्टूबर 2009 की अवधि के दौरान ह.गो.प. के औद्योगिक क्षेत्र, गोदी क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र तथा गोदी आंतरिक क्षेत्र में भूमि के 24 विभिन्न प्लॉटों हेतु पट्टा प्रदान किया।

लेखापरीक्षा निरीक्षण में पता चला कि फरवरी 2002 से फरवरी 2009 की अवधि के दौरान आवंटित किये गए पट्टों में से 13 के संबंध में किराए की मूल दर को आबंटन तिथि तक प्रति वर्ष पाँच प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर निर्धारित करने की बजाए द.सा. की आधार दर, अर्थात् दिसम्बर 1999 में प्रचलित दर, पर निर्धारित किया गया था। अतः, किराए को म.प्र.प्रा. द्वारा स्वीकृत दरों से कम पर निर्धारित किया गया था जिससे उपरोक्त सभी 13 पट्टों में पट्टाधारकों से पट्टा किराया एवं गैर-प्रत्यर्पणीय/गैर-समायोज्य प्रीमियम की कम वसूली हुई।

यह भी पाया गया था कि को.प.न. ने दिसम्बर 1999 से भूमि के वास्तविक आबंटन की तिथि तक पट्टा किराया की पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि पर विचार करते हुए उपरोक्त पट्टों का वार्षिक पट्टा किराया बढ़ाया (फरवरी 2009)। परंतु, संशोधित किराए को पट्टे के आबंटन की तिथि से पट्टे का दावा किए बिना भावी रूप से 2009 से ही लागू किया गया था।

इस प्रकार, को.प.न. को भूमि के आबंटन के समय लागू पट्टा किराया के निर्धारण के प्रति द.सा. के प्रावधानों की गैर-अनुपालना तथा आबंटन की तिथि से फरवरी 2009 तक बढ़े हुए किराए का दावा न करने के कारण पट्टा किराया (₹3.87 करोड़) तथा गैर-प्रत्यर्पणीय एवं गैर-समायोज्य प्रीमियम (₹3.71 करोड़) की गैर-वसूली के कारण ₹7.58 करोड़ की हानि उठानी पड़ी थी।

प्रबंधन ने तर्क दिया (अगस्त 2013) कि गम्भीरता से विचार करने के उपरान्त वाणिज्यिक महत्वानुसार ह.गो.प. की 1999 की सारणी की पट्टा किराया आधार दर को फरवरी 2009 तक न बढ़ाने का सचेत निर्णय लिया गया था जिसका म.प्र.प्रा. द्वारा यथोचित सराहना की गई थी।

प्रबंधन का तर्क उसके निर्णय के औचित्य को स्पष्ट नहीं करता है तथा इस तथ्य से भी इंकार नहीं करता है कि किराए को द.सा. के प्रावधानों के अनुसार आवधिक रूप से नहीं बढ़ाया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन द्वारा किराया आधार दर की वार्षिक वृद्धि पर विचार करते हुए फरवरी 2009 से किराए का अनुवर्ती संशोधन द.सा. के अनुपालन में विसंगति को ही उजागर करता है। उपरोक्त निर्णय की म.प्र.प्रा. द्वारा कथित सराहना की भी किसी स्वीकार्य प्रमाण से पुष्टि नहीं होती है।

इस विषय पर मंत्रालय को दिसम्बर 2013 में सूचित किया गया; उसका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

मुंबई पत्तन न्यास

16.3 बेकार पड़े ड्रेजर पर निष्फल व्यय

पाँच वर्षों तक निरूपयोगी रहे ड्रेजर का निपटान करने में विफलता से ₹4.39 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

मुंबई पत्तन न्यास (मु.प.न.) ने 'विवेक' नामक हॉपर-कम-ग्रेबर-ड्रेजर (ड्रेजर) मझगाँव डॉक लिमिटेड से ₹41.71 करोड़ की लागत पर अधिग्रहित किया (1997) जिसकी अपेक्षित उपयोगी आयु 20 वर्ष थी। ड्रेजर का उपयोग चैनलों तथा गोदी क्षेत्रों के अधिक ट्रैफिक वाले हिस्सों में तलकर्षण के लिए इसके अधिग्रहण के समय से ही किया जा रहा था। राडार एवं ड्रेजर के पहिया घर के अन्य सुरक्षा उपकरणों के कार्य नहीं करने के कारण, रात्रि की पाली में नौवहन सुरक्षित नहीं था तथा फरवरी 2005 के बाद से ड्रेजर केवल दिन की पाली में चलाया जा रहा था।

ड्रेजर को 8 जनवरी 2008 से 2 मार्च 2008 तक रात्रि पाली में गैब प्रणाली पर चलाया गया और राडार के काम नहीं करने तथा चालक की नियुक्ति न किये जाने के कारण रात्रि पाली में फिर से बंद कर दिया गया। यह दिन की पाली में तथा गैब प्रणाली पर 4 जुलाई 2008 तक कार्य कर रहा था एवं 5 जुलाई 2008 के बाद से यह मरम्मत के अभाव में तथा 1 अगस्त 2008 से वार्षिक ओवरहाल हेतु बंद कर दिया गया (31 मार्च 2008 को ₹18.80 करोड़ के रूप में दर्ज बही मूल्य)।

ड्रेजर को आवरण मरम्मत, इंजन एवं पम्प हाइड्रो जेट धुलाई, ग्रिट ब्लास्टिंग एवं स्प्रे पेंटिंग, स्टर्न गियर एवं कंट्रोल पिच प्रोपेलर मरम्मत आदि की आवश्यकता थी जिस पर ₹1.65 करोड़ से ₹2.00 करोड़ के बीच की लागत का अनुमान था। मार्च 2009 में, ₹6.50 लाख का व्यय करने के बाद मरम्मत कार्य बंद कर दिया गया था। ड्रेजर में आ रही दिक्कतों के कारण, यह 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान क्रमशः 93 दिन, 113 दिन एवं 21

दिनों के लिए ही परिचालन हेतु उपलब्ध रहा तथा बाद में यह बिल्कुल भी नहीं चला (अक्टूबर 2013) और निष्क्रिय पड़ा रहा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- (i) यद्यपि ड्रेजर अगस्त 2008 से बेकार पड़ा रहा, उसका निपटान करने का निर्णय जुलाई 2011 में जाकर लिया गया।
- (ii) विभिन्न समस्याएं आने के कारण, ड्रेजर 'विवेक' को अगस्त 2008 से उपयोग में नहीं लाया जा सका। अनुमानित मरम्मत व्यय ₹1.65 करोड़ - ₹2 करोड़ था। मु.प.न. को ड्रेजर की सेवा की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इसने अपना अधिकांश तलकर्षण-संचालन बाहरी ठेके पर दिया है। इसके अतिरिक्त, सक्शन ड्रेजिंग का कार्य जिसे ड्रेजर से किया जाना था, लगभग 45000 घन मीटर प्रति वर्ष था। 45000 घन मीटर को ड्रेज करने का अनुमानित व्यय ₹38 लाख था, जबकि परिचालन लागत के प्रति यदि यह ड्रेजर उपयोग में लाया जाता तो इसकी परिचालन लागत ₹2.50 करोड़ होती। इसलिए, ड्रेजर को कार्य में लाना कोई व्यवहारिक विकल्प नहीं था। तथापि, उसे हटाने की प्रक्रिया विलंबित हुई थी।
- (iii) फरवरी 2012 में मु.प.न. की एक खुली निविदा की प्रतिक्रिया में, केवल एक ही प्रस्ताव भारतीय ड्रेजिंग निगम लिमिटेड (भा.ड्रे.नि.) से ₹4.00 करोड़ के भाव पर प्राप्त किया गया। चूंकि भा.ड्रे.नि. द्वारा प्रस्तावित कीमत बही मूल्य (मार्च 2012 में ₹10.44 करोड़) से बहुत कम था, प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। प्रसंगवश, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा संस्तुत संरक्षित मूल्य ₹3.45 करोड़ था।
- (iv) यद्यपि, अगस्त 2008 से ही ड्रेजर निष्क्रिय पड़ा था, मु.प.न. ने ड्रेजर पर वेतन एवं भत्ते, ओवरटाईम, मरम्मत एवं अनुरक्षण तथा सामान्य

खर्चों हेतु ₹4.39 करोड़³ का व्यय किया। यदि ड्रेजर का निपटान कर दिया जाता तो उस पर नियुक्त स्टाफ/चालकदल को मु.प.न. के अन्य ड्रेजिंग जलयानों अथवा अन्य प्लवमान जलयानों पर सार्थक रूप से तैनात किया जा सकता था।

- (v) 20 वर्ष के उपयोगी जीवनकाल वाली परिसम्पत्ति को मु.प.न. द्वारा सार्थक रूप से प्रयुक्त नहीं किया जा सका तथा उसे एक तरह से कबाड़ में तब्दील हो जाने दिया गया।

प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2013) कि:

- पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा दिनांक 28 अगस्त 1998 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, जिन परिसम्पत्तियों ने अपना आर्थिक जीवनकाल पूरा नहीं किया है, उनका संरक्षित मूल्य बही मूल्य अथवा अधिग्रहण लागत का 7.5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होना चाहिए। चूंकि बही मूल्य एवं भा.ड्रे.नि. से प्राप्त प्रस्तावित मूल्य के मध्य बड़ा अंतर था जिससे हानि की काफी बड़ी राशि बट्टे खाते थे, मु.प.न. ने निविदा के निर्वहन का निर्णय लिया।
- लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया व्यय मुख्य रूप से वेतन तथा मजदूरी एवं अन्य निश्चित खर्चों पर था। वेतन पर व्यय एक तयशुदा एवं अप्रतिलभ्य लागत थी और जिसे मु.प.न. द्वारा उपकरण बेचे जाने अथवा रखे जाने, दोनों परिस्थितियों में किया जाना था।
- परिचालन अनुबंध हेतु उपकरण को प्रस्तुत करने के लिए आगे बढ़ने एवं मु.प.न. द्वारा सफल बोलीकर्ता को कुछ मात्रा में कार्य पेश करने

³ अगस्त 2008 से जुलाई 2013 तक 60 माह हेतु किया गया कुल व्यय ₹487.76 लाख था। ड्रेजर को उपयोग में लाने अथवा उसे हटाने पर निर्णय लेने के लिए यदि छः माह का प्रावधान रखा जाए तो 54 माह हेतु अनुपातिक व्यय ₹438.98 लाख अथवा ₹4.39 करोड़ होगा।

का निर्णय लिया गया था। इससे बोलीकर्त्ताओं से अच्छी प्रतिक्रिया मिलने और मु.प.न. के लिए लाभप्रद होने की अपेक्षा थी।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- प्रबंधन द्वारा उद्धृत दिनांक 28 अगस्त 1998 के कार्यालय ज्ञापन में प्रावधान था कि निविदा में प्रस्तावित कीमत के संरक्षित मूल्य से कम होने की स्थिति में, निविदा समिति के पास सहित औचित्य होने पर विक्रय हेतु सिफारिश करने की शक्ति थी। मु.प.न. के पास पोत परिवहन मंत्रालय के समक्ष मामले को उठाने और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन के आधार पर मंत्रालय की संस्वीकृति प्राप्त करने का भी विकल्प था। इसके अतिरिक्त, समय बीतने के साथ, हर परिस्थिति में ड्रेजर का बही मूल्य बगैर सेवा प्राप्त किये घटता ही। इसलिए बही मूल्य एवं प्रस्तावित कीमत के मध्य अंतर के आधार पर दिया गया तर्क स्वीकार्य नहीं है।
- जुलाई 2011 में न्यासी बोर्ड को सूचित किया गया था कि ड्रेजर के परिचालन नहीं होने की स्थिति में, उस पर तैनात स्टाफ/चालकदल को अन्य ड्रेजिंग वाहनों अथवा अन्य प्लवमान जलयानों पर सार्थक रूप से तैनात किया जा सकता है। तदनुसार, इसके स्टाफ/चालकदल को अन्यत्र लाभजनक रूप से तैनात किया जा सकता था।
- जुलाई 2011 में न्यासी बोर्ड को यह सूचित किया गया था कि (i) ड्रेजर जीर्ण-शीर्ण स्थिति में था तथा (ii) ड्रेजर को काम में लाये जाने की स्थिति में 45000 घन मीटर के निकर्षण पर आने वाला प्राक्कलित व्यय ₹38 लाख था जबकि ड्रेजर की परिचालन लागत ₹2.50 करोड़ होती, इसके अतिरिक्त, ड्रेजर 20 वर्ष की अपेक्षित आयु में से 16 वर्ष पूरे कर चुका था तथा अगस्त 2008 से ही पाँच वर्ष से

अधिक समय से निष्क्रिय पड़ा था। इन कारणों के चलते ड्रेजर के भविष्य में प्रयोग की संभावना अनिश्चित थी।

अतः ड्रेजर का निपटान करने में विफलता ड्रेजर के पाँच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए निष्क्रिय पड़े रहने तथा ₹4.39 करोड़ के निष्फल व्यय का कारण बनी, समय बीतने के साथ, ड्रेजर का बही मूल्य और गिरने तथा इसे कबाड़ में बेचने की संभावना है।

मामला मार्च 2014 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

अध्याय XVII: वस्त्र मंत्रालय

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

17.1 गृह लाभ प्रोत्साहन के प्रति अनियमित भुगतान

भारत सरकार के आदेशों के उल्लंघन में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) ने गृह लाभ प्रोत्साहन का भुगतान किया जिससे ₹5.10 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

भारत सरकार (भा.स.) द्वारा छठे केन्द्रीय वित्त आयोग की सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों हेतु संशोधित वेतन संरचना को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार (भा.स.) द्वारा जारी आदेशों को वित्त मंत्रालय ने (सितम्बर 2008) स्वायत्त संगठनों, संवैधानिक निकायों आदि, जिनकी वेतन संरचनाएं* केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचनाओं के समान हैं, के लिए लागू किया। वेतन तथा भत्ते समान न होने की स्थिति में वेतनमानों इत्यादि के संशोधन को अंतिम रूप देने हेतु अधिकारियों का एक अलग समूह बनाया जा सकता है परंतु स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तावित अंतिम लाभ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की समकक्ष श्रेणी हेतु स्वीकार्य लाभ से अधिक लाभकारक नहीं होने चाहिए। भा.स. द्वारा स्वीकार की गई छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, एक्स., वाई. तथा जेड. वर्गीकरण वाले नगरों/शहरों हेतु मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन की क्रमशः 30, 20 तथा 10 प्रतिशत की दर पर आवास किराया भत्ता (आ.कि.भा.) ग्राह्य है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निफ्ट ने, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समरूप वेतन संरचना होने के बावजूद, प्रशासनिक अधिकारियों/अध्यापकों को आ.कि.भा. के बदले में 16 जून 2008 से गृह लाभ प्रोत्साहन (गृ.ला.प्रो.) की

* अर्थात् वेतनमान तथा भत्ते (विशेष रूप से मंहगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता तथा शहर प्रतिपूरक भत्ता)

निश्चित राशि अदा करने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2008)। इस प्रकार निश्चित किया गया गृ.ला.प्रो. महानगरों में स्थित कर्मचारियों के संबंध में ₹8,000 तथा ₹20,000 के बीच तथा गैर-महानगरों में स्थित कर्मचारियों के संबंध में स्लैब का 75 प्रतिशत था जो कि केन्द्र सरकारी कर्मचारियों की समकक्ष श्रेणियों को ग्राह्य राशियों से अधिक लाभकारी था। परिणामस्वरूप, निफ्ट ने ₹14.49 करोड़ के ग्राह्य आवास किराया भत्ते के प्रति जून 2008 से दिसम्बर 2012 (दिल्ली, कांगड़ा, शिलांग केन्द्रों तथा मुख्यालय के संबंध में फरवरी 2013 तक) ₹19.59 करोड़ का गृ.ला.प्रो. अदा किया। इस प्रकार, निफ्ट ने भा.स. के आदेशों के उल्लंघन में ₹5.10 करोड़ का अनियमित भुगतान किया। लेखापरीक्षा को अभिलेखों में उपरोक्त निर्णय पर वित्त मंत्रालय की स्वीकृति नहीं मिली थी।

निफ्ट ने बताया (दिसम्बर 2013) कि वह अधिकारियों/अध्यायपकों को सरकारी आवास प्रदान करने में असमर्थ था तथा भा.स. के आदेशों के अनुसार देय आ.कि.भ. उपयुक्त आवास हेतु काफी कम था। अतः निफ्ट ने आ.कि.भ. के स्थान पर गवर्नर मंडल (बी.ओ.जी.) के अनुमोदन से गृ.ला.प्रो. देना उचित समझा। तथापि, गवर्नर (बी.ओ.जी.) वित्तीय परिणामों के मद्देनजर इसे वर्तमान बी.ओ.जी. के समक्ष उनके निर्देशों हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2014) कि वित्त मंत्रालय की स्वीकृति नहीं ली गई थी क्योंकि निफ्ट अधिनियम 2006 द्वारा बोर्ड को ऐसे निर्णय लेने हेतु अधिकार प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त, निफ्ट उच्चतर दर पर प्रोत्साहन अदा करने हेतु प्रतिबंधित करने वाले आदेशों से निफ्ट अवगत नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उच्चतर वित्तीय लाभों सहित गृ.ला.प्रो. को भुगतान से भा.स. के आदेशों का उल्लंघन हुआ था। निफ्ट अधिनियम 2006 के अंतर्गत निफ्ट द्वारा लिए गए निर्णय भा.स. के आदेशों से ऊपर नहीं हो सकते। इसलिए, केन्द्र सरकारी कर्मचारियों को ग्राह्य आवास किराया भत्ते से

अधिक गृह लाभ प्रोत्साहन का भुगतान भा.स. के आदेशों के उल्लंघन में अनियमित था।

17.2 जनपथ, नई दिल्ली में हथकरघा विपणन परिसर के निर्माण में असामान्य विलंब

वस्त्र मंत्रालय/उपायुक्त (हथकरघा) द्वारा अपर्याप्त आयोजन तथा निगरानी के परिणामस्वरूप इस उद्देश्य हेतु भूमि के अधिग्रहण के पश्चात 13 वर्षों के बीत जाने पर भी हथकरघा विपणन परिसर का निर्माण नहीं हो पाया। इससे ₹4.25 करोड़ की लागत वृद्धि भी हुई।

विपणन एवं निर्यात संवर्द्धन योजना के अंतर्गत हथकरघा विपणन परिसर के निर्माण हेतु जनपथ, नई दिल्ली में वस्त्र मंत्रालय (व.मं.) को 1.779 एकड़ का एक प्लॉट, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अंतर्गत भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा जून 2001 में ₹39.14 लाख की कीमत पर आवंटित किया गया था। परिसर का निर्माण हथकरघा सदन सहित हथकरघा बुनकर संगठनों के लाभार्थ होना था। विकास आयुक्त (हथकरघा) [वि.आ.(ह.क.)] ने अक्टूबर 2001 में भूमि पर कब्जा ग्रहण कर लिया था। भवन का निर्माण भूमि की सुपर्दगी की तिथि से दो वर्षों के अंदर अर्थात् सितम्बर 2003 तक होना था।

अगस्त 2004¹ में हुई एक बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसरण में, परियोजना को एक फास्ट ट्रैक परियोजना के रूप में लेते हुए इसके नियोजन, आरेखन एवं निष्पादन का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) को सौंपा गया था। के.लो.नि.वि. ने वि.आ. (ह.क.) को ₹26.54 करोड़ के अनुमानित लागत के बारे में सूचित किया (अगस्त 2005)। परंतु, सितम्बर 2006 में, के.लो.नि.वि. ने कार्य परिधि में वृद्धि, अर्थात् नई दिल्ली नगर निगम के आदेशानुसार पार्किंग हेतु भूतल में 3759 वर्ग मी. का अतिरिक्त

¹ 2001 से 2004 की अवधि के दौरान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भवन के अनुमेय ऊँचाई की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी।

क्षेत्र, जहाँ वातानुकूलन उपलब्ध किया जाना था वहाँ क्षेत्र में प्रस्तावित वृद्धि आदि, के कारण अपने पिछले अनुमान को संशोधित कर ₹41.46 करोड़ कर दिया। संशोधित अनुमान में ₹2.16 करोड़ की लागत वृद्धि भी शामिल थी।

वि.आ. (ह.क.) ने जनवरी 2007 में, के.लो.नि.वि. से परियोजना को वापस लेने का निर्णय किया क्योंकि वह कार्य सौंपे जाने के बाद ढाई वर्ष बीत जाने पर भी स्थानीय निकायों से मंजूरी प्राप्त करने में असमर्थ रहा था। तत्पश्चात परियोजना को हिन्दुस्तान इस्पात कार्य निर्माण लिमिटेड (हि.इ.का.नि.लि.) को दे दिया गया था जिसने कार्य स्थल के प्रत्यक्ष कब्जे (फरवरी 2009) के 19 माह के अंदर निर्माण कार्य को पूरा करने का प्रस्ताव रखा। ₹42.00 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन अगस्त 2008 में प्राप्त हुआ जिसके प्रति अप्रैल 2014 तक ₹42.40 करोड़ की राशि जारी की गयी एवं हि.इ.का.नि.लि. द्वारा ₹1.15 करोड़ का एक अतिरिक्त बिल भी प्रस्तुत किया गया था।

लेखापरीक्षा जाँच से ज्ञात हुआ कि के.लो.नि.वि. से कार्य वापस लेने का उद्देश्य निर्माण को यथाशीघ्र पूरा करना था क्योंकि 29 माह (अगस्त 2004 से जनवरी 2007) बीत जाने के बाद भी स्थानीय निकायों से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहने के कारण के.लो.नि.वि. निर्माण-कार्य आरंभ नहीं कर सका था। हि.इ.का.नि.लि. भी, एक निर्माण-कार्य संस्था के तौर पर कार्य पूरा करने की निर्धारित अवधि अर्थात् 19 माह के प्रति, 63 माह (फरवरी 2009 से अप्रैल 2014) के बाद भी परिसर व.मं. को सौंपने में विफल रहा।

वि.आ. (ह.क.) ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2013) में बताया कि हि.इ.का.नि.लि. के अनुसार निर्माण कार्य आरम्भ न होने के कारण वन विभाग से अनुमति में विलम्ब, कार्य-स्थल पर काफी अंदर तक आर.सी.सी./पी.सी.सी. ब्लॉकों की विशाल मौजूदगी, दुकानदारों द्वारा बाधा जिन्होंने जनपथ की तरफ से प्रवेश मार्ग अवरुद्ध करने के अलावा भूमि का काफी अधिक हिस्सा घेरा हुआ था। स्थानीय दुकानदारों द्वारा वाहनों को अप्राधिकृत रूप से खड़ा करना एक प्रमुख बाधा थी। न.दि.न.नि. द्वारा अप्रैल 2010 में एच.टी. ट्रांसफॉर्मरों को

स्थानांतरित किया गया था जिससे गहरे उत्खनन के योजनानुसार कार्यक्रम को प्रभावित किया था।

वि.आ. (ह.क.) ने आगे बताया (मई 2014) कि जनपथ में विपणन परिसर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था। तथापि, न.दि.न.नि. से समाप्ति प्रमाणपत्र न मिलने के कारण हि.इ.का.नि.लि. द्वारा वि.आ. (ह.क.) को परिसर का कब्जा नहीं दिया गया था।

वि.आ. (ह.क.) के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि वि.आ. (ह.क.) एवं हि.इ.का.नि.लि. के मध्य परिसर निर्माण हेतु हुए अनुबंध के उपबंध 2 के अनुसार, हि.इ.का.नि.लि. को कार्य-स्थल की बिना किसी बाधा के सुपुर्दगी सुनिश्चित करना वि.आ. (ह.क.) की जिम्मेदारी थी। यद्यपि, फरवरी 2009 में कार्य-स्थल पर अतिक्रमण मुक्त भौतिक कब्जा सौंपे जाने की बात कही गई थी, हि.इ.का.नि.लि. को कार्य स्थल वास्तव में बाधाओं से रहित नहीं था जैसाकि वि.आ.(ह.क.) के उत्तर से स्पष्ट है।

अतः, व.मं./वि.आ. (ह.क.) द्वारा अपर्याप्त योजना एवं निगरानी के कारण हथकरघा विपणन परिसर, जिसका निर्माण सितम्बर 2003 तक हो जाना था, को अप्रैल 2014 तक वांछित उपयोग में नहीं लाया जा सका और ₹4.25 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

अध्याय XVIII : पर्यटन मंत्रालय

18.1 सामान तथा सेवाओं के प्रापण में अनियमितताएं

भारत पर्यटन कार्यालय, बीजिंग ने सामान्य वित्तीय नियमावली के उल्लंघन में ₹7.17 करोड़ की सीमा तक के सामान तथा सेवाओं का प्रापण किया

पर्यटन मंत्रालय में पांच विदेशी क्षेत्रीय भारत पर्यटन कार्यालय¹ तथा नौ उप-क्षेत्रीय कार्यालय² हैं। विदेशी भारत सरकार के पर्यटन कार्यालय (भा.स.प.का.) का मुख्य कार्य विदेशी विपणन करना, पर्यटन प्रोत्साहन बजारों में भारत को एक वरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थान बनाना, विभिन्न भारतीय पर्यटन उत्पादों को प्रोत्साहित करना तथा सार्वभौम पर्यटन बाजार में भारतीय अंश को बढ़ाना है।

2009-12 की अवधि हेतु भा.स.प.का., बीजिंग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने अवधि के दौरान भा.स.प.का., बीजिंग द्वारा सामान तथा सेवाओं के प्रापण में सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 (सा.वि.नि.) के प्रावधानों के गैर-अनुपालन को प्रकट किया (जून 2013)। सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 (सा.वि.नि.) का नियम 137 सार्वजनिक खरीद के मौलिक सिद्धांतों का उल्लेख करता है जिसके अनुसार प्रस्ताव स्पष्ट, पारदर्शी तथा व्यवहार्य प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए आमंत्रित किया जाना चाहिए। सा.वि.नि. का नियम 160 निर्धारित करता है कि धन का उत्तम मान सुरक्षित करने हेतु सभी सरकारी क्रय पारदर्शी, प्रतियोगी तथा स्पष्ट प्रकार से किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, नियम 168 बताता है कि जहाँ कार्य अथवा सेवा की अनुमानित लागत रुपये पच्चीस लाख तक है, तो वहाँ ऐसे कार्यों में शामिल अन्य मंत्रालयों अथवा विभागों अथवा संगठनों, वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल, सलाहकार फर्म संघ आदि से औपचारिक तथा अनौपचारिक पूछताछ के आधार

¹ दुबई, फ्रैंकफर्ट, न्यूयार्क, सिडनी तथा टोक्यो

² एम्सटरडेम, बीजिंग, जोहान्सबर्ग, लन्दन, लॉस एंजल्स, मिलान, पेरिस, सिंगापुर तथा टोरंटो

पर संभव सलाहकारों की एक लम्बी सूची तैयार करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जहां कार्य अथवा सेवा की अनुमानित लागत ₹ पच्चीस लाख से अधिक है तो वहाँ सलाहकार से 'हित की अभिव्यक्ति' की मांग से संबंधित पूछताछ को कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक तथा मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- (i) भा.स.प.का., बीजिंग ने 2009 से 2012 के दौरान उपरोक्तित सा.वि.नि. के प्रावधानों की अनुपालना किए बिना प्रचार, सेमीनारों, प्रदर्शनियों, मेलों हेतु तथा बीजिंग तथा चीन में अन्य मुख्य शहरों में अन्य पर्यटन संबंधित प्रोत्साहन कार्यों हेतु विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं के प्रापण हेतु 2009-12 के दौरान जारी आर.एम.बी. 1,06,86,297 (₹7,46,97,216³) की कीमत के कुल 155 कार्य आदेशों में से भा.स.प.का., बीजिंग ने आर.एम.बी. 1,02,62,752 (₹7,17,36,636³) की कीमत के 153 कार्यों, जो कि कुल 155 कार्यों की कीमत का लगभग 96 प्रतिशत है, को एक कम्पनी अर्थात् मेसर्स डी.पी.एस. कंसल्टिंग कम्पनी लिमिटेड को सौंपा। इन अधिकांश मामलों में, तीन कम्पनियों से कोटेशन प्राप्त की गयी थी, जिसमें से एक स्थिर रूप से मेसर्स डी.पी.एस. कंसल्टिंग कम्पनी लिमिटेड थी। दोबारा, इन अधिकांश मामलों में, अन्य दो कम्पनियां मेसर्स बीजिंग जिनगुआन एंड कम्पनी लिमिटेड तथा योमो एडवर्टाईजिंग कम्पनी लिमिटेड था। मेसर्स बीजिंग जिनगुआन एंड कम्पनी लिमिटेड तथा योमो एडवर्टाईजिंग कम्पनी लिमिटेड से प्राप्त कोटेशन सादे कागजों पर थीं तथा उनमें उनका पता, दूरभाष संख्या अथवा ई-मेल जैसे आधारभूत विवरण भी शामिल नहीं थे।

³ जबकि लेखापरीक्षा में जनवरी 2009 से मार्च 2012 (39 महीनों) की अवधि को शामिल किया गया था। फिर भी परिवर्तन दर को अगस्त 2010, 19 महीने अर्थात् आर.एम.बी. 1=₹6.99 हेतु सरकारी विनिमय दर के रूप में माना गया था।

- (ii) भा.स.प.का., बीजिंग ने सौंपे गए कार्यों की कीमत को निदेशक भा.स.प.का., बीजिंग की शक्तियों के अंतर्गत रखने हेतु कार्य आदेशों को बारंबार बांटा।
- (iii) अप्रैल 2012 की अवधि तक किए गए प्रापणों में, आर.एम.बी. 10,71,586 (₹74,90,386) की राशि सेवा शुल्क के रूप में अदा की गई थी, जबकि अप्रैल 2012 के बाद से किसी भी नए विक्रेता ने सेवा शुल्क के रूप में 15 प्रतिशत तक का दावा नहीं किया।

भा.स.प.का. बीजिंग ने उत्तर दिया (जनवरी 2014) कि अभ्युक्तियों को संज्ञान में ले लिया गया है तथा भविष्य में अनुपालना हेतु उचित ध्यान भी रखा जाएगा। उसने आगे बताया कि वर्तमान में भा.स.प.का. बीजिंग पूर्ण सम्पर्क विवरण सहित केवल शीर्ष पत्र पर ही कोटेशन स्वीकार करता है।

मंत्रालय अपने उत्तर (मार्च 2014) में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से सहमत हुआ तथा बताया कि उन्होंने सभी विदेशी पर्यटन कार्यालयों को मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है जिसने उनके द्वारा संबंधित नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जानी शामिल है। इसके अतिरिक्त, विदेशी कार्यालयों से संबंधित वाउचरों की पश्च जांच के दौरान पाई गई सामान्य अनियमितताओं/कमियों से बचने के लिए वित्तीय नियंत्रक (पर्यटन) द्वारा एक जांच सूची प्रेषित कर दी गई है। मंत्रालय ने आगे बताया कि इसने वर्तमान में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अपेक्षित अनुशासनिक कार्रवाई की है।

18.2 गैर-मौजूदा संस्थाओं को कार्य की सुपुर्दगी

भारत सरकार पर्यटन कार्यालय लंदन के सामान्य वित्तीय नियमावली में निर्धारित पारदर्शी एवं उचित प्रापण प्रक्रिया के अनुपालन की विफलता गैर-मौजूदा संस्थाओं को अनुबंध प्रदान करने और ₹97.44 लाख⁴ के परिणामी भुगतान में परिणत हुई।

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 (सा.वि.नि.) व्यवस्था करता है कि विज्ञापन द्वारा निविदा का आमंत्रण (खुली निविदा) का उपयोग उन वस्तुओं अथवा सेवाओं के लिए किया जाए, जिनकी लागत ₹25 लाख अथवा अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाली हो। विज्ञापन को कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक एवं संगठन की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए।

भारत सरकार पर्यटन कार्यालय (भा.स.प.का.), लंदन के 2010-11 की अवधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उद्घाटित किया (जून 2011) कि निम्न दो मामलों में भा.स.प.का., लंदन ने खुली निविदाएं आमंत्रित नहीं की जबकि निर्माण कार्य का मूल्य ₹25 लाख से अधिक था एवं निर्माण कार्य को ऐसी संस्थाओं को सौंप दिया और भुगतान कर दिया, जिनके पते ठिकाने सत्यापन योग्य नहीं थे:

(क) 2010-11 के दौरान यू.के. एवं आयरलैण्ड में 18 पर्यटन मेलों एवं प्रदर्शनियां में स्थित भारत पर्यटन निर्माण है

भा.स.प.का., लंदन द्वारा उपरोक्त निर्माण-कार्य हेतु कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था, यद्यपि निर्माण-कार्य का मूल्य ₹25 लाख से अधिक था। सा.वि.नि. के प्रावधानों के अनुसार खुली निविदा आमंत्रित करने के बजाए, भा.स.प.का., लंदन ने तीन अभिकरणों यथा, मैसर्स आर.ए.आर. ओकेजन्स आर.ए.आर. (01 मई 2010), मैसर्स ऑरेंज इवेंट्स (16 अप्रैल 2010) एवं मैसर्स एब्सोल्यूट इवेंट्स (22 अप्रैल 2010) से उद्धरण प्राप्त किया।

⁴ ₹59.40 लाख जमा ₹38.04 लाख

लेखापरीक्षा ने पाया कि मैसर्स आर.ए.आर. ओकेजन्स को अनुबंध प्रदान करने का प्रस्ताव भा.स.प.का., लंदन द्वारा 29 अप्रैल 2010 को संस्वीकृति कर दिया गया था। अर्थात् उनसे बोली प्राप्त करने के पूर्व, जो बाद में 1 मई 2010 को प्राप्त किया गया था। मैसर्स आर.ए.आर. को उपरोक्त निर्माण-कार्य हेतु उसके चयन के बारे में सूचित (मई 2010) करते हुए भा.स.प.का., लंदन ने बगैर किसी औपचारिक अनुबंध किए ही कार्य शुरू करने के लिए कहा। भा.स.प.का., लंदन ने जून 2010 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान मैसर्स आर.ए.आर. को वैट के प्रति £12960 की राशि सहित £82276.34 की राशि (₹59.40 लाख के बराबर) का भुगतान किया। भा.स.प.का., लंदन एक सरकारी संगठन होने के कारण वैट वापसी का हकदार था। यह वैट की वापसी का दावा नहीं कर सकता था क्योंकि मैसर्स आर.ए.आर. द्वारा प्राप्त किए गए इनवॉयसों में वैट पंजीकरण संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था। भा.स.प.का., लंदन द्वारा मैसर्स आर.ए.आर. को उनके वैट पंजीकरण संख्या की मांग करते हुए जारी किया गया पत्र (अप्रैल 2011) भी बगैर सुपुर्दगी के वापस प्राप्त हुआ था। मैसर्स ऑरेंज इवेंट्स (मामले के तीन बोली कर्ताओं में से एक) के लेखाकार ने भा.स.प.का., लंदन को सूचित किया कि मैसर्स आर.ए.आर. ओकेजन्स, मैसर्स ऑरेंज इवेंट्स का ही एक व्यवसायिक नाम था।

अतः, भा.स.प.का., लंदन ने सा.वि.नि. के प्रावधानों का पालन किये बगैर निर्माण-कार्य सौंपे और जून 2010 से मार्च 2011 के दौरान मैसर्स आर.ए.आर. ओकेजन्स की £82276.34 (₹59.40 लाख)⁵ की राशि का भुगतान किया, जो एक अवास्तविक संस्था अर्थात् मैसर्स ऑरेंज इवेंट्स लि. के लिए केवल एक व्यवसायिक नाम था।

⁵ जून 2010 से मार्च 2011 के दौरान प्रभावी विनिमय दर के अनुसार।

(ख) नवम्बर 2010 में विश्व यात्रा बाजार (वि.या.बा.) के दौरान 'भारतीय शाम' हेतु 550 मेहमानों के लिए कार्पोरेट रात्रि भोज का आयोजन

भा.स.प.का., लंदन ने सा.वि.नि. के प्रावधानों का फिर से उल्लंघन किया और मैसर्स करी स्पेशल, मैसर्स मधुस लि. तथा मैसर्स एस.एल. इवेंट्स एवं कैटरिंग (मैसर्स एस.एल.ई.सी.) नामक तीन अभिकरणों द्वारा कार्पोरेट रात्रि भोज के आयोजन हेतु कोटेशन प्राप्त (सितम्बर 2010) किये। मैसर्स एस.एल.ई.सी. का प्रस्ताव सबसे कम पाया गया था। बाद में, इवेंट के दौरान कार्पोरेट रात्रि भोज के स्थान पर केवल जलपान कराने का निर्णय (अक्टूबर 2010) लिया गया था। नये प्रस्ताव मंगाने के बजाय, भा.स.प.का. लंदन ने सबसे कम बोली लगाने वाले मैसर्स एस.एल.ई.सी. को केवल जलपान हेतु कोटेशन देने को कहा गया। मैसर्स एस.एल.ई.सी. (अक्टूबर 2010) केवल जलपान हेतु £52000 (₹38.04 लाख के बराबर)⁶ की कोटेशन प्रस्तुत की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मैसर्स करी स्पेशल तथा मैसर्स एस.एल.ई.सी. द्वारा प्रस्तुत कोटेशनों में कोई टेलीफोन नम्बर या ई-मेल पता नहीं दिया गया था। भा.स.प.का., लंदन ने, हालांकि बोलीकर्ता को संपर्क नम्बर देने के लिए नहीं कहा था। इसके अतिरिक्त भा.स.प.का., लंदन ने £52000 की पूरी राशि का भुगतान मैसर्स एस.एल.ई.सी. (29 सितम्बर 2010 को £25000 और 9 अक्टूबर 2010 को £27,000) को मैसर्स एस.एल.ई.सी. द्वारा संशोधित प्राक्कलन (जो बोलीकर्ता द्वारा 15 अक्टूबर 2010 को बाद में प्रस्तुत किए) प्राप्त किए बगैर ही तथा 'भारतीय शाम' आयोजित किए जाने के पूर्व ही (10 नवम्बर 2010) कर दिया। लेखापरीक्षा को भा.स.प.का., लंदन मैसर्स एस.एल.ई.सी. के साथ हुए किसी आपूर्ति आदेश अथवा अनुबंध भी प्राप्त नहीं हुआ। 'भारतीय शाम' हेतु निमंत्रण पत्र पर मैसर्स आर.ए.आर. ओकेजन्स का

⁶ £25000, जो ₹18.48 लाख के बराबर है (सितम्बर 2010 के दौरान 1£ = ₹73.91 के विनिमय दर पर) का भुगतान 29 सितम्बर 2010 को तथा ₹19.56 लाख के बराबर £27000 (अक्टूबर 2010 में प्रभावी 1£ = ₹72.46 के विनिमय दर पर) का भुगतान 9 अक्टूबर 2010 को किया गया था।

नाम आर.एस.वी.पी.⁷ के रूप में और मैसर्स औरेंज इवेंटस के टेलीफोन नम्बर के साथ था, जो मैसर्स एस.एल.ई.सी. को एक संदिग्ध संस्था सिद्ध करता था।

लेखापरीक्षा द्वारा जुलाई 2011 में इंगित करने पर, पर्यटन मंत्रालय (मंत्रालय) ने उत्तर दिया (अप्रैल 2013) कि भा.स.प.का., लंदन के तत्कालीन निदेशक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

लेखापरीक्षा का मत था कि भा.स.प.का., लंदन द्वारा सा.वि.नि. प्रावधानों का अनुपालन किये बगैर अनुबंधों की ऐसी संस्थाओं को सुपुर्दगी, जिनकी मौजूदगी अभिलेखों के माध्यम से सत्यापित नहीं की जा सकती थीं। पर्यटन मंत्रालय की ओर से निम्न स्तर के मॉनीटरिंग को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त भा.स.प.का., लंदन द्वारा उपरोक्त मामलों में निधियों के दुर्विनियोजन से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः, भा.स.प.का., लंदन द्वारा पारदर्शी, प्रतिस्पर्धा एवं सही प्रापण प्रक्रिया के अनुपालन में विफलता गैर-मौजूदा संस्थाओं के अनुबंधों की सुपुर्दगी एवं ₹97.44 लाख⁸ के परिणामी भुगतान में परिणत हुआ।

⁷ प्रतिक्रिया हेतु अनुरोध (फ्रेंच रेसपॉन्डेज सीलवस प्लैट)।

⁸ ₹59.40 लाख जमा ₹38.04 लाख

अध्याय XIX : संघ शासित क्षेत्र

अण्डमान एवं निकोबार सचिवालय

19.1 ₹24.00 करोड़ का अनियमित आहरण

₹24.00 करोड़ की पूंजीगत योजनागत निधि का सा.वि.नि. के नियम 56 (1) के पूर्ण उल्लंघन में आहरण किया गया तथा मार्च 2013 से सरकारी खाते के बाहर रखा गया था।

अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन (प्रशासन) ने एक 500 यात्री सह 150 टन माल जहाज के निर्माण हेतु भारती शिपयार्ड लि., मुंबई (शिपयार्ड) के साथ एक करार किया (मार्च 2012)। जहाज को सितम्बर 2014 तक सुपुर्द किया जाना था।

करार की शर्तों के अनुसार, भुगतान आठ किशतों में किया जाना था। वर्गीकरण समिति के सर्वेक्षक द्वारा जारी चरण प्रमाण-पत्र तथा भारतीय पोत परिवहन निगम¹ (भा.पो.नि.) द्वारा जारी चरण समाप्ति प्रमाण-पत्र सहित दस्तावेजीय प्रमाण प्रस्तुत करने पर शिपयार्ड को तीसरे चरण का भुगतान किया जाना था।

अभिलेखों ने प्रकट किया कि प्रथम दोनों चरण समाप्त थे तथा प्रशासन द्वारा भुगतान जारी किए गये थे। तथापि, यह पाया गया था कि भा.पो.नि. ने तीसरे चरण को प्रमाणित करने में अपनी असमर्थता व्यस्त की (फरवरी 2013) क्योंकि शिपयार्ड जहाज निर्माण संविदा के अनुसार सभी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असमर्थ था।

भा.पो.नि. से प्रमाणन के अभाव में तीसरे चरण हेतु ₹24.50 करोड़ की आवंटित राशि को वित्तीय वर्ष 2012-13 के भीतर अदा नहीं किया जाना चाहिए था, वह योजनागत योजना के अंतर्गत प्रशासन के पास पड़ी थी

¹ प्रशासन हेतु सलाहकार

(मार्च 2013)। अनुदानों अथवा विनियोग की पूर्वानुमानित बचतों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले वित्त मंत्रालय (वि.मं.) को अभ्यर्पित करना अपेक्षित था जैसा सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) के नियम 56 (1) के तहत निर्धारित है। अभिलेखों के अनुसार, प्रधान सचिव, पोतपरिवहन ने तीसरे चरण के समापन के प्रति प्रमाणन में विलम्ब हेतु भा.पो.नि. को जिम्मेदार ठहराया (25 मार्च 2013) उसने आगे उपलब्ध निधियों में से ₹24.00 करोड़ के आहरण तथा उसे अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम (अ.नि.द्वी.ए.वि.नि.) के पास रखने का प्रस्ताव किया जिससे प्रशासन भा.पो.नि. से प्रमाणन की प्राप्ति के तुरंत पश्चात शिपयार्ड को तीसरे चरण का भुगतान जारी करने में समर्थ हो सके।

प्रस्ताव को (26 मार्च 2013) माननीय उपराज्यपाल द्वारा इस शर्त के तहत स्वीकृत किया गया था कि व्यय सा.वि.नि. मानदण्डों के अनुसार होना चाहिए।

₹24.00 करोड़ के आहरण तथा इसे अ.नि.द्वी.ए.वि.नि. के पास जमा कराने हेतु संस्वीकृति आदेश सा.वि.नि. 2005 के तहत समाविष्ट अग्रिमों का सारांश के नियम 75(1) का उल्लेख करते हुए जारी की गई थी जो इस मामले में असंगत थी क्योंकि अ.नि.द्वी.ए.वि.नि. के पास निधियों को अलग से रखे जाने का 'विशेष विभागीय उद्देश्यों हेतु सरकारी कर्मचारियों तथा अन्यो को अग्रिम' के साथ कोई संबंध नहीं था। वास्तव में ₹24.00 करोड़ का आहरण तथा सावधि जमा में रखे जाने हेतु अ.नि.द्वी.ए.वि.नि. को इसका प्रेषण सा.वि.नि. के उल्लंघन में किया गया था। फरवरी 2014 को निधि भारतीय स्टेट बैंक में अ.नि.द्वी.ए.वि.नि. के सावधि जमा खाते में पड़ी थी।

इस प्रकार, सा.वि.नि. के नियम 56(1) के पूर्ण उल्लंघन में पूंजीगत योजनागत निधि के अनियमित आहरण का परिणाम मार्च 2013 से ₹24.00 करोड़ का सरकारी स्रोत के बाहर पडे रहने में हुआ।

मामला नवम्बर 2013 में मंत्रालय/विभाग को सूचित किया गया था। विभाग ने कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित था (मई 2014)।

विद्युत विभाग

19.2 परिहार्य व्यय

विद्युत मांग के अवास्तविक परिप्रेक्ष्य के साथ मौजूदा बिजली उत्पादन क्षमता का आंकलन किए बिना तीन नए डी.जी. सेट के प्रापण के अविवेकहीन निर्णय के कारण 33 से लेकर 52 महीनों तक की अवधि के लिए पुराने डी.जी. सेट व्यर्थ पड़े रहे तथा ₹8.08 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

लघु अण्डमान उपप्रभाग, विद्युत विभाग, अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन (प्रशासन) के पास सुनामी (दिसम्बर 2004) से पहले पांच 320 के.वी.ए. डीजल जनरेटर (डी.जी.) तथा एक 1000 के.वी.ए.² से 2.08 मैगावाट (मे.वा.)³ की बिजली उत्पादन करने की क्षमता थी। इसके अतिरिक्त, दो 1000 के.वी.ए. डी.जी. सेट संस्थापित करने थे तथा एक 320 के.वी.ए. डी.जी. सेट की मरम्मत की जानी थी (दिसम्बर 2004)। दिसम्बर 2004 की सुनामी से सभी डी.जी. सेटों को क्षति हुई थी।

अभिलेखों से पता चला कि तीन 320 के.वी.ए. तथा एक 1000 के.वी.ए. डी.जी. सेटों की मरम्मत हो चुकी थी और जुलाई 2005 में संस्थापित किए जा चुके थे। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2005 में "पूर्ण रिकॉन विनिमय" योजना के अंतर्गत मूल उपकरण उत्पादक (मू.उ.उ.) द्वारा दो 1000 के.वी.ए. डी.जी. सेटों (जोकि संस्थापित किए जाने थे) की मरम्मत का कार्य किया जा रहा था। इस प्रस्ताव को प्रशासन द्वारा अप्रैल-मई 2005 में अनुमोदित किया गया था तथा परिणामस्वरूप, (अगस्त 2005) में मू.उ.उ. के साथ अनुबंध किया गया था। अभिलेखों से पता चला कि दिसम्बर 2007 में दोनों 1000

² किलो वोल्ट एम्पीयर

³ $\{(5 \times 320 \text{ के.वी.ए.} + 1 \times 1000 \text{ के.वी.ए.}) \times 0.8 \text{ विद्युत फैक्टर}\} / 1000 = 2.08 \text{ मे.वा.}$

के.वी.ए. डी.जी. सेटों को संस्थापित किया गया था। इस प्रकार, लघु अण्डमान की बिजली उत्पादन क्षमता जुलाई 2005 तथा दिसम्बर 2007 में क्रमशः 1.57⁴ मे.वा. तथा 3.17⁵ मे.वा. तक बहाल कर दी गई थी।

इसी बीच में, विद्युत मंत्रालय (वि.मं.) तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) की उच्च शक्ति दल ने अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (अ.नि.द्वी.स.) का दौरा किया (जनवरी 2005) और बिजली उत्पादन प्रणाली के पुर्नस्थापन तथा बहाल करने का कार्य राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (रा.ता.वि.नि.) को सौंप दिया। यह निर्णय लिया गया कि 12.75 मे.वा. की क्षमता वाले 15 डी.जी. सेटों को सभी सुनामी प्रभावित द्वीपसमूहों अर्थात् कच्छल द्वीपसमूह, रंगत घाटी, कार निकोबार और लघु अण्डमान में संस्थापित किया जाएगा। इनमें से, के.वि.प्रा. तथा वि.मं. द्वारा तीन मे.वा. की भविष्य में बिजली की मांग प्रक्षेपित किए जाने के पश्चात लघु अण्डमान के लिए तीन नए, एक मे.वा. डी.जी. सेट अनुमोदित किए गए थे। तदनुसार, मार्च 2006 में तीन, एक मे.वा. (1250 के.वी.ए.) डी.जी. सेटों के संस्थापन एवं प्रवर्तन हेतु आदेश किए गए थे तथा सुनामी पुर्नवास कार्यक्रम (सु.पु.का.) के अंतर्गत जून 2006 तथा दिसम्बर 2006 के बीच रा.ता.वि.नि. को विद्युत विभाग ने ₹8.08 करोड़ का भुगतान किया था। प्रतिकूल जलवायु स्थितियों द्वारा हुए पोत गतिविधि में रूकावट तथा नए बिजलीघर के निर्माण में विलंब के कारण चार वर्षों के विलंब के पश्चात् नवनिर्मित बिजलीघर में (जुलाई 2010) नए डी.जी. सेटों को संस्थापित एवं प्रवर्तन में लाया गया था। वर्तमान डी.जी. सेटों के खाली पड़े रहने से बचने के लिए मई 2009 और जून 2013 के मध्य अन्य स्थानों पर या तो स्थानांतरण कर दिया गया था या फिर उन्हें पुराने बिजलीघर पर खाली रखा गया था।

⁴ $\{(1 \times 1000 \text{ के.वी.ए.} + 3 \times 320 \text{ के.वी.ए.}) \times 0.8 \text{ विद्युत फैक्टर}\} / 1000 = 1.57 \text{ मे.वा.}$

⁵ $\{(3 \times 1000 \text{ के.वी.ए.} + 3 \times 320 \text{ के.वी.ए.}) \times 0.8 \text{ विद्युत फैक्टर}\} / 1000 = 3.17 \text{ मे.वा.}$

लेखापरीक्षा संवीक्षा (अगस्त 2013) से पता चला कि लघु अण्डमान उप प्रभाग के लिए तीन मे.वा. की प्रक्षेपित भविष्य मांग के प्रति जुलाई 2013 तक दर्ज की गई उच्चतम मांग 1.83 मे.वा. थी।

अतः, विद्युत मांग के अवास्तविक परिप्रेक्ष्य के साथ मौजूदा बिजली उत्पादन क्षमता का आंकलन किए बिना तीन नए मे.वा.डी.जी. सेट के प्रापण के अविवेकहीन निर्णय के कारण 33 से लेकर 52 महीनों तक की अवधि के लिए पुराने डी.जी. सेट व्यर्थ पड़े रहे तथा ₹8.08 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ (जनवरी 2014)।

उत्तर में, विभाग ने बताया (जनवरी 2014) कि तीन नए डी.जी. सेटों का प्रापण न्यायसंगत नहीं था किन्तु उस समय यह समझ नहीं आया था। यह उत्तर इस तथ्य के विपरीत था कि “पूर्ण रिकॉन विनिमय” योजना हेतु अनुमोदन को प्रशासन द्वारा अप्रैल-मई 2005 में स्वीकृत कर दिया गया था और उसी के लिए अगस्त 2005 में मू.उ.उ. के साथ अनुबंध किया गया था जबकि नए डी.जी. सेटों के लिए आदेश मार्च 2006 में दिया गया था। इस प्रकार, विभाग को इस तथ्य के बारे में पता था कि पुराने डी.जी. सेटों के नवीकरण पर बिजली उत्पादन क्षमता को 3.17 मे.वा. तक बहाल कर दिया जा सकता था।

इस मामले को नवम्बर 2013 में मंत्रालय को सूचित कर दिया गया था, उनका उत्तर मई 2014 तक प्रतीक्षित था।

पोत परिवहन सेवाएं निदेशालय

19.3 ₹7.50 करोड़ का निष्फल व्यय

एक जलयान, जिसका प्रापण 1997 में ही हुआ था और जिसे 1999 में यात्रियों हेतु उपलब्ध कराया जाना था, को 2006 एवं 2008 के मध्य एक सीमित समय के लिए उपयोग में लाया गया। इसके अधिग्रहण पर किया गया ₹7.50 करोड़ का व्यय अधिकांशतः निष्फल रहा क्योंकि जलयान 2008 से ही बेकार पड़ा हुआ था एवं जिस उद्देश्य के लिए इसे लाया गया था वह पूरा नहीं हुआ।

कार्गो यातायात में तीव्र वृद्धि के कारण कार्गो जलयानों की संख्या में वृद्धि करने की दृष्टि से, अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन (प्रशासन) ने 400 टन कार्गो जलयान का अधिग्रहण प्रस्तावित किया। थल यातायात मंत्रालय ने मैसर्स शालीमार वर्क्स लिमिटेड (निर्माता) से अधिग्रहण को संस्वीकृत (मार्च 1997) किया था।

प्रशासन ने कार्गो जलयान, एम. वी. चुगलम (जलयान) के निर्माण एवं वितरण हेतु निर्माता के साथ एक समझौता (जून 1997) किया। जलयान को फरवरी 1999 में दिया जाना था। जलयान को पोर्ट ब्लेयर में अगस्त 2006 अर्थात् सात वर्ष के विलंब के बाद दिया गया।

पोत परिवहन सेवाएं निदेशालय द्वारा जलयान के निरीक्षण एवं समुद्री जाँच के दौरान कुछ त्रुटियां पायी गयी थीं। तथापि पो.प.से.नि. ने इस शर्त पर कि निर्माता सभी त्रुटियों को सुधारेगा और प्रमाण-पत्र को पुनः सत्यापित करेगा, के आधार पर बेकारी से बचने के लिए जलयान को, ले लिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि इसे त्रुटि सुधार की गारंटी एवं प्रमाण पत्रों के पुनःसत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जाने के पूर्व जलयान ने 02 दिसम्बर 2006 एवं 07 फरवरी 2007 को, केवल दो ही यात्राएं की। त्रुटियों को सुधार लिया गया था तथा प्रमाणीकरण औपचारिकताओं के पूरा होने पर, जलयान को नवम्बर 2007 को चालू कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि, जलयान ने 2006 से 2008 के मध्य केवल 14 यात्राएं की और सितंबर 2008 के बाद, जलयान ने निम्न कारणों से कोई यात्रा नहीं की थी;

- विभिन्न गारंटी कमियों को पूरा नहीं करने और कुछ वैधानिक प्रमाण पत्रों की समाप्ति
- आई.एस.एम. कोड का गैर कार्यान्वयन⁶.
- जलयान के अभियांत्रिकी विभाग में भर्ती के लिए शिक्षित कर्मचारियों की गैर-उपलब्धता
- आई.एस.एम. के कार्यान्वयन हेतु पदासीन अधिकारियों की गैर-उपलब्धता

लेखापरीक्षा ने इसके अतिरिक्त पाया कि प्रशासन ने जलयानों के विलंबित आपूर्ति हेतु प.क्ष. प्रभारों की राशि निर्धारित करने के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया था।

उनके उत्तर में, पो.प.से.नि. ने बताया (जुलाई 2013) कि कमियों को पूरा करने के लिए कई कदम उठाये गये थे जैसे कि आई.आर.एस. सर्वेक्षक के साथ वैधानिक प्रमाणीकरण के पुनःसत्यापन शुरू किये गये, कर्मचारियों की नियुक्ति की समस्या हेतु डॉ. भी.रा. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, पोर्ट ब्लेयर में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, तथा तकनीकी प्रबंधन की कमियों हेतु, आउटसोर्सिंग के लिए मई 2012 में एक प्रस्ताव रखा गया था। इसके अतिरिक्त, भर्ती एवं तकनीकी प्रबंधन हेतु भा.पो.नि. से भी संपर्क किया गया था और संविदा की शर्तों के साथ उससे अपनी स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया था। भा.पो.नि. ने ₹119.62 लाख प्रति माह का बजट अनुमान प्रस्तुत किया था, जबकि एल.1 द्वारा प्रस्तुत निविदा में उद्धृत दर ₹9.90 लाख थी। मामले को फिर से प्रशासन के पास एक उपयुक्त निर्णय हेतु भेजा गया था।

⁶ अ.सु.प्र. कोड: अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन कोड का अर्थ जहाजों का सुरक्षित संचालन एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन कोड है।

उत्तर जलयान में कर्मचारियों की भर्ती एवं तकनीकी प्रबंधन को आउटसोर्स नहीं करने के कारणों की व्याख्या नहीं करते, जैसा कई अन्य यात्री जलयानों के मामले में, लंबे समय (सितंबर 2008 से अक्टूबर 2013) से किया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निविदा प्रलेखों के ब्यौरे के अनुसार, जलयान के विलंबित आपूर्ति हेतु, परिसमापन क्षतियों (प.क्ष.) प्रभारों के आरोपण की अधिकतम सीमा पाँच प्रतिशत थी, तथापि, करार करते समय प.क्ष. प्रभारों के आरोपण हेतु पांच प्रतिशत की सीमा को हटा दिया गया था। बाद में यह तय किया गया कि पूरे मामले को देखने के लिए और सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया जाए, जिसका सभी शिपयार्डों एवं मालिकों द्वारा पालन किया जा सके। जलयानों की विलंबित आपूर्ति हेतु प.क्ष. की राशि, हालाँकि, प्रशासन द्वारा समिति के गठन के अभाव में तय न की जा सकी।

पो.प.से.नि. द्वारा जलयान को चलाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया तथा इस प्रकार एक जलयान, जिसका 1997 में ही ₹7.50 करोड़ की लागत पर प्रापण किया गया था, के व्यय को निष्फल करते हुए 2006 एवं 2008 की अवधि में सीमित रूप से उपयोग हो सका। जलयान 2008 से ही बेकार पड़ा है और जिस उद्देश्य से इसे अधिप्राप्त किया गया था वह विफल हुआ।

मामला अक्टूबर 2013 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

19.4 निष्फल व्यय

बिना किसी सम्भाव्यता अध्ययन के एक डीकम्प्रेसन चैम्बर को संस्थापित करने में योजना की कमी के साथ-साथ प्रशासन के अविचारी निर्णय का परिणाम ₹77.15 लाख के निष्फल व्यय में परिणत हुआ।

योजना आयोग, भारत सरकार ने अण्डमान सागर में डीप सी डाइविंग स्पोर्टों के प्रोत्साहन हेतु एक डीकम्प्रेसन चैम्बर⁷ (चैम्बर) की संस्थापना के लिए सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम (सु.पु.का.) के अंतर्गत ₹50.00 लाख की राशि संस्वीकृत की (दिसम्बर 2005)। निदेशक (पर्यटन) ने चैम्बर को जी.बी.पंत अस्पताल, पोर्टब्लेयर (अस्पताल) में संस्थापित करने का प्रस्ताव किया (सितम्बर 2006) परन्तु उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई थी क्योंकि स्कूबा⁸ डाइविंग केन्द्र वंडूर तथा हैवलॉक जैसे दूर स्थानों पर स्थित थे। निदेशक (पर्यटन) द्वारा (जनवरी 2008) लोक निजी साझेदारी के अंतर्गत चैम्बर को संस्थापित करने हेतु एक अभिरूची अभिव्यक्ति आमंत्रित की थी। तथापि, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। इसके पश्चात, पर्यटन विभाग ने वंडूर में स्कूबा डाइव केन्द्र के नवीकरण, संचालन, अनुरक्षण तथा स्थानांतरण (न.सं.अ.स्था.) के साथ परियोजना को मिलाने का निर्णय लिया (अगस्त 2009) तथा तदनुसार प्रस्ताव हेतु अनुरोध आमंत्रित किया गया था (नवम्बर 2009)। तथापि, इस बार भी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। परिणामस्वरूप, प्रशासन को न.सं.अ.स्था. की परियोजना से प्रस्ताव को अलग करके अस्पताल में चैम्बर के संस्थापन के पुराने प्रस्ताव पर लौटना था (दिसम्बर 2009)। यह भी निर्णय लिया गया था (मार्च 2010) कि निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं (नि.स्वा.से.) को मामले को संसाधित करना चाहिए। अभिलेखों ने प्रकट किया कि प्राथमिक निविदा नोटिस (अगस्त 2010) को रद्द करने के पश्चात

⁷ चैम्बर में लौटते हुए लोगों के लिए मुख्यतः गोताखोर का असामान्य दाब से सामान्य वायुमंडलीय दाब में बिना असंपीड़्य रुग्णता को उभारे, धीरे-धीरे बदला जाता है।

⁸ अन्तर्निहित अंतःजलीय श्वसन उपकरण

नि.स्वा.से. द्वारा चैम्बर के संस्थापन हेतु दरे पुनः आमंत्रित की गई थीं (अगस्त-सितम्बर 2010)। आपूर्ति आदेश ₹77.15 लाख की लागत पर सबसे कम बोलीकर्ता मेसर्स बंगाल एनिमेट इंक, कोलकाता (फर्म) को जारी किया गया था (मार्च 2011)।

फर्म ने चैम्बर की आपूर्ति की तथा अस्पताल में संस्थापित किया (दिसम्बर 2011) तथा में फर्म को ₹77.15 लाख जारी (जनवरी 2012) किया गया था।

चैम्बर की संस्थापना के तुरंत पश्चात, फर्म ने सूचित किया (दिसम्बर 2011) कि चैम्बर के प्रभावी संचालन हेतु ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति आवश्यकता थी तथा इंगित किया कि अस्पताल में उपलब्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त थी। यह अस्पताल के औषधि विशेषज्ञ के कथन (मार्च 2012) द्वारा परिपुष्ट था जिसमें यह उल्लेखित था कि रोगी का उपचार करने हेतु चैम्बर को ऑक्सीजन की भारी आपूर्ति की आवश्यकता थी, जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं थी। आगे यह भी बल दिया गया था कि रोगी सुरक्षा हेतु चैम्बर के प्रचालनात्मक पहलू पर विशेषज्ञ प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था क्योंकि रोगोपचार बिना खतरे के नहीं था।

अभिलेखों ने प्रकट किया कि चैम्बर के संस्थापन पर, नि.स्वा.से. ने चैम्बर हेतु चिकित्सा संपीडित वायु प्रणाली के लिए एक निविदा जारी की थी (दिसम्बर 2012)। जिसे बाद में मार्च 2013 को रद्द कर दिया गया। यह पाया गया था कि नि.स्वा.से. ने प्रस्ताव (जून 2013) कि चैम्बर को भारतीय नौसेना, अ.एवं नि. कमान में स्थानांतरित किया जाए। तथापि, प्रस्ताव को पर्यटन विभाग द्वारा सहमति नहीं दी गई थी क्योंकि चैम्बर न केवल डाइविंग समस्याओं हेतु उपयोगी था बल्कि इसे जलने, गैंग्रीन, न भरने वाले घाव, कार्बन मोनोक्साइड जहर आदि के उपचार हेतु भी उपयोग किया जा सकता था जिससे आम जनता के बड़े वर्ग, जो विभिन्न बीमारियों हेतु अस्पताल आते हैं, का उपचार किया जाता है। परंतु तथ्य रहता है कि चैम्बर के उपयुक्त संचालन हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा विशेषज्ञ प्रशिक्षण के मामले का अभी भी निपटान किया जाना था (दिसम्बर 2013)।

प्रशासन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की और बताया (नवम्बर 2013) कि चैम्बर के संस्थापन हेतु कोई औचित्य अध्ययन नहीं किया गया था। उसने यह भी बताया कि नि.स्वा.से. चैम्बर के संचालन तथा अनुरक्षण की आउटसोर्सिंग करने हेतु निविदा आमंत्रित करेगा।

इस प्रकार, बिना किसी सम्भाव्यता अध्ययन के एक डीकम्पैशन चैम्बर को संस्थापित करने में योजना की कमी के साथ-साथ प्रशासन के अविचारी निर्णय का परिणाम ₹77.15 लाख के निष्फल व्यय में हुआ क्योंकि वह अपने संस्थापन से दो वर्षों, वह अवधि जिसके लिए वारंटी लागू थी, तक व्यर्थ पड़ा था। इसके अतिरिक्त, स्कूबा डाईवरों को जीवन रक्षक उपाय प्रदान करने का प्राथमिक उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था।

मामला अक्टूबर 2013 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

चण्डीगढ़ प्रशासन

चण्डीगढ़ आवास बोर्ड

19.5 चण्डीगढ़ आवास बोर्ड द्वारा परिवर्तन शुल्क का अनियमित प्रतिधारण

चण्डीगढ़ आवास बोर्ड ने चण्डीगढ़ सम्पदा कार्यालय की निधियों पर प्राप्त कुल ₹5.60 करोड़ के ब्याज को जमा नहीं किया था तथा इसे अनियमित रूप से अपने खाते में रखा। ब्याज राशि का एफ.डी.आर. में भी निवेश नहीं किया गया था जिसका परिणाम ₹1.80 करोड़ की सीमा तक की राजस्व की हानि में हुआ।

चण्डीगढ़ आवास बोर्ड (च.आ.बो.) को एक योजना⁹ के नोडल अभिकरण के रूप में नियुक्त किया गया था, तथा यह 13 जून 2008 तक बना रहा। इसके पश्चात नोडल अभिकरण की भूमिका सम्पदा कार्यालय, सं.शा.क्षे. चण्डीगढ़ को

⁹ चण्डीगढ़ योजना 2005 के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र फेस I एवं II में औद्योगिक स्थलों हेतु भूमि उपयोग का वाणिज्यिक गतिविधियों/सेवाओं परिवर्तन

सौंप दी गई थी। योजना के अनुसार औद्योगिकी से वाणिज्यिक गतिविधि में भूमि उपयोग के परिवर्तन हेतु प्लॉट धारकों (आवेदकों) से प्राप्त परिवर्तन शुल्कों को अलग खाते में रखा जाना था तथा इस प्रकार संचित निधियों को अभिकरण की आय के रूप में नहीं गिना जाना था। निधियों को उस पर प्राप्त ब्याज सहित भारत सरकार की स्वीकृति से तैयार किए जाने वाली नियमावली के अनुसार उपयोग किए जाने हेतु "विशेष निधियों" के रूप में रखा जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2013) कि अभिकरण ने परिवर्तन शुल्क के रूप (13 जून 2008 तक) ₹166.46 करोड़ एकत्रित किए। इसमें से ₹5.16 करोड़ उन आवेदकों को वापस किए गए थे जिनके आवेदन या तो रद्द कर दिए गए थे या फिर बाद में उनके द्वारा वापस ले लिए गए थे। आगे, च.आ.बो. ने सरकारी खजाने में ₹118.04 करोड़ जमा किए तथा ₹43.26 करोड़ की अतिरिक्त राशि को सम्पदा कार्यालय को नोडल अभिकरण के रूप में अधिसूचित किए जाने पर उनको अंतरित किए (जुलाई 2008)।

अभिकरणों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि च.आ.बो. ने खजाने में जमा कराने से पहले परिवर्तन शुल्क को वर्ष 2006-2008 के दौरान एफ.डी.आर. के रूप में विभिन्न बैंकों में रखा। इन एफ.डी.आर. पर च.आ.बो. ने जुलाई 2008 तक ₹5.60 करोड़ की सीमा तक ब्याज प्राप्त किया जिसे मार्च 2009 को तुलन पत्र में 'देय' के रूप में दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि च.आ.बो. के अनुवर्ती वर्षों के तुलन पत्र (मार्च 2013) में इसे देय के रूप में दर्शाना जारी रखा। इस प्रकार, च.आ.बो. द्वारा प्राप्त ब्याज की राशि को चार वित्तीय वर्षों की अवधि की समाप्ति पश्चात भी न तो कोष में जमा किया और न ही सम्पदा कार्यालय को अंतरित किया। इसके अतिरिक्त, ब्याज राशि का एफ.डी.आर. में भी निवेश नहीं किया गया था जिसका परिणाम ₹1.80 करोड़¹⁰ की सीमा तक राजस्व की हानि में हुआ।

¹⁰ ब्याज: ₹5.60 करोड़×8.05 (सरकार की ऋण दर)/100=₹45.09 लाख× 4वर्ष=₹1.80 करोड़

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जनवरी 2014) च.आ.बो. ने उत्तर दिया (फरवरी 2014) कि वित्त सचिव, सं.शा.क्षे., चण्डीगढ़ को सूचित (दिसम्बर 2009 तथा दिसम्बर 2010) किया गया था कि ब्याज राशि को च.आ.बो. द्वारा इसलिए रखा गया था क्योंकि यह आयकर विभाग के पास लंबित निर्धारण मामलों के परिणाम के तहत था। च.आ.बो. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि परिवहन नीति के अनुसार परिवर्तन शुल्क की संचित निधियों को अभिकरण की आय के रूप में नहीं माना जाना था तथा यह भा.स. द्वारा स्वीकृत किए जाने वाली नियमावली के अंतर्गत विनिर्दिष्ट उपयोगों के लिए थीं।

इस प्रकार, अनाचरण का परिणाम च.आ.बो. द्वारा चार वित्तीय वर्षों से अधिक के लिए ₹5.60 करोड़ के अनियमित प्रतिधारण तथा एफ.डी.आर. में निधियों के गैर-निवेश के कारण ₹1.80 करोड़ की राजस्व हानि में हुआ।

मामला नवम्बर 2013 को वित्त सचिव, चण्डीगढ़ प्रशासन को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर मई 2014 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XX : युवा मामला एवं खेल मंत्रालय

भारतीय खेल प्राधिकरण

20.1 चिकित्सकीय बिलों का फर्जी आहरण

कनिष्ठ लेखा अधिकारी जिसे भुगतान के लिए बिलों की जाँच करने तथा सत्यापित करने का कर्तव्य सौंपा गया था, उसने अपने पद का लाभ उठाया तथा अपने लिए ₹11.10 लाख की राशि के जाली चिकित्सकीय बिल पारित किए थे।

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 (सा.वि.नि.) के नियम 21 (iii) निर्धारित करता है कि किसी भी प्राधिकरण को अपने व्यय को अनुमोदित करने की शक्तियों का उपयोग ऐसे आदेश को पारित करने के लिए नहीं करना चाहिए, जिससे कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें लाभ हो। क्षेत्रीय केन्द्र, गुवाहटी, भारतीय खेल प्राधिकरण के कनिष्ठ लेखा अधिकारी (क.ले.अ.) के पास जून 2007 से केन्द्र के लेखापरीक्षा/लेखा विभाग का प्रभार था तथा वह भुगतान हेतु बिलों को जांचने एवं सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि क.ले.अ. ने अपनी आश्रित माँ के इलाज पर किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अप्रैल 2012 से जुलाई 2012 के मध्य में ₹11.10 लाख की राशि के तीन चिकित्सा बिल प्रस्तुत किए थे। चिकित्सा दावे में संलग्न दस्तावेजों के अनुसार, उनकी माँ का दिसम्बर 2011 से अप्रैल 2012 के बीच, अस्पताल आई.डी.सं. ए-9146 के अंतर्गत डॉ. भुवनेश्वर बुरुह कैंसर संस्थान, गुवाहटी में तीन बार इंडोर इलाज करवाना पड़ा। भु.बु.कैं.सं., गुवाहटी निवासी शल्य चिकित्सक ने चिकित्सा उपचार के सभी बिलों तथा वाउचरों को प्रतिहस्ताक्षरित एवं प्रमाणित किया था। क.ले.अ. ने स्वयं अपनी चिकित्सा बिलों को सत्यापित किया था तथा जून 2012 एवं अगस्त 2012 के बीच निदेशक भा.खे.प्रा., गुवाहटी द्वारा अनुमोदन दिए जाने के पश्चात ₹11.10 लाख का कुल भुगतान प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा ने क.ले.अ. द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा बिलों में विसंगतियां पायी गई थी। जनवरी 2012 एवं फरवरी 2012 में पुस्तिका सं. 99 के अंतर्गत जारी किए गए पहले दो डिस्चार्ज बिलों पर एक के बाद एक अर्थात् 4808 तथा 4809 संख्या डाली हुई थी, जबकि दोनों डिस्चार्ज तिथियों के बीच 40 दिनों का अंतर था। क.ले.अ. की माँ का दूसरी बार डिस्चार्ज होने के सात दिनों पश्चात फिर से भु.बु.कै.सं. में भर्ती हुई (मार्च 2012) तथा तत्पश्चात् अप्रैल 2012 में डिस्चार्ज हुई; तीसरी बार डिस्चार्ज होने पर बिल में क्रम संख्या पुस्तक सं. 99 के अंतर्गत 4801 थी।

दावों की यर्थाथता का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा ने भु.बु.कै.सं. का दौरा किया। भु.बु.कै.सं. ने निम्नलिखित अभ्युक्तियां दी:

- भु.बु.कै.सं. के अभिलेखों के अनुसार, दिसम्बर 2011 एवं अप्रैल 2012 के दौरान किसी भी मरीज की भर्ती नहीं हुई थी;
- अस्पताल आई.डी.सं.ए-9146 वर्ष 2005 में मौ. अब्दुल कासिम नामक मरीज को जारी किया गया था;
- भु.बु.कै.सं. में निवासी शल्य चिकित्सक का पद नहीं था; तथा
- बिल पुस्तक सं. 99 के अंतर्गत बिल संख्या 4801, 4808 तथा 4809 भु.बु.कै.सं. द्वारा जारी नहीं किए थे।

इस प्रकार, संबंधित क.ले.अ. जिन्हें बिलों की जांच एवं सत्यापित करने का कर्तव्य सौंपा गया था, उन्होंने पद का लाभ उठाया तथा अपने लिए ₹11.10 लाख की राशि के जाली चिकित्सा बिल पारित किए थे।

क्षेत्रीय केन्द्र, भा.खे.प्रा., गुवाहटी ने लेखापरीक्षा पैराग्राफ में उल्लिखित तथ्यों एवं आंकड़ों को सुनिश्चित किया (दिसम्बर 2013)। भा.खे.प्रा. ने आगे बताया कि संबंधित क.ले.अ. के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है तथा प्र.सू.रि. दर्ज कराई गई थी।

मामला मंत्रालय को नवम्बर 2013 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मई 2014)।

अध्याय XXI : सामान्य

21.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति के निरन्तर अनुदेशों/अनुशंसाओं के बाबजूद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने, लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी 51 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर उपचारी/शोधक कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की थी। तथापि, पिछले पांच वर्षों से लम्बित का.टि. की स्थिति में सुस्पष्ट सुधार था।

लोक सभा सचिवालय ने, सभी मंत्रालयों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सदन के पटल पर प्रस्तुत होने के तुरन्त पश्चात इनमें निहित विभिन्न पैराग्राफों पर उपचारी/की गई शोधक कार्रवाई दर्शाते हुए वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को टिप्पणियां भेजने के लिए अप्रैल 1982 में अनुदेश जारी किए थे।

संसद में, 22 अप्रैल 1997 को प्रस्तुत किए गए उनके नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने इच्छा व्यक्त की कि मार्च 1994 तथा 1995 को समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित लम्बित कार्रवाई टिप्पणियों (का.टि.) का प्रस्तुतीकरण तीन महीनों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए तथा यह अनुशंसा की कि मार्च 1996 को समाप्त वर्ष तथा इसके बाद के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर का.टि., संसद में प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण से चार माह के भीतर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से जांच करके उनको प्रस्तुत की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, 29 अप्रैल 2010 में संसद को प्रस्तुत उनके ग्यारहवें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में लो.ले.स. ने अनुशंसा की कि उपचारी कार्रवाई करने तथा लो.ले.स. को का.टि. प्रस्तुत करने में असामान्य विलम्बों के सभी मामलों में व्यक्तिगत रूप से मुख्य लेखांकन प्राधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

लो.ले.स. ने यह भी इच्छा की कि का.टि. के प्रस्तुतीकरण में विलम्बों से संबंधित मामलों को आवधिक रूप से, ज्यादातर तिमाही अंतराल पर सचिव समिति (स.स.) के समक्ष लाया जाना चाहिए ताकि सभी चूककर्ता मंत्रालयों/विभागों द्वारा का.टि. के प्रस्तुतीकरण पर कार्रवाई की जाए।

उनकी अनुशंसाओं के अनुसरण में, स.स. द्वारा कैबिनेट सचिवालय में कई बैठकें की गई थीं जिनमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे:


(i) मंत्रालय/विभागों में सचिव, जो मुख्य लेखांकन अधिकारी हैं, निर्धारित समय सीमा के भीतर लेखापरीक्षा पैराओं/लो.ले.स. प्रतिवेदनों पर का.टि./का.रि. को अंतिम रूप देना सुनिश्चित करने हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(ii) उपयुक्त शोधक उपाय करने के अतिरिक्त नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों के पैराओं पर का.टि. तथा लो.ले.स. की अनुशंसाओं पर का.रि. के प्रस्तुतीकरण की मॉनीटरिंग हेतु प्रत्येक मंत्रालय द्वारा वित्तीय सलाहकार सहित सचिव/विशेष सचिव द्वारा अध्यक्षता वाली स्थायी लेखापरीक्षा समिति (स्था.ले.प.स.) स्थापित की जाएगी।

(iii) का.टि. के तीव्र प्रस्तुतीकरण हेतु का.टि. अदालतों/कार्यशालाओं का नियमित आयोजन किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त नवम्बर 2012 में हुई अपनी बैठक में, स.स. ने पाया कि चूंकि सभी मंत्रालयों/विभागों ने पहले ही स्था.ले.प.स. स्थापित कर ली थी। इसलिए वह यह सुनिश्चित करे कि लम्बित पैराग्राफ/प्रतिवेदनों के निपटान हेतु कार्यशालाओं/अदालतों का नियमित रूप से आयोजन किया गया है। उनके द्वारा यह भी पाया गया था कि पुराने लम्बित पैराओं में 50 प्रतिशत के सम्मत लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा रहा था।

जबकि यह प्रत्याशित है कि लम्बित स्थिति में अभिकल्पित 50 प्रतिशत की कटौती कुछ समय ले सकती है; पिछले पांच वर्षों से लम्बित का.टि. की स्थिति ने अभी भी निरंतर गिरावट दर्ज की है जैसा निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:



जैसा कि देखा जा सकता है कि 2009 में 368 से 2013 में 152 तक लम्बित का.टि. की संख्या में 58 प्रतिशत की गिरावट थी जो लो.ले.स. तथा स.स. द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पर्याप्त अनुपालना दर्शाने हेतु प्रकट होगी।

31 मार्च 2013 की समाप्त अवधि तक लम्बित का.टि. की मंत्रालय-वार स्थिति परिशिष्ट XIV तथा XV में दी गई है। 152 पैराग्राफों, जिन पर का.टि. भेजी जानी अपेक्षित थी, में से 51 पैराग्राफों के संबंध में का.टि. बिल्कुल प्राप्त नहीं हुई थी।

21.2 ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर


लोक लेखा समिति के कहने पर जारी वित्त मंत्रालय के निर्देशों के बावजूद, मंत्रालयों/विभागों के सचिवों ने इस प्रतिवेदन में शामिल 51 ड्राफ्ट पैराग्राफों में से 26 के प्रत्युत्तर नहीं भेजे थे।

लो.ले.स. की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए

प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रत्युत्तर, पैराग्राफ की प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश जारी किए थे।


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के इस प्रतिवेदन में शामिल 51 पैराग्राफों में से 26 में, मंत्रालयों/विभागों के सचिवों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। ब्यौरे परिशिष्ट XVI में दर्शाए गए हैं।

नई दिल्ली
दिनांक: 8 अक्टूबर 2014


(सतीश लुम्बा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 9 अक्टूबर 2014


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुबंध

अनुबंध-I

(पैराग्राफ सं. 4.2 के संदर्भ में)

(दिल्ली में स्थित स्वायत्त निकायों द्वारा 2004-05 से 2013-14 तक संस्कृति मंत्रालय में संयोजित स्टाफ के ब्यौरे)

क्र. सं.	संगठन का नाम	संयोजित व्यक्तियों की संख्या	अवधियों के दौरान संयोजित	वेतन एवं भत्तों पर व्यय (₹ में)	अभ्युक्तियां
1	दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय	2 (स्थाई) 1 (संविदात्मक)	07.07.2004 14.02.2014	1024782	कार्यरत व्यक्ति-251 (2010-11), स्वा.नि. में संविदात्मक आधार पर नियुक्त 3 परामर्शदाता -मंत्रालय में तैनात 3 चालक। कार्यरत व्यक्ति - 243 (2011-12), स्वा.नि. में संविदात्मक आधार पर नियुक्त 1 सलाहकार-सह-समन्वयी तथा 3 परामर्शदाता- मंत्रालय में तैनात 1 चालक। कार्यरत व्यक्ति -238 (2012-13), स्वा.नि. में संविदात्मक आधार पर नियुक्त 2 परामर्शदाता-मंत्रालय में तैनात 1 चालक। कार्यरत व्यक्ति 231 (2013-14), स्वा.नि. में संविदात्मक आधार नियुक्त 2 परामर्शदाता-मंत्रालय में तैनात 1 चालक
2	संगीत नाटक अकादमी	8 (संविदात्मक)	01.04.2010 31.12.2013	2355169	कार्यरत व्यक्ति -76 (2010-11) , संविदात्मक आधार पर नियुक्त 40 कर्मचारी

						कार्यरत व्यक्ति 76 (2011-12), में संविदात्मक आधार पर नियुक्त 40 कर्मचारी	
						कार्यरत व्यक्ति-76 (2012-13), संविदात्मक आधार पर नियुक्त 41 कर्मचारी-	
						कार्यरत व्यक्ति-76 (2013-14), संविदात्मक आधार पर नियुक्त 30 कर्मचारी।	
3	इंदिरा राष्ट्रीय केन्द्र	गांधी कला	4 (स्थाई)	02.03.2005	14.02.2014	7500566	कार्यरत व्यक्ति - 246 (2010-11) : संविदात्मक आधार पर नियुक्त कर्मचारी 43, चार मंत्रालय में परिनियोजित। कार्यरत व्यक्ति- 244 (2011-12) संविदात्मक आधार पर नियुक्त कर्मचारी 51, चार मंत्रालय में परिनियोजित। कार्यरत व्यक्ति - 245 (2012-13): संविदात्मक आधार पर नियुक्त कर्मचारी 62, चार मंत्रालय में परिनियोजित। कार्यरत व्यक्ति - 236 (2013-14): संविदात्मक आधार पर नियुक्त कर्मचारी 63, दो मंत्रालय में परिनियोजित।
4	राष्ट्रीय निधि	संस्कृति	1 (संविदात्मक)	13.12.2010	30.01.2014	382947	मंत्रालय में अस्थाई क्षमता में परिनियोजित संविदात्मक कर्मचारी।

5	सांस्कृतिक साधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र	16 (संविदात्मक)	01.10.2011	31.12.2013	5507050	कार्यरत व्यक्ति- 89 (2010-11): संविदात्मक आधार पर नियुक्त कर्मचारी 99 कार्यरत व्यक्ति- 88 (2011-12): संविदात्मक आधार पर नियुक्त कर्मचारी 96, मंत्रालय में परिनियोजित-2 कार्यरत व्यक्ति- 86 (2012-13): संविदात्मक आधार पर नियुक्त कर्मचारी 95, मंत्रालय में परिनियोजित-2 कार्यरत व्यक्ति- 82 (2013-14): संविदात्मक आधार पर नियुक्त कर्मचारी 93, मंत्रालय में परिनियोजित-14
6	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय	1 (स्थाई) 11 (संविदात्मक)	28.6.2004	31.12.2013	8360556	--
7	नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय	3 (संविदात्मक)	मार्च 2010	जुलाई 2012	643720	कार्यरत व्यक्ति - 155 (2010-11): संविदात्मक आधार पर नियुक्त कर्मचारी -34, मंत्रालय में संयोजित कर्मचारी-2 कार्यरत व्यक्ति -151 (2011-12): संविदात्मक आधार पर नियुक्त कर्मचारी-63, मंत्रालय में संयोजित कर्मचारी-2 कार्यरत व्यक्ति -140 (2012-13): संविदात्मक आधार पर नियुक्त कर्मचारी -81, मंत्रालय में संयोजित कर्मचारी-2

						कार्यरत व्यक्ति 133 (2013-14): संविदात्मक आधार पर नियुक्त कर्मचारी-71
8	साहित्य अकादमी	6 (संविदात्मक)	10.01.2011	31.12.2013	577968	--
9	ललित कला अकादमी	2 (संविदात्मक)	08.04.2005	25.02.2014	449504	--
10	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान	1 (स्थाई) 6 (संविदात्मक)	05.05.2004	अगस्त 2013	1890991	--
कुल		8 (स्थाई) 54 (संविदात्मक)			2,86,93,253	पांच स्वा.नि. में स्टाफ की कमी थी तथा संगठन को चलाने हेतु संविदात्मक स्टाफ नियुक्त किया गया था फिर भी मंत्रालय में स्टाफ संयोजित किया गया था।

अनुबंध-II

(पैराग्राफ सं. 4.2 के संदर्भ में)

(दिल्ली के बाहर स्थित स्वायत्त निकायों द्वारा 2003-04 से 2013-14 तक संस्कृति मंत्रालय में संयोजित स्टाफ के ब्यौरे)

क्र. सं.	संगठन का नाम	संयोजित व्यक्तियों की संख्या	अवधियों के दौरान संयोजित	वेतन एवं भत्ते पर व्यय (₹ में)
1.	केन्द्रीय तिब्बतिय अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	2	28.11.2011 31.12.2013	637800
2.	नव नालन्दा महा विहार, नालन्दा, बिहार	6	02.08.2004 25.02.2014	1428080
3.	राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता	1	01.02.2011 31.12.2013	442612
4.	दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर, महाराष्ट्र	1	01.04.2013 31.12.2013	198000
5.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता	4	01.02.2010 19.02.2014	2138000
6.	पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर, राजस्थान	1	01.07.2013 31.12.2013	57564
7.	सलार जंग संग्रहालय, हैदाराबाद, आन्ध्र प्रदेश	1 (स्थाई)	01.04.2010 31.12.2013	1018500
8.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला, पंजाब	2	01.02.2012 31.12.2013	650000
9.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तन्जावुर, तमिलनाडु	1	01.03.2013 31.01.2014	91621
10.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल, मध्य प्रदेश	1	02.05.2011 30.06.2013	217342
11.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह, ज. एवं. क.	2	01.10.2003 अगस्त 2013	991462
12.	केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान, दाहूंग, अरुणाचल प्रदेश	1	20.02.2013 अगस्त 2013	61308
कुल		1 (स्थाई) 22 (संविदात्मक)		79,32,289

12.	केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान, दाहूग, अरुणाचल प्रदेश	1	20.02.2013	अगस्त 2013	61308
कुल		1 (स्थाई) 22 (संविदात्मक)			79,32,289

अनुबंध-III

(पैराग्राफ सं. 4.4 के संदर्भ में)

अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु से परे सेवा का अनियमित विस्तार

(₹ लाख में)

क्र.सं	कर्मचारी का नाम एवं पद	सेवानिवृत्ति की तिथि	विस्तार अवधि	विस्तारित अवधि के दौरान निकाली गयी कुल परिलब्धि
1.	श्रीमती कीर्ति जैन, प्राध्यापक	31.12.2009	01.01.2010 to 31.12.2010 01.01.2011 to 31.12.2011 01.01.2012 to 31.12.2012 01.01.2013 to 31.12.2013	62.18
2.	श्रीमती एस.बी. कुलकर्णी, प्राध्यापक	31.12.2008	01.01.2009 to 31.12.2009 01.01.2010 to 31.12.2010	17.94
3.	श्री डी.आर. अंकुर, प्राध्यापक	30.06.2008	01.07.2008 to 30.06.2009 01.07.2009 to 30.06.2010	19.45
4.	श्रीमती रीता जी. कोठारी, प्राध्यापक	31.07.2000	01.08.2000 to 31.07.2001 01.08.2001 to 31.07.2002	6.63
5.	श्रीमती सुब्बा राव, व्याख्याता	31.12.2000	01.01.2001 to 31.12.2001 01.01.2002 to 31.12.2002	5.09
6.	श्री ए.एन. रॉय, पंजीयक	28.02.2004	01.03.2004 to 28.02.2005 01.03.2005 to 31.08.2005 01.09.2005 to 31.03.2006	9.13
कुल				120.42

अनुबंध-IV

(पैराग्राफ सं. 6.1 के संदर्भ में)

'मेगा फूड पार्क योजना' का धीमा कार्यान्वयन

(दिसम्बर 2013 तक मेगा फूड पार्क परियोजनाओं के ब्यौरे)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृतियों की तिथि	किस्तों का निर्गम	चिंता का विषय
1.	मैसर्स आदित्य नूवो लि. जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	सैद्धान्तिक स्वीकृति - सितम्बर 2010	--	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने जून 2012 में भूमि के हस्तांतरण को स्वीकृत किया था परंतु एस.पी.वी. नवम्बर 2013 तक भूमि के हस्तांतरण हेतु औपचारिकताओं को पूरा नहीं कर सका। अंतिम स्वीकृति अभी भी प्राप्त की जानी थी। मंत्रालय ने बताया कि एस.पी.पी. को अंतिम स्वीकृति हेतु शर्तों को पूरा करने के लिए 31 मार्च 2014 तक का विस्तार प्रदान किया गया था।
2.	मैसर्स नार्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क लि. जिला नलबारी, असम	सैद्धान्तिक स्वीकृति - दिसम्बर 2008 अंतिम स्वीकृति - मार्च 2009 (3 महीनों का समय लिया)	• अब तक ₹ 30 करोड़ जारी किए गये	(परियोजना की अंतिम स्वीकृति से 57 महीने बीत गए) एक प्रोत्साहक मैसर्स एल.एम.जे. इंटरनेशनल ने कम्पनी विधि बोर्ड में

				<p>एस.पी.वी. के प्रति एक आवेदन दर्ज किया जिसने परियोजना के कार्यान्वयन को प्रभावित किया। परियोजना में विलम्ब सदस्यों द्वारा निधियों के गैर-सहयोग के कारण भी था।</p> <p>मंत्रालय ने बताया कि एस.पी.वी. को तुरंत समयबद्ध तरीके से एस.पी.वी. सदस्यों के बीच अंशधारिता के संबंध में विवाद को निपटाने को कहा गया था जिसकी विफलता पर परियोजना रद्द कर दी जाएगी।</p>
3.	<p>मैसर्स तमिलनाडु मेगा फूड पार्क लि. जिला धर्मपुरी, तमिलनाडु</p>	<p>सैद्धान्तिक स्वीकृति - दिसम्बर 2008 अंतिम स्वीकृति - मार्च 2010 (15 महीनों का समय लिया)</p>	<p>प्रथम किस्त का पहला भाग - जुलाई 2010 (2 महीने के निर्धारण के बजाए 4 महीनों का समय लिया गया)</p> <p>• अब तक ₹ 5 करोड़ जारी किए गये</p>	<p>(परियोजना की अंतिम स्वीकृति से 45 महीनें बीत गए)</p> <p>एस.पी.वी. आवधिक ऋण को पुनः मान्य करने में समर्थ नहीं था तथा आवधिक ऋण के पुनः वैधीकरण तथा एस.पी.वी. द्वारा इक्विटी के नए निषेचन के अभाव में निधियों का कोई संघटन नहीं किया गया था। आई.एम.ए.सी. ने एस.पी.वी. को अंतिम समापन नोटिस जारी करके परियोजना की अंतिम स्वीकृति को रद्द करने तथा निधियों को वसूलने का निर्णय लिया (सितम्बर 2013)।</p>

				<p>मंत्रालय ने बताया कि 10 प्रतिशत ब्याज सहित ₹5 करोड़ की अनुदान राशि की वापसी हेतु अक्टूबर 2013 में जारी किए जाने वाले समापन पत्र की अनुपालना में वापसी जल्दी पूरा किया जा रहा था।</p>
4.	<p>मैसर्स पायथन मेगा फुड पार्क लि. जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र</p>	<p>सैद्धान्तिक स्वीकृति - अप्रैल 2011 अंतिम स्वीकृति - मार्च 2013 (24 महीनों का समय लिया)</p>	<p>प्रथम किस्त का पहला भाग - अगस्त 2013 (2 महीने के निर्धारण के बजाए 5 महीनों का समय लिया गया) • अब तक ₹ 5 करोड़ जारी किए गये</p>	<p>अंतिम स्वीकृति में विलम्ब क्योंकि एस.पी.वी. भूमि के अधिग्रहण की शर्तों को पूरा नहीं कर सका था। एस.पी.वी. ने सभी पणधारकों के अनुपाती इक्विटी अंशदान को विलम्बित किया तथा परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की नियुक्ति में भी विलम्ब था।</p>
5.	<p>मैसर्स झारखण्ड मेगा फूड पार्क प्रा. लि. जिला राँची, झारखण्ड</p>	<p>सैद्धान्तिक स्वीकृति - दिसम्बर 2008 अंतिम स्वीकृति - मार्च 2009 (3 महीनों का समय लिया)</p>	<p>प्रथम किस्त का पहला भाग - मार्च 2009 प्रथम किस्त का दूसरा भाग - जनवरी 2013 (8 महीनों के निर्धारण के बजाए 45 महीनों का समय लिया गया) अब तक ₹15 करोड़ जारी किए गए</p>	<p>(परियोजना की अंतिम स्वीकृति से 57 महीने बीत गए) मंत्रालय ने परियोजना को तीन बार तथा मार्च 2011 के वास्तविक नियत समय के प्रति जुलाई 2014 तक विस्तार प्रदान किया। एस.पी.वी. द्वारा राज्य एजेन्सी से परियोजना भूमि के उप-पट्टा प्राप्त होने में देरी को इसका कारण बताया गया। मंत्रालय ने बताया कि अन्य विनियामक अनुमतियां तथा परिवर्तित बाजार गतिकी</p>

				विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में संशोधन के मुख्य कारण थे जो परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब का कारण बने।
6.	मैसर्स जंगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क प्रा.लि. जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	सैद्धान्तिक स्वीकृति - दिसम्बर 2008 अंतिम स्वीकृति - मार्च 2010 (15 महीनों को समय लिया गया)	प्रथम किस्त का पहला भाग - मार्च 2010 प्रथम किस्त का दूसरा भाग - दिसम्बर 2011 (8 महीनों के निर्धारण के बजाए 21 महीनों का समय लिया गया) दूसरी किस्त - सितम्बर 2012 तीसरी किस्त - सितम्बर 2013 (6 महीनों के निर्धारण के बजाए 12 महीनों का समय लिया गया) अब तक ₹ 45 करोड़ जारी किए गए	(परियोजना की अंतिम स्वीकृति से 45 महीने बीत गए) विकसित प्लाटों के उप-पट्टे से संबंधित मामले को केवल नवम्बर 2012 में जाकर ही सुलझाया गया था। राज्य सरकार ने मामला आधार पर मामले पर उप-पट्टा हेतु अनुमति प्रदान की थी परंतु एस.पी.वी. ने एक बार अनुमति हेतु अनुरोध किया जो नवम्बर 2013 तक राज्य सरकार के पास लम्बित पड़ी थी। मंत्रालय ने बताया कि परियोजना अप्रैल/मई 2014 तक समाप्त होनी प्रत्याशित थी।
7.	मैसर्स इंटग्रेटेड फूड पार्क प्रा.लि. जिला कोलार, कर्नाटक	सैद्धान्तिक स्वीकृति - अगस्त 2010 अंतिम स्वीकृति - मार्च 2011 (7 महीनों का समय लिया)	प्रथम किस्त का पहला भाग - मार्च 2011 प्रथम किस्त का दूसरा भाग - सितम्बर 2012 (8 महीनों के निर्धारण के बजाए 18 महीनों का समय लिया) दूसरी किस्त - सितम्बर 2013	(परियोजना की अंतिम स्वीकृति से 33 महीने बीत गए) पी.एम.सी. की नियुक्ति केवल अगस्त 2013 में जाकर ही की जा सकी। दूसरी किस्त के दूसरे भाग को 10 महीनों के विलम्ब के पश्चात जारी किया गया था क्योंकि एस.पी.वी. ने केवल मार्च 2012 में

			(8 महीनों के निर्धारण के बजाए 12 महीनों का समय लिया) अब तक ₹30 करोड़ जारी किए गए	जाकर ही वित्तीय समापन (आवधिक ऋण संस्वीकृति) प्राप्त की थी। मंत्रालय ने बताया कि एस.पी.वी. ने तीसरी किस्त के निर्गम हेतु आवश्यक शर्तों को पूरा किया था परंतु फिर भी निधियों की अनुपलब्धता के कारण पूर्ण राशि को वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किया जा सका।
8.	मैसर्स इंटरनेशनल फ्रेश फार्म प्रोडक्ट्स (इण्डिया) लि. जिला - फिरोजपुर, पंजाब	सैद्धान्तिक स्वीकृति - अगस्त 2010 अंतिम स्वीकृति - मई 2011 (9 महीनों का समय लिया)	प्रथम किस्त का पहला भाग - अगस्त 2011 प्रथम किस्त का दूसरा भाग - मार्च 2012 दूसरी किस्त - जनवरी 2013 अब तक ₹30 करोड़ जारी किये गए।	(परियोजना की अंतिम स्वीकृति से 31 महीने बीत गए) 11 प्रतिशत इक्विटी पी.ए.आई.सी., एक राज्य उपक्रम, को आवंटित की जानी प्रस्तावित की गई थी, जिसने इक्विटी का अपना अंश नहीं दिया था। सितम्बर 2013 में एस.पी.वी. ने सूचित किया कि अंश के आवंटन के मामले का निर्णय अगली बोर्ड बैठक में जल्द ही लिया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि कुल ₹15 करोड़ की अनुदान की तीसरी किस्त को एस.पी.वी. द्वारा आवश्यक शर्तों को पूरा किए जाने के बाद जारी किया गया था।

9.	मैसर्स पतंजलि फूड एण्ड हर्बल पार्क लि. जिला - हरिद्वार, उत्तराखण्ड	सैद्धान्तिक स्वीकृति - दिसम्बर 2008 अंतिम स्वीकृति - मार्च 2009 (3 महीनों का समय लिया)	प्रथम किस्त का पहला भाग - मार्च 2009 प्रथम किस्त का दूसरा भाग - जून 2010 (8 महीनों के निर्धारण के बजाए 15 महीनों का समय लिया) दूसरी किस्त - सितम्बर 2010 तीसरी किस्त - जुलाई 2013 (6 महीनों के निर्धारण के बजाए 33 महीनों का समय लिया) अब तक ₹45 करोड़ जारी किए	(परियोजना की अंतिम स्वीकृति से 57 महिने बीत गए) पार्क आंशिक रूप से परिचालन में है। स्वीकृत प्लोटों की संख्या : 24 आवंटित प्लोटों की संख्या: 17 मंत्रालय ने बताया कि 18 तक आवंटित प्लोटों की कुल संख्या को लेते हुए हाल में एक और प्लॉट आवंटित किया गया था।
10.	मैसर्स श्रीनि फूड पार्क प्रा.लि. जिला चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश	सैद्धान्तिक स्वीकृति - दिसम्बर 2008 अंतिम स्वीकृति - मार्च 2009 (3 महीनों का समय लिया)	प्रथम किस्त का पहला भाग - मार्च 2009 प्रथम किस्त का दूसरा भाग - फरवरी 2010 दूसरी किस्त - सितम्बर 2010 तीसरी किस्त - दिसम्बर 2011 (6 महीनों के निर्धारण के बजाए 15 महीनों को समय लिया) अब तक ₹45 करोड़ जारी किए	(परियोजना की अंतिम स्वीकृति से 57 महिने बीत गए) अंतिम किस्त को जारी करने हेतु प्रस्ताव प्रतीक्षित था। एस.पी.वी. ने दिसम्बर 2013 तक समय के आगे और विस्तार हेतु मार्च 2013 में अनुरोध किया। मंत्रालय ने बताया कि एस.पी.वी. को अंतिम किस्त जारी किए जाने से पहले कुछ

				<p>कमियों, जो कि तकनीकी थीं, को हटाने की सलाह दी थी।</p> <p>उसने यह भी बताया कि परियोजना में एक इकाई क्रियात्मक थी।</p>
--	--	--	--	---

अनुबंध-V

(पैराग्राफ सं. 7.3 के संदर्भ में)

जल प्रभारों पर छूट प्राप्त न करना

सफदरजंग अस्पताल द्वारा किए गए जल बिलों के भुगतान के माह-वार ब्यौरे

(₹ में)

माह	जल कनेक्शन सं. 64741 (2" व्यास का कनेक्शन (सफदरजंग अस्पताल))	जल कनेक्शन सं. 61787 (3/4" व्यास का कनेक्शन (स.ज.अस्पताल))	जल कनेक्शन सं. 44129 वी.एम.एम.सी. ¹
अप्रैल 2010	787471	191717	355844
मई 2010	694828	169162	313980
जून 2010	625345	152246	282582
जुलाई 2010	648506	157884	293048
अगस्त 2010	1482299	0	669824
सितम्बर 2010		0	565164
अक्तूबर 2010	0	0	
नवम्बर 2010	1250690	0	0
दिसम्बर 2010	555862	135330	0
जनवरी 2011	942639	229494	425961
फरवरी 2011	687871	167468	322349
मार्च 2011	611441	148861	264787
अप्रैल 2011	1477650	359747	667723
मई 2011			
जून 2011	1222883	297721	552598

¹ वी.एम.एम.सी.- वर्धमान महावीर चिकित्सा महाविद्यालय

2014 का प्रतिवेदन सं. 25

जुलाई 2011	305721	74430	138150
अगस्त 2011	789778	192278	356886
सितम्बर 2011	764302	186076	0
अक्तूबर 2011	789778	192278	356886
नवम्बर 2011	764302	186076	345374
दिसम्बर 2011	789778	192278	356886
जनवरी 2012	868747	211504	392571
फरवरी 2012	868747	211504	392571
मार्च 2012	812699	197859	367244
अप्रैल 2012	2606241	634512	1177713
मई 2012			
जून 2012			
जुलाई 2012	2550193	0	0
अगस्त 2012		620963	1152451
सितम्बर 2012			1177712
अक्तूबर 2012			
नवम्बर 2012	2606241	634608	1177712
दिसम्बर 2012	784675	191036	354644
जनवरी 2013			
फरवरी 2013			
अप्रैल 2013	4345736	828987	1963750
मई 2013			
जून 2013	504433	122809	227945
जुलाई 2013	952820	231972	430626

अगस्त 2013	784675	191037	354645
सितम्बर 2013	868747	211601	392636
अक्तूबर 2013	1961687	477589	886515
नवम्बर 2013			
दिसम्बर 2013			
कुल	3,57,06,785	77,99,027	1,55,39,065
कुल योग			59044877

₹59044877 का 10 प्रतिशत = 5904487.7

अनुबंध-VI

(पैराग्राफ सं. 8.1 के संदर्भ में)

एस.एस.बी. द्वारा बिना दावे नियोजन प्रभार का विवरण

क्र.सं.	राज्य	नियोजन की तिथि	कंपनियों की संख्या	कुल दिनों की संख्या	नियोजन की दर	प्रभार योग्य राशि (₹ में)	प्रभारित राशि (₹ में)	कम वसूली (₹ में)
1.	पश्चिम बंगाल	08.02.2009 से 20.02.2009	5	65	16.30/7*दिनों की संख्या/365	4146770	2488062	1658708
		13.05.2011 से 17.06.2011	10	360	30.87/7*दिनों की संख्या/365	43495890	0	43495890
		07.05.2008 से 23.05.2008	4	68	16.30/7*दिनों की संख्या/365	4338160	2424266	1913894
उप-योग						51980820	4912328	47068492
2.	बिहार	29.09.2008 से 11.10.2008	4	52	16.30/7*दिनों की संख्या/365	3317417	651105	2666312
उप-योग						3317417	651105	2666312
3.	अरुणाचल प्रदेश	10.10.2011 से 17.11.2011	3	117	10 % का 30.87/7*दिनों की संख्या/365	1413616	0	1413616
उप-योग						1413616	0	1413616
4.	आंध्र प्रदेश	29.06.2011 से 08.09.2011	5	360	30.87/7*दिनों की संख्या/365	43495890	25276686	18219204
उप-योग						43495890	25276686	18219204
5.	असम	17.05.2009 से 28.10.2009	5	825	10 % का 17.11/7*दिनों की संख्या/365	5224755	0	5224755
		08.01.2011 से 31.01.2011	1	24	10 % का 29.40/7*दिनों की संख्या/365	276164	0	276164
		25.07.2012 से 20.12.2012	4	596	10 % का 32.41/7*दिनों की संख्या/365	7560219	3851992	3708227

		19.8.2012 से 11.10.2012	3	162	10 % का 32.41/7*दिनों की संख्या/365	2054959	0	2054959
		18.11.2012 से 20.12.2012	5	165	10 % का 32.41/7*दिनों की संख्या/365	2093014	0	2093014
उप-योग						17209111	3851992	13357119
6.	उत्तराखण्ड	01.03.2010 से 31.03.2010 01.04.2010 से 20.04.2010	7	51	28.00/7*दिनों की संख्या/365 29.40/7*दिनों की संख्या/365	39890411	43060065	7679661
		20.03.2010 से 31.03.2010 01.04.2010 से 20.04.2010	3	32	28.00/7*दिनों की संख्या/365 29.40/7*दिनों की संख्या/365	10849315		
उप-योग						50739726	43060065	7679661
7.	दिल्ली	15.01.2008 से 26.01.2008	5	60	15.52/7*दिनों की संख्या/365	3644618	2186772	1457846
		02.10.2008 से 14.10.2008	3	39	16.30/7*दिनों की संख्या/365	2488062	0	2488062
		07.08.2009 से 17.08.2009	5	55	17.11/7*दिनों की संख्या/365	3683170	0	3683170
		02.10.2009 से 14.10.2009	3	39	17.11/7*दिनों की संख्या/365	2611702	0	2611702
		15.01.2010 से 26.01.2010	5	60	28.00/7*दिनों की संख्या/365	6575342	3835615	2739727
		26.07.2010 से 31.07.2010	5	30	29.40/7*दिनों की संख्या/365	3452055	2071233	1380822
		31.08.2010 से 15.10.2010	15	690	29.40/7*दिनों की संख्या/365	79397265	20942466	58454799
		08.01.2011 से	5	95	29.40/7*दिनों	10931507	4428497	6503010

2014 का प्रतिवेदन सं. 25

		26.01.2011			की संख्या/365			
		15.01.2011 से 26.01.2011	5	60	29.40/7*दिनों की संख्या/365	6904110	4216088	2688022
		01.08.2011 से 15.08.2011	5	75	30.87/7*दिनों की संख्या/365	9061644	3787852	5273792
		08.01.2012 से 26.01.2012	5	95	30.87/7*दिनों की संख्या/365	11478082	2437888	9040194
		15.01.2012 से 26.01.2012	5	60	30.87/7*दिनों की संख्या/365	7249315	4349589	2899726
		07.08.2012 से 15.08.2012	5	45	32.41/7*दिनों की संख्या/365	5708219	1141644	4566575
		08.01.2013 से 26.01.2013	5	95	32.41/7*दिनों की संख्या/365	12050685	0	12050685
		15.01.2013 से 26.01.2013	5	60	32.41/7*दिनों की संख्या/365	7610959	0	7610959
उप-योग						172846735	49397644	123449091
8.	उत्तर प्रदेश	22.01.2013 से 27.02.2013	4	148	32.41/7*दिनों की संख्या/365	18773698	0	18773698
		01.02.2013 से 27.02.2013	6	162	32.41/7*दिनों की संख्या/365	20549588	0	20549588
उप-योग						39323286	0	39323286
कुल योग						380326601	127149820	253176781

अनुबंध-VII

(पैराग्राफ सं. 9.1 के संदर्भ में)

आई.टी.आई. हेतु स्थायी अवसंचना की स्थापना में परिहार्य विलंब

लक्ष्य	हैदराबाद	पटना	राजस्थान	भुवनेश्वर	गांधीनगर	रोपड़	मंडी	इंदौर
आई.आई.टी. हेतु स्थायी अवसंचना के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि की सुपुर्दगी की तिथि	अक्टूबर 2008	अप्रैल 2011	मार्च 2011	सितम्बर 2010	जुलाई 2012	जून 2009	जनवरी 2011	जून 2012
सीमा दीवार के निर्माण की स्थिति	कार्य प्रगति में	समाप्त	समाप्त	कार्य प्रगति में	लगभग समाप्त	लगभग समाप्त	कार्य प्रगति में	लगभग समाप्त
मई 2014 तक जारी कुल निधियां (₹ करोड़ में)	618.84	397.05	224.74	435.21	371.64	164.38	358.97	236.40
2013-14 के दौरान भर्ती विद्यार्थियों की संख्या	536	297	223	293	744	414	149	225
अस्थायी आवास से सत्र का प्रारम्भ	अगस्त 2008	अगस्त 2008	अगस्त 2008	जुलाई 2008	अगस्त 2008	जुलाई 2008	जुलाई 2009	2009
स्थायी परिसर (अकादमीय ईमारत) के निर्माण के समापन की वर्तमान स्थिति (प्रतिशतता में)	55	-	अभी आरम्भ करना है	20	15	अभी आरम्भ करना है	9	अभी आरम्भ करना है

अनुबंध-VIII

(पैराग्राफ सं. 9.2 के संदर्भ में)

अधिक पुस्तकों के प्रकाशन पर अनुत्पादक व्यय

क्र.सं.	किताब का नाम	प्रकाशित होने का वर्ष	किताब का मूल्य (प्रति पुस्तक (₹)	प्राप्त हुई किताबों की कुल संख्या	मुफ्त वितरित की गई किताबों की संख्या	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक न बिकी किताबों की सं.	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/1013 तक न बिकी किताबों की कुल राशि (₹)	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक खराब हुई किताबों की संख्या	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक खराब हुई किताबों की कुल राशि (₹)
1.	गुजराती-हिन्दी-अंग्रेजी कोष भाग-I।	2001	435	1000	50	561	244035	349	151815
2.	गुजराती-हिन्दी-अंग्रेजी कोष भाग-II।		435	1000	50	718	312330	192	83520
3.	गुजराती-हिन्दी-अंग्रेजी कोष भाग-III।		400	999	50	759	303600	150	60000
4.	हिन्दी-मराठी-अंग्रेजी कोष भाग-I।		592	1000	100	840	497280	-	-

क्र.सं.	किताब का नाम	प्रकाशित होने का वर्ष	किताब का मूल्य (प्रति पुस्तक (₹)	प्राप्त हुई किताबों की कुल संख्या	मुफ्त वितरित की गई किताबों की संख्या	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक न बिकी किताबों की सं.	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/1013 तक न बिकी किताबों की कुल राशि (₹)	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक खराब हुई किताबों की संख्या	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक खराब हुई किताबों की कुल राशि (₹)
5.	हिन्दी-मराठी-अंग्रेजी कोष भाग-II।		468	1000	100	840	393120	-	-
6.	हिन्दी-मराठी-अंग्रेजी कोष भाग-III।		364	1000	100	840	305760	-	-
7.	हिन्दी-उर्दू लघु व्यावहारिक कोष		390	1799	शून्य	1129	440310	530	206700
8.	हिन्दी-तमिल व्यावहारिक लघु कोष		125	1000	शून्य	775	96875	-	-
9.	बंगला-हिन्दी-अंग्रेजी कोष भाग-I।	2002	991	1000	100	845	837395	-	-
10.	बंगला-हिन्दी-अंग्रेजी कोष		896	1000	100	845	757120	-	-

क्र.सं.	किताब का नाम	प्रकाशित होने का वर्ष	किताब का मूल्य (प्रति पुस्तक (₹)	प्राप्त हुई किताबों की कुल संख्या	मुफ्त वितरित की गई किताबों की संख्या	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक न बिकी किताबों की सं.	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/1013 तक न बिकी किताबों की कुल राशि (₹)	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक खराब हुई किताबों की संख्या	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक खराब हुई किताबों की कुल राशि (₹)
	भाग-॥								
11.	बंगला-हिन्दी-अंग्रेजी कोष भाग-॥॥		1095	1000	100	845	925275	-	-
12.	हिन्दी-पंजाबी-अंग्रेजी कोष भाग-॥		668	1000	100	860	574480	-	-
13.	हिन्दी-पंजाबी-अंग्रेजी कोष भाग-॥॥		744	1000	100	860	639840	-	-
14.	हिन्दी-असमिया-अंग्रेजी कोष भाग-।		817	1000	100	773	631541	107	87419
15.	हिन्दी-असमिया-अंग्रेजी कोष भाग-॥॥		952	1000	100	853	812056	27	25704

क्र.सं.	किताब का नाम	प्रकाशित होने का वर्ष	किताब का मूल्य (प्रति पुस्तक (₹)	प्राप्त हुई किताबों की कुल संख्या	मुफ्त वितरित की गई किताबों की संख्या	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक न बिकी किताबों की सं.	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/1013 तक न बिकी किताबों की कुल राशि (₹)	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक खराब हुई किताबों की संख्या	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक खराब हुई किताबों की कुल राशि (₹)
16.	हिन्दी-कन्नड़-अंग्रेजी कोष भाग-II		563	1000	100	854	480802	-	-
17.	हिन्दी-सिंधल वार्तालाप पुस्तिका		100	1000	100	832	83200	68	6800
18.	हंगेरियन-हिन्दी वार्तालाप पुस्तिका		108.75	1000	100	695	75581	-	-
19.	समेकित हिन्दी संयुक्त राष्ट्रभाषा कोष		755	900	100	642	484710	98	73990
20.	चीनी-हिन्दी कोष	2003	680	1000	100	760	516800	-	-
21.	हिन्दी-पोलस्की वार्तालाप पुस्तिका		297	1000	100	710	210870	-	-

क्र.सं.	किताब का नाम	प्रकाशित होने का वर्ष	किताब का मूल्य (प्रति पुस्तक (₹)	प्राप्त हुई किताबों की कुल संख्या	मुफ्त वितरित की गई किताबों की संख्या	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक न बिकी किताबों की सं.	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/1013 तक न बिकी किताबों की कुल राशि (₹)	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक खराब हुई किताबों की संख्या	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक खराब हुई किताबों की कुल राशि (₹)
22.	रसियन-हिन्दी कोष		385	1050	100	835	321475	40	15400
23.	हिन्दी-नेपाली कोष	2004	385	1000	200	760	292600	-	-
24.	हिन्दी-रूमनियन वार्तालाप पुस्तिका		395	1000	100	839	331405	01	395
25.	हिन्दी-कोरियन वार्तालाप पुस्तिका	2005	355	1000	100	838	297490	02	710
26.	हिन्दी-पंजाबी-अंग्रेजी कोष भाग-1		512	968	100	828	423936	-	-
27.	हिन्दी-चेक वार्तालाप पुस्तिका		260	1000	100	899	233740	01	260
28.	हिन्दी-नेपाली वार्तालाप पुस्तिका		375	1000	100	872	327000	-	-

क्र.सं.	किताब का नाम	प्रकाशित होने का वर्ष	किताब का मूल्य (प्रति पुस्तक (₹)	प्राप्त हुई किताबों की कुल संख्या	मुफ्त वितरित की गई किताबों की संख्या	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक न बिकी किताबों की सं.	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/1013 तक न बिकी किताबों की कुल राशि (₹)	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक खराब हुई किताबों की संख्या	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक खराब हुई किताबों की कुल राशि (₹)
29.	हिन्दी-अरबी वार्तालाप पुस्तिका		356	1000	100	750	267000	-	-
30.	हिन्दी-फारसी वार्तालाप पुस्तिका		366	1000	शून्य	795	290970	-	-
31.	अरबी-हिन्दी कोष		650	1000	100	790	513500	-	-
32.	हिन्दी-बल्गारिया वार्तालाप पुस्तिका	2006	278	1000	100	880	244640	-	-
33.	हिन्दी-स्वाहिली कोष		840	1000	100	875	735000	-	-
34.	हिन्दी-अंग्रेजी व्यावहारिक लघु कोष		475	1000	100	755	358625	-	-
35.	फ्रेंच- हिन्दी कोष		750	1000	100	780	585000	-	-

क्र.सं.	किताब का नाम	प्रकाशित होने का वर्ष	किताब का मूल्य (प्रति पुस्तक (₹)	प्राप्त हुई किताबों की कुल संख्या	मुफ्त वितरित की गई किताबों की संख्या	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक न बिकी किताबों की सं.	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/1013 तक न बिकी किताबों की कुल राशि (₹)	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक खराब हुई किताबों की संख्या	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक खराब हुई किताबों की कुल राशि (₹)
36.	हिन्दी-कन्नड़-अंग्रेजी कोष भाग-1		920	1000	100	844	776480	10	9200
37.	हिन्दी-तेलगु कोष	2007	1115	1000	100	830	925450	-	-
38.	हिन्दी-अंग्रेजी कोष		338	2000	शून्य	1993	673634	07	2366
39.	हिन्दी-लेखक संदर्भिका	2010	450	2950	2000	850	382500	-	-
40.	भारतीय-भाषा परिचय		237	1000	150	700	165900	-	-
41.	हिन्दी-बोडो वार्तालाप पुस्तिका		55	1000	150	700	38500	-	-
42.	स्पेनिश-संस्कृत वार्तालाप पुस्तिका		73	1000	150	450	32850	-	-

क्र.सं.	किताब का नाम	प्रकाशित होने का वर्ष	किताब का मूल्य (प्रति पुस्तक (₹)	प्राप्त हुई किताबों की कुल संख्या	मुफ्त वितरित की गई किताबों की संख्या	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक न बिकी किताबों की सं.	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/1013 तक न बिकी किताबों की कुल राशि (₹)	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक खराब हुई किताबों की संख्या	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक खराब हुई किताबों की कुल राशि (₹)
43.	स्पेनिश-हिन्दी कोष		611	1000	150	800	488800	-	-
44.	नेपाली-हिन्दी कोष	2011	1233	1000	150	800	986400	-	-
45.	चेक-हिन्दी कोष		1148	1000	150	750	861000	-	-
46.	हिन्दी-सिंधी वार्तालाप पुस्तिका	2012	470	950	150	750	352500	-	-
47.	ए बेसिक ग्रामर ऑफ मॉडर्न हिन्दी		1080	950	150	750	864000	-	-
48.	हिन्दी-असमिया-अंग्रेजी कोष भाग-॥	उ.न.	294	1000	100	847	249018	33	9702
49.	हिन्दी-रसियन वार्तालाप पुस्तिका		385	1000	100	825	317625	-	-

क्र.सं.	किताब का नाम	प्रकाशित होने का वर्ष	किताब का मूल्य (प्रति पुस्तक (₹)	प्राप्त हुई किताबों की कुल संख्या	मुफ्त वितरित की गई किताबों की संख्या	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक न बिकी किताबों की सं.	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/1013 तक न बिकी किताबों की कुल राशि (₹)	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक खराब हुई किताबों की संख्या	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 28/02/2013 तक खराब हुई किताबों की कुल राशि (₹)
50.	हिन्दी-कन्नड़-अंग्रेजी कोष भाग-III		312	1000	100	833	259896	21	6552
कुल				53566	6850	41054	22222614	1636	740533

अनुबंध-IX

(पैराग्राफ सं. 9.8 के संदर्भ में)

अवकाश यात्रा रियायत (एयर इण्डिया) की कपटपूर्ण प्रतिपूर्ति

क्र.सं.	क्र.सं.	यात्री का नाम	ई.टिकट सं.	पी.एन.आर.सं.	यात्रा क्षेत्र	यात्रा की तिथि	किराया आधार	दावा की गई राशि (₹)	एयरलाइन को वास्तव में अदा की गई राशि (₹)
1.	1.	अरूप चक्रवर्ती	098-9092234235	जे.डी.77	डी.ई.एल.एस.-एस.एक्स.आर. आई.एक्स जे.-डी.ई.एल.	25-04-12 04-05-12	एच.एल.टी.सी.	16522	10312
	2.	सांता चक्रवर्ती	098-9092234236	जे.डी.77	डी.ई.एल. एस.एक्स.आर. आई.एक्स.जे.-डी.ई.एल.	25-04-12 04-05-12	एच.एल.टी.सी.	16522	10312
	3.	देवारीमा चक्रवर्ती	098-9092234237	जे.डी.77	डी.ई.एल. एस.एक्स.आर. आई.एक्स.जे.-डी.ई.एल.	25-04-12 04-05-12	ए च.एल.टी.सी.	16522	10312
	4.	तियाषा चक्रवर्ती	098-9092234238	जे.डी.77	डी.ई.एल. एस.एक्स.आर. आई.एक्स जे.-डी.ई.एल.	25-04-12 04-05-12	एच.एल.टी.सी.	16522	10312
2.	5.	काजल चौधरी	098-9093086592	वाई 51 एक्स.एल.	एस.एक्स आर.-आई.एक्स जे.	04-05-12	एच.एल.टी.सी.	8661	5507
	6.	उज्ज्वला चौधरी	098-	”	एस.एक्स.आर.- डी.ई.एल.	04-05-12	एच.एल.टी.सी.	8661	5507

			9093086593						
	7.	त्रिदीप चौधरी	098- 9093086594	”	”	04-05-12	एच.एल.टी.सी.	8661	5507
	8.	तृषा चौधरी	098- 9093086595	”	”	04-05-12	एच.एल.टी.सी.	8661	5507
3.	9.	काशीनाथ राय चौधरी	098- 9093086598	”	”	04-05-12	एच.एल.टी.सी.	8661	5507
	10.	शिखा राय चौधरी	098- 9093086599	”	”	04-05-12	एच.एल.टी.सी.	8661	5507
	11.	सोमनाथ राय चौधरी	098- 9093086600	”	”	04-05-12	एच.एल.टी.सी.	8661	5507
	12.	माया दत्ता	098- 9093086596	”	”	04-05-12	एच.एल.टी.सी.	8661	5507
4.	13.	गोपीनाथ बनर्जी	098- 5330121763	जेड6 एल9 वाई	आई.एक्स.जे- दिल्ली	25-10-11	एच.एल.टी.सी.	6985	2853
	14.	शांती बनर्जी	098- 5330121764			25-10-11	एच.एल.टी.सी.	6985	2853
	15.	प्रकृति बनर्जी	098- 5330121765	जेड6 एल9 वाई	- ”	25-10-11	एच.एल.टी.सी.	6985	2853
5.	16.	असित कुमार मन्ना	098- 5330121768	”	”	25-10-11	एच.एल.टी.सी.	6985	2853

	17.	सबिता मन्ना	098- 5330121769	”	”	25-10-11	एच.एल.टी.सी.	6985	2853
	18.	एशा मन्ना	098- 5330121770	”	”	25-10-11	एच.एल.टी.सी.	6985	2853
	19.	शिप्रा सेन	098- 3574434881	जे. 3वाई.डी.एस.	सी.सी.यू- जी.ए.यू. सी.सी.यू	23-12-11 29-12-11	एच.एल.टी.सी.	13410	8858
6.	20.	तपन कुमार सेन	098- 3574434880	”	”	23-12-11 29-12-11	एच.एल.टी.सी.	13410	8858
7.	21.	प्रोबल वैद्य	098- 2250637699- 701	वाई.टी.8 पी.एस.	डी.ई.एल. एस.एक्स.आर. डी.ई.एल.	10-11-12 16-11-12	एच.एल.टी.सी.	18228	9253
	22.	अरूणा वैद्य	098- 2250637700- 702	”	”	10-11-12 16-11-12	एच.एल.टी.सी.	18228	9253
	23.	शायंतनी वैद्य	098- 2250637703- 705	वाई.टी. 8 पी.एस.	डी.ई.एल. एस. एक्स.आर- डी.ई.एल.	10-11-12 16-11-12	एच.एल.टी.सी.	18228	9253
8.	24.	शशांक शेखर रॉय	098- 9552725521	जे.ए.यू.एल 9	”	24-09-12 03-10-12	एच.एल.टी.सी.	17025	5260
	25.	शर्बजीत रॉय	098- 9552725538	”	”	24-09-12 03-10-12	एच.एल.टी.सी.	17025	5234

26.	सुजाता राय	098- 9552725537	”	”	24-09-12 03-10-12	एच.एल.टी.सी.	17025	5234
9.	27. तपन चक्रवर्ती	098- 9092234243- 44	जे.डी. 184	सी.सी.यू. डी.ई.एल.- एल.एक्स.आर.- आई.एक्स जे.- डी.ई.एल.- सी.सी.यू.	25-04-12 04-05-12	एच.एल.टी.सी.	39860	23059
	28. ताप्ती चक्रवर्ती	098- 9092234245- 46	जे.डी. 184	सी.सी.यू. डी.ई.एल.- एल.एक्स.आर.- आई.एक्स जे.- डी.ई.एल.- सी.सी.यू.	25-04-12 04-05-12	एच.एल.टी.सी.	39860	23059
कुल							389585	209743
							आधिक्य	179842

अनुबंध-X

(पैराग्राफ सं. 9.8 के संदर्भ में)

अवकाश यात्रा रियायत (इंडिगो) की कपटपूर्ण प्रतिपूर्ति

क्र.सं.	क्र.सं.	यात्री का नाम	पी.एन.आर. सं.	यात्रा का क्षेत्र	यात्रा की तिथि	दावित प्रतिपूर्ति की गयी राशि (₹)	एवं एयरलाइंस को वास्तव में अदा राशि (₹)
1.	1.	गौरी हंसदा	यू.एल.आई.आर.डी.ए.	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	05-जून-12/ 09-जून-12	16014	9700
	2.	आरंजलि हंसदा	यू.एल.आई.आर.डी.ए.	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	05-जून-12/ 09-जून-12	16014	9700
	3.	महीना हंसदा	यू.एल.आई.आर.डी.ए.	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	05-जून-12/ 09-जून-12	16014	9700
2.	4.	पारितोष गायेन	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800	5000
	5.	शिखा गायेन	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800	5000
	6.	शर्मिष्ठा गायेन	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800	5000
	7.	सबरी गायेन	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800	5000
3.	8.	तारक सरकार	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800	5000
	9.	मीनू सरकार	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800	5000

	10.	नब्येंदु सरकार	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800	5000
	11.	शीर्षेंदु सरकार	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800	5000
4.	12.	बावला गोस्वामी	जेड.यू.ओ.एन.ओ.एम.	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	18-अक्तू.-11/ 22-अक्तू.-11	13800	5441
	13.	शिखा गोस्वामी	जेड.यू.ओ.एन.ओ.एम.	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	18-अक्तू.-11/ 22-अक्तू.-11	13800	5441
	14.	शिप्रा गोस्वामी	जेड.यू.ओ.एन.ओ.एम.	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	18-अक्तू.-11/ 22-अक्तू.-11	13800	5441
	15.	राज कु. गोस्वामी	जेड.यू.ओ.एन.ओ.एम.	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	18-अक्तू.-11/ 22-अक्तू.-11	13800	5441
	16.	शुभा गोस्वामी	जेड.यू.ओ.एन.ओ.एम.	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	18-अक्तू.-11/ 22-अक्तू.-11	13800	5441
5.	17.	रूपेन्द्र नाथ कायल	जेड.यू.ओ.एन.ओ.एम.	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	18-अक्तू.-11/ 22-अक्तू.-11	13800	5441
	18.	गीता कायल	जेड.यू.ओ.एन.ओ.एम.	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	18-अक्तू.-11/ 22-अक्तू.-11	13800	5441
6.	19.	रवि नायक	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800	5000
	20.	रेणुबाला नायक	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800	5000
	21.	राजेश कु. नायक	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800	5000
	22.	राजेश कु. नायक	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर.	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800	5000

			डी.ई.एल			
	23.	रीतेश कु. नायक	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800 5000
7.	24.	प्रदीप मुखर्जी	जेड.यू.ओ.एन.ओ.एम.	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	18-अक्तू.-11/ 22-अक्तू.-11	13800 5441
	25.	शिखा मुखर्जी	जेड.यू.ओ.एन.ओ.एम.	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	18-अक्तू.-11/ 22-अक्तू.-11	13800 5441
8.	26.	श्यामली नायक	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800 5000
	27.	अभिजीत नायक	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800 5000
9.	28.	विनोद च. सरीन	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800 5000
	29.	महारानी सरीन	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800 5000
	30.	साहब राय सरीन	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800 5000
	31.	रवि कांत सरीन	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800 5000
	32.	रिया सरीन	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800 5000
10.	33.	त्रिलोक मंडल	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800 5000
	34.	बीना मंडल	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800 5000

	35.	विदीप मंडल	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800	5000
11.	36.	संध्या खारा	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800	5000
	37.	अमृता खारा	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800	5000
12.	38.	दीपक मंडल	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800	5000
	39.	रिक्ता मंडल	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800	5000
	40.	शुभमय मंडल	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800	5000
	41.	अनीमा हल्दर	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800	5000
13.	42.	श्यामल कु. दास	जेड.यू.ओ.एन.ओ.एम.	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	18-अक्तू.-11/ 22-अक्तू.-11	13800	5441
	43.	तृप्ति दास	जेड.यू.ओ.एन.ओ.एम.	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	18-अक्तू.-11/ 22-अक्तू.-11	13800	5441
	44.	सौगत दास	जेड.यू.ओ.एन.ओ.एम.	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	18-अक्तू.-11/ 22-अक्तू.-11	13800	5441
	45.	पल्लवी दास	जेड.यू.ओ.एन.ओ.एम.	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	18-अक्तू.-11/ 22-अक्तू.-11	13800	5441
14.	46.	शंभु राम	ए.यू.एन.डी.बी.जेड	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	14-अक्तू.-11/ 18-अक्तू.-11	13800	5000
15.	47.	तन्दा दत्ता	एच.एफ.2 ए.आर. डब्ल्यू	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर.	18-अक्तू.-11/ 25-अक्तू.-11	11647	4800

					डी.ई.एल			
	48.	इशानी दत्ता	एच.एफ.2 ए.आर.	डब्ल्यू	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	18-अक्तू.-11/ 25-अक्तू.-11	11647	4800
16.	49.	अनंत बाग	कु आर.सी. एक्स	7 यू एफ.	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	03-अक्तू.-11/ 07-अक्तू.-11	13600	5200
	50.	ज्योत्सना बाग-	आर.सी. एक्स	7 यू एफ.	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	03-अक्तू.-11/ 07-अक्तू.-11	13600	5200
	51.	मैत्रेय बाग	आर.सी. एक्स	7 यू एफ.	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	03-अक्तू.-11/ 07-अक्तू.-11	13600	5200
17.	52.	महबूब आलम शाह	यू.एल.आई.आर.डी.ए.		डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	05-जून-11/ 09-जून-11	16014	9700
	53.	फरत जहां	यू.एल.आई.आर.डी.ए.		डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	05-जून-11/ 09-जून-11	16014	9700
	54.	मुस्त्री खातून	यू.एल.आई.आर.डी.ए.		डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	05-जून-11/ 09-जून-11	16014	9700
18.	55.	रूपचंद सरीन	यू.एल.आई.आर.डी.ए.		डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	05-जून-11/ 09-जून-11	16014	9700
	56.	साबित्री सरीन	यू.एल.आई.आर.डी.ए.		डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	05-जून-11/ 09-जून-11	16014	9700
	57.	रंजना सरीन	यू.एल.आई.आर.डी.ए.		डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	05-जून-11/ 09-जून-11	16014	9700
	58.	सुख सरीन	चंद यू.एल.आई.आर.डी.ए.		डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	05-जून-11/ 09-जून-11	16014	9700
19.	59.	बादुद्दीन शाह	यू.एल.आई.आर.डी.ए.		डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	05-जून-11/ 09-जून-11	16014	9700

2014 का प्रतिवेदन सं. 25

60.	रिजवाना परवीन	यू.एल.आई.आर.डी.ए.	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	05-जून-11/ 09-जून-11	16014	9700
61.	वहाजुद्दीन शाह	यू.एल.आई.आर.डी.ए.	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	05-जून-11/ 09-जून-11	16014	9700
62.	शाकीब राजा	यू.एल.आई.आर.डी.ए.	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर. डी.ई.एल	05-जून-11/ 09-जून-11	16014	9700
कुल					881690	381733
					आधिक्य	499957

अनुबंध-XI

(पैराग्राफ 9.8 के संदर्भ में)

अवकाश यात्रा रियायत (जेट एयरवेयज) की कपटपूर्ण प्रतिपूर्ति

क्र.सं.	क्र.सं.	यात्री का नाम	ई.टिकट सं.	पी.एन.आर.सं.	यात्रा क्षेत्र	यात्रा की तिथि	दावित तथा प्रतिपूर्ति की गई राशि	वास्तविक एयर किराया (₹)
1.	1.	काजल चौधरी	589-909386583	सी.एन.एस.क्यू.ए.आई.	डी.एल.- एस.एक्स.आर.	28-अप्रैल-12	8661	7455
	2.	उज्ज्वला चौधरी	589-909386584	सी.एन.एस.क्यू.ए.आई.	डी.एल.- एस.एक्स.आर.	28-अप्रैल-12	8661	7455
	3.	त्रिदीप चौधरी	589-909386585	सी.एन.एस.क्यू.ए.आई.	डी.एल.- एस.एक्स.आर.	28-अप्रैल-12	8661	7455
	4.	तृषा चौधरी	589-909386586	सी.एन.एस.क्यू.ए.आई.	डी.एल.- एस.एक्स.आर.	28-अप्रैल-12	8661	7455
2.	5.	काशीनाथ राय चौधरी	589-9093086589	सी.एन.एस.क्यू.ए.आई.	डी.एल.- एस.एक्स.आर.	28-अप्रैल-12	8661	7455
	6.	शिखा चौधरी	589-9093086590	सी.एन.एस.क्यू.ए.आई.	डी.एल.- एस.एक्स.आर.	28-अप्रैल-12	8661	7455
	7.	सोमनाथ चौधरी	589-9093086591	सी.एन.एस.क्यू.ए.आई.	डी.एल.- एस.एक्स.आर.	28-अप्रैल-12	8661	7455

	8.	माया दत्ता	589-9093086587	सी.एन.एस.क्यू.ए.आई.	डी.ई.एल.- एस.एक्स.आर.	28-अप्रैल-12	8661	7455
3.	9.	राम रतन राम	589-9090510124/ 589-9092631666	एफ.बी.पी.क्यू.पी.एस.	डी.ई.एल.-एस एक्स.आर-डी.ई.एल	25-अप्रैल-12/ 04-मई-12	16400	3507 8512
	10.	माधुरी देवी	589-9090510120/ 589-9092631662	एफ.बी.पी.क्यू.पी.एस.	डी.ई.एल.-एस एक्स.आर-डी.ई.एल	25-अप्रैल-12/ 04-मई-12	16400	3507 8512
	11.	गौरव राम	589-9090510125/ 589-9092631667	एफ.बी.पी.क्यू.पी.एस.	डी.ई.एल.-एस एक्स.आर-डी.ई.एल	25-अप्रैल-12/ 04-मई-12	16400	3507 8512
4.	12.	सुशील राय	589-9090510126/ 589-9092631668	एफ.बी.पी.क्यू.पी.एस.	डी.ई.एल.-एस एक्स.आर-डी.ई.एल	25-अप्रैल-12/ 04-मई-12	16400	3507 8512
	13.	गोपालप्रसाद राय	589-9090510131/ 589-9092631660	डी.सी.डी.पी.ई.एल.	डी.ई.एल.-एस एक्स.आर-डी.ई.एल	25-अप्रैल-12/ 04-मई-12	16400	3507 8512
	14.	बंदना राय	589-9090510132/ 589-9092631661	डी.सी.डी.पी.ई.एल.	डी.ई.एल.-एस एक्स.आर-डी.ई.एल	25-अप्रैल-12/ 04-मई-12	16400	3507 8512
5.	15.	मोहन लाल मंडल	589-9090510121/ 589-9092631663	एफ.बी.पी.क्यू.पी.एस.	डी.ई.एल.-एस एक्स.आर-डी.ई.एल	25-अप्रैल-12/ 04-मई-12	16400	3507 8512
	16.	लिपिका मंडल	589-9090510122/ 589-9092631664	एफ.बी.पी.क्यू.पी.एस.	डी.ई.एल.-एस एक्स.आर-डी.ई.एल	25-अप्रैल-12/ 04-मई-12	16400	3507 8512
	17.	अर्पण मंडल	589-9090510123/ 589-9092631665	एफ.बी.पी.क्यू.पी.एस.	डी.ई.एल.-एस एक्स.आर-डी.ई.एल	25-अप्रैल-12/ 04-मई-12	16400	3507 8512

6.	18.	चंद्रधर वेल्	589-9090510127/ 589-9092631669	एफ.बी.पी.क्यू.पी.एस.	डी.ई.एल.-एस एक्स.आर-डी.ई.एल	25-अप्रैल-12/ 04-मई-12	16400	3507 8512
	19.	जलपोना वेल्	589-9090510128/ 589-9092631670	एफ.बी.पी.क्यू.पी.एस.	डी.ई.एल.-एस एक्स.आर-डी.ई.एल	25-अप्रैल-12/ 04-मई-12	16400	3507 8512
7.	20.	अशोक कु. मंडल	589-9093593204	एफ.ओ.जे.एल.बी.आई.	डी.ई.एल.-एस एक्स.आर-डी.ई.एल	24-मई-12/ 01-जून-12	12459	7082
	21.	रेखा मंडल	589-9093593205	एफ.ओ.जे.एल.बी.आई.	डी.ई.एल.-एस एक्स.आर-डी.ई.एल	24-मई-12/ 01-जून-12	12459	7082
	22.	अरिजीत मंडल	589-9093593206	एफ.ओ.जे.एल.बी.आई.	डी.ई.एल.-एस एक्स.आर-डी.ई.एल	24-मई-12/ 01-जून-12	12459	7082
कुल							287065	213095
							आधिक्य	73970

अनुबंध-XII

(पैराग्राफ 10.1 के संदर्भ में)

मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान

अ.भा.रे., अलीगढ़ द्वारा अदा किये गये अधिक मांग प्रभारों का परिकलन

माह	अनुबंधित भार की न्यूनतम मांग (75%)		वास्तविक मांग के.वी.ए. (ग)	बिल योग्य मांग		अंतर (घ)-(इ) के.वी.ए. (च)
	3000 के.वी.ए. पर (क)	1200 के.वी.ए. पर (ख)		3000 के.वी.ए. पर (क) या (ग) जो भी अधिक है (घ)	1200 के.वी.ए. पर (ख) या (ग) जो भी अधिक है (इ)	
अप्रैल-2008	2250	900	1116.2	2250	1116.2	1133.8
(i) # उप-योग ₹ 190/के.वी.ए. की दर पर 1133.8 = ₹ 215422.00						1133.8
मई-2008	2250	900	1108	2250	1108	1142
जून-2008	2250	900	1067	2250	1067	1183
जुलाई-2008	2250	900	931	2250	931	1319
अगस्त-2008	2250	900	863	2250	900	1350
सितम्बर-2008	2250	900	928	2250	928	1322
अक्तू.-2008	2250	900	1000.8	2250	1000.8	1249.2
नवम्बर-2008	2250	900	558	2250	900	1350
दिसम्बर-2008	2250	900	728	2250	900	1350
जनवरी-2009	2250	900	728	2250	900	1350
फरवरी-2009	2250	900	728	2250	900	1350
मार्च-2009	2250	900	844	2250	900	1350

शुल्क दर में परिवर्तन प्रदर्शित

अप्रैल-2009	2250	900	840	2250	900	1350
मई-2009	2250	900	856	2250	900	1350
जून-2009	2250	900	1008	2250	1008	1242
जुलाई-2009	2250	900	1008	2250	1008	1242
अगस्त-2009	2250	900	872	2250	900	1350
सितम्बर-2009	2250	900	844	2250	900	1350
अक्तू-2009	2250	900	964	2250	964	1286
नवम्बर-2009	2250	900	760	2250	900	1350
दिसम्बर-2009	2250	900	672	2250	900	1350
जनवरी-2010	2250	900	584	2250	900	1350
फरवरी-2010	2250	900	556	2250	900	1350
मार्च-2010	2250	900	544	2250	900	1350
(ii) #उप-योग ₹ 210/के.वी.ए. की दर पर 30235.2= ₹ 6349392.00						30235.2
अप्रैल-2010	2250	900	572	2250	900	1350
मई-2010	2250	900	604	2250	900	1350
जून-2010	2250	900	680	2250	900	1350
जुलाई-2010	2250	900	668	2250	900	1350
अगस्त-2010	2250	900	656	2250	900	1350
सितम्बर-2010	2250	900	604	2250	900	1350
अक्तू-2010	2250	900	652	2250	900	1350
नवम्बर-2010	2250	900	724	2250	900	1350
दिसम्बर-2010	2250	900	760	2250	900	1350
जनवरी-2011	2250	900	724	2250	900	1350
फरवरी-2011	2250	900	708	2250	900	1350
मार्च-2011	2250	900	672	2250	900	1350

शुल्क दर में परिवर्तन प्रदर्शित

2014 का प्रतिवेदन सं. 25

अप्रैल-2011	2250	900	668	2250	900	1350
(iii)	#उप-योग ₹ 230/के.वी.ए. की दर पर 17550= ₹ 4036500.00					17550
मई-2011	2250	900	800	2250	900	1350
जून-2011	2250	900	812	2250	900	1350
जुलाई-2011	2250	900	772	2250	900	1350
अगस्त-2011	2250	900	740	2250	900	1350
सितम्बर-2011	2250	900	696	2250	900	1350
अक्तू-2011	2250	900	820	2250	900	1350
(iv)	#उप-योग ₹ 220/के.वी.ए. की दर पर 8100= ₹ 1782000.00					8100
नवम्बर-2011	2250	900	764	2250	900	1350
दिसम्बर-2011	2250	900	704	2250	900	1350
जनवरी-2012	2250	900	728	2250	900	1350
फरवरी-2012	2250	900	688	2250	900	1350
मार्च-2012	2250	900	784	2250	900	1350
अप्रैल-2012	2250	900	756	2250	900	1350
मई-2012	2250	900	848	2250	900	1350
जून-2012	2250	900	872	2250	900	1350
जुलाई-2012	2250	900	952	2250	952	1298
अगस्त-2012	2250	900	688	2250	900	1350
सितम्बर-2012	2250	900	840	2250	900	1350
(v)	#उप-योग ₹ 230.00/के.वी.ए. की दर पर 14798 = ₹ 3403540.00					14798

शुल्क दर में परिवर्तन प्रदर्शित

अक्तू.-2012	2250	900	888	2250	900	1350
नवम्बर-2012	2250	900	748	2250	900	1350
दिसम्बर-2012	2250	900	692	2250	900	1350
जनवरी-2013	2250	900	740	2250	900	1350
फरवरी-2013	2250	900	836	2250	900	1350
मार्च-2013	2250	900	872	2250	900	1350
(vi) [#] उप-योग ₹ 250.00/के.वी.ए. की दर पर 8100 = ₹ 2025000.00						8100
कुल योग (i) से (vi) = ₹ 17811854.00						

शुल्क दर में परिवर्तन प्रदर्शित

अनुबंध-XIII

(पैराग्राफ सं. 14.1 के संदर्भ में)

जलीय भत्ते का अनियमित भुगतान

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	राशि (₹ में)
1. (i)	निवासी अभियंता देहर विद्युत गृह प्रभाग स्लैपर जी-	74,57,832.00
(ii)	निवासी अभियंता देहर विद्युत गृह प्रभाग स्लैपर जी-II	1,34,61,636.00
2.	अधीक्षण अभियंता डी.पी.एच., स्लैपर	8,79,414.00
3.	उच्च माध्यमिक विद्यालय भा.ब्या.प्र.बो. अस्पताल स्लैपर	23,06,081.00
4.	एस.एम.ओ. भा.ब्या.प्र.बो. अस्पताल स्लैपर	3,89,633.00
5.	आर.ई. गंगवाल एवं कोटला पी.एच. प्रभाग भा.ब्या.प्र.बो. गंगवाल	1,61,488,13.00
6.	पंडोह बांध इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल प्रभाग, पंडोह	88,10,762.00
	कुल	4,94,54,171

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(पैराग्राफ 1.3 में संदर्भित)

निकायों की सूची, जिन्होंने तीन महीनों से भी अधिक विलंब के पश्चात् लेखा प्रस्तुत किया।

क्रम सं.	स्वायत्त निकायों का नाम	लेखा प्रस्तुत करने की तिथि	विलंब महीनों में
1.	विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, हैदराबाद	4-12-12	5
2.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता	19-11-12	4
3.	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल	5-10-12	3
4.	नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली	8-10-12	3
5.	भारतीय हज समिति, मुंबई	4-12-12	5
6.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	24-12-12	5
7.	होम्योपैथी में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली	29-10-12	3
8.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे	27-12-12	5
9.	लक्षद्वीप राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कवारती	19-11-12	4
10.	ए.बी. बाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान एवं प्रबंधन, ग्वालियर	4-12-12	5
11.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर	27-11-12	4
12.	शास्त्रीय तमिल केन्द्रीय संस्थान, चेन्नई	12-11-12	4
13.	गाँधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय, गाँधीग्राम	19-11-12	4
14.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	26-12-12	5

15.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोझीकोड, (कालीकट)	12-10-12	3
16.	राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश	6-12-12	5
17.	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	30-10-12	3
18.	विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन	17-12-12	5
19.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक	3-10-12	3
20.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर	16-10-12	3
21.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पुडुचेरी, कराइकल	29-11-12	4
22.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आइजॉल	18-12-12	5
23.	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	16-10-12	3
24.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लद्दाख	1-10-12	3
25.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली	14-12-12	5
26.	केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर	19-10-12	3
27.	बेतवा नदी बोर्ड, झाँसी	29-11-12	4
28.	केंद्रीय ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली	18-12-12	5
29.	राष्ट्रमंडल खेलों के लिए संगठन समिति, नई दिल्ली	27-12-12	5
30.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली	9-10-12	3
31.	राजीव गाँधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरंबदूर	17-10-12	3
32.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि, नई दिल्ली (अक्टूबर 2012 में सुपुर्दगी)	23-10-12	3
33.	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	31-12-12	5
34.	विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा	20-10-12	3
35.	पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता	23-11-12	4
36.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली	28-10-12	3
37.	रक्षा अध्ययन संस्थान	14-11-12	4
38.	दक्षिण मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर	24-12-12	5

39.	मद्रास विशेष आर्थिक क्षेत्र, चेन्नई	1-7-13	12
40.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली	7-1-13	6
41.	केंद्रीय सिद्धा अनुसंधान परिषद, चेन्नई	11-3-13	8
42.	क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल	23-1-13	6
43.	डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर	11-2-13	7
44.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तकेलपट	28-2-13	7
45.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा	18-4-13	9
46.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय	15-2-13	7
47.	केंद्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान, अरुणाचल प्रदेश	7-2-13	7
48.	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली	18-4-13	9
49.	दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर	28-3-13	8
50.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली	2-4-13	9
51.	नेहरू युवा केंद्र संगठन, नई दिल्ली	21-1-13	6
52.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली	21-3-13	8
53.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि, नई दिल्ली	19-3-13	8
54.	दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, थंजावुर	28-6-13	11
55.	प्रसार भारती, नई दिल्ली	27-2-13	7

परिशिष्ट-11

(पैराग्राफ 1.4 में संदर्भित)

उन स्वायत्त निकायों की सूची जिनके वर्ष 2011-12 के लेखापरीक्षित लेखों की सूची 31 दिसंबर 2013 के पूर्व तक संसद में नहीं रखी गई है।

क्रम सं.	स्वायत्त निकायों के नाम (मंत्रालय वार)
	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
1.	निर्यात निरीक्षण एजेंसी, कोलकाता
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
2.	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
3.	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं शोध संस्थान, गुवाहाटी
	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
4.	भारतीय सड़क काँग्रेस
	नागरिक उड्डयन मंत्रालय
5.	विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

परिशिष्ट-III

(पैराग्राफ 1.4 में संदर्भित)

स्वायत निकायों द्वारा संसद को वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के लेखापरीक्षित लेखों के प्रस्तुतीकरण में देरी

क्रम. सं.	स्वायत निकायों के नाम (मंत्रालय वार)	लेखापरीक्षित लेखों का वर्ष	विलंब महीनों में
	कृषि मंत्रालय		
1.	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	2010-11	19
2.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली	2010-11	8
		2011-12	8
3.	नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि	2011-12	2
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (औषधि विभाग)		
4.	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, (रा.औ.शि.अ.सं.), मोहाली	2011-12	4
	कोयला मंत्रालय		
5.	कोयला खदान भविष्य निधि संगठन	2011-12	8
	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय		
6.	निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली	2011-12	7
7.	निर्यात निरीक्षण एजेन्सी, नई दिल्ली	2011-12	7
8.	मसाला बोर्ड, कोचीन	2011-12	2
9.	निर्यात निरीक्षण एजेन्सी, चेन्नई	2011-12	5
10.	निर्यात निरीक्षण एजेन्सी, कोच्चि	2011-12	5
11.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि	2011-12	1
12.	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	2011-12	12

	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय		
13.	भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	2011-12	2
	संस्कृति मंत्रालय		
14.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली	2010-11	16
15.	केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह	2011-12	4
16.	केंद्रीय तिब्बती उच्च अध्ययन विश्व विद्यालय, सारनाथ, वाराणसी	2011-12	4
17.	संस्कृति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली	2011-12	8
18.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी	2011-12	4
19.	पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता	2011-12	4
20.	गाँधी स्मृति एवं दर्शन समिति, दिल्ली	2011-12	7
21.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली	2011-12	4
22.	कलाक्षेत्र फाउन्डेशन, चेन्नई	2011-12	12
23.	खुदा बख्श ओरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना	2011-12	7
24.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली	2011-12	4
25.	उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, दीमापुर	2011-12	14
26.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पटियाला	2011-12	4
27.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली	2011-12	4
28.	सलारजंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद	2011-12	4
	विदेश मंत्रालय		
29.	नालन्दा विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	2011-12	13
30.	भारतीय हज समिति, मुम्बई	2011-12	14
	वित्त मंत्रालय		
31.	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, हैदराबाद	2011-12	4

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
32.	केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली	2011-12	3
33.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	2011-12	4
34.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली	2011-12	4
भारी उद्योग मंत्रालय एवं लोक उद्यम विभाग			
35.	राष्ट्रीय स्वचालित परीक्षण एवं अ एवं वि अवरसंरचना परियोजना सोसायटी (रा.स्व.प.अ.सो.)	2011-12	7
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
36.	पुडुचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी	2009-10	12
37.	भारतीय खेल प्राधिकरण	2009-10	19
38.	केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली	2011-12	3
39.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली	2011-12	3
40.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नोएडा	2011-12	2
41.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली	2011-12	2
42.	अरुविले फाउंडेशन, अरुविले	2011-12	3
43.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई	2011-12	3
44.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता	2011-12	3
45.	केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार	2011-12	3
46.	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	2011-12	4
47.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	2011-12	4
48.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड	2011-12	4
49.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन एवं विनिर्माण संस्थान, काँचीपुरम्	2011-12	4

50.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलोर	2011-12	4
51.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता	2011-12	4
52.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली	2011-12	4
53.	भारतीय विज्ञान शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली	2011-12	4
54.	भारतीय विज्ञान शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे	2011-12	4
55.	भारतीय विज्ञान शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, त्रिवेंद्रम	2011-12	4
56.	भारतीय विज्ञान शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	2011-12	4
57.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर	2011-12	4
58.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	2011-12	2
59.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	2011-12	2
60.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	2011-12	2
61.	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद	2011-12	4
62.	राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुम्बई	2011-12	4
63.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	2011-12	4
64.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल	2011-12	4
65.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़	2011-12	4
66.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला	2011-12	8
67.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला	2011-12	4
68.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर	2011-12	2
69.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर	2011-12	2

70.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुरथकल	2011-12	2
71.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल	2011-12	2
72.	राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	2011-12	2
73.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर	2011-12	2
74.	सरदार बल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत	2011-12	2
75.	नियोजन एवं वास्तुकला विद्यालय, भोपाल	2011-12	2
76.	नियोजन एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	2011-12	2
77.	नियोजन एवं वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा	2011-12	3
78.	विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर	2011-12	2
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय			
79.	भारतीय प्रेस रोजगार मंत्रालय	2011-12	3
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय			
80.	वी.वी.गिरी. राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा	2011-12	4
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय			
81.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई	2011-12	4
विद्युत मंत्रालय			
82.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली	2011-12	3
83.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली	2011-12	4
84.	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग	2011-12	4
ग्रामीण विकास मंत्रालय			
85.	जन कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद, नई दिल्ली	2011-12	7

	जहाजरानी मंत्रालय		
86.	नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई	2011-12	4
87.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता	2011-12	4
88.	बी.ओ चिदम्बरनार न्यास पत्तन, तूतीकोरिन	2011-12	3
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय		
89.	स्वलीनता प्रमष्टिकीय पक्षाघात, मांसिक मंदता एवं बहु अक्षम व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली	2011-12	2
90.	मानसिक विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, हैदराबाद	2011-12	8
91.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर	2011-12	8
92.	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय आर्थोपिडीकली विकलांगता संस्थान, कलकत्ता	2011-12	8
93.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली	2011-12	2
	कपड़ा मंत्रालय		
94.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता	2011-12	2
	शहरी विकास मंत्रालय		
95.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड	2011-12	3
96.	दिल्ली शहरी कला आयोग	2011-12	3
97.	लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कवारत्ती	2011-12	4
	जल संसाधन मंत्रालय		
98.	राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली	2011-12	4
	खेल एवं युवा मामले मंत्रालय		
99.	लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	2011-12	3

परिशिष्ट-IV

(पैराग्राफ 1.5 में संदर्भित)

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2011 तक)	संख्या	राशि
कृषि	1992-93	1	4.11
	1993-94	3	2.16
	1994-95	1	2.50
	1995-96	2	11.91
	2000-01	2	3.32
	2001-02	7	9.06
	2002-03	4	1.63
	2003-04	6	3.75
	2004-05	6	152.73
	2005-06	6	499.56
	2006-07	17	1394.39
	2009-10	40	6645.64
	2010-11	61	6184.87
	2011-12	1340	533404.23
	कुल	1496	548319.86
परमाणु ऊर्जा	1991-92	1	2.51
	1996-97	4	4.12
	1997-98	3	3.38
	1998-99	3	1.64
	1999-2000	7	16.56
	2000-01	6	14.24
	2001-02	2	2.60
	2002-03	1	0.80
2003-04	4	4.50	

	2004-05	10	122.07
	2005-06	14	17.46
	2006-07	48	103.47
	2007-08	47	406.48
	2008-09	37	349.20
	2009-10	43	764.26
	2010-11	68	834.99
	2011-12	375	2124.60
	कुल	673	4772.88
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	1991-92	2	6.20
	1992-93	7	81.36
	1993-94	17	140.69
	1994-95	22	152.86
	1995-96	18	142.24
	1996-97	11	154.43
	1997-98	14	222.52
	1998-99	30	284.56
	1999-2000	26	316.46
	2000-01	45	419.65
	2001-02	51	1172.85
	2002-03	61	1222.22
	2003-04	112	1576.71
	2004-05	163	1744.90
	2005-06	259	3390.69
	2006-07	267	3944.47
	2007-08	425	6821.78
	2008-09	263	3305.97
	2009-10	315	4521.91
	2010-11	344	7893.71
2011-12	198	8546.89	
	कुल	2650	46063.07

कार्मिक प्रशिक्षण	2008-09	8	38.33
	2009-10	8	68.78
	2010-11	5	28.15
	2011-12	2	17.37
	कुल	23	152.63
पेशान एवं पेशानरों के कल्याण	2010-11	1	0.34
	2011-12	2	0.79
	कुल	3	1.13
पंचायती राज	2006-07	3	102.03
	2007-08	2	5707.04
	2008-09	5	5233.04
	2009-10	46	11296.05
	2010-11	60	22074.84
	2011-12	126	44413.00
	कुल	242	88826.00
संस्कृति	1990-91	2	0.16
	1991-92	7	2.09
	1992-93	237	904.65
	1993-94	321	1005.66
	1994-95	223	251.01
	1995-96	290	2397.67
	1996-97	88	364.86
	1997-98	119	237.60
	1998-99	73	2131.87
	1999-2000	37	219.60
	2000-01	85	292.96
	2001-02	35	268.75
	2002-03	98	925.93
	2003-04	87	531.96
	2004-05	132	351.49
	2005-06	98	772.71
	2006-07	139	1246.37
2007-08	250	3763.82	

	2008-09	104	1713.07
	2009-10	137	2473.61
	2010-11	341	3083.77
	2011-12	671	3522.48
	कुल	3574	26462.09
खेल एवं युवा मामले			
युवा मामले	1987-88	19	10.93
	1988-89	71	36.11
	1989-90	116	30.59
	1990-91	164	72.27
	1991-92	111	51.96
	1992-93	225	145.19
	1993-94	219	167.72
	1994-95	143	168.67
	1995-96	189	239.25
	1996-97	209	267.39
	1997-98	64	77.45
	1998-99	251	393.01
	1999-2000	314	400.11
	2000-01	298	341.23
	2001-02	10	13.32
	2002-03	307	604.04
	2003-04	285	469.46
	2004-05	235	398.88
	2005-06	157	229.67
	2006-07	28	216.46
	2007-08	486	64.99
	2008-09	93	204.76
	2009-10	26	156.14
	2010-11	34	240.46
	2011-12	11	3335.59
	कुल	4065	8335.65
खेल	1988-89	4	1.75

	1989-90	23	12.77
	1990-91	6	3.03
	1991-92	8	5.53
	1992-93	56	51.41
	1993-94	59	62.39
	1994-95	21	15.53
	1995-96	71	62.10
	1996-97	40	86.11
	1997-98	47	36.51
	1998-99	43	138.75
	1999-2000	174	537.86
	2000-01	294	514.68
	2001-02	1	1.12
	2002-03	237	458.98
	2003-04	340	781.53
	2004-05	490	978.23
	2005-06	14	173.33
	2006-07	11	294.51
	2007-08	10	17.47
	2008-09	9	46.47
	2009-10	18	10.65
	2010-11	31	66.02
	2011-12	19	97.29
	कुल	2026	4454.02
राष्ट्रमंडल खेल (रा.मं.खे.)	2008-09	6	5832.43
	2009-10	62	87273.31
	2010-11	73	10033.49
	कुल	141	103139.23
अल्पसंख्यक मामले	2007-08	13	62.84
	2008-09	32	222.88
	2009-10	17	135.08
	2010-11	12	191.66
	2011-12	69	23444.62
	कुल	143	24057.08

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1987-88	208	156.02
	1988-89	519	618.68
	1989-90	247	338.64
	1990-91	432	459.71
	1991-92	462	517.35
	1992-93	332	585.04
	1993-94	545	885.69
	1994-95	690	1202.47
	1995-96	790	1303.37
	1996-97	395	754.65
	1997-98	430	9582.84
	1998-99	306	1075.40
	1999-2000	238	2169.03
	2000-01	217	3623.17
	2001-02	335	4056.92
	2002-03	213	1098.86
	2003-04	306	1664.34
	2004-05	551	3271.39
	2005-06	422	1495.42
	2006-07	252	6779.39
	2007-08	805	15797.12
	2008-09	439	12509.22
	2009-10	118	13986.44
2010-11	323	14459.38	
2011-12	845	18101.97	
	कुल	10420	116492.51
लोक उद्यम	2007-08	1	0.24
	2011-12	6	185.00
	कुल	7	185.24
भारी उद्योग	2003-04	1	20.00
	2004-05	1	300.00
	2005-06	4	760.00
	2009-10	3	14559.00
	2010-11	4	23814.00

	2011-12	15	37211.00
	कुल	28	76664.00
रसायन एवं पेट्रो रसायन	2007-08		
	2008-09		
	2009-10	4	23.21
	2010-11	4	15.30
	2011-12	22	65.49
	कुल	30	104.00
औषधि निर्माण	2008-09	1	1000.00
	2009-10	8	3002.14
	2010-11	6	704.56
	2011-12	8	558.33
	कुल	23	5265.03
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	2005-06	1	1.00
	2006-07	1	1.25
	2007-08	1	0.95
	2008-09	10	13.83
	2009-10	47	174.90
	2010-11	106	12835.29
	2011-12	144	15867.23
	कुल	310	28894.45
मानव संसाधन विकास			
उच्च शिक्षा	1977-78	1	3.50
	1978-79	23	29.26
	1979-80	16	18.32
	1980-81	9	17.20
	1981-82	11	21.10
	1982-83	32	67.65
	1983-84	19	36.31
	1984-85	15	28.56
	1985-86	77	382.02
	1986-87	26	94.96
	1987-88	91	491.51

	1988-89	76	359.36
	1989-90	75	515.23
	1990-91	12	11.75
	1991-92	40	297.96
	1992-93	45	427.15
	1993-94	57	553.33
	1994-95	17	122.33
	1995-96	20	180.59
	1996-97	20	270.76
	1997-98	29	337.27
	1998-99	32	169.99
	1999-2000	90	382.05
	2000-01	80	648.53
	2001-02	85	736.64
	2002-03	161	1632.28
	2003-04	139	2052.71
	2004-05	146	4148.18
	2005-06	213	1313.90
	2006-07	68	6170.95
	2007-08	23	78.89
	2008-09	36	626.64
	2009-10	237	3746.04
	2010-11	454	15814.14
	2011-12	37	16187.71
	कुल	2512	57974.77
विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता	1982-83	1	5.00
	1984-85	1	0.60
	1985-86	9	5.05
	1986-87	19	17.70
	1987-88	4	13.09
	1988-89	21	74.24
	1989-90	33	55.61
	1990-91	9	20.84
	1991-92	7	8.93

	1992-93	10	77.23
	1993-94	27	298.03
	1994-95	34	461.22
	1995-96	49	1052.35
	1996-97	44	479.54
	1997-98	39	155.21
	1998-99	52	1338.09
	1999-2000	54	422.78
	2000-01	38	1707.30
	2001-02	59	6382.57
	2002-03	96	8736.02
	2003-04	200	2943.31
	2004-05	132	2191.20
	2005-06	84	6986.26
	2006-07	115	9209.94
	2007-08	46	8017.65
	2008-09	60	3763.78
	2009-10	42	32223.39
	2010-11	45	42059.49
	2011-12	155	127836.26
	कुल	1485	256542.68
शहरी विकास	1985-86	1	1.00
	1987-88	1	3.00
	1989-90	1	1.50
	1993-94	2	2.56
	1999-2000	2	8.19
	2003-04	6	29.91
	2005-06	8	926.51
	2006-07	7	726.09
	2007-08	20	1324.72
	2008-09	14	1727.42
	2009-10	34	4026.01
	2010-11	48	7807.97
	2011-12	81	16903.97
	कुल	225	33488.85

2014 का प्रतिवेदन सं. 25

मकान एवं शहरी गरीबी उन्मूलन	1995-96	1	2.20
	1996-97	1	1.10
	2003-04	7	1604.09
	2004-05	2	1356.51
	2005-06	1	481.77
	2006-07	27	429.29
	2007-08	1	4.37
	2008-09	4	475.46
	2009-10	7	2774.12
	2010-11	111	16322.88
	2011-12	183	27926.69
	कुल	345	51378.48
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन	2007-08	1	1023.00
	2008-09	3	4118.00
	2010-11	3	5075.00
	2011-12	45	9589.00
	कुल	52	19805.00
खान	2009-10	1	11.55
	2010-11	4	48.87
	2011-12	13	237.29
	कुल	18	297.71
अंतरिक्ष	1976-77	1	0.05
	1979-80	1	0.05
	1980-81	1	0.38
	1981-82	1	0.03
	1982-83	5	0.69
	1983-84	1	0.02
	1984-85	3	0.97
	1985-86	1	0.05
	1986-87	5	1.30
	1987-88	2	4.88
	1989-90	2	0.07
	1993-94	1	0.10
	1998-99	1	0.20
	1999-00	2	1.30
	2000-01	4	54.87

	2001-02	6	64.41
	2002-03	11	162.75
	2003-04	14	202.83
	2004-05	13	218.74
	2005-06	25	117.61
	2006-07	16	25.88
	2007-08	13	40.29
	2008-09	21	166.64
	2009-10	49	193.06
	2010-11	53	345.47
	2011-12	87	1371.13
	कुल	339	2973.77
नागरिक उड़यन	2010-11	4	27523.00
	2011-12	1	19000.00
	कुल	5	46523.00
कपड़ा	1978-79	10	44.83
	1979-80	2	11.00
	1980-81	3	3.88
	1981-82	1	0.40
	1982-83	4	2.02
	1984-85	1	0.65
	1985-86	3	2.15
	1988-89	1	0.25
	1989-90	2	1.50
	1991-92	3	7.47
	1992-93	7	8.85
	1993-94	8	77.11
	1994-95	31	26.27
	1995-96	47	229.47
	1996-97	15	41.11
	1997-98	15	35.46
	1998-99	9	26.20
	1999-2000	28	126.53
	2000-01	28	72.44
	2001-02	26	35.47
	2002-03	33	73.72

	2003-04	71	515.80
	2004-05	109	557.06
	2005-06	126	951.18
	2006-07	99	1127.00
	2007-08	238	2350.91
	2008-09	318	3121.27
	2009-10	426	12941.37
	2010-11	288	1930.10
	2011-12	1480	7087.90
	कुल	3432	31409.37
वाणिज्य	2001-02	1	150.00
	2002-03	15	1591.00
	2003-04	6	647.26
	2004-05	6	1433.27
	2005-06	8	1174.10
	2006-07	15	1016.00
	2007-08	14	11815.00
	2008-09	25	4675.00
	2009-10	72	23908.00
	2010-11	68	3620.45
	2011-12	138	20264.00
	कुल	368	70294.08
जनजाति मामले	2010-11	1	46.33
	2011-12	186	6827.48
	कुल	187	6873.81
विधि एवं न्याय			
विधायी विभाग कार्यालयी भाषा	1993-94	1	0.05
	1996-97	1	0.05
	2001-02	1	0.03
	2004-05	1	0.10
	2008-09	1	0.15
	2010-11	1	0.50
	कुल	6	0.88
विधिक मामले	1999-2000	1	100.00
	2003-04	1	150.00
	कुल	2	250.00

नियोजन	2008-09	1	1.00
	2010-11	31	82.84
	2011-12	31	61.18
	कुल	63	145.02
आर्थिक मामले	2011-12	3	282.57
	कुल	3	282.57
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन	2003-04	13	576.56
	2004-05	9	354.81
	2005-06	11	424.44
	2006-07	6	85.49
	2007-08	14	424.75
	2008-09	19	797.99
	2009-10	20	1008.18
	2010-11	9	195.75
	2011-12	258	69068.08
	कुल	359	72936.05
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1986-87	1	0.05
	1987-88	1	12.00
	1988-89	1	0.30
	1989-90	1	1.00
	1993-94	8	138.38
	1994-95	1	0.31
	1995-96	56	192.36
	1996-97	68	143.26
	1997-98	42	649.04
	1998-99	46	909.10
	1999-2000	41	1201.35
	2000-01	60	1456.35
	2001-02	42	938.96
	2002-03	67	1644.78
	2003-04	167	3762.36
2004-05	198	13977.57	

	2005-06	238	18201.79
	2006-07	307	17663.91
	2007-08	219	15042.48
	2008-09	217	18029.25
	2009-10	217	20540.23
	2010-11	304	88059.58
	2011-12	1455	916293.36
	कुल	3757	1118857.77
आयुष विभाग	1994-95	1	20.86
	1996-97	1	0.68
	1997-98	4	22.05
	1998-99	1	10.00
	1999-2000	14	85.98
	2000-01	2	5.39
	2001-02	12	136.19
	2002-03	14	55.25
	2003-04	16	94.17
	2004-05	14	154.09
	2005-06	129	1310.20
	2006-07	132	793.92
	2007-08	304	10483.35
	2008-09	312	13065.93
	2009-10	395	23229.76
	2010-11	549	36151.06
	2011-12	456	45477.19
	कुल	2356	131096.07
पृथ्वी विज्ञान	1983-84	9	0.72
	1984-85	22	44.38
	1985-86	19	5.51
	1986-87	14	7.64
	1987-88	35	39.43

	1988-89	43	140.90
	1989-90	61	63.09
	1990-91	39	251.23
	1991-92	6	83.82
	1992-93	17	192.87
	1993-94	13	87.48
	1994-95	12	44.58
	1995-96	33	193.05
	1996-97	35	43.27
	1997-98	48	212.51
	1998-99	36	245.89
	1999-2000	35	670.09
	2000-01	31	136.79
	2001-02	16	33.03
	2002-03	9	14.49
	2003-04	47	101.85
	2004-05	32	485.41
	2005-06	37	263.82
	2006-07	30	635.53
	2007-08	73	703.55
	2008-09	50	935.42
	2009-10	51	350.84
	2010-11	172	1429.82
	2011-12	129	1849.62
	कुल	1154	9266.63
पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	2010-11	1	1872.80
	कुल	1	1872.80
कार्पोरेट मामले	2007-08	3	0.67
	2009-10	4	287.90
	2010-11	11	250.27
	2011-12	1	130.72

		कुल	19	669.56
पोत परिवहन	2008-09		1	10.00
	2009-10		1	6.40
	2010-11		4	404.63
	2011-12		8	323.29
		कुल	14	744.32
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	2010-11		1	59.50
		कुल	1	59.50
	कुल योग		42557	2995931.56

परिशिष्ट- V

(पैराग्राफ 1.6 में संदर्भित)

प्रत्येक केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं पर उल्लेखनीय अभ्युक्तियाँ

1. **राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण एवं अ. एवं वि. अवसंरचना परियोजना कार्यान्वयन सोसाइटी (एन.ए.टी.आई.एस.)**

वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान- ₹111.46 करोड

उपरोक्त को पार्टी द्वारा विलंब से दावा करने एवं एन.ए.टी.आई.एस. द्वारा स्वीकार करने में विलंब के प्रति देयता के गैर/कम-प्रावधान के कारण ₹46.26 करोड कम बताया गया था, कम प्रावधान वाले देय व्यावसायिक शुल्कों एवं एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा आवंटित भूमि की कीमत वृद्धि भी, परियोजनागत परिसंपत्तियों के ₹46.26 करोड से कम बयानी में परिणत हुई थी।

2. **भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली**

अचल परिसंपत्तियाँ: ₹12.30 लाख

उर्पयुक्त राशि में, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.) द्वारा निर्यात परीक्षण परिषद (नि.प.प.) को आवंटित भूमि, जिसके लिए वाणिज्य मंत्रालय से, विशेष तौर पर अनुमति प्राप्त की गयी थी, का ₹ 706 लाख राशि का मूल्य शामिल नहीं है। इसे शामिल नहीं करने से अचल परिसंपत्तियों एवं पूंजीगत रिजर्व को ₹ 706 लाख से कम बताया गया।

3. **राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान**

वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम, आदि (अनुसूची-11)

उपरोक्त में, नांगल में रा.वि.प्र.सं. भवन के निर्माण हेतु, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.) को दिए गए अग्रिम भुगतान के ₹ 10.69 करोड शामिल है। इसमें से, ₹ 9.72 करोड (₹ 8.84 करोड निर्माण पर किये गये व्यय के कारण और भा.ब्या.प्र.बो. के @ 10 प्रतिशत के विभागीय शुल्क के रूप में ₹ 0.88 करोड) का उपयोग भा.ब्या.प्र.बो. द्वारा रा.वि.प्र.सं. भवन के निर्माण कार्य एवं उसे पूरा करने पर किया गया था। इस प्रकार, भवन पर किये गये इस व्यय को पूंजी में रूपांतरित कर अचल

परिसंपत्तियों के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए था। इसे पूंजी में रूपांतरित नहीं करने के कारण 'वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण, अग्रिमों (अनुसूची 11)' को अधिक बताया गया और 'अचल परिसंपत्तियों (अनुसूची 8)' को ₹9.72 करोड़ से कम बताया गया।

4. ऊर्जा क्षमता ब्यूरो

ऊर्जा संरक्षण निधि (कॉर्पस निधि) (अनुसूची 1) ₹286.50 करोड़

उपर्युक्त में मार्च 2013 में प्राप्त ₹34 लाख राशि का नामकरण शुल्क शामिल नहीं है जिसे लेखा बही में चढ़ाया नहीं गया था। यह ऊर्जा संरक्षण निधि (कॉर्पस निधि) के साथ ही चिन्हित/अक्षय निधियों (अनुसूची 9) के ₹34 लाख से कम बयानी में परिणत हुआ।

5. जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

(i) विविध देनदार- ₹494.02 करोड़

इसमें न्हावा सेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल (न्हा.शे.इं.क.ट.) बी.ओ.टी. ऑपरेटर से 31 मार्च 2013 को प्राप्त होने वाली ₹4.53 करोड़ की राशि शामिल है। इसमें से, ₹ 3.50 करोड़ 2004-05 से 2010-11 की अवधि हेतु, सी.आई.एस.एफ. शुल्कों की गैर वसूली से संबंधित है। लाइसेंस अनुबंध की उपधारा 6.82 के अनुसार, लाइसेंस धारी को टर्मिनल पर सी.आई.एस.एफ. सुरक्षा प्रबंध की तैनाती पर लाइसेंस प्रदाता द्वारा किये गये वास्तविक प्रासंगिक खर्च के 40 प्रतिशत का भुगतान करना था। यद्यपि लाइसेंस धारी ने 2001-02 से 2010-11 की अवधि हेतु, सी.आई.एस.एफ. शुल्कों के अतिरिक्त प्रभार पर विवाद के कारण, सी.आई.एस.एफ. शुल्क अदा नहीं किया था। मध्यस्थ के निर्णय (सितम्बर 2011) के अनुसार लाइसेंस धारी द्वारा लाइसेंस प्रदाता को टर्मिनल पर खर्च हुए प्रत्यक्ष एवं प्रासंगिक सी.आई.एस.एफ. शुल्कों का 40 प्रतिशत अदा करना चाहिए था। मध्यस्थ के निर्णय की संगति में, लाइसेंस धारी इस ₹3.50 करोड़ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। 29 मई 2013 को हुई बैठक में बोर्ड ने मध्यस्थ के निर्णय को अतिरिक्त महा न्यायभिकर्ता के इस मत, कि विषय को चुनौती नहीं दी जा सकती और निर्णय को लागू किया जाए, की दृष्टि से स्वीकार कर लिया था। इस दृष्टि से ₹3.50 करोड़ की

अतिरिक्त राशि को लेखाओं में समायोजित किया जाना चाहिए। यह विविध देनदारों एवं वर्ष के लाभ के अधिक बताए जाने में परिणत हुआ।

(ii) वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान-सेवा निवृत्ति लाभ- ₹38.30 करोड़

भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, 31 मार्च 2013 को पेंशन निधि, उपदान निधि, अवकाश नकदीकरण निधि के प्रति ₹558.55 करोड़ की कुल देयता थी। इसके विपरीत, ₹11.36 करोड़ के कुल अंशदान के साथ निधि मूल्य ₹462.56 करोड़ था और वर्ष के दौरान ₹122.90 करोड़ का प्रावधान अदा किया/बनाया गया था। ₹95.99 करोड़ तक के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार हुई कम देयताओं का वर्ष के दौरान पूरी तरह प्रावधान नहीं किया गया था। वर्ष के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार सेवा-निवृत्ति लाभ पर ए.एस.15 के अनुसार देयताओं के प्रावधान नहीं होने से कर्मचारी सेवा-निवृत्ति लाभों के प्रावधान की कम बयानी और वर्ष के लाभ ₹95.99 करोड़ से अधिक बयानी हुई।

6. कांडला पत्तन न्यास

i) प्रक्रियाधीन पूंजीगत निर्माण- ₹234.29 करोड़

पूरी की जा चुकी और संचालित हो रही छः परियोजनाओं (सितंबर 2011 से जनवरी 2013 के मध्य) के पूंजीकरण नहीं करने से प्रक्रियाधीन पूंजीगत निर्माण की अधिक बयानी तथा कुल संपत्तियों के ₹5.71 करोड़ से कम बयानी हुई थी।

उपयोगी जीवन काल एवं प्रभारित होने वाले हास दर के अभाव में, लाभ प्रदाता पर प्रभाव के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है।

ii) उपदान निधि

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कराये गये उपदान निधि के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, उपदान निधि के प्रति देयता ₹138.02 करोड़ थी जबकि उपलब्ध निधि ₹110.37 करोड़ थी। अतः ₹27.65 करोड़ का कम प्रावधान था जो वर्तमान देयताओं की कम बयानी और लाभ के ₹27.65 करोड़ से अधिक बताए जाने में परिणत हुआ।

7. मोर्मुगांव पत्तन न्यास

i) अचल परिसंपत्तियाँ- कुल संपत्ति- ₹636.84 करोड़

मोर्मुगांव पत्तन न्यास ने, सेतुसमुद्रम निगम लि., चैन्नई से 'पुलिवसल' एवं 'शिगल' नामक दो पायलट लांच क्रमशः 5 मार्च 2010 एवं 3 मई 2010 को खरीदे थे। प्रबंधन ने इन लांचों की कीमत के प्रति कोई भुगतान नहीं किया था और लेखों में इससे संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया गया था। लांचों की कीमत क्रमशः ₹3.24 करोड़ एवं ₹322 करोड़ थी।

परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के प्रति देयताओं के प्रावधान के न होने से देयताओं की ₹6.46 करोड़ से कम बयानी और अचल परिसंपत्तियों की उतनी ही राशि से कम बयानी हुई थी। इसके अतिरिक्त, विगत तीन वर्षों के लिए परिसंपत्तियों पर कम प्रभारित मूल्य-हास ₹95.38 लाख था।

(ii) 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों' में जैसा विवरण दिया गया है, पत्तन परिसंपत्तियों के सरकारी निदेशों/ दिशानिर्देशों की संगति में, आर्थिक जीवन-काल निर्धारित कर मूल्य-हास की सीधी-विधि का पालन कर रहा है। तदनुसार परिसंपत्तियों के अनुमानित जीवन-काल का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार मूल्य-हास के दर पर विचार करके किया गया था। तथापि, परिसंपत्तियों के 103 मदों के बारे में, यद्यपि जीवन-काल 31 मार्च 2013 तक समाप्त नहीं हुआ था, वही मूल्य शून्य पर आ गया, जो संचित मूल्य-हास के ₹11.61 करोड़ से अतिरिक्त प्रावधान एवं सकल अचल परिसंपत्तियों के उतने से ही कम बयानी में परिणत हुआ था।

8. मुंबई पत्तन न्यास

i) सामान्य रिजर्व के लाभ एवं हानि लेखे के नामे शेष का गैर-अंतरण- ₹42.56 करोड़

पत्तन न्यास के वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु साझी रूपरेखा के अनुसार, वर्ष 2012-13 के लिए ₹42.56 करोड़ के निवल घाटे को सामान्य रिजर्व के उपलब्ध शेष (₹41.49 करोड़) एवं तुलन-पत्र के परिसंपत्ति की तरफ दर्शाये गये शेष (₹1.07 करोड़) में समायोजित करना चाहिए था। वर्ष 2012-13 के निवल घाटे को ऋण एवं

आकस्मिकताओं के विकास एवं पुनर्भुगतान (ऋ.आ.वि.पु.) खाते में नामे करने से ऋ.आ.वि.पु. के ₹42.56 करोड़ से कम बयानी, सामान्य रिजर्व के ₹41.49 करोड़ से अधिक बयानी एवं लाभ तथा हानि खाते में परिसंपत्ति की ओर ₹1.07 करोड़ से कम बयानी हुई।

ii) **निधि देयता एवं निवेश के मध्य अंतर**

मुंबई पत्तन न्यास ने पूंजीगत परिसंपत्तियों एवं ऋण तथा आकस्मिकताओं के विकास एवं पुनर्भुगतान (ऋ.आ.वि.पु.) के स्थानापन्न, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण हेतु निधियाँ सृजित की थी। पत्तन न्यास के वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु साझी रूपरेखा के अनुसार, वित्तपोषित निवेश में किसी गिरावट को भी नोट के माध्यम से दर्शाया जाना आवश्यक है। मुंबई पत्तन न्यास ने इस उद्देश्य के लिए सृजित संपूर्ण धनराशि का निवेश नहीं किया था और इन निधियों के निवेश में 31 मार्च 2013 तक गिरावट ₹1204.61 करोड़ थी जैसाकि नीचे दिखाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	निधि देयता	निवेश	अंतर
1.	पूंजीगत परिसंपत्तियों के स्थानापन्न, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण हेतु निधि	3444.28	2735.49	708.79
2.	ऋण एवं आकस्मिकताओं के विकास, पुनर्भुगतान हेतु निधि	836.64	340.82	495.82
	कुल	4280.92	3076.31	1204.61

मुंबई पत्तन न्यास ने वर्ष 2012-13 हेतु लेखे के नोट्स निर्माण भाग में ₹1204.61 करोड़ की गिरावट प्रकट नहीं की थी।

iii) **वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान- ₹4385.62 करोड़**

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कराये गये उपदान निधि के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, उपदान निधि के प्रति देयता ₹774.51 करोड़ थी जिसके प्रति उपलब्ध निधि ₹615.12 करोड़ थी। अतः, ₹159.39 करोड़ तक का कम प्रावधान था जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं की कम बयानी तथा ₹159.39 करोड़ तक की हानि की कम बयानी हुई।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कराये गये पेंशन निधि के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, पेंशन निधि के प्रति देयता ₹6949.43 करोड़ थी जबकि उपलब्ध निधि ₹4802.48 करोड़ थी। अतः ₹2146.95 करोड़ तक का कम प्रावधान था जो वर्तमान देयताओं के कम बयानी और हानि के ₹2146.95 करोड़ से कम बयानी में परिणत हुआ।

iv) तैरता जहाज ₹170.44 करोड़

ड्रेजर विवेक, जिसे उपयोग से सेवा-निवृत्त कर दिया गया था और निपटाने के लिए रखा गया था, का सकल बही मूल्य एवं निवल बही मूल्य 31 मार्च 2013 को क्रमशः ₹41.71 करोड़ एवं ₹8.35 करोड़ था। भारतीय नौवहन विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम द्वारा किये गये मूल्यांकन (सितंबर 2012) के अनुसार, ड्रेजर का मूल्य ₹3.45 करोड़ था। तथापि, मुंबई पत्तन न्यास ने परिसंपत्तियों को अचल परिसंपत्तियों के अंतर्गत इसके वास्तविक मूल्य पर दिखाना जारी रखा। परिसंपत्तियों को स्वतंत्र रूप से/जात हानि के प्रभारित नहीं करने से कुल संपत्ति के ₹41.71 करोड़ से, निवल संपत्ति के ₹ 8.35 करोड़, मूल्य-हास के ₹33.36 करोड़ से अधिक बयानी और हानि के ₹4.90 करोड़ से कम बयानी हुई थी।

9. मुंबई पत्तन न्यास पेंशन निधि न्यास

समग्र/पूजीगत निधि एवं देयताएं- अनुसूची I

निधि में पेंशन निधि के प्रति ₹5433.70 करोड़ के बीमांकिक देयता के प्रति ₹631.22 करोड़ का घाटा था।

10. नौसैनिक भविष्य निधि संगठन (जहाज रानी मंत्रालय)-

वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण अग्रिम – ₹31.85 करोड़ (अनुसूची II)

उपर्युक्त शीर्ष को ₹141.03 लाख से कम बताया गया था और चिह्नित/अक्षय निधि के अंतर्गत ब्याज उचंत लेखे की भी गलत गणना एवं बीमांकिक ब्याज को परिकलित नहीं करने के कारण, उतनी ही राशि से कम बयानी हुई थी।

11. अध्यक्ष मुंबई पत्तन न्यास (पूर्व में बंबई डॉक श्रम बोर्ड)

i) डॉक श्रमिक कल्याण निधि- ₹3.88 करोड़

उपर्युक्त राशि निधियों की वास्तविक प्रत्यक्ष उपलब्धता के बगैर केवल बही शेष को दर्शाती है। अतः निवेश के चिन्हित निधियों से मेल खाने की आवश्यकता की पूर्ति नहीं की गयी थी।

ii) वर्तमान देयताएं- ₹580.98 करोड़

भविष्य निधि (₹405.21 करोड़), उस पर उपार्जित ब्याज (₹20.51 करोड़) संबंधित निवेशों एवं भविष्य निधि से संबंधित बैंक के शेषों का कुल योग केवल ₹426.28 करोड़ था जबकि भविष्य निधि शेष ₹441.74 करोड़ था। अतः भविष्य निधि के प्रति निवेश ₹15.46 करोड़ तक कम था।

iii) उपर्युक्त में पेंशन निधि के प्रति ₹62.55 करोड़ शामिल था, जिसके लिए बं.डॉ.श्र.बो. द्वारा कोई बराबर का निवेश नहीं किया गया था। अतः चिन्हित निधियों के संबंध में निवेश के मेल खाने की आवश्यकता की पूर्ति नहीं की गयी थी।

iv) उपर्युक्त में उपदान निधि के प्रति ₹15.91 करोड़ शामिल है जिसके लिए बी.डी.एल.बी. द्वारा कोई बराबर का निवेश नहीं किया गया था। इसलिए चिन्हित निधियों के संबंध में निवेश को बराबर करने की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया है।

12. खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग

अक्षय निधि- ₹293.67 करोड़ (अनुसूची 3)

i) इसमें, निदेशालयों/फिल्ड कार्यालयों के पास पड़े अव्ययित योजनागत निधि शेष एवं आयोग के फिल्ड कार्यालयों द्वारा अर्जित ब्याज की कुल राशि ₹395.75 करोड़, इकाई कार्यालयों को आन्तरिक राशि को व्यय के रूप में दर्ज करने के अक्षम लेखांकन नीति के कारण शामिल नहीं है। यह 'अक्षय निधि' एवं 'रोकड तथा बैंक' शेषों के ₹395.75 करोड़ से कम बयानी में परिणत हुआ।

ii) इसमें, आयोग द्वारा इसके एकाई कार्यालयों, राज्य निदेशकों, संस्थानों (₹55.31 करोड़) एवं शीर्ष बैंकों (₹22.51 करोड़) को इन वर्षों में प्रदान किये गये अग्रदाय अग्रिमों का कुल योग ₹114 करोड़ शामिल है। इसके अतिरिक्त, आयोग के

पास ₹36.18 करोड़ राशि के 'ऋणों एवं अग्रिमों' के रूप में लिए गए अग्रदाय शेषों के ब्यौरे नहीं थे। यह 'अक्षय निधि' एवं 'ऋणों तथा अग्रिमों' के ₹114 करोड़ से अधिक बताये जाने में परिणत हुआ।

iii) अग्रदाय ऋण - ₹29.74 करोड़

उपर्युक्त में अनेक वर्षों से खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्डों, संस्थानों एवं फिल्ड कार्यालयों को दिये गये अग्रदाय ऋणों को शामिल करने वाले अग्रेषित किये गये लेखा शेषों को दर्शाता है। पूर्व में चुने गये दावों को फिल्ड कार्यालयों से समुचित वाउचरों/व्यय विवरणों की प्राप्ति नहीं होने के कारण समायोजित नहीं किया जा सका था (अनुसूची 18-ख, पैराग्राफ 6.4)। लेखा बही में इसके 'अग्रदाय ऋण' के रूप में बनाये रखने के कारण 'अक्षय निधि' एवं 'ऋणों तथा अग्रिमों' को ₹29.74 करोड़ से अधिक बताया गया।

13. विवादित परिसम्पत्ति स्थीरीकरण निधि (वि.प.स्थी.नि.)

i) डिबेंचर ऋणों सहित आई.डी.बी.आई. से वि.प.स्थी.नि. में ऋणों एवं अग्रिमों का अंतरण - ₹6549.84 करोड़ (अनुसूची 11)

इसकी ₹1625.67 करोड़ से अधिक बयानी आई.डी.बी.आई. द्वारा सकल ऋण बकाया का अंतरण दर्शाये जाने के कारण हुई थी। चूंकि वि.प.स्थी.नि. का गठन आई.डी.बी.आई. से अंतरित ₹9,000 करोड़ के विवादित परिसम्पत्तियों के प्रशासन एवं प्रबंधन हेतु हुआ था, वि.प.स्थी.नि. के वित्तीय विवरणों में सारी प्रविष्टियाँ ₹9,000 करोड़ के संदर्भ में होनी चाहिए। यदि वि.प.स्थी.नि. सकल ऋण बकाये को वित्तीय विवरणों में दर्शाने का इच्छुक था, तो इसे लेखे में नोट्स के माध्यम से दिखा सकता था। तथापि, समाशोधित/असमाशोधित मामलों के संबंध में किये गये त्यागों के लिए आवश्यक समायोजन करने आवश्यक थे।

ii) प्राप्त योग्य दावे (वसूली योग्य व्यय) - ₹5.29 करोड़

न्यास संविदा के उपधारा 18(ग) के अनुसार न्यास के प्रशासन के सभी खर्च आई.डी.बी.आई. द्वारा वहन किये जाने थे। तथापि आई.डी.बी.आई. द्वारा अंतरित विवादित परिसम्पत्तियों के समझौते के परिणामों से वसूल की गयी वि.प.स्थी.नि., उधार लेने वालों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा पर किये गये एवं आई.डी.बी.आई. की

प्रतिपूर्ति पर किये गये व्यय के प्रति ₹72.86 करोड़ की राशि थी। चूंकि न्यास संविदा में विवादित परिसम्पत्तियों की प्राप्ति से ऐसी राशि के वसूली का कोई प्रावधान नहीं था, विवादित परिसम्पत्तियों की प्राप्ति से ₹72.86 करोड़ की वसूली और उसकी आई.डी.बी.आई. को प्रतिपूर्ति अनियमित थी। इसलिए वि.प.स्थी.नि. को, ₹72.86 करोड़ को आई.डी.बी.आई. से वसूली योग्य दर्शाना चाहिए था। प्राप्ति योग्य दावे एवं वर्तमान देयता थे। इसलिए ₹72.86 करोड़ से कम बयानी हुई थी।

14. कोलकाता पत्तन न्यास (को.प.न्या.)

i) अचल/पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ: ₹835.38 करोड़

₹8.55 करोड़ का मरम्मत, स्थानापन्न, पुनः तार लगाने आदि पर किया गया व्यय [₹0.80 करोड़ भवनों हेतु, ₹3.35 करोड़ सड़कों हेतु, ₹0.01 करोड़ संयंत्र एवं मशीनरी हेतु तथा ₹0.15 करोड़ विद्युतीय संस्थापन हेतु एवं ₹4.24 करोड़ रेलवे एवं हल्दिया डॉक परिसर (ह.डॉ.प.) पर रोलिंग स्टॉक हेतु], को राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित करने की बजाय वर्ष 2012-13 में पूंजीगत किया गया था।

यह अचल परिसम्पत्तियों (निवल संपत्ति) के ₹8.55 करोड़ से, मूल्य हास के प्रावधान के ₹0.25 करोड़ से अधिक बयानी एवं हानि के ₹8.30 करोड़ से कम बयानी में परिणत हुआ।

ii) प्रक्रियाधीन पूंजीगत निर्माण: ₹98.09 करोड़

मरम्मत, स्थानापन्न, रंग-रोगन आदि पर व्यय की गयी ₹4.18 करोड़ की राशि के राजस्व व्यय को राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित करने की बजाय 31 मार्च 2013 को प्रक्रियाधीन पूंजीगत निर्माण के रूप में रखा गया था। यह प्रक्रियाधीन पूंजीगत निर्माण की अधिक बयानी एवं हानि के ₹4.18 करोड़ से कम बयानी में परिणत हुआ था।

iii) विविध देनदार ₹2628.23 करोड़

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रमुख पत्तन न्यास हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग की साझी रूपरेखा के अनुसार, कठिन एवं संदेह जनक ऋणों हेतु प्रावधान सृजित किये जाने चाहिए। विविध देनदारों का आयु-वार विश्लेषण (6 माह से अधिक एवं कम से

बकाये) भी वार्षिक लेखे में दर्शाया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया था। लेखाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि :-

विविध देनदारों (सरकारी बकाये) में 2003-04 से पूर्व की अवधि से संबंधित ₹33.28 करोड़ के पुराने बकाये शामिल थे। धनराशि की वसूली-योग्यता संदेहजनक थी क्योंकि कोई मसौदा/दस्तावेज ऐसे पुराने दावों के समर्थन में लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया जा सका था। ऐसे देनदारों के प्रति कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। यह विविध देनदारों के ₹33.28 करोड़ से अधिक बयानी और हानि के ₹33.28 करोड़ से कम बयानी में परिणत हुआ।

इसके अतिरिक्त विविध देनदारों (गैर-सरकारी बकाए) में 2003-04 से पूर्व की अवधि से संबंधित ₹35.10 करोड़ के पुराने बकाये शामिल थे। धनराशि की वसूलनीयता का शक था क्योंकि ऐसे पुराने दावों के प्रति कोई फाईल/दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। यह विविध देनदारों के अधिक बयानी एवं हानि के ₹35.10 करोड़ से कम बयानी में परिणत हुआ था।

iv) वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान - ₹ 2758.35 करोड़

01 मार्च 2013 के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्तमान कर्मचारियों के पेंशन एवं उपदान देयताएं क्रमशः ₹1913.80 करोड़ एवं ₹300.60 करोड़ (कुल ₹2214.40 करोड़) थी, जिसके प्रति ₹1120.25 करोड़ की धनराशि उपलब्ध थी। यद्यपि इस आयाम का लेखे के नोट्स में उल्लेख किया गया था, शेष ₹1094.15 करोड़ का लेखे में उल्लेख नहीं किया गया था, इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2004 को या उससे पूर्व सेवा-निवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए पेंशन का बीमांकिक मूल्यांकन ₹1693.38 करोड़ पर आंकलित किया गया था। ऐसी देयता न तो किसी निधि द्वारा आवृत्त थी और न ही 31 मार्च 2013 तक के लेखाओं में शामिल की गयी थी।

अतः उपार्जित पेंशन एवं उपदान देयता हेतु प्रावधान के नहीं होने से कर्मचारी लाभों के प्रावधान की कम बयानी एवं हानि की ₹2787.53 करोड़ से अधिक बयानी हुई।

15. पारादीप पत्तन न्यास

i) अचल परिसंपत्तियाँ (अनुसूची-3) - ₹1428.56 करोड़

वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान उपयोग में लायी गयी ₹15.28 करोड़ की परिसंपत्तियों का पूंजीकरण नहीं किया गया और तदनुसार मूल्य हास उपलब्ध नहीं कराया गया था।

पारादीप पोर्ट पर डीप ड्राफ्ट वर्क हेतु, रेलवे निर्माण के लिए ठेकेदार से रोकी गयी राशि को शामिल नहीं करने के कारण प्रक्रियाधीन पूंजीगत निर्माण को, ₹1.26 करोड़ से कम बताया गया था।

ii) संपदा अनुरक्षण - ₹33.19 करोड़

उपर्युक्त व्यय को, बंदरगाह क्षेत्र में उच्च मस्तल प्रकाश टावर की आपूर्ति, संस्थापन एवं कमीशनिंग पर ₹2.44 करोड़ के पूंजीगत व्यय, जिसे पूंजीगत किया जाना चाहिए था, को शामिल करने के कारण अधिक बताया गया था। यह निवल अतिरिक्त के ₹2.44 करोड़ से कम बताए जाने और प्रक्रियाधीन पूंजीगत निर्माण के उतनी ही राशि से कम बताए जाने में परिणत हुआ था।

iii) उपदान भुगतान - ₹0.11 करोड़

जी.बी.नि. द्वारा किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, लो.भ.नि. की समूह उपकर योजना के प्रति देयता 31 मार्च 2013 को ₹105.31 करोड़ थी। उस तिथि को जी.बी.नि. के पास उपकर निधि का शेष ₹67.88 करोड़ (अलेखा-परीक्षित ब्यौरे के अनुसार) था। तथापि, न तो जी.बी.नि. को कोई भुगतान किया गया और न ही जी.बी.नि. को देय उपकर निधि में घाटे के प्रति ₹39.19 करोड़ हेतु वार्षिक लेखे में कोई प्रावधान किया गया था। यह उपदान अंशदान हेतु प्रावधान के ₹37.43 करोड़ से कम बताए जाने के साथ ही निवल अतिरिक्त को उतनी ही राशि से अधिक बताए जाने में परिणत हुआ।

16. चाय बोर्ड, कोलकाता

देयता

रुढ़िवादी चाय उत्पादन सहायता योजना के अंतर्गत चाय उगाने वालों को देय ₹412.84 लाख की राशि, जिसका वर्ष के अंत तक भुगतान नहीं किया गया, के

प्रावधान नहीं करने से व्यय के साथ ही देयता को ₹412.84 लाख से कम बताया गया।

17. कोयला खदान भविष्य निधि संगठन, कोलकाता

i) वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

‘कोयला खदान पेंशन योजना-1998’ की नियमावली के नियम 22 के अनुसार, बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाने वाले बीमांकिक द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में पेंशन निधि के मूल्यांकन के लिए आयुक्त जिम्मेदार होगा। बीमांकिक की अनुशंसाओं को बोर्ड के समक्ष आयुक्त द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। प्रथम बीमांकिक मूल्यांकन प्रतिवेदन 31 मार्च 2001 को प्रस्तुत किया गया था, जबकि द्वितीय बीमांकिक मूल्यांकन जो कि 31 मार्च 2004 को देय था, को 31 मार्च 2005 को किया गया था। तृतीय मूल्यांकन 31 मार्च 2007 को देय था, जो कि 31 मार्च 2013 तक नहीं किया गया था। 31 मार्च 2013 तक लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। जोकि ए.एस-15 के अनुसार नहीं था।

ii) एस.टी.डी.आर/ सावधि जमा से उपार्जित ब्याज

एक वर्ष से कम की अवधि हेतु बैंक जमाओं पर उपार्जित ब्याज को गलत तरीके से उपार्जित किया गया था। अप्रैल 2012 से मार्च 2013 (365 दिनों) की पूरी अवधि हेतु ब्याज को परिकलित किया गया था, जबकि जमा की शुरुआत तथा परिपक्वता अवधि दो अलग वित्तीय वर्षों में पड़ता है। उपार्जित ब्याज ₹99.25 करोड़ निकाला गया जबकि खातों में मानी गई राशि ₹208.90 करोड़ थी। इस प्रकार, आय पर व्यय के साथ-साथ वर्तमान परिसंपत्तियों को ₹109.65 करोड़ से अधिक बताया गया था।

iii) एस.डी.एस. पर उपार्जित ब्याज

प्राप्ति आधार पर खातों में मानी गई ब्याज की आय ₹1453.88 करोड़ थी। 2012-13 हेतु सुरक्षा विवरण के अनुसार कुल ब्याज बास्तविक प्राप्ति आधार पर माने गए ₹1453.88 करोड़ के प्रति ₹1321.80 करोड़ (₹16522.50 करोड़ का 8 प्रतिशत) निकाला गया था जोकि लेखांकन के प्रोद-भवन आधार के अनुसार नहीं था। ब्याज के अधिक ऋण के कारणवश आय से अधिक व्यय के साथ-साथ वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों को ₹132.08 करोड़ से अधिक बताया गया था।

iv) सी.एम.पी.एफ. पेंशन मुख्य खाता-पी.एस.यू. बॉडस प्रतिभूतियों उपार्जित ब्याज पी.एस.यू. बॉडस प्रतिभूतियों पर ₹6.58 करोड़ के उपार्जित ब्याज को 2012-13 के दौरान खाते में नहीं माना गया था। उपरोक्त को न माने जाने के परिणामस्वरूप ₹6.58 करोड़ तक वर्तमान परिसंपत्तियों के साथ-साथ आय को कम बताया गया।

18. चैन्नई पत्तन न्यास

i) राजस्व रिजर्व- अवकाश नकदीकरण निधि- ₹33.13 करोड़

मुख्य पतन न्यासों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु सामान्य रूपरेखा एवं लेखांकन मानक 15 की आवश्यकता के अनुसार, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश नकदीकरण हेतु देयता प्रदान की जानी चाहिए। पत्तन न्यास को वर्ष 2012-13 के दौरान अवकाश नकदीकरण निधि के प्रति ₹33.13 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। वर्ष 2010-11 के दौरान किए गए बीमांकिक मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, ₹58.95 करोड़ की देयता बताई गई। इसके परिणामस्वरूप ₹25.82 करोड़ का कम प्रावधान हुआ। देहता के इस कम प्रावधान के परिणामस्वरूप ₹25.82 करोड़ तक की सीमाके वर्तमान देयताओं एवं प्रावधानों को कम तथा निवल अधिशेष की अधिक बताए जाने में हुआ (अवकाश नकदीकरण पर लेखांकन योजना (क) के संदर्भ में)।

ii) पेंशन निधि- ₹1840.44 करोड़ तथा उपदान निधि- ₹192.20 करोड़

मुख्य पतन न्यासों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु सामान्य रूपरेखा तथा लेखांकन मानक 15 हेतु आवश्यकता के अनुसार, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पेंशन निधि तथा उपदान निधि के लिए देयता प्रदान की जाएगी। वर्ष 2012-13 के दौरान, पतन न्यास ने पेंशन निधि के प्रति ₹ 1840.44 करोड़ तथा उपदान निधि के प्रति ₹192.20 करोड़ की राशि प्रदान की थी। वर्ष 2010-11 के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, पेंशन निधि हेतु ₹2013.52 करोड़ तथा उपदान निधि हेतु ₹212.65 करोड़ की देयताएं बताई गईं। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार देयताओं के लिए पत्तन ने प्रावधान नहीं किया था।

इसके परिणामस्वरूप पेंशन निधि (₹173.08 करोड़) तथा उपदान निधि (₹20.45 करोड़) का कम प्रावधान हुआ। देयता के इस कम-प्रावधान के कारणवश निवल अधिशेष को अधिक तथा ₹193.53 करोड़ की सीमा तक के वर्तमान देयताओं तथा प्रावधानों को कम बताया गया।

19. कोचीन पत्तन न्यास

वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान- ₹305.45 करोड़ (अनुसूची VIII)

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्तमान कर्मचारियों के पेंशन तथा उपदान योगदान पर ₹1875.51 करोड़ की देयता बताई गई। हालांकि, 31 मार्च 2013 को एल.आई.सी. को किया गया योगदान तथा योगदान के प्रति अर्जित ब्याज केवल ₹298.96 करोड़ था। इस प्रकार, योगदान में ₹1576.55 करोड़ के योगदान में कमी थी। पत्तन न्यास ने इस मद पर कोई प्रावधान नहीं किया था। इसके कारणवश हानि को लगातार ₹1576.55 करोड़ तक कम तथा वर्तमान देयताओं एवं प्रावधानों को कम बताया गया।

20. बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण

वर्तमान परिसंपत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम-देय नहीं परंतु उपार्जित ब्याज-बैंक जमा-₹46.05 करोड़

31 मार्च 2013 को उपार्जित ब्याज की गणना करते हुए सावधि जमा पर ब्याज को गलत परिकलित करने के कारण ₹11.68 करोड़ की अधिक राशि उपरोक्त में शामिल है। इसके कारणवश वर्ष के लिए आय के आधिक्य के साथ अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ प्रत्येक के लिए ₹11.68 करोड़ तक अधिक बताया गया।

21. मसाला बोर्ड

i) वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची 7) - ₹64.89 करोड़

(क) 2012-13 के लिए बकाया खर्चों के गैर-प्रावधान के कारण ₹69.69 लाख की सीमा तक कम बताया गया था और परिणामस्वरूप उसी सीमा तक आय पर व्यय के आधिक्य को कम बताया गया था।

(ख) टर्मिनल लाभों के रूप में कर्मचारियों का उपदान तथा अवकाश वेतन, पेंशन के प्रति देयता के कम प्रावधान पर ₹125.26 करोड़ की सीमा तक कम बताया गया था। उसी सीमा तक आय पर व्यय का आधिक्य भी कम बताया गया था।

22. समुद्री उत्पाद आयात विकास प्राधिकरण, कोची

स्थापना व्यय (अनुसूची 20): ₹25.61 करोड़

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता के आकलन न करने के कारण इसे ₹102.92 करोड़ तक कम बताया गया था। प्राधिकरण ने लेखांकन मानक-15 के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार आय एवं व्यय खाते के माध्यम से दर्शाने की बजाय तुलन-पत्र में विविध व्यय को संबंधित गलत डेबिट के साथ वर्तमान देयताओं के अंतर्गत इस देयता को दर्शाया था। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक के लिए ₹ 102.92 करोड़ तक आय पर व्यय के आधिक्य को कम तथा पूंजीगत निधि को तथा विविध व्यय को परिणामस्वरूप अधिक बताया गया।

23. रबड़ बोर्ड, कोट्टायम

i) पूंजीगत निधि (अनुसूची 1) : ₹190.69 करोड़

पूर्व वर्षों के घाटों के समायोजन न करने तथा उसी को परिसंपत्तियों पक्ष पर रिजर्व एवं अधिशेष के रूप में दर्शाने के कारण पूंजीगत निधि को ₹16.26 करोड़ तक अधिक बताया गया था। इसी कारणवश परिसंपत्तियों एवं देयताओं को ₹16.26 करोड़ तक अधिक बताया गया था।

ii) बोर्ड ने सेवानिवृत्ति लाभों का बीमांकिक मूल्यांकन किया (जून 2012) तथा उनकी कीमत ₹448.81 करोड़ तक आंकी गई। इसके अतिरिक्त कोई और मूल्यांकन नहीं किया गया था। 31 मार्च 2013 को बोर्ड हेतु ₹63.43 करोड़ के क्रेडिट शेष के साथ एक पेंशन निधि को सृजित किया, जिसका निधिकरण सरकार, नियोक्ता, निवेश से आय आदि द्वारा किया जाता है। ₹385.38 करोड़ (₹448.81 करोड़ - ₹63.43 करोड़) की देयता को न तो खातों में दर्शाया गया है और न ही प्रदान किया गया था।

24. दिल्ली विकास प्राधिकरण

i) शहरी विकास निधि (श.वि.नि.)- ₹2850.99 करोड़

शहरी विकास मंत्रालय (श.वि.मं.) की ओर से दिल्ली विकास प्राधिकरण ही शहरी विकास निधि (श.वि.नि.) को अनुरक्षित करता रहा है। इस निधि का सृजन 1992-93 में संपत्तियों को पट्टाधृत से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन करने से हुई बिक्री आय से हुआ था।

परियोजना अनुमोदन समिति से अनुमोदन एवं निर्देशों के अनुसार दि.वि.प्रा. नियमित अंतरालों पर निधियों को जारी कर रहा था। श.वि.नि. का अंतशेष ₹2850.99 करोड़ दर्शाया गया था। हालांकि, अनुसूची-एफ.के अनुसार निर्धारित अक्षय निधि का निवेश श.वि.नि. (निधियों) का ₹2434.24 करोड़ निकाला गया था। इस प्रकार श.वि.नि. निवेश में ₹416.75 करोड़ की कमी थी।

ii) वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम- कॉमनवेलथ खेल परिसंपत्तियाँ - ₹1468.33 करोड़

उपरोक्त परिसंपत्तियाँ ₹766.59 करोड़ के कुल विचार हेतु एक वित्तपोषण सहायता पैकेज के अंतर्गत- मई 2009 में मैसर्स एमार एम.जी.एफ. से दि.वि.प्रा. द्वारा कॉमनवेलथ खेलों के लिए खरीदे गए 333 फ्लैट दर्शाती हैं। दि.वि.प्रा. ने उपरोक्त फ्लैटों की कीमत ₹1468.33 करोड़ दर्शाई जिस पर यह फ्लैट बेचे जाने थे जबकि रुढ़िवाद की अवधारणा तथा ए.एस-2 'सूची मूल्यांकन' के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए फ्लैटों को लागत अर्थात् ₹766.89 करोड़ या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाना चाहिए था। इस प्रकार कथित सूची को अधिक कीमत पर, कीमत आंकने के कारण वर्तमान परिसंपत्तियों को ₹701.44 करोड़ तक अधिक बताया गया।

iii) स्टॉक एवं निर्माण कार्यों (अनुसूची-के) में वृद्धि- ₹ (-) 1122.43 करोड़

उपरोक्त में ₹766.89 करोड़ के कुल विचार हेतु 'वित्तपोषण सहायता पैकेज' नामक योजना के अंतर्गत मई 2009 में मैसर्स एमार एम.जी.एफ. से दि.वि.प्रा. द्वारा खरीदे गए कॉ.वे.खे.-333 फ्लैटों का स्टॉक शामिल है। प्राधिकरण ने अनुसूची-के के अंतर्गत ऐसे स्टॉक का अथशेष तथा अंतशेष क्रमशः ₹919.05 करोड़ एवं ₹1468.33 करोड़ दर्शाया था। इस प्रकार प्राधिकरण ने स्टॉक में वृद्धि के कारण ₹549.28 करोड़ की आय दर्ज की थी। हालांकि, अभिलेखों में यह नोट किया गया कि फ्लैटों का कब्जा परियोजना विकासक द्वारा प्राधिकरण को अभी तक नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2013 तक कथित फ्लैटों की बिक्री दि.वि.प्रा. द्वारा नहीं की गई थी, इसलिए इसे आय एवं व्यय खाते के माध्यम से दर्शाया जाना अनियमित था। इसके अतिरिक्त, अपने आप ही इन 333 फ्लैटों का मूल्यांकन ₹919.05 करोड़ से ₹1468.33 करोड़ तक किया जाना गलत था। इसके कारण उसी राशि द्वारा प्राधिकरण के रिजर्व एवं अधिशेष के साथ ₹549.28 करोड़ तक आय को अधिक बताया गया था।

iv) समाप्त हुए स्टॉक के मूल्यांकन से संबंधित लेखांकन योजना 6 (ग) के अनुसार "आवास स्टॉक समेत निर्मित इकाइयों की कीमत समापन की अनुमानित कीमत को कम करके भूमि प्रीमियम समेत उस मानक लागत पर लगाई जाती है जिस पर उसकी बिक्री की अपेक्षा होती है।"

उपरोक्त लेखांकन योजना 'सूची मूल्यांकन' पर लेखांकन मानक-2 के प्रावधान, जिसके अनुसार सूचियों की कीमत लागत या निवल वसूली योग्य कीमत जो भी कम हो, पर लगानी चाहिए, से असंगत थी।

v) विविध देनदारों का पुनर्मिलन

दि.वि.प्रा. ने 31 मार्च 2013 को सामान्य विकास खाते की वित्तीय विवरणियों में विविध-देनदारों के रूप में ₹750.99 करोड़ दर्शाया था। बुरे एवं संदिग्ध ऋणों के लिए पर्याप्त प्रावधान प्रदान करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण देनदारों, पार्टी-वार तथा आयु-वार ब्यौरे का अनुरक्षण नहीं कर रहा था। इसके अलावा, किराए पर दिए गए/खरीदे गए फ्लैटों के संबंध में किस्तों की वसूली की निगरानी के लिए कोई उचित प्रणाली नहीं थी। इस प्रकार, मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों में ₹750.99 करोड़ की कीमत के विविध देनदारों को लेखापरीक्षा में प्रमाणित नहीं किया जा सका।

vi) नाजुल-॥ लेखे

नाजुल-॥ लेखे के संदर्भ में प्राधिकरण केवल प्राप्ति एवं भुगतान लेखे तैयार कर रहा था, जिसके कारणवश वित्तीय विवरणियों में नाजुल-॥ की कुल परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की स्थिति को नहीं दर्शाया गया था, जैसा कि नीचे दिए गए लेखापरीक्षा में नोटिस किए गए कुछ मामलों से देखा जा सकता है:

क. नाजुल-॥ के लिए प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय के प्रति सामान्य विकास लेखाओं द्वारा आवंटित ₹31.89 करोड़ (₹58.05 करोड़ की कुल देयताओं का 54.93 प्रतिशत) की राशि 31 मार्च 2013 को समाप्त हुई अवधि हेतु वित्तीय विवरणियों में लेखाबद्ध नहीं की गई थी।

ख. 2011-12 के दौरान दिल्ली मेट्रो रेल निगम को श.वि.मं. द्वारा नाजुल-॥ से अनुदान के रूप में ₹1500.00 करोड़ की राशि संस्वीकृत की गई थी। ₹1500.00 करोड़ में से, दि.वि.प्रा. ने दि.मे.रे.नि. को अब तक ₹600 करोड़

(2011-12 एवं 2012-13 प्रत्येक में ₹300.00 करोड़) जारी किए हैं। हालांकि लेखे में ₹900.00 करोड़ की शेष राशि की देयता को नहीं दर्शाया गया था।

ग. बैलेंस शीट की तिथि को बिक्री हेतु उपलब्ध 304 फ्लैटों के संबंध में ₹1454.79 करोड़ की कीमत की परिसंपत्तियाँ लेखे में दर्शाई नहीं गई थी।

घ. नाजुल-॥ में 31 मार्च 2013 को ₹13903.00 करोड़ की राशि के निवेश थे। जबकि नाजुल-॥ हेतु बैलेंस शीट की अनुपस्थिति में सभी निवेश लेनदेन नाजुल-॥ के लिए निर्मित प्राप्त एवं भुगतान लेखे के माध्यम से किए जाते हैं तब भी 31 मार्च 2013 को निवेश स्थिति उचित रूप से दर्शायी नहीं गई थी।

**25. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली (पे.प्रा.गै.नि.बो.)
वर्तमान देयताएं: ₹16.34 करोड़**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (46) के अंतर्गत पे.प्रा.गै.नि.बो. की आय को छूट प्राप्त नहीं है। पिछले वर्ष में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बावजूद, पे.प्रा.गै.नि.बो. ने मूल्यांकन वर्ष 2009-10 से न तो आयकर राशि का आकलन किया और न ही आयकर देयता का प्रावधान किया। पे.प्रा.गै.नि.बो. ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (46) के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए आ.क.रिटर्न. भरने की आवश्यक शर्त को भी पूरा नहीं किया था।

26. वस्त्र समिति

i) वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची 2)- ₹495.02 लाख

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (20) के अंतर्गत समिति की आय को छूट प्राप्त नहीं है क्योंकि उस धारा के स्पष्टीकरण में उल्लिखित विशिष्ट स्थानीय प्राधिकरणों में समिति शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त, समिति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अंतर्गत कर छूट प्राप्त करने के लिए धारा 12-क के अनुसार पंजीकृत नहीं है। पूर्व वर्ष में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बावजूद, समिति ने मूल्यांकन वर्ष 2003-04 से न तो राशि का आकलन किया और न ही आयकर देयता का प्रावधान किया था।

ii) गिन्निंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्री योजना से शुल्क (अनुसूची 11 ख) - ₹147.47
लाख

उपरोक्त में, वर्ष 2012-13 तक गिन्निंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्री के मूल्यांकन की योजना के अंतर्गत आय से संबंधित ₹110.09 लाख शामिल नहीं था। समिति ने ग्रेडिंग पंजीकरण तथा निगरानी शुल्क से संबंधित ₹401.00 लाख की वास्तविक आय के प्रति ₹290.91 लाख को आय के रूप में माना है। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक अधिशेष तथा अन्य आय को ₹110.09 लाख तक कम बताया गया था।

27. तेल उद्योग विकास बोर्ड

i) निवेश (अनुसूची-10) अन्य: ₹2,019.61 करोड़

इसमें बियक्को लॉरी लिमिटेड (बि.लॉ.लि.) के इक्विटी अंश में ₹50.34 करोड़ तक की कीमत का निवेश शामिल है। बि.लॉ.लि. घाटा उठा रही कम्पनी है तथा इसके संचित घाटे पूंजीगत निधियों एवं रिजर्व निधियों से भी अधिक हो गए थे जिसके कारण इसकी नकारात्मक निवल कीमत थी। भारत सरकार ने ₹32.76 करोड़ के ते.उ.वि.बो. ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया (मई 2011), जिससे बि.लॉ.लि. के वर्तमान के पूंजीगत इक्विटी में ₹42 करोड़ से ₹74.76 करोड़ तक की वृद्धि हुई तथा ₹59.60 करोड़ की सीमा तक संचित हानियों को हटाकर पूंजीगत इक्विटी में ₹74.76 करोड़ से ₹15.16 करोड़ तक कमी आई। लेखांकन मानक 13 के अनुसार, ₹50.34 करोड़ के निवेश की कीमत में कमी, जोकि अस्थायी के अलावा थी, के लिए प्रदान किया जाना चाहिए था। प्रबंधन द्वारा अनुमानित, निवेशों की कीमत में कमी हेतु प्रावधान ₹40.13 करोड़ बताया गया था।

ii) वैधानिक दर्जा दिए बिना ही कोपर्स निधि सृजित किए जाना

पे.प्रा.गै. मंत्रालय के निर्देशों (अक्टूबर 2004) पर वर्ष 2004 में विभिन्न अ.एवं वि. गतिविधियों को करने के लिए 'हाइड्रोजन कोपर्स निधि' नामक एक अलग निधि की स्थापना की गई थी। हालांकि, पे.प्रा.गै.मं. ने बताया कि निधि के संभालने के लिए किसी अलग न्यास या संगठन या संस्था को सृजित करने की आवश्यकता नहीं थी। ते.उ.वि.बो. को कोपर्स निधि के लेखे का अनुरक्षण करने के लिए कहा गया था। यह निर्णय लिया गया था कि ते.उ.वि.बो. मानदंडों के अनुसार निधि वित्तीय अंकेक्षण पर आधारित होगी।

31 मार्च 2013 को, कोपर्स निधि में ₹129.32 करोड़ की राशि संचित की गयी थी जिसे ते.उ.वि.बो. के खाते से बाहर विभिन्न बैंको में रखा गया था। निधि के लिए किसी औपचारिक लेखापरीक्षा तथा जवाबदेही तंत्र को सृजित नहीं किया गया है। काफी खातों के शामिल होने को ध्यान में रखते हुए, निधि के धन पर औपचारिक निरीक्षण तंत्र की आवश्यकता है।

28. अखिल भारतीय आयुध विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (अ.भा.आ.वि.सं.)

(i) देयताएं - गैर संस्थान योजनाएं ₹48.08 करोड़

उपरोक्त, अनुसंधान परियोजनाओं के लिए, विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त निधियों पर, देयता को दर्शाता है। इस देयता में अनुसंधान परियोजनाओं से वसूल किए गए प्रशासनिक प्रभारों पर कई वर्षों से संचित ₹5.52 करोड़ की राशि शामिल है। अन्य अभिकरणों की परियोजनाओं पर अ.भा.आ.वि.सं. के प्रशासनिक प्रभारों के रूप में लगाई जा रही यह राशि अ.भा.आ.वि.सं. की आय थी तथा इस राशि हेतु अ.भा.आ.वि.सं. की कोई देयता नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ₹5.52 करोड़ तक आय को कम और देयता को अधिक बताया गया था।

(ii) ब्याज आय - ₹ 20.54 करोड़

विभिन्न विभागों/संगठनों से उनके मरीजों के उपचार हेतु प्राप्त निधियों को मरीज उपचार खाते में डाल दिया जाता है तथा उपयोग न हुई शेष राशि की वापसी उपचार के अंत में संबंधित विभाग/संगठन को वापस कर दी जाती है। इस शीर्ष के अंतर्गत आनेवाली निधि जोकि अप्रतिदेय होता है मरीज की उपचार अवधि के दौरान ब्याज अर्जित करती है तथा संस्थान के लिए यह आय होती है।

अ.भा.आ.वि.सं. ने ₹1.50 करोड़ का ब्याज अर्जित किया था लेकिन इसे लेखे में आय के रूप में शामिल नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप आय को कम तथा उस राशि तक देयता को अधिक बताया गया था।

29. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

विविध क्रेडिट - ₹ 309.84 करोड़

उपरोक्त में कर्मचारियों से प्राप्त राशि के बराबर ₹32.52 करोड़ का क.भा.नि.सं. को किया गया अनिवार्य योगदान शामिल नहीं था। इसके परिणामस्वरूप विविध क्रेडिट तथा व्यय को, प्रत्येक के लिए ₹32.52 करोड़, तक कम बताया गया था।

30. कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(i) वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान - ₹719.15 करोड़

उपरोक्त में 31 मार्च 2013 को लंबित परन्तु भुगतान हेतु क.रा.बी.नि. को प्रस्तुत किए गए निर्माण परियोजनाओं के संबंध में ₹42.02 करोड़ की राशि के बिल शामिल नहीं हैं जिसके कारणवश ₹42.02 करोड़ तक निर्माणाधीन पूंजीगत निर्माण कार्य के साथ वर्तमान देयताएं कम बताई गई थी।

(ii) स्थायी परिसंपत्तियाँ - ₹7018.93 करोड़

क.रा.बी.नि. ने विप्रो के साथ क.रा.बी.नि. की सभी गतिविधियों को आई.टी. रोल आउट के प्रावधान में शामिल करने हेतु ₹1181.82 करोड़ की लागत पर 6 मार्च 2009 को एक अनुबंध किया था। परियोजना की शुरुआत जून 2011 में हुई थी। अनुबंध के अनुसार, निगम को परियोजना हेतु भुगतान 20 बराबर की त्रैमासिक किस्तों में किया जाना था।

निगम ने 31 मार्च 2013 तक उपरोक्त परियोजनाओं पर राजस्व व्यय के रूप में ₹348.64 करोड़ का व्यय दर्ज किया था। परियोजना से प्राप्त परिसंपत्तियों के पूंजीकरण तथा उसी के लिए देयता को लेखे में शामिल नहीं किया गया था। परियोजना से प्राप्त परिसंपत्तियों के विवरणों की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा लेखे पर लेन-देन के प्रभावों को आकलित नहीं कर पाई।

31. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर

स्थायी परिसंपत्तियाँ- ₹ 82.50 करोड़

संस्थान ने गलत आकलन के कारण ₹177.88 लाख तक का कम अवमूल्यन प्रभारित किया था। इसके परिणामस्वरूप, स्थायी परिसंपत्तियों को ₹177.88 लाख तक अधिक तथा उसी सीमा तक के घाटे तथा अवमूल्यन को कम बताया गया था।

32. मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर

स्थायी परिसंपत्तियाँ – ₹ 126.59 करोड़

यद्यपि, लेखाओं हेतु दिये गये नोट में पुस्तकालय की पुस्तकों पर अवमूल्यन को 100 प्रतिशत घोषित किया गया था, परन्तु उसपर किसी अवमूल्यन को प्रभारित नहीं

किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹84.79 लाख तक की स्थायी परिसंपत्तियों के अधिक तथा उसी सीमा तक व्यय का कम कथन हुआ था।

33. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई

स्थायी परिसंपत्तियाँ – ₹ 11.80 करोड़

ईमारत के कुछ मरम्मत तथा रखरखाव कार्यों, अर्थात् सफाई, गृह-व्यवस्था, भवन का बाह्य/आंतरिक रंगरोगन, रिसाव मरम्मत तथा सामुदायिक केन्द्र की मरम्मत आदि को राजस्व व्यय के अंतर्गत दर्ज करने के बजाए इसे पूंजीकृत किया गया था। स्थायी परिसंपत्तियों इमारतों में राजस्व व्यय को गलत दर्ज करने का परिणाम ₹1.58 करोड़ तक स्थायी परिसंपत्तियों के अतिकथन तथा राजस्व व्यय को कम बताए जाने में हुआ है।

34. बेतवा नदी बोर्ड, झांसी

विविध व्यय – ₹ 94.52 करोड़

उपर्युक्त ₹94.52 करोड़ के स्थगित राजस्व व्यय को प्रदर्शित करता है, जिसे उस वर्ष, जिसमें यह किया गया था, अर्थात् 2005-06 से, 5 वर्षों की अवधि से बढ़े खाते में डाला/समायोजित किया जाना था, जैसा कि बोर्डों की लेखांकन नीति में उजागर किया गया है। पिछले वर्षों में इंगित किए जाने के बावजूद भी यह नहीं किया गया था।

35. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर

स्थायी परिसंपत्तियाँ – ₹ 51.70 करोड़

इसमें, राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई 656 एकड़ भूमि के नाममात्र मूल्य को शामिल नहीं किया गया है। लेखाओं हेतु नोट में भी इस संबंध में कोई खुलासा नहीं किया गया था।

36. महाऋषि संधिपानी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान – ₹1.63 करोड़

इसमें, छठे वर्ष के पाठ्यक्रम की समाप्ति पर, छात्रों को देय वजीफे के प्रति देयता हेतु प्रावधान होने से, ₹1.32 करोड़ शामिल है। तथापि, वजीफे हेतु प्रावधान को पहले ही, आस्थगित क्रेडिट देयताओं (अनु. 6) के अंतर्गत, शामिल किया गया था। इसका

परिणाम वर्तमान देयताओं एवं प्रावधानों तथा व्यय के ₹1.32 करोड़, तक के अतिकथन में हुआ।

37. भारतीय खान विद्यालय, धनवाद

ब्याज आय – ₹ 4.21 करोड़

लेखांकन नीतियों के अनुसार परियोजना निधि के निवेश से अर्जित ब्याज को, अनुदान संस्वीकृत करने वाली प्राधिकरण को सूचना के सहित संबंधित परियोजना में क्रेडिट किया जाना चाहिए। यह पाया गया था कि विभिन्न परियोजना निधियों के निवेश पर ₹2.89 करोड़ का ब्याज अर्जित/प्राप्त किया था। अर्जित तथा प्राप्त ब्याज की संबंधित परियोजना शीर्ष को क्रेडिट करने के स्थान पर इसे भा.खा.वि. की आय के रूप में आय एवं व्यय लेखे में क्रेडिट किया गया था। इसका परिणाम ₹2.89 करोड़ तक ब्याज के अतिकथन तथा परियोजना निधि को कम बताए जाने में हुआ।

38. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.प्रौ.सं.), जमशेदपुर

शुल्क एवं अंशदान- – ₹ 11.44 करोड़

छात्रावास ने दाखिला शुल्क, खेल, सांस्कृतिक संघ विकास शुल्क, पी.बी.एफ. तथा अव्ययित शेषों से ब्याज शीर्ष के अंतर्गत ₹1.48 करोड़ की सीमा तक आय अर्जित की परंतु इसे आय एवं व्यय लेखे में दर्शाया नहीं गया था। इसका परिणाम ₹1.48 करोड़ से आय को कम बताए जाने तथा उसी सीमा तक व्यय से आय के अधिक्य को कम बताए जाने में हुआ।

39. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम – ₹146.02 करोड़

उपर्युक्त में 31 मार्च 2013 को विभिन्न विभागों के प्रति वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक बकाया कुल ₹7.09 करोड़ के क्रेडिट पत्र एवं अग्रिमों की राशि शामिल नहीं है, जिसे व्यय के रूप में माना गया था। इसका परिणाम ₹7.09 करोड़ से व्यय अतिकथन तथा उसी राशि से वर्तमान परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों को कम बताए जाने में हुआ।

40. मौलाना आजाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद

(i) वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान- ₹49.35 करोड़

31 मार्च 2013 को ₹5.98 करोड़ की वास्तविक देयता के प्रति सेवानिवृत्ति लाभों हेतु ₹0.18 करोड़ के प्रावधान के कारण, वर्तमान देयताओं एवं प्रावधानों से ₹5.8 करोड़ तक कम बताया गया था। इसका परिणाम ₹5.8 करोड़ तक व्यय को कम बताए जाने में भी हुआ था।

(ii) स्थायी परिसंपत्तियाँ- ₹102.55 करोड़

स्थायी परिसम्पत्तियों में परिसम्पत्तियों के प्रापण के प्रति वर्ष के दौरान जारी ₹1.12 करोड़ के मूल्यों के क्रय आदेश शामिल हैं जबकि वह वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं हुए थे परंतु उन्हें स्थायी परिसम्पत्तियों के अंतर्गत गलत प्रकार से दर्ज किया गया था। इसका परिणाम ₹1.12 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों तथा वर्तमान देयताओं के अतिकथन में हुआ।

41. अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद

स्थायी परिसंपत्तियाँ: ₹96.59 करोड़

सौर पी.वी. विद्युत सयंत्र उपकरण, जिसे वर्ष के दौरान प्राप्त, स्थापित तथा चालू किया गया था, हेतु ₹2.08 करोड़ की लागत के प्रति ₹1.04 करोड़ की शेष राशि को बकाया व्ययों हेतु, देयता प्रदान किए बिना, केवल ₹1.04 करोड़ के आंशिक भुगतान को पूंजीकृत किया गया था। इसका परिणाम ₹1.04 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों तथा वर्तमान देयताओं के कम बताए जाने में हुआ।

42. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल

वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि-: ₹ 63.8 करोड़

वर्तमान परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों में, वसूलनीय शुल्क के रूप में गलत प्रकार से दर्शाई गई ₹2.73 करोड़ की राशि शामिल थी, जबकि देय राशि रा.प्रौ.सं., सुरतकल, कर्नाटक से वर्ष के दौरान प्राप्त की गई थी तथा निदेशक, रा.प्रौ.सं. लेखा रोकड़ बही में प्राप्त के रूप में दर्ज की गई थी। इसका परिणाम ₹2.73 करोड़ प्रत्येक से प्राप्त आय तथा वर्तमान परिसम्पत्तियों के अतिकथन में हुआ। अधिक्य को भी उस सीमा तक अधिक बताया गया था।

43. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति

वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण अग्रिम- ₹ 33.26 करोड़

वर्तमान परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम में सोलह जमा निर्माण कार्य, जिन्हें के.लो.नि.वि. द्वारा सम्पूर्ण हुआ बताया गया था तथा ईमारत का उद्घाटन हो गया था और उपयोग में डाल दिया गया था पर किए ₹17.16 करोड़ का व्यय शामिल है परंतु इसे अभी पूंजीगत नहीं किया गया था इसका परिणाम ₹17.16 करोड़ की स्थायी परिसम्पत्तियों को कम बताए जाने तथा परिसम्पत्तियों के अंतर्गत के.लो.नि.वि. को अग्रिमों के अतिकथन में हुआ।

44. राजीव गांधी विश्वविद्यालय (रा.गां.वि.), रोनो हिल्स, दोईमुख अरुणाचल प्रदेश

निवेश से आय - ₹2.16 करोड़

चिन्हित/स्थायी निधियों के निवेश से अर्जित ₹1.10 करोड़ की राशि को सारणी-3 में, संगत निधियों को बढ़ाने के बजाए, विश्वविद्यालय की आय के रूप में लिया गया था। इसका परिणाम ₹1.10 करोड़ प्रत्येक से आय एवं व्यय लेखे में आय के अतिकथन तथा तुलन पत्र में चिन्हित/स्थायी निधियों के कम बताए जाने में हुआ।

45. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़

(i) चिन्हित/स्थायी निधियाँ

उपर्युक्त में कामकाजी महिला छात्रावास ₹80.76 लाख तथा अतिथि गृह प्रभार ₹13.15 लाख से प्राप्तियाँ शामिल है। यह संस्थान की देयताएं नहीं थीं तथा उन्हें आय के रूप में माना जाना चाहिए था। इसका परिणाम ₹93.91 लाख से चिन्हित/स्थायी निधियों के अतिकथन तथा आय के कम बताए जाने में हुआ। परिणामस्वरूप, कोर्पस/पूंजीगत निधियों को भी उसी सीमा तक कम बताया गया।

(ii) वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान - ₹ 230.31 करोड़

उपर्युक्त में वर्ष 2012-13 के दौरान किए गए व्यय की राजस्व प्रवृत्ति के प्रति देयता होने से ₹408.56 लाख शामिल नहीं है परंतु उन्हें अप्रैल/मई 2013 में अदा किया गया था। गैर-प्रावधान का परिणाम ₹408.56 लाख से वर्तमान देयता के साथ-साथ वर्ष हेतु व्यय की कम बताए जाने में हुआ।

(iii) वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसम्पत्तियाँ

इसमें जमा कार्य आधार पर निष्पादित पूंजीगत कार्य/स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन पर किए गए व्यय होने से ₹6434.83 लाख शामिल था। इन सभी निर्माण कार्यों को पहले ही सम्पूर्ण, सुपूर्द तथा उपयोग में डाल दिया गया था। गैर-पूंजीकरण का परिणाम ₹6434.83 लाख से स्थायी परिसम्पत्तियों को कम बताए जाने तथा वर्तमान परिसम्पत्तियों (निर्माण कार्यों का जमा) के अतिकथन में हुआ।

46. भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (भा.वि.शि.अ.सं.), मोहाली
पंजाब

(i) वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान - ₹1.71 करोड़

उपर्युक्त में स्थायी परिसम्पत्तियों/प्रगति में पूंजीगत निर्माण कार्य के क्रय के प्रति वर्ष 2012-13 के दौरान की गई परंतु अप्रैल/मई 2013 में अदा की गई देयता होने से ₹2.04 करोड़ शामिल नहीं हैं। चूंकि परिसम्पत्तियाँ वर्ष 2012-13 में खरीदी/प्राप्त की गई थी इसलिए लेखा पुस्तिकाओं में आवश्यक प्रावधान किए जाने चाहिए थे। इसका परिणाम ₹2.04 करोड़ तक वर्तमान देयताओं के साथ-साथ स्थायी परिसम्पत्तियों/सी.डब्ल्यू.आई.पी. के कम बताए जाने में हुआ।

(ii) ईमारतें : ₹ 89.20 करोड़ (सकल ब्लाक)

उपर्युक्त में वर्ष 2011-12 (₹18.50 करोड़) तथा 2012-13 (₹5.45 करोड़) के दौरान पूंजीकृत की गई ₹23.95 करोड़ की कीमत की आवासीय ईमारतें शामिल हैं जिन पर लेखांकन नीतियों के अनुसार 5 प्रतिशत की लागू दर के स्थान पर 10 प्रतिशत पर मूल्यहास प्रदान किया गया था। इसका परिणाम वर्तमान वर्ष हेतु ₹99.19 लाख तथा पिछले वर्ष हेतु ₹46.25 लाख तक मूल्यहास को अधिक प्रभारित करने तथा ₹1.45 करोड़ तक निवल ब्लॉक तथा कोर्पस/पूंजीगत निधि को कम बनाए जाने में हुआ।

47. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र

चिन्हित/स्थायी निधियाँ

संस्थान विकास निधि (परामर्शी) : ₹ 5.87 करोड़

उपर्युक्त परामर्शी सेवाएं प्रदान करने, नमूनों तथा निर्माण सामग्रियों की जांच करने के माध्यम से सृजित संस्थान की परामर्शी आय को प्रदर्शित करता है, जिसे संस्थान की आय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था। इसका परिणाम ₹5.87 करोड़ तक

चिन्हित/स्थायी निधियों के अतिकथन तथा उसी सीमा तक आय को कम बताए जाने में हुआ।

48. त्रिपुरा विश्वविद्यालय

सामान्य

राज्य विश्वविद्यालय की अवधि से संबंधित ₹19.24 करोड़ के बैंक शेष तथा स्थायी परिसम्पत्तियों को अभी भी, केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लेखाओं में शामिल नहीं किया गया था। इसका परिणाम वर्तमान परिसम्पत्तियों तथा स्थायी परिसम्पत्तियों को कम बताए जाने तथा कोर्पस निधि को संगत रूप से कम बताए जाने में भी हुआ।

परिशिष्ट - VI

(पैराग्राफ 1.6 (क) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जिसकी वर्ष 2012-13 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी।

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	अरुविले प्रतिष्ठान, अरुविले
2.	तटीय जल संस्कृति प्राधिकरण, चैन्नई
3.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चैन्नई
4.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर (2 वर्षीय लेखे)
5.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चैन्नई
6.	बहु विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय संस्थान, चैन्नई
7.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, डिंडिगुल
8.	केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चैन्नई
9.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, करईकल
10.	केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद
11.	नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि
12.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड़
13.	लक्षद्वीप विधिक सेवा प्राधिकरण, कवारत्ती
14.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोझीकोड़
15.	अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ग्वालियर
16.	महर्षि सांदीपणि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन
17.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
18.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल
19.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक
20.	डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर
21.	बेतवा नदी बोर्ड, झांसी

22.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर
23.	गुरु घासी दास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
24.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर
25.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर
26.	सरदार बल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत
27.	केन्द्रीय झारखंड विश्वविद्यालय, रांची
28.	राष्ट्रीय ढलाई एवं गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, रांची
29.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद
30.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
31.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना, बिहार
32.	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना
33.	नव नालंदा महाविहार, नालंदा, बिहार
34.	खुदा बख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना, बिहार
35.	इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद
36.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
37.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
38.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
39.	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी
40.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर
41.	केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी
42.	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल
43.	भारतीय सूचना संस्थान, इलाहाबाद
44.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ब.हि.वि., (वाराणसी)
45.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
46.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की
47.	केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (मंडल), आगरा
48.	मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद

49.	उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद
50.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान, नोएडा
51.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पौड़ी
52.	विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नोएडा
53.	रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर
54.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
55.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
56.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
57.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
58.	राष्ट्रीय न्यास नई दिल्ली
59.	केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली
60.	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
61.	भारतीय फार्मसी परिषद नई दिल्ली
62.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली
63.	केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
64.	केन्द्रीय युनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
65.	राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ, नई दिल्ली
66.	केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद, नई दिल्ली
67.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
68.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली
69.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
70.	भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
71.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली
72.	प्रसार भारती, नई दिल्ली
73.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली
74.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
75.	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली

76.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
77.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
78.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली
79.	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली
80.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
81.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
82.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली
83.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
84.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नयन परिषद, नई दिल्ली
85.	राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
86.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग, नई दिल्ली
87.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
88.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
89.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोन्नयन परिषद, नई दिल्ली
90.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
91.	भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली
92.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली
93.	नालंदा विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
94.	असम विश्वविद्यालय
95.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
96.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर, असम
97.	उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (उ.पू.क्षे.सां.के.) दीमापुर
98.	राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र (भा.कृ.अ.प. परियोजना), झरनापानी
99.	उत्तर पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय (उ.पू.प.वि.), मेघालय
100.	उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान (उ.पू.इ.गां.क्षे.स्वा एवं चि.वि.सं.) मेघालय
101.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय (रा.प्रौ.सं.)

102.	राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बेंगलोर
103.	एन.आई.एम.एच.ए.एन.एस., बेंगलोर
104.	केन्द्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
105.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
106.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
107.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
108.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद
109.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (उ.पू.क्षे.वि. एवं प्रौ.सं.) निरजुली
110.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय (रा.गां.वि.), रोना हिल्स, दोईमुख
111.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.प्रौ.सं.), यूपीया
112.	केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान (के.हि.सं.अ.सं.), दाहुंग
113.	संत लोंगोवाल अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल
114.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र, पाटियाला
115.	केन्द्रीय हरियाणा विश्वविद्यालय, नारनौल/महेन्द्रगढ़
116.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव
117.	राष्ट्रीय तेलबीज एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुडगांव
118.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
119.	केन्द्रीय जम्मू विश्वविद्यालय
120.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
121.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
122.	दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर
123.	अली यावर जंग राष्ट्रीय बाघिर संस्थान, मुंबई
124.	भा.प्रौ.सं., भुवनेश्वर
125.	रा.प्रौ.सं., राउरकेला
126.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट
127.	एस.वी.एन.आई.आर.टी.ए.आर., ओलटपुर, कटक

128.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड,
129.	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून
130.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चैन्नई
131.	विज्ञान एवं अभियांत्रिक अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली
132.	भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली
133.	राजघाट समाधि समिति
134.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैर नियामक बोर्ड, नई दिल्ली
135.	कोलकाता पत्तन न्यास
136.	पारादीप पत्तन न्यास
137.	कोलकाता गोदी श्रम बोर्ड

परिशिष्ट - VII

(पैराग्राफ 1.6 (ख) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची, जहां वर्ष 2012-13 के दौरान चल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	कलाश्रेष्ठ प्रतिष्ठान, चैन्नई
2.	अरुविले प्रतिष्ठान, अरुविले
3.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चैन्नई
4.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर (दो वर्षीय लेखे)
5.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, डिंडिगुल
6.	केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चैन्नई
7.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपैरम्बदुर
8.	विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, चैन्नई
9.	केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद
10.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम
11.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम
12.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम
13.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल
14.	पं. द्वारका प्रसाद मिश्रा भा.सू.प्रौ.सं. (डी.एम.), जबलपुर
15.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर
16.	बेतवा नदी बोर्ड, झांसी
17.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर
18.	केन्द्रीय गुजरात विश्वविद्यालय, गांधीनगर
19.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर
20.	सरदार बल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत
21.	केन्द्रीय झारखंड विश्वविद्यालय, रांची

22.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
23.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना, बिहार
24.	नव नालंदा महाविहार, नालंदा, बिहार
25.	इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद
26.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
27.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
28.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पौड़ी
29.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (ब.हि.वि.) वाराणसी
30.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुडकी
31.	विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नोएडा
32.	रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर
33.	केन्द्रीय तिब्बती उच्च अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी
34.	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल
35.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
36.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
37.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर
38.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
39.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
40.	केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
41.	केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
42.	केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
43.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली
44.	प्रसार भारती, नई दिल्ली
45.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली
46.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
47.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
48.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली

49.	दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय, नई दिल्ली
50.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
51.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
52.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
53.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली
54.	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
55.	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
56.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली
57.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
58.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
59.	राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
60.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
61.	श्री लाल बहादुर शास्त्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
62.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
63.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
64.	भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली
65.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली
66.	असम विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
67.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
68.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता
69.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता
70.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर, असम
71.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
72.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
73.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
74.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता
75.	दि एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता

76.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता
77.	तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
78.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन
79.	उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (उ.पू.क्ष.सां.के.), दीमापुर
80.	नागालैंड विश्वविद्यालय, नागालैंड
81.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय (रा.प्रौ.सं.)
82.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
83.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
84.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा
85.	डा. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
86.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, एस.ए.एस. नगर/मोहाली
87.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक
88.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र
89.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी
90.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
91.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
92.	स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
93.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (उ.पू.क्ष.वि.प्रौ.सं.) निर्जुली
94.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय (रा.गाँ.वि.) रोनो हिल्स, दोईमुख
95.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.प्रौ.सं.), यूपिया
96.	केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान (के.हि.सं.अ.सं.), दाहुंग
97.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
98.	महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा
99.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई, मुम्बई
100.	अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान, मुम्बई
101.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा

102.	भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर
103.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड
104.	राष्ट्रीय बांध संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली
105.	श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम
106.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चैन्नई
107.	भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली
108.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
109.	निर्यात निरीक्षण एजेंसी, नई दिल्ली
110.	कपड़ा समिति, मुम्बई
111.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (हैदराबाद, दिल्ली, जोधपुर एवं कांगड़ा केन्द्र)
112.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
113.	मुम्बई पत्तन न्यास पेंशन निधि न्यास
114.	कोलकाता पत्तन न्यास
115.	पारादीप पत्तन न्यास

परिशिष्ट - VIII

(पैराग्राफ 1.6 (ग) के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची, जहाँ वर्ष 2012-13 के दौरान वस्तु सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

क्र. सं.	स्वायत्त निकायों के नाम
1.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर
2.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चैन्नई
3.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर (2 वर्ष के लेखे)
4.	गाँधीग्राम ग्रामीण संस्थान, डिंडीगूल
5.	केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चैन्नई
6.	राजीव गाँधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरम्बदूर
7.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय
8.	केन्द्रीय सिद्धा अनुसंधान परिषद
9.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुवनन्तपुरम
10.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कसरगोडे
11.	अटल बिहारी वाजपेयी आई.आई.टी.एम. ग्वालियर
12.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल
13.	पं. द्वारका प्रसाद मिश्रा भा.सू.प्रौ.सं. (डी एम), जबलपुर
14.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल
15.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल
16.	बेतवा नदी बोर्ड, झाँसी
17.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर
18.	गुरु घासी दास विश्वविद्यालय, बिलासपुर

19.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, रायपुर
20.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गाँधीनगर
21.	सरदार बल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत
22.	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची
23.	राष्ट्रीय फाउन्ड्री एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, राँची
24.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
25.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना, बिहार
26.	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना
27.	नव नालंदा महाविद्यालय, नालंदा, बिहार
28.	इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद
29.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
30.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
31.	केन्द्रीय तिब्बती उच्चतर अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी
32.	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल
33.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ब.हि.वि.) वाराणसी
34.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ब.हि.वि.) रुड़की
35.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पौड़ी
36.	विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नोएडा
37.	रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर
38.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
39.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर
40.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
41.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली

42.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली
43.	केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
44.	केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
45.	केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
46.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली
47.	प्रसार भारती, नई दिल्ली
48.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली
49.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
50.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
51.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
52.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
53.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली
54.	गाँधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली
55.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
56.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
57.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली
58.	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
59.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली
60.	राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
61.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
62.	श्री लालबहादुरशास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
63.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
64.	विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग, नई दिल्ली

65.	भारतीय वैश्विक मामले परिषद, नई दिल्ली
66.	भारतीय सांस्कृतिक परिषद, नई दिल्ली
67.	असम विश्वविद्यालय
68.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
69.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
70.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता
71.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता
72.	उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (उ.पू.क्षे. सां.के.) दीमापुर
73.	नागालैंड विश्वविद्यालय, नागालैंड
74.	उत्तर पूर्वी इंदिरा गाँधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान (उ.पू.इं.गाँ.क्षे.स्वा.आ.सं.)
75.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय (रा.प्रौ.सं.)
76.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
77.	हैदराबाद विश्वविद्यालय
78.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
79.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
80.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
81.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा
82.	राजीव गाँधी विश्वविद्यालय (रा.गाँ.वि.) रोनोहिल्स, दोईमुख
83.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.प्रौ.सं.) यूपिया
84.	डॉ बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
85.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, एस.ए.एस. नगर/मोहाली
86.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक

87	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र
88	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
89	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
90	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
91	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
92	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
93	महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, बर्धा
94	अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान, मुम्बई
95	भा.प्रौ.सं., भुवनेश्वर
96	श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम
97	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चैन्नई
98	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
99	कपड़ा समिति, मुम्बई
100	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
101	मुम्बई पत्तन न्यास
102	कोलकाता पत्तन न्यास

परिशिष्ट - IX

(पैराग्राफ 1.6 (घ) के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश प्रारूपों के अनुरूप भविष्य निधि शेषों को निवेशित नहीं किया

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावूर (2 वर्ष के लेखे)
2.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गाँधीनगर
3.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद
4.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
5.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शरीरिक विकलांगता संस्थान, नई दिल्ली
6.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली
7.	केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली
8.	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
9.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली
10.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली
11.	केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
12.	भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
13.	प्रसार भारती, नई दिल्ली
14.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली
15.	सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली
16.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली
17.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
18.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
19.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली

20.	दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय, नई दिल्ली
21.	गाँधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली
22.	नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली
23.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
24.	केन्द्रीय दत्तक संसाधन एजेंसी, नई दिल्ली
25.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली
26.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
27.	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
28.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली
29.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
30.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
31.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
32.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
33.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
34.	व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता
35.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
36.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता
37.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता
38.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता
39.	राष्ट्रीय अस्थि विकलांगता संस्थान, कोलकाता
40.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
41.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर, असम
42.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद, कोलकाता

43.	राजा राममोहन रॉय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता
44.	तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
45.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन
46.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता
47.	उत्तर पूर्वी इंदिरा गाँधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान (उ.पू.इं.गाँ.क्षे.स्वा.आ.सं.)
48.	राजीव गाँधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, (रा.गाँ.भा.प्र.सं.) शिलांग
49.	सलार जंग संग्रहालय, हैदराबाद
50.	डा. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
51.	संत लोंगोवॉल प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी संस्थान, लोंगोवाल
52.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र
53.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गाँव
54.	राष्ट्रीय तेलबीज एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गाँव
55.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर
56.	भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला
57.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
58.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
59.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
60.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह

परिशिष्ट - X

(पैराग्राफ 1.6 (ड) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जो नकदीकरण/नकद आधार पर अनुदानों के लिए लेखांकन करती है।

क्र. सं.	स्वायत्त निकायों का नाम
1.	राजीव गाँधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बदूर
2.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कसरगोड़े
3.	बेतवा नदी बोर्ड, झाँसी
4.	लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
5.	अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
6.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल
7.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, भोपाल
8.	इंदिरागाँधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, अमरकण्टक
9.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
10.	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय
11.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
12.	इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद
13.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
14.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (ब.हि.वि.) वाराणसी
15.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर
16.	उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद
17.	रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर
18.	राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली
19.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
20.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली

21.	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
22.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण आयोग, नई दिल्ली
23.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
24.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
25.	उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (उ.पू.क्षे.सां.के.) दीमापुर
26.	नागालैंड विश्वविद्यालय, नागालैंड
27.	राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र (भा.कृ.अ.प. परियोजन) झरनापानी
28.	उत्तर पूर्वी इंदिरा गाँधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान (उ.पू.इं.गाँ.क्षे.स्वा.आयु.सं.)
29.	उत्तर पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय (उ.पू.प.वि.)
30.	सलार जंग संग्रहालय, हैदराबाद
31.	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद
32.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
33.	केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान (के.हि.सं.अ.सं.) दाहुंग
34.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
35.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

परिशिष्ट-XI

(पैराग्राफ 1.6 (च) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची, जिनका बिमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपादान एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन नहीं किया गया है।

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	अरुविले प्रतिष्ठान, अरुविले
2.	तटीय जल संस्कृति प्राधिकरण, चैन्नई
3.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली
4.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर (2 वर्ष के लेखे)
5.	नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि
6.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोझिकोड
7.	राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, कोझिकोड
8.	अटल बिहारी वाजपेयी भा.सू.प्रौ.एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
9.	बेतवा नदी बोर्ड, झांसी
10.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर
11.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद
12.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
13.	इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद
14.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
15.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
16.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर
17.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
18.	उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद
19.	रामपुर रज़ा पुस्तकालय, रामपुर
20.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
21.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

22.	भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
23.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली
24.	केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
25.	केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद, नई दिल्ली
26.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
27.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
28.	केन्द्रीय दत्तक संसाधन अभिकरण, नई दिल्ली
29.	राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
30.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नयन परिषद, नई दिल्ली
31.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली
32.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
33.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली
34.	असम विश्वविद्यालय
35.	व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता
36.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कर्क-रोग संस्थान, कोलकाता
37.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
38.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता
39.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता
40.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
41.	एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता
42.	उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (उ.पू.क्षे.सां.के.), दीमापुर
43.	राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र (भा.कृ.अ.प. परियोजना), झरनापानी
44.	उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान (उ.पू.इं.गां.क्षे.स्व. एवं आ.सं.) शिलॉंग
45.	राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान (रा.गां.भा.प्र.सं.), शिलॉंग
46.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (उ.पू.क्षे.वि.एवं प्रौ.सं.), निर्जुली

47.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.प्रौ.सं.), यूपिया
48.	केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान (के.हि.सं.अ.सं.), दाहुंग
49.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जलंधर
50.	संत लॉगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉगोवाल
51.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र
52.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव
53.	राष्ट्रीय तेलबीज एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुडगांव
54.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर
55.	भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान, शिमला
56.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर
57.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
58.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
59.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
60.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा
61.	दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर
62.	अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान, मुम्बई
63.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई, मुम्बई
64.	विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर
65.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई
66.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी संस्थान, मुम्बई
67.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, (भा.वि.शि.एवं अ.सं.), पुणे
68.	राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद
69.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
70.	हैदराबाद विश्वविद्यालय
71.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
72.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
73.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति

74.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद
75.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
76.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा
77.	सलारजंग संग्रहालय, हैदराबाद
78.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
79.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, नई दिल्ली
80.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
81.	कोलकाता पत्तन न्यास
82.	पाराद्वीप पत्तन न्यास
83.	तंबाकू बोर्ड
84.	क्वायर बोर्ड, कोच्चि
85.	कपड़ा समिति
86.	कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण निर्यात संवर्धन प्राधिकरण, नई दिल्ली

परिशिष्ट - XII

(पैराग्राफ 1.6 (छ) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची, जिन्होंने अचल संपत्तियों पर मूल्य हास उपलब्ध नहीं कराया।

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण, गांधीनगर
2.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
3.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना, बिहार
4.	नव नालंदा महाविहार, नालंदा, बिहार
5.	इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद
6.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
7.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
8.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर
9.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
10.	उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद
11.	विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नोएडा
12.	रामपुर रज़ा पुस्तकालय, रामपुर
13.	भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
14.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
15.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
16.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण आयोग, नई दिल्ली
17.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली
18.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
19.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली
20.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
21.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कर्क रोग संस्थान, कोलकाता

22.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
23.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता
24.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता
25.	विश्व भारती, शांति निकेतन
26.	केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान (भा.हि.सं.अ.सं.), दाहंग
27.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
28.	संत लोंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल
29.	भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान, शिमला
30.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
31.	भा.प्रौ.सं., भुवनेश्वर
32.	रा.प्रौ.सं., राऊरकेला
33.	एस.वी.एन.आई.आर.टी.ए.आर., उलटपुर, कटक
34.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
35.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

परिशिष्ट - XIII

(पैराग्राफ 1.6 (ज) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची, जिन्होंने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपने लेखाओं में संशोधन किया।

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,, मद्रास
2.	कलाश्रेष्ठ प्रतिष्ठान, चैन्नई
3.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली
4.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चैन्नई
5.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चैन्नई
6.	राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान, चैन्नई
7.	राष्ट्रीय बहु-विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु संस्थान, चेन्नई
8.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान (भा.सू.प्रौ.डि. एवं वि.सं.), कांचीपुरम
9.	जवाहर लाल स्नात्कोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान
10.	पांडीचेरी विश्वविद्यालय
11.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, करईकाल
12.	केन्द्रीय सिद्धा अनुसंधान परिषद
13.	लक्षद्वीप विधिक सेवा प्राधिकरण, कवरत्ती
14.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
15.	अ.भा.आ.सं., भोपाल
16.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
17.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि. नई दिल्ली
18.	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
19.	भा.प्र.सं. बंगलौर
20.	राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बंगलौर

21.	एन.आई.एम.एच.ए.एन.एस. बंगलौर
22.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरथकल, मंगलोर
23.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
24.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद
25.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
26.	श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुअनंतपुरम
27.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
28.	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास
29.	काँफी बोर्ड (सामान्य निधि)

परिशिष्ट - XIV

(पैराग्राफ सं. 21.1 में संदर्भित)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतिक्रिया कार्यवाही टिप्पणियों की सारांशित स्थिति मार्च 2014 को, वर्ष के मार्च 2013 के अंत तक

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के समाप्ति मार्च के लिए प्रतिवेदन	सिविल		
			बकाया	प्राप्त नहीं	पत्राचार के अंतर्गत
1.	कृषि	2012	1	-	1
2.	रसायन एवं उर्वरक	2010	1	-	1
3.	नागरिक उड्डयन	2009	2	1	1
		2011	1	-	1
		2012	1	1	-
4.	वाणिज्य एवं उद्योग	2008	1	-	1
		2012	1	1	-
5.	संस्कृति	2004	1	-	1
		2006	2	-	2
6.	कार्मिक योजना एवं शिकायत	2011	1	-	1
7.	विदेश मामले	2009	2	-	2
		2010	1	-	1
		2011	3	-	3
		2012	1	1	-
8.	वित्त	2010	2	2	-
		2012	1	-	1
9.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2000	1	-	1
		2007	1	-	1
		2008	1	-	1
		2009	2	-	2

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के समाप्ति मार्च के लिए प्रतिवेदन	सिविल		
			बकाया	प्राप्त नहीं	पत्राचार के अंतर्गत
		2010	4	-	4
		2012	4	2	2
10.	गृह मामले	2010	1	-	1
		2012	3	1	2
	गृह मामले (संघ क्षेत्र)	2007	1	-	1
		2011	1	-	1
		2012	12	10	2
11.	मानव संसाधन विकास	2012	2	1	1
12.	सूचना एवं प्रसारण	2000	1	-	1
		2011	1	-	1
13.	विधि एवं न्याय	2003	1	1	-
14.	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	1998	1	-	1
		2010	1	-	1
		2012	1	1	-
15.	प्रवासी भारतीय मामले	2012	1	1	-
16.	विद्युत	2012	1	1	-
17.	ग्रामीण विकास	2002	1	1	-
		2010	1	1	-
		2012	1	1	-
18.	पोत परिवहन	2009	1	-	1
		2012	1	1	-
19.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1996	1	-	1
		2003	1	-	1
		2006	1	-	1

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के समाप्ति मार्च के लिए प्रतिवेदन	सिविल		
			बकाया	प्राप्त नहीं	पत्राचार के अंतर्गत
		2010	1	-	1
20.	वस्त्र	2009	1	-	1
		2012	1	1	-
21.	जनजातीय मामले	1998	1	-	1
		2006	1	1	-
22.	शहरी विकास	2009	1	-	1
		2011	1	-	1
23.	महिला एवं बाल विकास	1999	1	-	1
		2003	1	-	1
		2011	3	1	2
		2012	1	1	-
24.	युवा मामले एवं खेल	2011	1	1	-
		2012	1	1	-
कुल			86	34	52

परिशिष्ट - XV

(पैराग्राफ 21.1 में संदर्भित)

मार्च, 2014 को लंबित कार्यवाही की टिप्पणियाँ (स्वायत्त निकायें)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के मार्च समाप्ति का प्रतिवेदन	स्वायत्त निकायें		
			बकाया	प्राप्त नहीं	पत्राचार के अंतर्गत
1.	कृषि	1997	1	-	1
		2012	1	1	-
2.	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण	2011	1	1	-
3.	संस्कृति	1998	1	-	1
		2001	2	-	2
		2004	2	-	2
		2007	1	-	1
		2011	2	-	2
		2012	2	1	1
4.	विदेश मामले	2012	1	-	1
5.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1999	1	-	1
		2000	1	-	1
		2003	3	-	3
		2004	1	-	1
		2006	1	-	1
		2008	1	-	1
		2009	1	-	1
		2011	2	-	2
		2012	2	1	1
6.	गृह मामले	2010	2	1	1
7.	मानव संसाधन विकास	2001	1	-	1
		2002	1	-	1

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के मार्च समाप्ति का प्रतिवेदन	स्वायत्त निकायें		
			बकाया	प्राप्त नहीं	पत्राचार के अंतर्गत
		2004	1	-	1
		2006	1	-	1
		2007	2	1	1
		2008	1	-	1
		2009	2	-	2
		2010	4	2	2
		2011	3	-	3
		2012	7	7	-
8.	सूचना एवं प्रसारण	2010	1	-	1
		2012	1	1	-
9.	श्रम एवं रोजगार	2009	1	-	1
		2010	1	-	1
		2012	1	1	-
10.	पोत परिवहन	2009	1	-	1
		2011	1	-	1
11.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2010	1	-	1
12.	शहरी विकास	2007	1	-	1
		2011	2	-	2
		2012	1	-	1
13.	युवा मामले एवं खेल	2010	1	-	1
		2011	1	-	1
कुल			66	17	49

परिशिष्ट - XVI

(पैराग्राफ सं. 21.2 में संदर्भित)

ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	पैराग्राफों की कुल सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैराग्राफ का संदर्भ एवं सं., जिनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
1.	रसायन एवं उर्वरक	2	-
2.	उपभोक्ता मामले	1	-
3.	संस्कृति	4	2 (4.1, 4.3)
4.	विदेश मामले	6	4 (5.2, 5.3, 5.4 और 5.6)
5.	खाद्य प्रसंस्करण एवं जन वितरण	3	-
6.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4	1 (7.1)
7.	गृह मामले	2	1 (8.2)
8.	मानव संसाधन विकास	8	6 (9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 और 9.8)
9.	सूचना एवं प्रसारण	1	1 (10.1)
10.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	2	2 (11.1 और 11.2)
11.	कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन	1	-
12.	योजना आयोग	2	-
13.	विद्युत	1	1 (14.1)
14.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	1	-
15.	पोत परिवहन	3	2 (17.2 और 17.3)
16.	वस्त्र	2	-
17.	पर्यटन	2	-
18.	संघ क्षेत्र	5	5 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4 और 20.5)
19.	युवा मामले एवं खेल	1	1 (21.1)
	कुल	51	26

